SELECTED SPEECHES OF SPEAKER SUMITRA MAHAJAN

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

SELECTED SPEECHES OF SPEAKER SUMITRA MAHAJAN

SELECTED SPEECHES OF SPEAKER, SMT. SUMITRA MAHAJAN

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
2023

5-LARRDIS (ESA)/2023

Price: Rs. 180.00

© Lok Sabha Secretariat, 2023

Published under Rule 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition) and Printed by Lok Sabha Secretariat, New Delhi-110001.

PREFACE

The Office of the Speaker holds a position of eminence in our parliamentary system as the fulcrum around which the business of the Central Legislature revolves. The Speaker, who is chosen by the Lok Sabha from among its members, is the custodian of the rights and privileges of its members, indeed, of the House of the People. Smt. Sumitra Mahajan was elected unanimously as Speaker of 16th Lok Sabha on 6th June, 2014, soon after its constitution.

Smt. Sumitra Mahajan, one of the seniormost members of the Lok Sabha, earned the unique distinction of representing Indore Parliamentary constituency in the Lok Sabha for eight consecutive terms since 1989. The faith that the citizens of her constituency have reposed in her leadership for such a long period of time bears eloquent testimony to her political sagacity and strong spirit of public service.

As a long-standing parliamentarian, she has contributed significantly to discussions in the Lok Sabha on issues that have a bearing on the lives of common people. She has been a tenacious votary of the cause of greater empowerment of women. She has also served as Union Minister from 1999 to 2004 in the Council of Ministers of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Having served the Parliament of India for three decades in different capacities, she has earned wide respect across the political spectrum not only for her affable and amiable demeanour, but also for her strong faith in Parliamentary values and traditions. As Speaker of the 16th Lok Sabha, she is credited with upholding and maintaining the dignity of Parliament, as also for initiatives to facilitate free and fair participation of Members of Parliament in the business of the Lok Sabha.

The Speaker represents the voice of Indian Parliament in the comity of world legislative bodies, and as such, is expected to engage actively in inter-parliamentary fora, both bilateral and multi-lateral. In her position as President of the Indian Parliamentary Group (IPG), Speaker Mahajan received many foreign parliamentary dignitaries and led a number of Indian Parliamentary Delegations to friendly Parliaments and multi-lateral fora, such as, the Inter-Parliamentary Union (IPU), the Commonwealth Parliamentary Association (CPA), Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth Parliaments, the Conference of Association of SAARC Speakers and Parliaments, etc. Within India, Smt. Mahajan will be remembered for her active interest in deepening the roots of participatory democracy through promotion of bodies such as the All India Conference of Presiding Officers of legislative bodies in India (AIPOC). AIPOC, which is chaired by the Speaker, Lok Sabha, has, over a time span of about a hundred years, emerged as an important forum for Presiding Officers of the country to consider and deliberate upon issues of common concern for Central and State legislative bodies.

This Publication of the Lok Sabha Secretariat is an attempt at highlighting views and outlook of Speaker Sumitra Mahajan on issues concerning society and polity through selected speeches. These speeches have been carefully curated to span topics ranging from parliamentary and constitutional matters, to the socio-political, ethical and cultural, as also external relations, sustainable development, women's empowerment, etc.

Part-I of the Publication provides a brief profile of Smt. Sumitra Mahajan. Part-II contains her selected speeches in and outside Parliament as Speaker of the 16th Lok Sabha. The speeches in this Volume have been reproduced in the language they were originally delivered in, with minor editing. The speeches have been grouped together as per their content, under subject heads for the convenience of readers.

We hope that this Volume will be found useful by Members of Parliament, scholars, media persons, researchers and all readers interested in the evolution of parliamentary democracy in our country.

NEW DELHI;
December, 2023

UTPAL KUMAR SINGH
Secretary General
Lok Sabha

CONTENTS

PAGE

PREFACE .... (i)

PART I

SMT. SUMITRA MAHAJAN—A PROFILE 1

PART II

HER VIEWS

I. PARLIAMENTARY DEMOCRACY

1. PARLIAMENT—THE HIGHEST FORUM FOR UPHOLDING PARLIAMENTARY DEMOCRACY
Speech on Assuming the Office of the Speaker of 16th Lok Sabha in Lok Sabha, New Delhi (6 June, 2014)................................ 15

2. **उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार (वर्ष 2010, 2011 और 2012)**
बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली (12 अगस्त 2014) 27

3. **ROLE OF CAG**
At the inaugural function of 27th Conference of Accountants General, New Delhi (27 October 2014) 29

4. **संसदीय लोकतंत्र में सिद्धांत और पद्धतियां तथा सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन**
झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में उद्घाटन के अवसर पर भाषण, रांची (4 जुलाई 2015).. 32

5. **अध्यक्षीय शोध कदमः एक सुचारू प्रक्रिया**
अध्यक्षीय शोध कदम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, संसदीय सौध, नई दिल्ली (23 जुलाई 2015) 37

PAGE

6. **PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE: WATCH DOG ON GOVERNMENT SPENDINGS**

At the inauguration of Conference of the Chairpersons of Public Accounts Committees of Parliament and State/UT Legislatures, New Delhi (8 September 2015) 40

7. **ACCOUNTANTS GENERAL CONFERENCE**

At the 28th Accountants General Conference, New Delhi (20 October 2016) 42

8. **FAREWELL ADDRESS TO SHRI PRANAB MUKHERJEE, PRESIDENT OF INDIA**

Farewell Address by Members of Parliament, Parliament House, New Delhi (23 July 2017) 49

II. LEGAL & CONSTITUTIONAL MATTERS

9. **ROLE OF LEGAL EDUCATION AND PROFESSION**

Convocation Address at the Sixth Convocation of the Gujarat National Law University, Gandhinagar, Gujarat (14 February 2015) 59

10. **भारतीय न्याय प्रणाली: प्रगतिशील विचार हेतु विचरण**

5वें वार्षिक डॉ. एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर भाषण, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली (14 नवंबर 2016) 65

III. NATIONAL DEVELOPMENT

11. **इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास**

इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेड एंड नैक ऑन्कोलॉजी में सिद्धार्थ-III स्वदेशी लीनियर एक्सेलरेटर सुविधा आरम्भ किये जाने के अवसर पर माननीय अध्यक्ष का भाषण, इंदौर (26 अगस्त 2014)..... 73

12. **आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियां**

वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के शुभारम्भ समारोह के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (7 नवंबर 2014) 76

PAGE

13. **जैविक हाट**

जैविक हाट के शुभारम्भ के अवसर पर भाषण, इंदौर (6 दिसंबर 2014) 81

14. **छात्र हमारे कर्णधार**

चोईथराम इंटरनेशनल विद्यालय, इंदौर के तत्वावधान में आयोजित मॉडल यूनाइटेड नेशन इंदौर चैप्टर के उद्‌घाटन के अवसर पर भाषण, इंदौर (9 अक्तूबर 2015) 84

15. **भारतीय सड़क कांग्रेस**

भारतीय सड़क कांग्रेस के 76वें वार्षिक सत्र के उद्‌घाटन समारोह के अवसर पर भाषण, इंदौर (19 दिसंबर 2015) 89

16. **स्थानीय स्वशासन की सुशासन में भागीदारी**

अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान द्वारा आयोजित 'स्मार्ट सिटी–अ रोड अहेड' '(Smart City: A Road Ahead)' विषय पर सेमिनार में भाषण, वड़ोदरा (23 जनवरी 2016) 95

17. **DROUGHT AND RELATED AGRARIAN ISSUES, DRINKING WATER MANAGEMENT—PROBLEMS AND ISSUES AND INTERLINKING OF RIVERS FOR WATER MANAGEMENT**

At the Workshop under the auspices of the Speaker's Research Initiative (SRI), Parliament Library Building, New Delhi (4-5 May 2016) 101

18. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार**

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य केन्द्र, इंदौर के लोकार्पण के अवसर पर भाषण, इंदौर (18 मई 2016).......... 103

19. **नई शिक्षा नीति**

'नई शिक्षा नीति और NANO ARCHITECTURE AND MOBILE ORIENTED DIGITAL INSTITUTES FRAMEWORK (NAMODI)' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भाषण, अमरकंटक, मध्य प्रदेश (12 जुलाई 2016) 107

20. **प्रधान मंत्री कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन**

15वीं विशेष सशस्त्र बल काम्प्लेक्स, इंदौर में प्रधान मंत्री कौशल विकास केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर भाषण इंदौर, (25 जनवरी 2017).. 115

21. **KNOW INDIA PROGRAMMES**

Address on the occasion of Call on the 40 participants from 10 countries under the 'Know India Programmes' Parliament Library Building, New Delhi (23 October 2017) 119

IV. ENVIRONMENT, ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

22. **POVERTY ERADICATION AND SDG**

At the 132nd IPU Assembly, Hanoi, Vietnam (29 March 2015)................................. 123

23. **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NEED COLLECTIVE EFFORTS**

At the opening session of the South-Asian Speakers' Summit on 'Achieving the Sustainable Development Goals', Dhaka, Bangladesh (30 January 2016) 127

24. **ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

At the closing ceremony of South-Asian Speakers' Summit on achieving Sustainable Development Goals, Dhaka, Bangladesh (31 January 2016) 131

25. **BRICS PARLIAMENTARY COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF SDGs**

At the meeting of BRICS Parliamentary Forum on the sidelines of the 135th IPU Assembly, Geneva (October 2016) 133

PAGE

26. **प्रणाम इंदौर**

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित प्रणाम इंदौर कार्यक्रम में भाषण, इंदौर (5 जून 2017) 138

27. **रैली फॉर रिवर्स**

डेली कॉलेज, इंदौर (ईशा फाउंडेशन) द्वारा आयोजित समारोह में भाषण, इंदौर (22 सितंबर 2017) 143

28. **अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2017**

रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आर.बी.एस.) अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2017, नई दिल्ली (26 अक्तूबर 2017)................................ 148

V. **WOMEN EMPOWERMENT AND GENDER EQUALITY**

29. **WOMEN LEADERSHIP AND EMPOWERMENT**

At the inaugural session of the Conference on 'Women Leadership and Empowerment' and launch of the Confederation of Indian Industry (CII)—Indian Women Network (IWN), Delhi Chapter, New Delhi (31 July 2014) 155

30. **BUILDING A CONDUCIVE ENVIRONMENT FOR WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT**

At the 9th Annual Meeting of Women Speakers of Parliament, Geneva, Switzerland (4-5 September 2014) 163

31. **ACHIEVING GENDER EQUALITY, ENDING VIOLENCE AGAINST WOMEN**

At the General Debate during 131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland (12–16 October 2014) 171

32. **रचनात्मक महिला शक्ति**

राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की विचारगोष्ठी में महिलाओं की भारत के विकास में केन्द्रीय भूमिका है, के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (22 दिसंबर 2014) 174

PAGE

33. **रानी मां गाइडिन्ल्यूः एक वीरांगना**

रानी मां गाइडिन्ल्यू की जन्मशती समारोह के अवसर पर गुवाहाटी, असम में आयोजित महिला सम्मेलन के अवसर पर भाषण, असम (28 दिसंबर, 2014) 178

34. **DEVELOPMENT INNOVATING FOR FINANCING FOR GENDER EQUALITY**

At the 10th meeting of Women Speakers' of Parliament organized by IPU, New York (29 and 30 August 2015).................... 182

35. **महिला जनप्रतिनिधि का विशिष्ट योगदान**

महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (5-6 मार्च 2016) 190

36. **महिलाएं विकास में बराबर की भागीदार हैं**

महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (5-6 मार्च 2016)........ 197

37. **BRICS WOMEN PARLIAMENTARIANS' FORUM**

Inaugural Address at the meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum Jaipur, Rajasthan (20 August 2016) 201

38. **BRICS WOMEN PARLIAMENTARIANS' FORUM— VALEDICTORY SESSION**

At the meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum Jaipur, Rajasthan (21 August 2016) 209

39. **स्वच्छ भारत मिशन और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के महिला सम्मेलन में भाषण (9 नवंबर 2016).. 214

40. **NATIONAL WOMEN'S PARLIAMENT**

At the Valedictory Ceremony of the National Women's Parliament organized by Andhra Pradesh Legislative Assembly, Amravati (12 February 2017) 219

PAGE

41. **WOMEN POLITICAL LEADERS: CLIMATE CHANGE, WOMEN LAND RIGHTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

At the World Parliamentary Forum on Sustainable Development, Nusa Dua, Bali, Indonesia (7 September 2017) 224

VI. CULTURAL MATTERS

42. **HARMONY OF RELIGIONS: WELFARE OF HUMAN KIND**

At the 3rd International Dharma—Dhamma Conference 'Harmony of Religions: Welfare of Human Kind', Indore (24 October 2015)..... 233

43. **भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक सम्बन्ध**

श्रीमती हेमा देवरे द्वारा लिखित पुस्तक 'गंगा टू मेकांग: ए कल्चरल वॉयस थ्रू टेक्सटाइल्स' के विमोचन समारोह में भाषण, नई दिल्ली (14 दिसंबर 2015) 236

44. **कुम्भः आस्था, धर्म एवं आध्यात्म का अद्भुत संगम**

सिंहस्थ कुम्भ महापर्व 2016 के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड' के विशेष प्लेनरी में भाषण, उज्जैन (14 मई 2016) 239

45. **मातृ संसद**

विश्वमांगल्य सभा द्वारा आयोजित मातृ संसद में भाषण, नागपुर, महाराष्ट्र (24 दिसंबर 2016) 243

46. **अखिल भारतीय संस्कृत विद्वान सम्मेलन**

अखिल भारतीय संस्कृत विद्वान सम्मेलन में भाषण, उडुपी, कर्नाटक (6 जनवरी 2017) 249

47. **34वें अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017**

34वें अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017 के उद्घाटन के अवसर पर अम्बलपुझा, केरल (28 अप्रैल 2017) 254

48. **“अल्काजी” की धातु मुद्रा का अनावरण**

संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा मेघदूत परिसर के 50वें वर्ष में ज्ञान के पीठ (chair) के रूप में “अल्काजी” की धातु मुद्रा के अनावरण के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (3 मई 2017) 259

49. **PROMOTING CULTURAL PLURALISM AND PEACE THROUGH INTER-FAITH AND INTER-ETHNIC DIALOGUE**

At the 137th Assembly of Inter-Parliamentary Union at St. Petersburg, Russian Federation (14-18 October 2017) 262

VII. INTERNATIONAL MATTERS

50. **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014**

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 के अवसर पर भाषण, इंदौर (8 अक्तूबर 2014)........ 267

51. **PARLIAMENT AND THE MEDIA LAW**

At the Commonwealth Parliamentary Association's Parliament and the Media Law Conference, Visakhapatnam (8 April 2015) 271

52. **THE MORAL AND ECONOMIC IMPERATIVE FOR FAIRER, SMARTER AND MORE HUMANE MIGRATION**

At the 133rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland (17-21 October 2015) 276

53. **भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध की स्वर्ण जयंती**

स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान भाषण, नागपुर (25 अक्तूबर 2015) 280

PAGE

54. **INDIA AND MALAYSIA: CLOSER COOPERATION**

At the Reception hosted by the High Commission of India, Malaysia during the 23rd Conference of the Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (9 January 2016) 286

55. **YOUTH ARE HARBINGERS OF CHANGE**

Speech on 'Rejuvenating Democracy, giving voice to Youth' at the 134th Inter-Parliamentary Union Assembly at Lusaka, Zambia (19-23 March 2016).. 292

56. **प्रवासी भारतीयः लोकदूत एवं सांस्कृतिक दूत**

At the Indian Community Event in Mahatma Gandhi Centre, Auckland (18 September 2016) 296

57. **NON-RESIDENT INDIANS—OUR CULTURAL AMBASSADORS**

At the Indian Community Event in Wellington (19 September 2016) 299

58. **INDIA AND KOREA—WARM AND CORDIAL TIES**

At the Reception hosted by the Speaker of National Assembly, Republic of Korea during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Republic of Korea (28 September 2016) 302

59. **INDIA AND SOUTH KOREA—PROMOTING STRONG TIES**

At the reception hosted by Ambassador of India in Seoul during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Republic of Korea (29 September 2016) 304

60. **AWARD OF HONORARY DOCTORATE**

Acceptance speech on receipt of Honorary Doctorate from Hankuk University of Foreign Affairs, Republic of Korea (30 September 2016) 307

PAGE

61. **BRICS PARLIAMENTARY FORUM**

Closing remarks at the meeting of BRICS Parliamentary Forum to be held on the sidelines of the 135th IPU Assembly, Geneva (October 2016) 308

62. **PEACE AND NON-VIOLENCE—CORE OF GANDHIAN PHILOSOPHY**

At the Gandhi Jayanti Celebrations organised by Indian Mission in Seoul, Republic of Korea (2 October 2016) 310

63. **संघर्ष (युद्ध) के पूर्व लक्षणों के रूप में मानवाधिकार उल्लंघनः इसके शीघ्र प्रत्युत्तर देने में संसदों की भूमिका**

135वीं अंतर–संसदीय संघ सभा में भाषण, जेनेवा (23 से 27 अक्तूबर 2016) 319

64. **INDIA AND MAURITIUS: STRONG CULTURAL TIES**

At the Indian Community Reception hosted by the High Commissioner of India during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Mauritius (9 June 2017) 323

65. **REDRESSING INEQUALITIES: DELIVERING ON DIGNITY AND WELL-BEING FOR ALL**

At the 136th Assembly of Inter-Parliamentary Union, Dhaka, Bangladesh (1-5 April 2017)...... 327

VIII. MISCELLANY

66. **जन-जन की भाषा—हिंदी**

लोक सभा सचिवालय में हिन्दी पखवाड़ा के शुभारम्भ के अवसर पर भाषण, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (1 सितम्बर 2014) 333

67. **ब्रेल लिपि में जीवन का सन्देश**

जैन समाज द्वारा ब्रेल पुस्तकों "जीना आये तो जिंदगी" तथा "कर्म जिज्ञासा" के लोकार्पण समारोह में भाषण, बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली (9 नवंबर 2014) 337

PAGE

68. **साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार**

श्री मध्य भारत साहित्य समिति, इंदौर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शताब्दी साहित्य पुरस्कार तथा शताब्दी प्रादेशिक पुरस्कार समारोह में भाषण, इंदौर (6 दिसंबर 2014).......... 339

69. **राष्ट्रीय युवा उत्सव**

30वें अंतर-विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर भाषण, इंदौर (16 फरवरी 2015)......... 341

70. **काया और कायातीत के लिए योग**

'काया और कायातीत' (yoga for body and beyond) के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित विचारगोष्ठी के समापन समारोह में भाषण, नई दिल्ली (23 जून 2016) 345

71. **सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (संदीक्षा) की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी**

सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (संदीक्षा) की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी के अवसर पर उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली (11 नवंबर 2016) 350

72. **अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर**

राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (11 से 13 नवंबर 2016) 352

73. **इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल पुरस्कार**

इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में भाषण, इंदौर (24 जनवरी 2017) 357

74. **पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों का सम्मान**

पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों के सम्मान के अवसर पर भाषण, केरल (13 अप्रैल 2017) 361

PAGE

75. **जन से मन की बात**

'MANN KI BAAT: A SOCIAL REVOLUTION ON RADIO' और **'MARCHING WITH A BILLION: ANALYSING NARENDRA MODI'S GOVERNMENT AT MID-TERM'** शीर्षक दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर भाषण, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली (26 मई 2017) 365

76. **भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण**

भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाषण, लोक सभा, नई दिल्ली (9 अगस्त 2017) 369

77. **उप-राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी का विदाई समारोह**

जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली (10 अगस्त 2017) 372

78. **डॉ. एम.सी. नाहटा राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा पुरस्कार**

राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्था, इंदौर के तत्वावधान में दिए जाने वाले 13वें डॉ. एम.सी. नाहटा राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किये जाने के अवसर पर भाषण, इंदौर (24 सितंबर 2017) 374

79. **GIVING VOICE TO THE YOUTH: MECHANISMS FOR ENSURING EFFECTIVE PARTICIPATION OF YOUTH IN THE GOVERNANCE PROCESS**

At the workshop during the 63rd Commonwealth Parliamentary Conference, Dhaka, Bangladesh (1-8 November 2017) 380

80. **दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की स्मृति व्याख्यान माला**

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की स्मृति व्याख्यान माला में भाषण, नई दिल्ली (21 नवंबर 2017) 385

ABBREVIATIONS

ADR	—	Alternative Dispute Resolution
AMSY	—	Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana
BMB	—	Bharatiya Mahila Bank
BRICS	—	Brazil, Russia, India, China, South Africa
CAG	—	Comptroller and Auditor General
CCI	—	Confederation of Indian Industry
CPA	—	Commonwealth Parliamentary Association
GDP	—	Gross Domestic Product
GER	—	Gross Enrolment Ratio
GST	—	Goods and Services Tax
ICC	—	Indian Cultural Centre
IPU	—	Inter-Parliamentary Union
IWN	—	Indian Women Network
MSE-CDP	—	Micro and Small Enterprises—Cluster Development Programme
PAC	—	Public Accounts Committee
PPP Model	—	Public Private Partnership Model
SDG	—	Sustainable Development Goals
SRI	—	Speaker's Research Initiative
STEP	—	Support of Training and Employment Programme
TREAD	—	Trade Related Entrepreneurship Assistance Development Scheme for Women
UNFCCC	—	United Nations Framework Convention on Climate Change

PART—I

SMT. SUMITRA MAHAJAN — A PROFILE

SMT. SUMITRA MAHAJAN

Hon'ble Speaker, Lok Sabha

SUMITRA MAHAJAN: A MULTI-FACETED PERSONALITY

Sumitra Mahajan who rose to become Speaker of Lok Sabha has a very distinguished innings in the national and political life of the country. She was born to Usha and Purushotam Neelkanth Sathe in Chiplun, Ratnagiri District of Maharashtra on 12 April, 1943. Both her parents inculcated in her values of nationalism and service to the society and the nation. From her school days she used to regularly visit library to quench her thirst for knowledge. Her reading habit exposed her to ideas and ideals of notable historical personalities and leaders like Devi Ahilya Bai Holkar, Rani Laxmi Bai, and Jijabai, the mother of Chhatrapati Shivaji. Leadership qualities of Devi Ahilya Bai Holkar deeply inspired her. Rani Laxmi Bai deeply imprinted the fervour and value of nationalism in her. Sumitra Mahajan is a law graduate and holds a post-graduate degree in Psychology. She got married to Jayant Mahajan on 29 January, 1965. She has two sons.

She started her career as a lawyer. But public and social service was always dear to her heart and these yearnings motivated her to enter politics. RSS Sarsanghchaalak Dr. K.B. Hedgewar had a great appeal and influence on her. She joined the Rashtriya Sevika Samiti, the women wing of RSS, and remained active in furthering the goals of Samiti for a considerable period in her public career. In 1982, she was elected as Corporator in the Municipal Corporation of Indore. Later in 1984 she also became the Deputy Mayor of the Municipal Corporation of Indore.

Her career as a legislator started in 1989, when for the first time she was elected to the 9th Lok Sabha from Indore (Madhya Pradesh) as a Bharatiya Janata Party candidate. Ever since then, she has been representing the same constituency for eight

consecutive terms in the Lok Sabha from the same party *i.e.* Bharatiya Janata Party. As a senior, seasoned and distinguished member of Lok Sabha, she is well-versed with the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House. Besides, she has the purposeful and fruitful experience of various Parliamentary Standing Committees either as Chairperson or member of the Committees. She served the nation as Union Minister of State in the Ministry of Human Resource Development from 13 October, 1999 to 1 July, 2002; in the Ministry of Communications and Information Technology from 1 July, 2002 to 24 May, 2003; and in the Ministry of Petroleum and Natural Gas from 24 May, 2003 to 22 May, 2004. She was also in the Panel of Chairpersons of the House during 15th Lok Sabha.

Smt. Sumitra Mahajan was elected unanimously as the Speaker of the 16th Lok Sabha on 6 June, 2014 after the General Elections to Lok Sabha held during April-May, 2014.

Felicitations from different quarters came following her election as Speaker, Lok Sabha. Accepting the felicitations, Speaker, Smt. Mahajan with great humility, expressed her sincere gratitude for the great honour conferred on her. As the Speaker of 16th Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan not only upheld the principles and values of parliamentary traditions in an objective and non-partisan manner, but also enhanced the positive and prestige of this high Office.

During her tenure, as the Speaker of 16th Lok Sabha, Smt. Mahajan took a number of initiatives to further streamline and strengthen parliamentary practice and procedure. An in-depth examination of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha was undertaken, so that the Rules reflect the actual practice.

One seminal contribution of her during the tenure of Speaker Lok Sabha was the creation of Speaker's Research Initiative (SRI), an interactive forum which provides an interface between Members of Parliament and domain experts. In present days, Legislatures all

over the world have been assuming added responsibilities in response to the growing hopes and aspirations of the people. Their role and functions have increased manifold commensurate with the unprecedented growth in the range, magnitude and complexity of issues and corresponding governmental activities. Passing of legislation, review of working of the Executive, constructive criticism of the policies, programmes and actions of the Government as well as ventilation of public grievances could be effectively and constructively ensured only when Members have a thorough and comprehensive understanding of the relevant issues and their implications. Parliamentarians can actively engage in the development, implementation of laws, policies and practices that promote good governance when they have a thorough and comprehensive understanding of the issues. SRI seeks to assist members of Parliament for a more effective role in law-making, parliamentary debates, oversight of governance and to respond to the ever increasing, complex issues of national and international importance.

Greater digitization of Lok Sabha Secretariat was yet another significant contribution of Smt. Mahajan. An important initiative of Speaker, Smt. Sumitra Mahajan was establishment of e-Parliament and paperless Secretariat. An e-portal for the benefit of Members was also launched by her on 17 July, 2016[1]. The portal offers several online services including submission of notices, submission of questions and various notices on the different Rules for use of members. Through the e-portal, Members of Parliament can interact with the various Branches of the Secretariat online. Schedules, minutes of the Committee Meetings and Agenda papers of the Committees and the advance copies of the Bills, their Amendments and Private Members Bills are made available on the Portal for the use of the Members. Members can also send bulk mails and SMSs to other Members.

[1] Lok Sabha Bulletin Part-II, No. 3739, 17 July, 2016.

She also took initiative to organise a number of International and National Conferences on important issues including women's cause and their development. She took the laudable initiative of organizing the first ever National Conference on '**Women Legislators: Building Resurgent India',** in New Delhi on 5 and 6 March, 2016. The Conference, the first of its kind, was attended by women members from the Lok Sabha, the Rajya Sabha, the Vidhan Sabhas and Vidhan Parishads of our country.

It was at the thoughtful initiative of Speaker, Smt. Sumitra Mahajan that a first ever meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum was held in Jaipur, Rajasthan on 20 and 21 August, 2016. The Forum provided a common platform where women parliamentarians from Brazil, Russia, India, China and South Africa could meet and exchange ideas and experiences on contemporary issues and challenges from gender perspective in relation to Sustainable Development Goals (SDGs).

On the initiative of Hon'ble Speaker, a **"South Asian Speakers' Summit on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)"** was held in Indore, Madhya Pradesh (India) from 18 to 20 February, 2017. Speakers from Parliament of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka participated in the Summit. The Summit was organized jointly by the Parliament of India and the Inter-Parliamentary Union. The event was successfully organized and the Summit drew wide acclaim. At the end of the two-day Summit, a declaration *i.e.* 'Indore Declaration' was adopted.

The organizing of National Legislators Conference from 10 to 11 March, 2018, under the auspices of Indian Parliamentary Group was yet another significant initiative of the Hon'ble Speaker. The theme of the Conference was "We for Development" and the focus point was "Aspirational Districts of India". The objective of the Conference was to bring together MPs, MLAs and MLCs on one platform to discuss issues of development and their importance to the country.

Smt. Mahajan also gave a thrust to parliamentary diplomacy during her tenure as the Speaker of 16th Lok Sabha. She actively participated in the Statutory Assemblies of IPU and other Global Conferences. Besides the seven IPU Assemblies, the Hon'ble Speaker also led Indian Parliamentary Delegations and participated in the various Conferences/Meetings. During the above visits, she very astutely put forward India's stand on a range of issues of topical importance *viz.*, gender inequality, strengthening of democracy, women and youth empowerment, Sustainable Development Goals, promotion of inter-ethnic and inter-faith dialogue, etc. before the august gathering of Presiding Officers/parliamentarians.

Hon'ble Speaker Chaired a meeting of the Speakers and Presiding Officers of Parliaments of BRICS Parliamentary Forum, on the sidelines of 135th IPU Assembly held in Geneva in October 2016. During the visit of Indian Parliamentary Delegation led by the Hon'ble Speaker, to the Republic of Korea (Seoul), during Sept.-Oct. 2016, Hankuk University of Foreign Affairs (Seoul) conferred Honorary Doctorate on Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

Sumitra Mahajan will be remembered in the history of India's Parliamentary Polity as an eminent Parliamentarian, a distinguished Speaker of Lok Sabha and for her amiable and affable nature which have endeared her to one and all. In her own humble way, she has significantly contributed in strengthening the robust parliamentary polity in the country.

PART—II

HER VIEWS

I.

PARLIAMENTARY DEMOCRACY

PARLIAMENT—THE HIGHEST FORUM FOR UPHOLDING PARLIAMENTARY DEMOCRACY*

I am grateful to all of you for my unanimous and unopposed election to the Office of the Speaker of 16th Lok Sabha of our great country. This moment is not only a moment of great honour for me, but also full of challenges. The challenges of discharging enormous responsibility entrusted to me by the House lay ahead. I am well aware that the kind words spoken about me by various Members in the House are also an expression of the expectations they are going to have in future. On the basis of experience of past twenty five years in this House, I will try my best to live up to these expectations and I assure you that I will not disappoint you. I am sure that all of you will extend your cooperation in ensuring smooth functioning of the House.

Hon'ble Members, I heartily congratulate all of you on being elected to the 16th Lok Sabha. The electorate of our country has given us a great opportunity and entrusted a solemn responsibility to fulfil the hopes and aspirations of a hundred crore plus people. Nothing less than our full and conscientious dedication to that responsibility can suffice to uphold the faith the people of country have reposed in us. Now a new opportunity awaits us and especially the leaders of political parties to usher in a new era of peace, progress and prosperity. We have got a clear mandate for good governance and development in this election. We should honour it and it is our duty to take our country forward on the path of progress and development. The General elections held recently is a momentous event in the history of our country wherein 66.48 per cent, *i.e.* more than 82 crore electors voted to choose their

* On the floor of the House after assuming office of the Speaker of Lok Sabha (6 June, 2014).

representatives which is a record. All of you are aware that the Legislative business is our most important work. Meaningful discussion on the Acts to be passed for the welfare of the people is our most important work. We can make effective laws for the welfare of the people only through detailed and comprehensive discussions. I request all the Hon'ble Members to make their contribution in the Legislative business through meaningful discussion in the House. Various Committees of the House also play an important role in the Parliament procedure. Thorough discussion in the Committees on matters coming before the House help save the valuable time of the House. I request the Hon'ble Members to serve well the Committees to which they are nominated and help streamline the Legislative business. Our Parliament was once a forum of intelligent and cultured debates led by eloquent orators and stalwarts in the past. While we adhere to that glorious tradition, on many occasions, we also deviate from it. That glorious tradition of healthy debate should be our benchmark so that the credibility of this august democratic institution may become stronger. As I embark on my new responsibility to run this House as the Presiding Officer, I earnestly seek the cooperation of all the leaders of political parties and individual members in ensuring the orderly conduct of the House. I also request the members to properly and effectively use the various parliamentary devices at their disposal in order to make this House the epitome of democracy.

Hon'ble Members,

The Parliament epitomizes our cultural diversity and also our unity in diversity. The role of our Parliament is larger than making laws. In fact it is a reflection of our national sentiments. We cannot limit our role to ensuring the development of our constituencies. We will have to keep in mind the interests of the nation. Our country is supreme and we should always remember that. It is quite natural in a parliamentary democracy for the Members representing varied political ideologies to be present in the House,

however it is expected of all the Hon'ble Members to participate in the proceedings of the House as we believe in the adage:

'Common be the prayer of these (assembled worshippers), common be the acquirement, common be the purpose, associated be the desire. I repeat for you a common prayer, I offer for you a common oblation. I am sure that Hon'ble Members will participate in the proceedings of the House, keeping in mind the responsibilities entrusted to them.'

Hon'ble Members,

It is a matter of pleasure that our Hon'ble Prime Minister had given indications before the declaration of the results of the election that he will be the Prime Minister of 125 crore Indians and he will give equal treatment to all the Members of the House. Revered Lokmata Devi Ahilyabai Holkar has been a source of inspiration and an ideal for me in my life. I am fortunate to have worked with many stalwarts of democracy in my political journey. My association with Parliament began with the 9th Lok Sabha and has continued ever since. I have had the privilege of serving the country and the people in different capacities—as party leader; as Chairperson and Member of various Parliamentary Committees; as a Member in the Panel of Chairpersons in Lok Sabha; and as a Union Minister with different portfolios. My public life has been a very eventful and active. I feel a profound sense of satisfaction in being blessed with the opportunity to contribute to the cause of the nation and in shaping my own life through this experience.

It has been the endeavour of my predecessors from Shri G.V. Mavalankar to uphold the traditions of parliamentary democracy and create conventions and rules for the smooth conduct of the House. I respect the great legacy they have left behind. I will also strive to make new healthy conventions in future also.

Once again, I am grateful to the House for reposing faith in me to preside over the House. I wish to especially thank the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Leaders of Parties and Groups and all the

Hon'ble Members for their words of support. I also take this opportunity to extend my sincere thanks to the *Pro tem* Speaker, Shri Kamal Nathji, for setting the tone of dignified and smooth conduct of the House in the days preceding my election to the office of the Speaker. I am confident that with an efficient Lok Sabha Secretariat to assist me with unstinted cooperation, I will live up to the expectations of the House and in the end, I call upon all the Hon'ble Members to rededicate themselves to serve the country and the people through this temple of democracy.

Grant us, O Lord of the Universe, the invincible inner strength and virtuous character that all humanity adores, and the knowledge that will enlighten the path leading to our mission.

Thank you.

Hon'ble President of India, Shri Ram Nath Kovind arriving in the Central Hall of Parliament House to address the Members of both Houses of Parliament assembled together on 31 January 2019.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan at a meeting with the Leaders of Parties in Lok Sabha, in the Parliament Library Building on 30 January 2019.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan; Former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh; Leader of Opposition in Rajya Sabha, Shri Ghulam Nabi Azad; Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation, Shri Vijay Goel; Chairperson of Public Accounts Committee, Shri Mallikarjun Kharge; Former Deputy Prime Minister and Chairperson, Ethics Committee (Lok Sabha), Shri L.K. Advani; Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha) and other dignitaries after paying floral tributes to Pandit Jawaharlal Nehru in the Central Hall of Parliament House on his birth anniversary on 14 November, 2018.

Prime Minister, Shri Narendra Modi; Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan; Lok Sabha Deputy Speaker, Dr. M. Thambi Durai; Several Union Ministers and former Deputy Prime Minister and Chairperson of the Ethics Committee (Lok Sabha), Shri L.K. Advani, paid floral tributes at the portrait of Dr. Syama Prasad Mookerjee in the Central Hall of Parliament House on his birth anniversary on 6 July, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan; Leader of Opposition (Rajya Sabha), Shri Ghulam Nabi Azad; Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri; Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation, Shri Vijay Goel; Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athawale; former Deputy Prime Minister and Chairperson, Ethics Committee (Lok Sabha), Shri L.K. Advani; Chairperson, Public Accounts Committee (Lok Sabha), Shri Mallikarjun Kharge; and Chairperson, Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development (Rajya Sabha), Dr. Satyanarayan Jatiya after paying floral tributes at the portrait of Dr. B.R. Ambedkar in the Central Hall of Parliament House on his birth anniversary on 14 April, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan paying floral tributes at the portrait of Shri Lal Bahadur Shastri in the Central Hall of Parliament House on the occasion of his birth anniversary on 2 October, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan paying floral tributes at the portrait of Mahatma Gandhi in the Central Hall of Parliament House on the occasion of his birth anniversary on 2 October, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan addressing at the inaugural ceremony of the 17th Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region (Zone III) Conference and NE Chapter of Speaker's Research Initiative (SRI), Lok Sabha in Guwahati, Assam on 8 October, 2018. Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal and Speaker, Assam Legislative Assembly, Shri Hitendra Nath Goswami are also seen.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan being welcomed by the Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal at the inaugural ceremony of the 17th Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region (Zone III) Conference and NE Chapter of Speaker's Research Initiative (SRI), Lok Sabha in Guwahati, Assam on 8 October, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan and Members of Parliament with experts at the workshop on ‘Dimensions and Challenges of Internal Security’ organised by Speaker’s Research Initiative (SRI) in Parliament Library Building, New Delhi on 31 July 2018. Lt. Gen. (Retd.) Syed Ata Hasnain PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM and BAR; Smt. Rina Mitra, Special Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs and Shri Praveen Swami, National Editor, The Indian Express were the resource persons at the workshop.

Honourable President of India Shri Ram Nath Kovind; Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan; Union Minister of Chemicals and Fertilizers and Minister of Parliamentary Affairs, Shri Ananth Kumar; Lok Sabha Deputy Speaker, Dr. M. Thambi Durai; Minister of State for Parliamentary Affairs and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Arjun Ram Meghwal; Union Ministers; Members of Parliament and other dignitaries at the function to mark the completion of three years of Speaker's Research Initiative (SRI) in Parliament House Annexe on 24 July, 2018.

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार
(वर्ष 2010, 2011 और 2012)*

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के इस समारोह में आपका स्वागत कर रही हूं। माननीय राष्ट्रपति जी की विशिष्ट उपस्थिति व इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु उनकी सहमति के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करती हूं।

भारतीय संसदीय ग्रुप द्वारा स्थापित यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार उन सांसदों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वहन बहुमूल्य योगदान देते हुए निभाया, अनुकरणीय दृष्टांत प्रस्तुत किए और उच्च मानक स्थापित किए हैं। इतिहास हमेशा से साक्षी है कि हमारी संसद में अनेक प्रखर, कर्मठ और अनुभवी सांसद रहे हैं जिन्होंने इस पवित्र संस्था की कार्यवाही में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज, सम्मानित होने वाली उस सूची में और नाम लिखे जा रहे हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सांसद — श्री अरुण जेटली, डॉक्टर कर्ण सिंह और श्री शरद यादव को अपनी एवं सभी सांसदों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूं।

वर्ष 2010 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, अनुभवी सांसद, नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थक और सम्मानित वकील, श्री अरुण जेटली को प्रदान किया जा रहा है। कम उम्र में ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले श्री जेटली कुशल कार्यशैली के धनी हैं, विधि व वित्तीय मामलों में उनकी समझ बहुत उत्कृष्ट है। वे देश की जनता की नब्ज जानते हैं और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। वे कई वर्षों से सांसद के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सदन की कार्यवाही में इनके विचारों की उपस्थिति हमेशा प्रभावपूर्ण रही है। वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में वित्त, कॉर्पोरेट कार्य और रक्षा मंत्री का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे जेटली जी राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही प्रतिपक्ष के सदस्य भी उनकी प्रतिभा के कायल हैं। इनके बारे में मैं कहना चाहूंगी—

शतेष जायते शूर: सहस्रेषु च पंडित:।
वक्ता दशसहस्रेतु दाता भवति वा ना बा।।

---

* बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली (12 अगस्त, 2014)

वर्ष 2011 का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार डॉ. कर्ण सिंह को प्रदान किया जा रहा है, जो अनुभवी सांसद होने के साथ ही सुप्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक, विचारक, शिक्षाविद्, पर्यावरणविद् और देश के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। डॉ. सिंह आठ बार संसद के लिए निर्वाचित हुए, जिसमें से दोनों सदनों के लिए वे चार-चार बार चुने गए। चार दशकों के अपने लम्बे संसदीय करियर में उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में कुशलता से कार्य किया, वहीं अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। उनके बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जितना इनका अध्ययन है, उससे कहीं ज्यादा इनका चिंतन है और श्रेष्ठ चिंतन ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता देने वाले डॉ. कर्ण सिंह जी की शख्सियत के बारे में मैं यह श्लोक कहना चाहूंगी–

वदनं प्रसादसदनं सदयं सुधामुचौं वाचः।
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्या।।

इसी प्रकार, वर्ष 2012 के उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से श्री शरद यादव जी को सम्मानित किया जा रहा है। श्री यादव बहुमुखी प्रतिभा वाले राजनीतिज्ञ हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही सादा और सर्वजनप्रिय है। वे देश की गरीब, शोषित, पीड़ित जनता की समस्याओं को अत्यंत सहजता और सरलता से समझते हैं एवं उनसे संबंधित मसलों को बहुत ही मजबूती के साथ संसद और हर मंच पर उठाते हैं। जे.पी. आंदोलन से निकले शरद जी के भाषणों में कटाक्ष के साथ व्यंग्य भी छिपा होता है। उन्होंने चार दशकों से भी ज्यादा लंबा सार्वजनिक जीवन बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ जीया है। वे सात बार लोक सभा के और तीन बार राज्य सभा के लिए चुने जा चुके हैं और इस दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने बखूबी निभाए हैं। यादव जी अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन वे सहज, सरल और मिलनसार हैं। उनके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी–

उदये सविता रक्तो रक्तः श्वास्तमये तथा।
सम्पतों च विपतों च महतामेकरूपता।।

वर्तमान लोक सभा में पहली बार चुने गए सांसदों की संख्या बहुत अधिक है। मैं चाहती हूं कि हमारे युवा सांसद, आज इन सम्मानित सांसदों और वरिष्ठजनों से बहुत-कुछ सीखें, प्रेरणा लें। इसी तारतम्य में, हम बी.पी.एस.टी. के माध्यम से भी नए सांसदों को संसदीय परंपराओं की सतत् जानकारी दे रहे हैं, ताकि वे भी हर दृष्टि से अच्छे सजग सांसद बनकर आगे इसी तरह पुरस्कार पाएं। आज सम्मानित होने वाले तीनों सांसदों को मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

ROLE OF CAG*

I am immensely pleased to be amidst you all today at the Inaugural Function of the 27th Conference of Accountants General, to be held for three days with the theme, ***Promoting Good Governance and Accountability through Public Audit***. The Conference is very significant considering the fact that the Office of the Comptroller and Auditor General plays a critical role in ensuring accountability and good governance in our parliamentary polity.

India has seen significant economic growth in recent years. This progress is in no small measure supported by the presence of a sound institutional framework which includes a strong and independent oversight body like the CAG.

As you are aware, the oversight function of Parliament in a democracy like ours is a dynamic, challenging and continuous process based on the principle of accountability of the Government to the people through their elected representatives. Indeed, there can be no democratic system of government without transparency and accountability, which are at the heart of good governance. While the Executive keeps control over the public finance, the Parliament secures the accountability of the Executive through various mechanisms including, among others, the three Financial Committees namely the Estimates Committee, the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings. These Committees constitute a distinct group as they keep an unremitting vigil over the Government spending and performance. Thus, parliamentary control over public expenditure is not limited only to voting of moneys required for carrying on the administration of the country; but it also extends to ensuring that the expenditure is

* At the inaugural function of 27th Conference of Accountants General, New Delhi (27 October, 2014).

incurred in a prudent manner and that the objectives underlying the policies approved by the Parliament are achieved. The three Es that is economy, efficiency and effectiveness, require spending less, spending well and spending wisely.

Good governance is a basic requirement for development. With democracy striking deep roots in the country accompanied by rising levels of income, globalisation and better information, people now expect better quality of governance.

Transparency, Accountability and Public participation improve financial management and efficiency of service delivery. The institution of CAG therefore plays an important role in promoting good governance and effective public administration towards achieving the development goals. In India, the Comptroller and Auditor General, as we know, examines the annual accounts of the Government to satisfy that the moneys granted by the Parliament and the State Legislatures to the respecitve Executives have been applied to the purpose for which they were intended and that they have been spent according to the laws, rules and regulations governing the subject.

How well a Parliament can perform its oversight functions effectively depends largely upon the efficacy and independence of the Audit. The reports of the CAG is a source of great empowerment for the citizens and provide valuable information and feedback to the various stakeholders including the policy-makers. Citizens can use this report to question their representatives and hold the public servants to account.

Presenting the audit report in the parliament or legislature is not an end in itself. It is very important to ensure that the government takes suitable corrective action otherwise the audit exercise may be reduced to a ritual. We need to find effective means of persuading governments to take timely action on the findings of audit. It is also important for the CAG to conduct follow

up audits to verify the action taken by the organisations to rectify the anomalies pointed out in the previous audits.

To encourage reform and innovation CAG's reports should also highlight the best practices and notable achievements of an organisation. There is a need for audit to adopt a balanced approach so that while highlighting non-compliance, innovations and initiative is not discouraged. CAG's should not become an instrument for vilification and public finger pointing.

It is indeed a matter of pride for the nation that the office of the Comptroller and Auditor General of India, is functioning vibrantly. The independence accorded to this auditing authority speaks volumes about the health of our democracy.

In the course of its evolution, the Indian Audit & Accounts Department has imbibed global best practices in enhancing its standard of work and has also in recent years been extending its functions to new frontiers like Information Technology, Social and Environment Audits, etc. As a result, the CAG is playing a prominent role in conducting the audit of International Organisations as well. I am glad to note that the CAG of India has been elected as a Member of the United Nations Board of Auditors and has been entrusted with the audit of important UN agencies including the UN Headquarters.

Friends, I am sure that the conference will review and discuss all relevant issues and come out with recommendations to improve public administration in the country. I wish to Conference a grand success.

Thank You.

संसदीय लोकतंत्र में सिद्धांत और पद्धतियां तथा सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन*

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे झारखंड विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं, सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष, श्री दिनेश ओरांव की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।

झारखंड प्रदेश की खूबसूरत राजधानी रांची में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। अपनी प्राकृतिक हरियाली के साथ-साथ खनिज संसाधनों से युक्त यह प्रदेश पूरे राष्ट्र का गौरव है एवं दूसरे प्रदेशों के लोगों खासकर उद्यमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र भी। झारखण्ड प्रदेश ने तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलकूद से लेकर विकासात्मक कार्य जैसे ऊर्जा उत्पादन एवं खनिज संबंधी उद्योगों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वास्तव में, झारखंड राज्य में अपार क्षमताएं हैं तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों, धातुओं और खनिज पदार्थों, वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की विविधता एवं बाहुल्यता झारखण्ड को एक विशेष स्थान देती है। इतिहास गवाह है कि भारत देश के इस भूमिखण्ड ने भारत की आजादी एवं इस भूमि के लिए निरंतर संघर्ष किया है। बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में संघर्ष को देशवासी हमेशा स्मरण रखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं विकास एवं उत्थान के लिए उनका उपयोग इस इलाके एवं यहां के लोगों की पहचान रही है।

मैं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सबको बधाई देती हूं। यह जनादेश लोगों के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप उनके विकास और प्रगति के लिए उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।

हालांकि झारखण्ड राज्य का गठन बिहार से अलग होने के बाद एक पृथक राज्य के रूप में हुआ है, किन्तु कई मायनों में यह एक नया राज्य ही है। आप सब राज्य के पुनर्गठन से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों से भली-भांति परिचित होंगे।

---

*झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में उद्घाटन के अवसर पर भाषण, रांची (4 जुलाई, 2015)

तथापि, इन चुनौतियों में भी असीम संभावनाएं निहित हैं। यह राज्य के लिए अपनी क्षमताओं का फिर से आकलन करने और तद्नुसार अपने विकास की योजना बनाने का अवसर है। जहां तक प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तथा कुशल और अकुशल मानव संसाधनों से सम्पन्न झारखण्ड जैसे राज्य की बात है, मुझे विश्वास है कि यह राज्य उभरते वैश्विक मॉडलों, प्रौद्योगिकियों, प्रबंध तकनीकों का पूर्ण उपयोग करते हुए शीघ्र ही नया बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करने में सफल होगा। लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए, सरकार, विधायिका और अन्य एजेंसियों सहित समूचे राज्य को संसाधन जुटाने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तेजी से काम करना होगा। राज्य को परिवहन प्रणालियों, बुनियादी संचार और सूचना सुविधाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना, औद्योगिक विकास आदि को प्राथमिकता देनी होगी ताकि झारखंड विकास और समृद्धि का नया मॉडल बन सके।

माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आप सब अपने वर्तमान दायित्वों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के सभी संभव प्रयास करेंगे। इस समय आप केवल विधायक नहीं बल्कि ऐसे जन-प्रतिनिधि हैं जिन्हें आगे बढ़कर लोगों का नेतृत्व करना होगा ताकि राज्य के लोगों को लाभ हो और वे सम्पन्नता और खुशहाली की नई ऊंचाइयां छू सकें।

इस नई सभा में कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि चौथी झारखण्ड विधान सभा के लिए कुल 82 सदस्यों में से 34 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी को विधायी प्रक्रिया संबंधी जानकारी में वृद्धि करने और आपसी अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करना है ताकि आप जन-प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी रूप से निभा सकें।

माननीय सदस्यगण, दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान आपको एक विधायक की भूमिका, संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों और हमारी संसदीय संस्थाओं के विभिन्न आयामों के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी। अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अनेक गण्यमान्य व्यक्ति कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं केवल इस बारे में अपने विचार रखूंगी कि ऐसी कार्यशाला के प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में एक जन-प्रतिनिधि के रूप में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है।

मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि जनता की सेवा के लिए एक जन-प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना बहुत ही सौभाग्य और गौरव तथा जिम्मेदारी की बात है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि को दोहरी भूमिका निभानी होती है अर्थात् उसे एक ओर जनता, जिसने उसे चुना है, और विधानमंडल, जिसका वह एक सदस्य है, के बीच

तथा दूसरी ओर जनता तथा सरकार के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है। वह हमारी भूमिका का 'संस्थागत' पहलू है। इसके अतिरिक्त हम सभी यह जानते हैं कि जन-प्रतिनिधियों के रूप में, जिन पर जनता की आशा भरी निगाहें सदैव टिकी रहती हैं, हमारी विविध भूमिकाएं हैं: जन-प्रतिनिधि के रूप में, सभा में विधायक के रूप में, दल के कार्यकर्ता के रूप में और समाज में एक नेता के रूप में हमारी अलग-अलग भूमिका होती है।

आज हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक परिवेश में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण हमारे तथा सभा के समक्ष अक्सर बहुत सी चुनौतियां आ जाती हैं। प्रातिनिधिक संस्थाओं और उनके सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे इन चुनौतियों की बारीकियों को समझ कर समाज के समक्ष आ रही समस्याओं का उचित समाधान करेंगे। ये समाधान हमें संसदीय संस्थाओं के मानदंडों के भीतर ही खोजने होंगे जिसमें आवश्यक कानून बनाने के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना भी शामिल है। समय-समय पर हमें पार्टी कार्यकर्ता के रूप में या विधायक के रूप में और कभी-कभी मिलजुल कर यह भूमिका निभानी पड़ती है। अतः, प्रश्नों और मामलों के संबंध में निर्णय लेते समय हमारा दृष्टिकोण समाज के सबसे कमजोर वर्गों के विकास से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उनके विकास से ही समाज का विकास संभव है।

विधायकों का कार्य मुख्य रूप से केवल शासन करना नहीं है बल्कि कानून बनाना, बजट और व्यय की जांच करना तथा कार्यपालिका के कार्यों और उसकी निष्क्रियता पर नजर रखना भी है। जन-प्रतिनिधियों के रूप में हमारा यह प्रमुख दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सरकार की नीतियां जनता की सच्ची आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हों। जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व हमें बहुत सशक्त बनाता है क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। एक प्रभावशाली विधायक लोगों की समस्याओं और मुद्दों को सभा में मुखरित करके और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आवाज उठाकर प्रत्येक अवसर का लाभ उठा सकता है।

विधायक के रूप में हम यह देखते हैं कि कभी-कभी व्यापक राष्ट्रीय या सामाजिक हित के साथ स्थानीय हित का टकराव हो सकता है। हमें अक्सर संतुलन बनाये रखने के लिए कहा जाता है। एक विधायक जो राष्ट्र और समाज के मामलों में स्वयं को सक्रिय रूप से सम्मिलित रखता है, अपने मतदाताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने और स्थानीय या पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर एक प्रभावशाली विधायक के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने की बेहतर स्थिति में होता है। हम सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विधायी कानून अल्पकालिक हितों की रक्षा के लिए नहीं होते हैं बल्कि ये हमारे समाज के विकास के लिए एक मजबूत

ढांचा प्रदान करते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ विधायक अपने निर्वाचकों को यह बात समझाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करता है कि उन्हें उन संकीर्ण एवं स्थानीय हितों पर पुनर्विचार करना होगा जो व्यापक सामाजिक लक्ष्य के साथ टकराते हैं।

जैसाकि आप सभी को ज्ञात है, संसदीय लोकतंत्र की सफलता स्वस्थ और सुव्यवस्थित वाद-विवाद में निहित होती है और इस प्रयोजनार्थ नियमों, परिपाटियों, प्रक्रियात्मक साधनों आदि की एक व्यापक प्रणाली विकसित की गई है। इसकी मुख्य बातें हैं—मर्यादा बनाये रखना और अध्यक्षपीठ तथा साथी विधायकों का सम्मान करना। सभा के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होने के नाते अध्यक्षपीठ का निरादर करना संपूर्ण सभा का निरादर करने के समान है। हमारा समग्र लक्ष्य वाद-विवाद और उसके परिणामस्वरूप बनने वाले विधानों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा आम आदमी के मन में विधायी संस्थाओं की अच्छी छवि बनाना होना चाहिए न कि अनावश्यक हस्तक्षेप करना।

इन सभी कार्यों में सभा के विभिन्न नियमों, परिपाटियों और प्रक्रियाओं, संसदीय परम्पराओं, प्रश्नकाल तथा संकल्पों आदि सहित विभिन्न उपायों की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं एक अन्य पहलू पर विशेष बल देते हुए सदस्यों को यह सुझाव देना चाहती हूं कि वे अधिकाधिक विषयों की जानकारी रखें, परन्तु अपनी रुचि के कुछ विषयों की विशेष जानकारी रखें। यह ज्ञान उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेपों, वाद-विवादों में उनकी भागीदारी और विशेष रूप से समिति के कार्यों में उनके योगदानों में अवश्य परिलक्षित होगा। इससे यह अवश्य पता चलेगा कि विधायक अपनी भूमिका के प्रति न्याय करने में कितना समय और श्रम लगाता है।

सरकारी खजाने पर विधायिका का नियंत्रण, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हमारे संविधान द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। कराधान पर विधायिका के विशेषाधिकार तथा सरकारी खर्चों पर उसके नियंत्रण संबंधी संवैधानिक उपबंध, विधायकों को सरकारी धन का सामूहिक संरक्षक बनाते हैं तथा सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में उन्हें प्रभावी अधिकार प्रदान करते हैं।

आप सब जानते हैं कि संसाधन जुटाने के लिए कार्यपालिका को विधायिका की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। वस्तुतः, संसदीय लोकतंत्र में सरकारी खजाने पर विधायिका का नियंत्रण, सार्वजनिक वित्त के प्रशासन का केन्द्र-बिंदु है। इसलिए, विध ायिका का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक व्यय, स्वीकृत अनुदानों की सीमा में रहे और सरकार के वित्तीय कार्यकलाप स्वीकृत नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप ही रहें। ऐसी स्थिति में एक विधायक के रूप में आप सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सतर्क रहें और सरकार के वित्तीय कार्यकलापों के ऊपर लगातार निगरानी रखने के लिए विभिन्न संसदीय माध्यमों का उपयोग करें। इस संबंध में आपसे अपेक्षा

की जाती है कि आपको पूरी बजट प्रक्रिया तथा सरकार के विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक वित्त से जुड़े विभिन्न लोक मुद्दों की जानकारी भी रखनी होगी।

सार्वजनिक वित्त पर अपना संपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए विधायकों को विधायिका द्वारा प्रस्तुत बजट एवं अन्य वित्तीय कार्यों के विषय में हो रही चर्चा और वाद-विवाद में रुचि लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही विधायक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और विकास लक्ष्यों, तथा सरकार के कराधान के प्रस्तावों को अनुमोदित करते हैं। कार्यपालिका भी बजट प्रक्रिया में विधायिका को सहयोग प्रदान करती है।

विधानमंडल की वित्तीय मामलों से संबंधित समितियों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियां विधायकों द्वारा सार्वजनिक वित्त की निगरानी किए जाने के मुख्य विशेषाधिकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। वस्तुतः, वित्तीय मामलों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निगरानी करने की दृष्टि से इन समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन समितियों के सदस्यों का यह दायित्व हो जाता है कि वे पूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता से इन समितियों की रिपोर्ट पर काम करें।

राज्य लेखापरीक्षा तंत्र के सही ढंग से काम करने से विधानमंडल द्वारा वित्तीय निगरानी का कार्य अत्यन्त सुविधाजनक हो जाता है। वस्तुतः, लेखापरीक्षा रिपोर्ट कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न लेखापरीक्षा समूह यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी लेखाओं की निगरानी करते हैं कि बजट प्रस्तावों को विधानमंडल द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों हेतु तथा उसी ढंग से कार्यान्वित किया गया है। ये लेखापरीक्षा रिपोर्टें, जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के वित्तीय लाभ और उसके कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालती हैं तथा कार्यपालिका के विभागों द्वारा किए गए भूल-चूक के अनेक मामलों को विधानमंडल की जानकारी में भी लाती हैं, इस प्रकार ये वित्तीय मामलों में सरकार को जवाबदेह बनाते हुए विधानमंडल के समग्र प्रयासों में योगदान देते हैं।

मुझे विश्वास है कि आप सब विधायकगण इस बहुत ही प्रासंगिक व महत्वपूर्ण कार्यशाला में निष्ठावान विद्यार्थी बनकर अपने विभिन्न कर्तव्यों, विशेषकर सरकारी धन के वित्तीय पर्यवेक्षक होने के कर्तव्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाएंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आप सबको झारखंड विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने पर एक बार पुनः बधाई देती हूं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

अध्यक्षीय शोध कदमः एक सुचारू प्रक्रिया*

अध्यक्षीय शोध कदम के उद्घाटन के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कदम के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए "सतत् विकास लक्ष्य" विषय पर पहली कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आभारी हूं जो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर अध्यक्षीय शोध कदम के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे हैं।

लोक सभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के पिछले एक वर्ष के दौरान कई बार मेरी सांसदों से विस्तारपूर्वक बातचीत हुई है। इन मुलाकातों के दौरान विभिन्न मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी और इन्हें गहनता से समझने के लिए विविध प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाली शोध सामग्री की मांग की गई। इसी संदर्भ में शोध कदम की परिकल्पना तैयार हुई और कार्यान्वित की गई। हमारा एक कोर ग्रुप है जो सदस्यों के लिए तैयार किए जाने वाले संक्षिप्त विवरणों के लिए संतुलित जानकारी प्रदान करेगा। मैं आशा करती हूं कि यह एक दोतरफा संवादी प्रक्रिया होगी जिसमें सदस्य अपने फीडबैक के साथ-साथ अपने अमूल्य सुझाव भी देंगे ताकि इस कदम का उद्देश्य पूरा हो सके।

पूरे विश्व में संसद की भूमिका लगातार जटिल होती जा रही है और पीठासीन अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि सदस्यों को शोध सहायता प्रदान करके उनकी क्षमता निर्माण कर उन्हें शक्ति-सम्पन्न करें।

वर्तमान सभा के संदर्भ में, ऐसा सहयोग और समर्थन और भी आवश्यक है क्योंकि नए सदस्यों की संख्या अनुभवी सदस्यों से अधिक है। इसलिए, राष्ट्रीय हित और महत्व के सभी मामलों पर सुविचारित राय बनाने के लिए सामयिक रुचि के विषयों के विभिन्न पहलुओं पर विषय विशेषज्ञों से लगातार जानकारी की आवश्यकता है।

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय की शोध सेवा के माध्यम से माननीय सदस्यों को शोध सामग्री प्रदान की जाती है। विगत में भी संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के माध्यम से माननीय सदस्यों के लिए विभिन्न व्याख्यानों/चर्चाओं/कार्यशालाओं

*अध्यक्षीय शोध कदम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, संसदीय सौध, नई दिल्ली (23 जुलाई, 2015)

इत्यादि का आयोजन किया जाता रहा है। तथापि, एसआरआई के माध्यम से माननीय सदस्यों तथा एसआरआई की वर्तमान कार्य-सूची और सदस्यों के अनुरोध के अनुसार उन्हें सेवाएं प्रदान करने वाले विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करके मौजूदा सेवाओं के अलावा अतिरिक्त व्यवस्था करने का विचार है। संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो का कार्य हाल ही के समय में बढ़ा है और उन्होंने देश के सभी भागों से आए पत्रकारों के लिए परिबोधन कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने माननीय सदस्यों के निजी स्टॉफ के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। ब्यूरो लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार और अधिक मॉड्यूल तैयार करने का कार्य भी कर रहा है। इसलिए एसआरआई के अंतर्गत नए शोध कदम की शुरुआत करना आवश्यक हो गया है। एसआरआई के अंतर्गत संसदीय ज्ञानपीठ में माननीय सदस्यों के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी गई है जहां वे परस्पर सुविधाजनक समय पर विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

इसके अलावा, इस कदम में यह परिकल्पना भी की गई है कि माननीय सदस्य एसआरआई द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ उन अतिरिक्त विषयों का भी सुझाव दें जिन्हें वे उस सूची में शामिल करना चाहते हों जिन पर एसआरआई इस समय ध्यान दे रहा है। शुरू में एसआरआई के अंतर्गत उन मुद्दों को लिया जाएगा जिन्हें कुछ सदस्य सामान्यतया जटिल मान रहे हैं। इनमें वित्तीय और राजस्व संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दे तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषाहार सुरक्षा शामिल हैं।

एसआरआई के तीन पहलू होंगे अर्थात् (क) माननीय सदस्यों के अनुरोध पर विशिष्ट मुद्दों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा तथ्यात्मक विवरण की प्रस्तुति; (ख) अध्यक्षीय प्रशिक्षु कार्यक्रम; और (ग) अध्यक्षीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम।

माननीय सदस्यों के लिए विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दिए जाने के अलावा एसआरआई अपने प्रयास से अध्येतावृत्ति योजना और प्रशिक्षु योजना का समन्वय करने पर भी विचार कर रहा है। दोनों योजनाओं को माननीय सदस्यों की शोध संबंधी आवश्यकता के निरंतर बढ़ते दायरे के अनुरूप बनाने के लिए इन्हें नया रूप प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षु योजना के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं के युवा शोधार्थियों को प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा जो एसआरआई द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध कार्य करेंगे। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र के लिए संगत विषयों तथा एसआरआई के समक्ष आने वाले अन्य विकासात्मक मुद्दों के बारे में शोध करने के इच्छुक शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति अनुदान दिए जाने पर

विचार किया जा सकता है। ये शोध सामग्री संसद सदस्यों को उनके क्षमता निर्माण के भाग के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी।

अब जहां तक सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में आज की कार्यशाला का संबंध है, यह माननीय सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। इसलिए सदस्यों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है ताकि वे इस विषय के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें।

सतत् विकास का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में यह और उपयुक्त हो जाता है कि हमारे शोध कदमों से सतत् विकास लक्ष्यों के मानदंडों को स्पष्ट करने का मार्ग प्रशस्त हो। शोध कदम से हमें सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों का पता लगाने और नीतिगत कदमों के माध्यम से उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं कि इस कार्यशाला में होने वाली चर्चा सदस्यों और हितधारकों के लिए उपयोगी होगी।

धन्यवाद।

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE: WATCHDOG ON GOVERNMENT SPENDINGS*

It is a matter of great pleasure for me to be here with you all today at the inauguration of the Conference of Chairpersons of the Public Accounts Committees of Parliament and State and UT Legislatures. I am sure that this Conference, which is taking place after a gap of 14 years, will give you all a unique opportunity to share your individual experiences that you have gathered during this interregnum and deliberate upon common issues.

India has seen significant economic growth in recent years. This progress is in no small measure supported by the presence of a sound institutional and oversight framework.

The oversight function of Parliament in a democracy like ours is a dynamic, challenging and continuous process based on the principle of accountability of the Government to the people through their elected representatives. Indeed, there can be no democratic system of Government without transparency, accountability and public participation, which are at the heart of good governance. While the Executive keeps control over the public finance, the Parliament secures the accountability of the Executive through various mechanisms including, among others, the three Financial Committees namely the Estimates Committee, the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings. These Committees constitute a distinct group as they keep an unremitting vigil over the Government spending and performance. Thus, parliamentary control over public expenditure is not limited only to voting of moneys required for carrying on the administration of the country; but it also extends to ensuring that the expenditure is

* At the inauguration of Conference of the Chairpersons of Public Accounts Committees of Parliament and State/UT Legislatures, New Delhi (8 Sept.,2015).

incurred in a prudent manner and that the objectives underlying the policies approved by the Parliament are achieved. *The three 'Es', that is economy, efficiency and effectiveness, require spending less, spending well and spending wisely.*

Friends, the Public Accounts Committee has traditionally occupied a very special status in the Legislature. One of the oldest Committees in Indian Legislature, the Public Accounts Committee in India was initially set up in 1921 as part of the recommendation of the Government of India Act of 1919. After independence, our Constitution provided that the Report of Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the President who shall cause them to be laid before each House of Parliament, and the Parliament would appoint Public Accounts Committee for scrutinising it in detail.

Till 1966-67, the Chairman belonged to a ruling party. In 1967 a convention was set to appoint a member of the opposition party nominated as the Chairman of Committee. Shri M.R. Masani was the first opposition member to adorn this office. This healthy convention of appointing a member of the opposition as the Chairman has been continuing. Thereafter, the Chairman of the Public Accounts Committee has been given to the opposition and it is a practice which is considered democratic. The Committee has been chaired by eminent leaders like Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Jyotirmoy Basu, Shri H.N. Mukherjee, Shri P.V. Narsimha Rao and Shri R. Venkatraman.

How well a Parliament can perform its oversight functions effectively depends largely upon the efficacy and independence of the Audit. The reports of the PAC are a source of great empowerment for the citizens and provide valuable information and feedback to the various stakeholders including the policy makers. Citizens can use this report to question their representatives and hold the public servants to account.

As an effective watchdog on the Government spending and essentially working on the Report of the Comptroller and Auditor-General, this Committee has been credited with the detection of many financial irregularities, procedural lapses, executive delays and even cases of lack of coordination between different Government departments. This Committee has also earned a reputation for impartiality, firmness and grasp for details.

During my long parliamentary career, I had the privilege of being a member of Public Accounts Committee in 1997. On this account, I have seen the working of the Committee from a very close quarter. Reports of this Committee contain vital lessons for the Executive and are one of the chief instruments of ensuring the Executive's accountability to the people through the Parliament.

The position of Chairperson of this Committee is indeed an enormously responsible one, and requires devotion of great deal of time and high degree of commitment. I am happy to learn that the present Committee has also dwelt into various subjects of contemporary relevance and submitted as many as 24 reports under experienced guidance of its Chairman, Prof. K.V. Thomas, who has had a long parliamentary career and a wide range of experience as an academician, writer and politician. In the same manner, I am sure, all of you are also putting your varied experiences and talents to optimum use as the Chairperson of your respective Public Accounts Committee.

More than two thousand years back, Kautilya had written and I quote:

कोशपूर्वाह सर्वारंभाह, तस्मात पूर्वां कोशमवेक्षते,

meaning thereby that 'all enterprises depend on finance. Hence utmost care should be bestowed on matters relating to treasury'.

In a democratic system of governance, the State affairs run on the tax-payers' money—the appropriation of funds and

implementation of policies require proper monitoring and examination to ensure that money is being utilised in accordance with the sanctioned budget and schemes. In this context, I would also like to take this opportunity to commend the organisation of Comptroller and Auditor General for carrying out detailed audit of the Government agencies and departments and for the help and cooperation that they extend to the Public Accounts Committee.

Presenting the audit report in the Parliament or Legislature is not an end in itself. It is very important to ensure that the Government takes suitable corrective action otherwise the audit exercise may be reduced to a ritual. We need to find effective means of persuading Governments to take timely action on the findings of audit.

To encourage reform and innovation PAC should also highlight the best practices and notable achievements of an organisation. There is a need to adopt a balanced approach so that while highlighting non-compliance, innovations and initiative is not discouraged.

CAG and PAC together deal with three 'A's - Accounts, Audit and Accountability. They audit the Accounts of Government Departments to fix accountability. I would expect, if possible, another 'A' is added to this in the form of 'Appreciation' wherever due, so that innovative good practices and projects can be replicated elsewhere.

Ladies and Gentlemen, in order to retain their eminence and usefulness, PACs need to find innovative responses to newer emerging challenges in the current world scenario. They should scrutinise the growing volumes of information as available and give their recommendations in a judicious manner. Here, I want to point out that over the years, operations of Government have expanded and public monies are channelled into different entities. Under these circumstances, Committee Members need to acquire new skills to deal with changed circumstances.

Reiterating what I have already said, the Public Accounts Committee is indeed a pillar of parliamentary accountability and this pillar rests on your strong shoulders. It is heartening to note that through this Conference you get to discuss on a wide spectrum of subjects, while some are specifically related to the working of your Committee like 'Best Practice Standards for Public Accounts Committees', and Challenges faced by PAC, some other general issues like Expectation of Citizens from their Parliament, particularly PAC and so on.

Friends, I am sure that the conference will review and discuss all relevant issues and come out with recommendations to improve public administration in the country. I wish the Conference a grand success.

Thank you.

ACCOUNTANTS GENERAL CONFERENCE*

I am immensely pleased to be amidst you at the inaugural function of the 28th Conference of Accountants General. This Conference is very significant as it brings together dedicated group of officers tasked with upholding transparency and accountability in governance—the very cornerstone of any vibrant and functioning democracy.

India has established itself as one of the fastest-growing economies of the world. The Indian economy has the potential to become one of the two largest economies by mid-century. The long-term growth perspective of the Indian economy is positive due to its young population, healthy savings and investment rates, and increasing integration into the global economy. But in my opinion presence of a strong institutional framework, which includes a strong and independent oversight body like CAG, has also played a very crucial role in our economic growth story.

In a citizen centric society and knowledge based economy transparency, accountability and public participation form the core of good Governance and no effective and meaningful democratic system of government can exist in their absence. Citizens are the ultimate stakeholders in the governance and public trust is the touch-stone to judge any Government's credibility. Independent institutions like CAG assure the public that the efforts of the Government are directed towards achieving national objectives and public welfare in most efficient, economic and effective manner. This strengthens public confidence and trust in the system of governance. Therefore, the Government which is handling public money, must account for each and every paisa spent. In present

* At the 28th Accountants General Conference, New Delhi (20 October, 2016).

times, there is an increasing awareness and greater demand for transparency and accountability in delivery of public services. This augurs well for our democracy but it also raises expectations from institutions like CAG.

As you all are aware, the Parliament of India acts as a watchdog and ensures the Executive's accountability. The CAG has been painstakingly carrying out detailed audits of the Government agencies and departments and has been helping Parliament and its Committees, specially the three Financial Committees namely the Estimates Committee, the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings in ensuring public accountability. I would like to highlight the mutually reinforcing role of the CAG and Parliament have in furthering accountability. The synergy between the two must be capitalized upon to improve the quality of governance and take our growth and development to even greater heights.

CAG has to keep a watch against waste and extravagance and ensure that the Government machinery provides service delivery with utmost economy, efficiency and transparency. The Chairman of the drafting committee of our Constitution and great scholar Dr. B.R. Ambedkar once said and I quote: 'I am of the opinion that this dignitary or officer (CAG) is probably the most important officer of the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded, or varied from what has been laid down by Parliament in what is called Appropriation Act. If this functionary is to carry out the duties— and his duties, I submit are far more important than the duties than the duties of the Judiciary'.

Parliament's oversight functions depend largely upon the efficacy and independence of the Audit Reports. Citizens or their representatives can use these reports and pose questions to the Executive and hold the public servants accountable. It is not only important that these audit reports are submitted but equally

important is, suitable corrective actions by the Government to ensure that anomalies pointed out, are not only rectified but it also leads to improved and better administrative practices. Follow up audit can be a good tool to ensure this. While the audit reports highlight non-compliance it is also incumbent upon auditors to identify and highlight best practices and notable innovations or achievements of the Government departments and institutions to make a positive and wider impact on innovation and reforms.

In today's world, a technological revolution is taking place and technology is shaping every aspect of our life. Massive transformation is taking place in the way commercial enterprises are using emerging technologies and conducting their businesses. Governance and administrative machinery cannot remain isolated from the effects of changes taking place around the globe. Technology also enables us to bring greater transparency and integrity to the system. This also calls for the Comptroller and Auditor General of India to change accordingly. They need to impart training and skills to their officials to keep abreast of the technological and other developments taking place in the world, make optimum use of best technological tools to reflect the contemporary realities, revisit the traditional methods of audit and redraw the standard operating procedures, if necessary. It is very important that the CAG stays ahead of the curve and responds to changes in the pattern of Government activities and expenditure.

Your deliberations, during this conference, on the four chosen themes of Auditing the programmes related to Sustainable Development Goals, Meeting Challenges in Revenue Audit, Perspectives and Concerns while auditing Local Bodies and Challenges posed by Integrated Financial Management System should be guided by the overall perspective of ensuring improved quality of governance and strengthening the public confidence in the governance system.

GST is the biggest and most important tax reform to have taken place in the country after independence. This is expected to completely transform our tax administration system and it is likely to have impact on other aspects of administration also. It is quite possible that during the initial phase of implementation of GST there may be teething troubles. But during such testing times CAG is expected to examine carefully and give feedback and also guide the stakeholders in ensuring that the expected economic benefits of GST are realized optimally.

I am sure, during these transforming times, the discussions and deliberations in this Conference will go a long way in giving all of you insight and perspective to explore the new emerging aspects and challenges of audit. I wish all of you and the Conference a great success.

Thank you.

FAREWELL ADDRESS TO SHRI PRANAB MUKHERJEE, PRESIDENT OF INDIA*

Aadarniya Rashtrapati Shri Pranab Mukherjee, We, the Parliamentarians, have assembled here today to bid you a fond farewell on the eve of your demitting the august office of the President of the Republic of India, which you have adorned the last five years with great distinction and dignity. This is indeed a solemn occasion for each one of us to express our profound respect and regards to you. Hon'ble President, your life's journey from the humble village of Mirati in West Bengal to Rashtrapati Bhawan is indeed an eventful one entwined with contemporary history of our nation and an inspiration to all. Beginning professional career as a colleqe teacher, then journalist and subsequently dedicating the longest period of your life to national politics culminating in being elected as the President, you have always strived for excellence and selfless service. Your achievements as a political leader, parliamentarian, administrator, author and visionary thinker are a grand testimony of your multifaceted personality. Mahodaya ever since you first entered the Parliament in 1969, you have enriched and strengthened our parliamentary democracy with varied expertise, vast contributions and great wisdom. You have always held the institution of Parliament and its traditions in the highest regard and upheld the dignity and decorum of both the Houses. Sagacious and yet courteous to friends and political opponents alike, you have earned the respect of all with your disarming persuasive skills, intellectual farsightedness and unwavering commitment to the basic tenets of parliamentary democracy and political pluralism. You are respected for your impeccable knowledge

* Farewell Address by Members of Parliament, Parliament House, New Delhi (23 July, 2017).

of constitutional and parliamentary rules and procedures and exemplary memory of events and precedents. You have been a guru from whom generations of parliamentarians have received lessons on the operational dynamics of our parliamentary polity. Very aptly, the parliamentary fraternity conferred the 'Outstanding Parliamentarian Award' on you for the year 1997. You admirable administrative acumen and efficiency have played pivotal role in shaping appropriate responses to various momentous events and challenges before the nation at large. As Union Cabinet Minister holding key portfolios and also occupying crucial decision-making positions your rich contributions in laying down policies leading to the progress of this nation will be remembered and cherished for times to come. Your astute diplomatic skills have served the nation well whether as a minister handling the responsibility of external affairs or serving on the Board of Governors of international and multilateral financial institutions. A grateful nation has conferred the second highest civilian award on you, the Padma Vibhushan, in 2008. You have deservingly received acclaims from the people at home and abroad and earned numerous honours from universities far and wide in recognition of your contributions. With your thoughtfulness and wisdom, you brought dignity and respect to the august office of the President which gained new prominence as political leaders of all hue and affiliations sought your guidance on crucial matters affecting the nation. Rashtrapatiji, you have brought presidential focus on the centrality of education for human development and the imperative of research and development to create a knowledge society and also for raising the quality of higher education and promoting excellence in our country. Your extraordinary contribution also extends to democratizing the Rashtrapati Bhawan through multiple programmes, innovative initiatives and opening its gates to welcome common man from across the country. Besides discharging your constitutional responsibilities with dignity and grace, you have effectively articulated the concerns before the nation. You have stressed the

centrality of Parliament in our democratic polity and expressed your concerns about the increasing incidents of disruptions in the legislatures. Your presidency has brought to the fore the most significant responsibility of the highest constitutional office of preserving, protecting and defending the Constitution and the law as affirmed in your oath of office. Sir, our country remains firmly on track as the fastest growing large economy in the world. We assure you that it will be our solemn duty to fulfil the unfinished missions and your vision of a developed India. We are sure that you will continue to guide the footsteps of this nation as an elder statesman, and inspire us as you have done all through your illustrious life. In the end I would like to conclude with the words of Hon'ble President which are very significant and relevant. I quote: "We are all equal children before our mother; and India asks each one of us, in whatsoever role we play in the complex drama of nation-building, to do our duty with integrity, commitment and unflinching loyalty to the values enshrined in our Constitution". Unquote Rashtrapatiji, We wish you a long and healthy life. We remain, Sir, Yours respectfully, Members of Parliament of India.

Honourable President, Shri Ram Nath Kovind presenting Outstanding Parliamentarian Award to Shri Dinesh Trivedi, MP (LS) at the function to confer the Awards for Outstanding Parliamentarians to be held in Central Hall of Parliament House on 1 August, 2018. Honourable Vice-President and Chairman, Rajya Sabha, Shri M. Venkaiah Naidu; Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi; Honourable Speaker, Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan are also seen in the photograph.

Honourable President, Shri Ram Nath Kovind, Honourable Vice-President and Chairman, Rajya Sabha, Shri M. Venkaiah Naidu; Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi; Honourable Speaker, Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan at the function to confer the Awards for Outstanding Parliamentarians to be held in Central Hall of Parliament House on 1 August, 2018.

Honourable President, Shri Ram Nath Kovind presenting Outstanding Parliamentarian Award to Shri Bhartruhari Mahtab, MP (LS) at the function to confer the Awards for Outstanding Parliamentarians to be held in Central Hall of Parliament House on 1 August, 2018. Honourable Vice-President and Chairman, Rajya Sabha, Shri M. Venkaiah Naidu; Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi; Honourable Speaker, Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan are also seen in the photograph.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan interacting with more than 160 students and alumni from premier institutes like IITs, NLUs, Yale, LSE, Manchester under a programme organized by the Vision India Foundation in New Delhi on 22 June, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan planting the 'Ashoka Tree' in Indian Institute of Mass Communication (IIMC) in New Delhi on 7 December, 2018.

II.

LEGAL AND CONSTITUTIONAL MATTERS

ROLE OF LEGAL EDUCATION AND PROFESSION*

I feel honoured to have been invited on the occasion of the Sixth Convocation of the Gujarat National Law University, a young and rising institution of prominence dedicated to legal education in the country. I am happy to be with you all at this moment to share your success. Let me take this opportunity to felicitate the successful bright Vidyarthees on their accomplishments. My heartiest congratulations to each one of them.

The Gujarat National Law University is one of the esteemed national law universities and it has completed ten years of existence. Within a decade, it has not only made a name for itself as one of the premier law universities but also as the fastest growing law university in the country.

As all of us are aware, our cultural heritage advocates the dynamics of a highly moral society. It rests on the premise of the 'Rule of Law' as a guarantee for enabling our citizens to progress to the fullest, in a just and fair manner. 'Justice' is, in fact, a pre-requisite of dignified human existence for everyone.

In a democratic polity like ours, the three organs of the State, namely the Executive, the Legislature and the Judiciary, perform separate but interrelated functions. In this scheme of things, as we all understand, the Judiciary is the custodian of the law and the arbitrator of justice whose primary objective is to uphold the rule of law and an orderly society and to provide justice to those who have been wronged, either by individuals, groups or the State itself. The judicial system is a specialized arena of public authority

* Convocation Address at the Sixth Convocation of the Gujarat National Law University, Gandhinagar, Gujarat (14 February, 2015).

which is reserved for legal experts, jurists and students of law. The efficiency of the justice delivery system depends a lot on the quality of legal education in the country.

A few decades back, the State of legal education in our country was considered to be supplementary. There was mushroom growth of Law Colleges in the country which were being run in the evening with the help of part time teachers, mostly lawyers who were either very busy in the profession or some students leader who needs just an I card for the student election. The students of these colleges were also part time students working as employees or pursuing some other Post-graduate course during the day. Attendance at these colleges was also not insisted upon seriously. These have their own effects not only education but as a whole legal profession as well. Despite various constraints those universities commendably produced some of the brightest lawyers and legal luminaries of the country, chiefly due to the sheer dedication and motivation students invested in their own field. As the economy opened and Globalization started, there was a feeling that our legal system must be strengthened to meet the emerging global challenges of international trade and commerce international corporate world. It is a matter of great satisfaction that in the last two decades efforts have been made to improve the situation by opening National Law Universities offering five year full time law course and preparing the young lawyers to meet the challenges of the new emerging world. National Law Universities have contributed significantly towards promoting excellence in legal education and research. These developments have also attracted some of the brightest students and also helped the legal community of the country to enhance the prestige it always deserved. It is heartening to know that the judiciary, the Bar Council of India, the reputed law schools and the Law Commission of India are all making

great efforts in the upgradation of legal education in the country.

I would like to draw your attention to another problem we face in our country. There is a complete disconnect between our Courts and our Universities. Once a student passes out University, he has no connection with it and throughout his life he does not remain in touch with it. There is a dire need of establishing a live connection between the Courts and the Universities and the Bar and the Universities so that the University faculty may give important academic inputs to the Courts and the Bar and *vice versa*. The Courts and the Bar need research based inputs in many complicated cases. If they get such assistance, the quality of justice shall definitely improve.

Similarly, there is a dire need to establish a live interaction between the Universities and Legislators. Our lawmakers do not have, all the time, the privilege of expert guidance from Universities in the matter of legislation. In the result we see that even after six decades of independence, we are still not able to form a consensus on subjects like capital punishment, euthanasia, juvenile crimes and the punishment for it, uniform civil code etc. Legal experts from the Universities should freely express their views on the limits of Judicial Activism and Judicial intervention in the fields reserved by the Constitution for the Legislature and the Executive.

Today, law students in the professional law schools and national law universities have the facilities to be better trained in skills required not only in the legal profession but also in areas such as legislation, civil society activism and other areas which have a great impact on government policy formulation and thus the larger society. We must also encourage the pursuit of excellence through innovative teaching practices and learning methods in order to produce great minds that can transcend the legal profession to make significant contributions to society.

On this occasion, I am glad to share some of my insights that I have gathered in my long experience as a lawyer and also with the legislature I can tell you with confidence that law is one unique area of human knowledge that makes a student of law vividly see and understand human society, its problems and challenges. I believe no other discipline has such inter-connectedness with life and society than what the law and legal discipline is endowed with and this makes the role of legal education and profession a matter of great relevance.

Besides infrastructure, an important dimension of improving legal education lies in attracting and retaining talent among young lawyers so that they can be encouraged to consider academia as a career option. It is true that poor financial incentives in a career in academia drive many young and brilliant lawyers to more lucrative careers in reputed law firms, in industry and corporations.

I have also to draw your attention to the fact that it is the duty of the entire legal community to strive for giving quality justice at reasonable cost to the litigant. Our entire Judicial System should be litigant centric rather than being focused on Judges and Lawyers. If we turn the focus on the litigants, we find that a majority of them are in the rural areas struggling with the lack of Courts, lack of Judges, lack of efficient lawyers at affordable fees, lack of infrastructural facilities and generally, lack of access to the justice delivery system. Though the Legal Services Authorities created at various levels for the purpose have done a commendable job but much needs to be done still. National Law Universities can make a great contribution in the field of spreading legal awareness, legal education, devising refresher courses and training programs for lawyers practicing in rural Courts etc. with the cooperation. Law Universities are also expected to suggest solutions for simplifying our justice delivery system to realize the dream of delivering speedy justice to litigants and to clear the huge backlog of cases pending in the courts.

It is said that "Justice delayed is justice denied". In this context it is very saddening to learn that the number of pending cases in our courts still presents a huge figure. The number of pending cases in the Supreme Court is about 63,800, in High Courts it is around 4.4 million and in district and subordinate courts it is around 20 million. As challenges go, this backlog takes a toll on individuals as well as the system.

To ensure easy and cost-effective justice we must strengthen the setting up of Legal Aid and Advice Boards, the mechanism of Alternative Dispute Resolution (ADRs) including Lok Adalats, Fast Track Courts, Consumer Forums, etc. The setting up of a nation-wide network for provision of free and competent legal services to the economically weaker sections is another welcome step.

Friends, I now turn to the momentous event that we all have come here for. Convocation is a landmark in the lives of the students and the faculty. It is an opportunity for the university to take stock of what it has achieved and what it has to aspire for. For all those who pass out today, it is a rite of passage to a new world which presents both opportunities and challenges. Their roles in various capacities, either professional or in civil society activism, will make significant contributions to government policy formulation and legislations and have impact on society.

While being aware of these opportunities, they may not lose sight of the challenges before society. Any reiteration that the role of judiciary and legal fraternity has always been one of making invaluable contribution towards maintenance and sustenance of the Rule of Law. It was the lawyer's heart and mind in Gandhiji, Motilal Nehru, C.R. Das, Sardar Vallabhbhai Patel, Asaf AH, Sir Tej Bahadur Sapru and many others, that impelled them into action against the injustice perpetuated by the British rule leading us to

achieve Independence. It is this intrinsic spirit of legal profession which made the founding fathers of our Constitution to foresee and draft such a system which can withstand all odds and challenges.

The nation needs dedicated young men and women in varied capacities. With their training, they will be expected to be rational thinkers and social engineers who make a real difference to the world around them. We should remember that a large number of our great social reformers and national leaders during our freedom struggle were lawyers.

I take this opportunity to express my, heartiest congratulations to all the bright young students who have successfully completed their programme of study through strenuous work and disciplined effort.

I extend my best wishes to all of them and hope that they will make use of their knowledge and training to create a bright future for themselves and to contribute handsomely to Nation-building.

I convey my best wishes to one and all.

भारतीय न्याय प्रणालीः प्रगतिशील विचार हेतु विचारण*

माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा 'Indian Justice System: Thoughts for Progressive Orientation (भारतीय न्याय प्रणालीः प्रगतिशील विचार)' विषय पर दिए गए वार्षिक डॉ. एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर आप सभी के बीच आना मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अपने पिता डॉ. एल.एम. सिंघवी की स्मृति में पिछले अनेक वर्षों से आयोजित किए जा रहे इस प्रतिष्ठित स्मृति व्याख्यान में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

मित्रो, आज इस अवसर पर इस सभा के समक्ष डॉ. एल.एम. सिंघवी के योगदानों को याद करना उचित होगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉ. एल.एम. सिंघवी एक असाधारण प्रतिभा के धनी विद्वान, विधिवेत्ता और प्रतिष्ठित कानूनविद्, संविधान के विशेषज्ञ, राजनयिक, दार्शनिक और राजनेता थे। हमारे देश की विधिक प्रणाली को समृद्ध बनाने में उनका व्यापक योगदान रहा है और उन्हें चिरकाल तक याद रखा जाएगा। सहज कौशल वाले एक राजनयिक के रूप में उन्होंने 1991 से 1997 तक युनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया जिसके दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने और उन्हें और मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की। इसके अतिरिक्त, डॉ. सिंघवी एक ऐसे उत्कृष्ट सांसद भी थे, जिन्होंने 1962 से 1967 के बीच हमारी संसद द्वारा संवैधानिक मामलों पर गठित सभी प्रवर समितियों में कार्य किया था। बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी डॉ. सिंघवी एक कुशल लेखक, कवि, भाषाविद् और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया।

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि वार्षिक डॉ. एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यानों में, पिछले कुछ वर्षों से हमारी न्यायपालिका से संबंधित अति महत्वपूर्ण और संगत मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रख्यात विधिवेत्ता माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा "भारतीय न्याय प्रणालीः प्रगतिशील विचार" विषय पर आज का ज्ञानवर्द्धक व्याख्यान, वार्षिक स्मारक व्याख्यानमाला में एक अन्य बहुमूल्य योगदान है, जिससे हमारी न्यायपालिका से संबंधित

---

*5वें वार्षिक डॉ. एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर भाषण, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली (14 नवंबर, 2016)

अनेक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण व्यापक हुआ है और उन पर हमारा ध्यान केन्द्रित हुआ है।

Friends, in a vibrant democracy like ours, the Judiciary is an important pillar of the State, like the Legislature and the Executive are, with its distinctive role and functions. Our Judiciary, especially the higher judiciary, has been assigned a position of vital importance and bestowed with onerous responsibilities like upholding the constitutional principles, interpretation of the laws made by respective legislatures and more importantly in protecting the Fundamental Rights of our citizens.

The Supreme Court of India and the High Courts act as the final arbiters of constitutional disputes, and can overrule not merely ordinary law enacted by a legislature that enjoys popular will, but, also constitutional amendments, which in the courts' view infract the "basic structure" of the constitution. With a proactive role based on the power of judicial review, the higher judiciary in India has attained an unprecedented significance. The institutional integrity of the judiciary, therefore, requires the courts to enjoy the confidence of the public; society needs to see judges as protectors of justice, who will stay independent to uphold the people's most fundamental rights.

A strong ambivalence clouds the public image of the Indian judiciary they are simultaneously fountains of justice and beyond the reach of poor. Litigation is often regarded as infested with delay and not free from corruption. But courts, especially Higher Courts are among the most respected and trusted institutions. The judiciary has ensured that howsoever high you may otherwise be, the law is above you. On the other hand, symptoms of inefficiency haunt the courts as they do other state institutions. This mixed picture is reinforced by a recent assessment of a high ranking expert group including a former chief justice of the Indian Supreme Court. Widespread and profound backlog and delay currently undermine the fundamental priorities of a law-based society and it

erodes public trust and confidence in legal institutions, and also acts as a significant barrier to India's chosen path to social justice and economic development. While it is acknowledged that trials are delayed throughout the world but nowhere, however, does backlog and delay appear to be more accentuated than in modern-day India.

As we all know "Justice delayed is justice denied." Since all the organs of the Government are independent and at the same time there is a relationship between all the organs, it is the job and combined responsibility of the Parliament, the Executive and the Judiciary to address all these issues. And I would therefore like to emphasize that Judicial reforms are a must.

The calls for judicial reforms are of course in the anvil for quite some time now and a lot has been done in this regard. However, it cannot be denied that a lot still needs to be done. The Law Commission's recommendations concerning disposal method, appointment of judges, creation of special courts, need for system-wide reform, merits serious consideration and action. We have to remember that we are among the fastest growing economies and when efforts are made to fast track all aspects of Government functioning, the Judiciary cannot lag behind. It is important that justice delivery system has to be fast tracked too. Among others, we could think in terms of instituting Alternate Dispute Redressal system (Lok Adalats), Specialized Courts, Mediators, etc. to ease or reduce the pressure on Courts. We have to think and (act in terms of filling up the vacancies of posts for Judges in the Judiciary, which is one of the reasons for delay in dispensing justice. However, the increase in number of judges has to be calibrated carefully to ensure that quality does not get compromised in the process. We need to make optimum use of technology, systematic classification of cases, comprehensive tracking of ongoing proceedings, and similar measures. We also need to take steps to make careers in our Judiciary more attractive to attract the young talents in our country.

न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने हेतु वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए न्यायाधीशों को वापस बुलाकर क्या न्यायपालिका की मुख्य धारा में लाया जा सकता है? न्यायाधीश न्याय प्रदान करने के लिए नियुक्त होते हैं। उन पर अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे अकाउंट्स मालखाना, नकल दफ्तर आदि की देख-रेख का भार नहीं डाला जाना चाहिए। स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन सेवा (Judicial Administrative Service) निर्मित कर इस काम में न्यायाधीशों की ऊर्जा का अपव्यय रोका जा सकता है। ऐसे सभी पदों पर, जिन पर कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति न हो, इस पर चिंतन करना चाहिए—जैसे श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय, विधि सचिव, विधान सभा सचिव, शासन के अन्य विभागों में विधि सलाहकार इत्यादि। विधिक सहायता व लोक अदालत का कार्य भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों अथवा वरिष्ठ अभिभाषकों को दिए जाने पर विचार किया जा सकता है ताकि इस कार्य में कार्यरत न्यायाधीशों का समय तथा ऊर्जा क्षय न हो।

The statement, “A lawyer is and must ever be the high priest at the shrine of justice” captures the essence of the role of an advocate in the administration of justice in the society. Lawyers in our country have historically contributed handsomely to each of these areas of justice—whether it was the struggle for Independence, the framing of our Constitution or just governance. The role of lawyers extends to being an integral part of our system of administration of justice not just in the legal sense but justice that’s social, economic and political as set out in the preamble of our Constitution. They are also expected to play their assigned role in realization of the lofty vision of speedy justice for all enshrined in our constitution. We must also discuss and debate whether the unrestricted entry in the Bar has led to deterioration in the quality and standard of lawyers and whether it is affecting the quality and standard of entire Judicial system.

I would also like to mention that the Parliament of India has also taken initiatives to address this challenge. Though the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 has been struck down by the Honourable Supreme Court, let us hope that in the near

future the issue will get resolved with the cooperation of all concerned and to the satisfaction of all.

Justice Krishna Iyer said and I quote: “Most crucial for justice social, economic, and political for the happiness, health and humanism of the people and their peaceful progress is the judiciary. We need a dynamic, people-oriented, progressive, legally literate and imaginative judicature with a swaraj vision. Otherwise, chaos will corrupt, confuse, and terrorise the Indian cosmos”.

I also feel that the best way to bring about the elimination of perceived shortcomings of any organ of our vibrant democracy, which are capable of being eliminated, is to have all our citizens informed as to how that system functions.

Friends, it is important for our country to have a fast justice delivery system so that the image of the Judiciary is enhanced and the people who knock the door of justice feel that they are heard and justice is delivered. If these challenges are not addressed and if far reaching judicial reforms are not initiated with a great sense of urgency and devotion, the image of the judiciary may be eroded in the eyes of the public, thereby endangering the whole civil society and our democracy. In other words, timely disposal of cases is essential for maintaining the rule of law and providing access to justice which is a guaranteed Fundamental Right.

I would once again thank you for inviting me and I am sure the views expressed in this Lecture will go a long way in strengthening our democratic polity.

In the end I would like to end my speech with the lines penned by revered Shri Atal Bihari Vajpayee ji:

“बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।”

We must all join hands together to take our nation forward on the path of peace, development and progress and also to realize the dream of the founding fathers of our Constitution.

Thank you.

III.

NATIONAL DEVELOPMENT

इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास*

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैड एंड नैक ऑन्कोलॉजी, इंदौर में लीनियर एक्सिलरेटर सिद्धार्थ-III की सुविधा आरंभ किए जाने के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस मशीन का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया है। मैं इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास को एक आधुनिक उपकरण प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई देती हूं। इससे बड़ी संख्या में कैंसर रोगियों और विशेष रूप से रेडियोथेरेपी उपचार करवा रहे रोगियों को नि:संदेह बहुत लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि यह उपकरण अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे कैंसर रोगियों के लिए एक आशा की किरण सिद्ध होगा।

मित्रो, एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय कहावत है कि तंदरुस्ती हजार नियामत होती है और यह कहावत हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। आज स्वास्थ्य मानव संसाधन पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चिंता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 2014 में जारी नवीनतम मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार मानव विकास सूची में हमारे देश का स्थान 135वां है जो संभवत: पर्याप्त और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की कमी के कारण है। यदि हम अपने देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं स्तरीय होनी चाहिए तथा अस्पताल रोगियों को समुचित और किफायती उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुसज्जित होने चाहिएं। अत: चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं को हमारे देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारी सरकार सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जाना, डॉक्टर-रोगी के अनुपात को 1:2000 से वर्ष 2021 तक 1:1000 करना, चिकित्सा संबंधी शोध में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा हरियाणा में झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कदम हैं।

---

*इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेड एंड नैक ऑन्कोलॉजी में सिद्धार्थ-III स्वदेशी लीनियर एक्सिलरेटर सुविधा आरम्भ किये जाने के अवसर पर माननीय अध्यक्ष का भाषण (26 अगस्त, 2014)

हमारे जैसे देश में जहां संसाधन बहुत ही सीमित हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन और धर्मार्थ न्यास भी इस दिशा में प्रयास करें। इस संदर्भ में वर्ष 1988 में इंदौर कैंसर फाउंडेशन धर्मार्थ न्यास और तद्नन्तर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैड एंड नैक ऑन्कोलॉजी की स्थापना निःसंदेह एक सराहनीय प्रयास है। मुझे खुशी है कि केवल इंदौर तक सीमित न रहकर आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सेवा करते हुए यह न्यास 25 वर्षों से जन सेवा कर रहा है। यह प्रशंसनीय है कि यहां हमारे समाज के दलित और उपेक्षित वर्गों को धर्मार्थ आधार पर निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह देखकर भी खुशी होती है कि इतने वर्षों में इस न्यास ने विशेष रूप से सिर और गर्दन के कैंसर के उपचार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैड एंड नैक ऑन्कोलॉजी, इंदौर अब कैंसर उपचार के उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है और अपनी तरह का अनूठा संस्थान है।

मित्रो, हम जानते हैं कि कैंसर भारत में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। यह भी चिन्ता का विषय है कि देश में कैंसर के रोगियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 6 से 7 लाख लोग प्रति वर्ष कैंसर का शिकार हो रहे हैं और देश में सभी वयस्कों की मौतों में से 6 प्रतिशत की मृत्यु इसी रोग से होती है। लोगों में इस रोग के बारे में अज्ञानता, विलम्ब से इस रोग का पता लगने और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कैंसर एक 'मारक रोग' के रूप में जाना जाने लगा है। हम जानते हैं कि यदि आरम्भिक चरण में ही कैंसर का पता लग जाता है तो इसका उपचार हो सकता है और रोगी ठीक होकर एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकता है। किन्तु इस रोग से प्रभावित लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैंसर के उपचार की सुविधाएं कुछेक अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं और मुख्यतया बड़े शहरों में ही सीमित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं। कैंसर का इलाज प्रायः कई महीनों या सालों तक चलता है और इसके लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है, इसीलिए कैंसर के रोगी अक्सर प्रस्तावित उपचार को जारी नहीं रख पाते और इससे भी बढ़कर कैंसर का उपचार बहुत महंगा होता है जिसके कारण बहुत से रोगी बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं अथवा सस्ते और वैकल्पिक उपचार कराने लगते हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 75 प्रतिशत से अधिक खर्च का इन्तजाम कैंसर के रोगियों को स्वयं ही करना पड़ता है जिससे रोगी पर दीर्घकालिक वित्तीय बोझ पड़ता है।

मित्रो, कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में किफायती इलाज अति महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि उपचारात्मक से निवारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में अग्रसर होना सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है क्योंकि यह महंगा नहीं है। हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत आम है

और यह तम्बाकू चबाने से होता है। लगभग 40 प्रतिशत मामलों में कैंसर का कारण तम्बाकू होता है। हम यह भी जानते हैं कि धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है। निवारात्मक स्वास्थ्य उपायों के बारे में जागरूकता, तम्बाकू चबाने और धूम्रपान के खतरे के बारे में चेताए जाने, साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल के महत्व को जानने इत्यादि से कैंसर होने की संभावना में कमी आएगी। विभिन्न प्रकार के कैंसरों के लक्षणों के बारे में जागरूकता विकसित करने से प्रारम्भिक चरण में ही कैंसर का पता लगाने में मदद मिलेगी। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि कैंसर का मुकाबला करने में डॉक्टरों को सक्षम बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान में शोध और विकास तथा नवीनतम प्रौद्योगिकीय उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान में कैंसर के इलाज के लिए कम लागत वाला प्रतिरूप विकसित करने पर ध्यान दिया गया है और यह राष्ट्रीय प्रतिरूप बन सकता है। मुझे विश्वास है कि अगले महीने मुंह और गले के कैंसर के खतरे की संभावना वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल स्पैक्ट्रोस्कोपी सुविधा आरंभ किए जाने से इस रोग के शोध, निदान और उपचार में मदद मिलेगी। मैं डॉक्टर दिगपाल धारकर को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित कर विशिष्टजनों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। यहां आने से मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान के कार्यकरण को समझने में मदद मिली है। मैं डॉ. धारकर और उनके साथ काम कर रहे डॉक्टरों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैड एंड नैक ऑन्कोलॉजी को प्रमुख अस्पताल बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के लिए बधाई देती हूं। मैं कैंसर का मुकाबला करने में आपके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती हूं। उसके साथ ही मुझे लीनियर एक्सिलरेटर मशीन का शुभारम्भ करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

धन्यवाद।

आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियां*

आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छठे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। इसका उद्‌गम भारत में हुआ था और यह पद्धति वैदिक काल से प्रचलित है। आयुर्वेद के इतिहास और उद्‌गम के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मदेव द्वारा चिकित्सक धन्वन्तरि को दिया गया दिव्य ज्ञान है। इसका उल्लेख चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मिलता है। महाभारत और रामायण जैसे हमारे प्राचीन महाकाव्यों में भी आयुर्वेद का उल्लेख है।

छठे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की विषय-वस्तु "आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां" भी अत्यंत सामयिक एवं उपयुक्त है। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है परंतु इसके बावजूद कुछ कठिन और लाइलाज बीमारियों का उपचार महंगा है और ऐसे रोगियों को जीवन भर देखभाल और चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे रोगियों को जीवनशैली में परिवर्तन लाकर समग्र रूप से इनके उपचार की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में सामान्य रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति और विशेष रूप से आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक बेहतर विकल्प है जिसका उपयोग लोग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं।

आयुर्वेद के उद्‌गम के बारे में बताना चाहूंगी कि यह चार उपवेदों अथवा वैदिक शिक्षा के दूसरी श्रेणी के ग्रंथों में से एक है। अन्य उपवेद हैं-गंधर्व वेद (संगीत), स्थापत्य वेद (दिशा विज्ञान), और धनुर्वेद (युद्ध कला)। आयुर्वेद इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तन-मन को स्वस्थ बनाने के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में उपचार को चिकित्सा कहा जाता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट की आयुर्वेद की पुस्तकों में चिकित्सा या उपचार से संबंधित खंड शामिल हैं। इसी तरह इनमें निदान स्थान-बीमारी का पता लगाने से संबंधित खंड और शरीर स्थान-सशरीर आत्मा जिसमें भौतिक शरीर की संरचना और शरीर विज्ञान शामिल है, जैसे अनुपूरक खंड भी हैं। आयुर्वेद में शरीर की प्रकृति (तन, मन और आत्मा), इसकी कार्य पद्धति, रोगों के कारण और उपचार की स्पष्ट व्याख्या है तथा इसका उद्देश्य आम जनता का कल्याण मात्र है।

* वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के शुभारम्भ समारोह के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (7 नवंबर, 2014)

तस्याऽऽयुषः पुण्योतमो वेदो वेदविदां मतः।

वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरूभयोहितम्।।

(आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ पुण्यजनक है क्योंकि अन्य ज्ञान पारलौकिक हित को ही बतलाते हैं। आयुर्वेद इहलोक और परलोक दोनों के हितों को कहता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है।)

आयुर्वेद आहार, जड़ी-बूटियों, दवाइयों, शल्य-चिकित्सा, शारीरिक रचना सहित चिकित्सा के सभी पहलुओं से संबंधित है और इसमें पंचकर्म जैसी विशेष नैदानिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें स्वास्थ्यकारी साधनों के रूप में आसन और प्राणायाम से लेकर मंत्रोच्चार और ध्यान की योग प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। वास्तव में आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवनशैली है।

योग और आयुर्वेद समूचे मानव जीवन और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान की दो परस्पर संबंधित शाखाएं हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक लोकप्रिय और शक्तिशाली पद्धति है। योग एक आध्यात्मिक पद्धति है जिसे संस्कृत में साधना कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दिए गए भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कही थी। इससे जीवनशैली में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हो सकता है कि हम सब स्वच्छता को अपनाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने नागरिकों में स्वच्छता के महत्व की भावना जगाने के लिए हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्तिगत साफ-सफाई और स्वच्छता से स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में बहुत मदद मिलेगी।

यह एक सच्चाई है कि कठिन और असाध्य रोगों के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज भारत जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर इत्यादि से जूझ रहा है जिनका इलाज आसान नहीं होता। इन बीमारियों में पूरे एहतियात रखने की एवं जीवनशैली को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इनमें लैब में बार-बार जांच कराने की भी जरूरत पड़ती है। अतः इन रोगों को नियंत्रित करने एवं सरल एवं तनावमुक्त जीवन जीने के लिए जीवनशैली में बदलाव लाना ही सबसे बढ़िया तरीका है। यदि हम प्रातः उठकर थोड़ा व्यायाम कर लें, थोड़ा टहल लें, तो सुबह की ताजी हवा जीवनदायिनी सिद्ध होती है। जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव निश्चित रूप से कई बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है। यही कारण है कि आयुर्वेद पद्धति में हमेशा पथ्य और अपथ्य का विचार किया जाता है।

आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां कुछ ऐसी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है जिनका नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे डेंगु, चिकुनगुनिया, एंथ्रेक्स,

स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस। परंतु हैरतअंगेज बात यह है कि इनमें से ज्यादा बीमारियों का इलाज हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति में है, आयुर्वेद में है। जैसे डेंगु का इलाज गिलोय के रस से होता है। हो सकता है, पहले भी ये बीमारियां अस्तित्व में रही हों, पर अब ये दोबारा प्रकट हो रही हों। परंतु, जब बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या अधिक है, तो बड़ी संख्या में लोगों को प्राथमिक और अनिवार्य देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। तब आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी हो जाता है।

आयुष पद्धति में लोग इलाज तभी कराना चाहेंगे, जब यह पद्धति रोग निवारण में प्रभावी साबित हो तथा व्यय में कम हो। यह बहुत हद तक गुणवत्तापूर्ण और जड़ी-बूटी आधारित कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करती है। व्यापार में इस्तेमाल होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक जड़ी-बूटियां जंगलों से आती हैं। विश्व-स्तर पर जड़ी-बूटी आधारित उत्पादों की मांग में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके कारण इनके संग्रह का दबाव बढ़ता जा रहा है। जंगलों से औषधीय गुणों वाले पौधों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिसके कारण आयुष उत्पादों के लिए सामग्री की कमी हो रही है। इसलिए औषधीय गुणों वाले पौधों को गांवों और शहरों में उगाने से ही इस उद्योग की कच्चे माल संबंधी जरूरत पूरी होगी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है।

चिकित्सा पर्यटन उद्योग वर्ष 2017 तक 4 बिलियन अमरीकी डालर तक का होने की आशा है। वैकल्पिक उपचार के उद्देश्य से आए पर्यटकों के लिए भारत एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। विभिन्न देशों से रोगी आयुर्वेद, योग, एक्यूपंक्चर, जड़ी-बूटी युक्त तेल मालिश, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से किफायती और स्वास्थ्यकर वैकल्पिक उपचार के लिए भारत में आ रहे हैं। यह उत्साहवर्द्धक है।

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभिन्न भाग के रूप में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों का अधिकतम उपयोग किये जाने का निर्णय लिया है तथा इसके लिए उन्होंने वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। यह निश्चय ही प्रशंसनीय है तथा इसके लिए वह बधाई की पात्र है। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य आयुष सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही देश में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों की सेवाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को अपनी पसंद का चिकित्सा पद्धति में इलाज कराने का मौका मिल सके।

हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयुर्वेद पद्धति के इलाज में बहुत विविधता मिलती है। इन्हें देसी दवाओं के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्तर पर इलाज की वे पद्धतियां अपने आप में अनूठी होती हैं। परंतु वे रोगियों को रोगमुक्त कर देती हैं। कश्मीर से केरल

तथा सौराष्ट्र से बंगाल तक किए जाने वाले उपचार में जो विविधता मिलती है, उसका संरक्षण केवल आयुष जैसा संगठन ही कर सकता है। आयुष विभाग को विभिन्न क्षेत्रों के देसी चिकित्सकों का पता लगाने, उनके अनुभवों, केस स्टडीज, रोगियों के आंकड़ों को लिपिबद्ध करने का महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी सभी के सूचनार्थ एवं सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए ताकि उन नुस्खों का फायदा आम जनता को मिले। आयुर्वेद वेκ आश्चर्यजनक नुस्खो हमारे देश में उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल भी हो रहा है, परन्तु उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है।

आयुर्वेद हमेशा से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारे देश में 46 संस्थान शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आयुर्वेद में रोगों के निवारण और स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की व्यापक संभावना को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मानना है कि देशवासियों के लिए और अधिक आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद की लोकप्रियता के साथ ही झोलाछाप वैद्यों/डॉक्टरों का खतरा भी बढ़ा है। उनसे निपटने के लिए कारगर अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि कोई आम जनता के जीवन से खिलवाड़ न कर सके। इन नकली वैद्यों के विज्ञापनों से प्रिंट मीडिया और इंटरनेट भरा पड़ा है जो साधारण और गंभीर बीमारियों के उपचार और थैरेपी उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। समय की मांग है कि आयुष विभाग ऐसे झोलाछाप वैद्यों/डॉक्टरों को चिह्नित करने हेतु संबंधित तंत्र को मजबूत बनाए। इस पुरातन प्रणाली की शुचिता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। वैद्य/डॉक्टर का योग्य होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र में वर्णित है–

कुर्यान्नितपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनः।
सशेषमातुं कुर्यान्न त्वज्ञमतमोंषधम्।।

(इन्द्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उससे बचना सम्भव हो सकता है, परन्तु मूर्ख वैद्य से दी हुई औषधि रोगी को समाप्त ही कर डालती है।)

मैं आयुष विभाग, दिल्ली सरकार, विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन को नई दिल्ली में इस तीन दिवसीय सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं आशा करती हूं कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं आयुर्वेद के तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर केन्द्रित होंगी तथा सरकारों के विचारार्थ एक सिफारिशी मसौदा तैयार किया जाएगा। अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि:

धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्यं मूलमूत्तमम्।

रोगाः तस्यापहन्तारः श्रेयसो जीवितस्य च।।

(धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इस चतुर्विधि पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु आरोग्यता ही उत्तम मूल है एवं रोग इनको नष्ट करने वाले होते हैं, अतः मनुष्य का सदा स्वस्थ रहना ही उसके लिए श्रेयस्कर है।)

जैविक हाट*

'जैविक हाट' के शुभारम्भ के अवसर पर मैं 'प्रयोग परिवार' और 'सतत खाद्य नेटवर्क' को जैविक हाट की संकल्पना के लिए बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस जैविक हाट से अनेक उपभोक्ता और किसान लाभान्वित होंगे।

भारतीय किसान मेहनती हैं। वे सादगी के प्रतीक भी हैं। कल से आज तक 'अन्नदाता' हैं। संस्कृत का एक श्लोक है:

अन्नं न निन्द्यात्। तदव्रतम्।।
अन्नं न परिचक्षीतः। तदव्रतम्।।
अन्नं बहु कुर्वीत। तदव्रतम्।।

अर्थात् भोजन का अपमान न करें, भोजन की उपेक्षा न करें तो भोजन कई गुना बढ़ जाएगा। किसान की मेहनत को हम इससे सम्मानित कर सकते हैं।

कृषि हमारी 55 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख आधार है। जीडीपी का लगभग पांचवां भाग कृषि से आता है। 1960 के दशक में शुरू में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. स्वामीनाथन की सोच से उपजी हरित क्रांति काफी सफल रही थी। उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या अन्न की कमी थी जिससे कुशलता से निपटा जा सका। हमारा बफर स्टॉक तैयार हो गया था।

परंतु रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता से साइड इफेक्ट के रूप में मिट्टी की सेहत, पानी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नाना प्रकार की नई-नई बीमारियां इससे पैदा हुईं। जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होती गई। ज्यादा लागत लगाने के बावजूद उत्पादन कम होने लगा है।

हरित क्रांति इसलिए क्रांतिकारी हुई क्योंकि खेती करने की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन हो गया था। कृषि संबंधित कोर्स, रिसर्च भी उसी पद्धति पर आधारित हो गई।

फिर अगला समय आया जेनेटिकली मोडिफाइड सीड का। यह एक नई सोच थी। आर्थिक सुधारों के दौर में परिवर्तित टर्मिनेटर बीज का जबरदस्त प्रचार हुआ। बीज ऐसे हो गए जिनसे एक ही बार उत्पादन हो। एक तो उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। गुलाबी

*जैविक हाट के शुभारम्भ के अवसर पर भाषण, इंदौर (6 दिसंबर, 2014)

पत्तागोभी का उत्पादन हुआ तो सफेद एवं हरे बैंगन आए। उत्पादों में पौष्टिकता एवं कीटनाशकों की मात्रा कम हुई।

परन्तु एक समस्या यह हुई कि इन उत्पादों ने कई रोगों को जन्म दिया है। इस तरह से जेनेटिकली मोडिफाइड सीड भी कई प्रकार से उपयुक्त नहीं हैं। इसमें पेटेंट का मसला आ जाता है। जी.एम. सीड पर किसी कम्पनी विशेष का अधिकार भी हो सकता है।

अतः, कृषि के क्षेत्र में हुए हरित क्रांति एवं जेनेटिकली मोडिफाइड सीड जैसे क्रांतिकारी सुधार आज के परिदृश्य में अप्रभावी हो गए हैं क्योंकि किसान द्वारा उत्पादित उत्पाद भूमि एवं मनुष्य के साथ-साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ रहे हैं।

इन सब समस्याओं का हल है जैविक खेती। इससे जमीन, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में फैले जहर का निपटान हो सकता है। जैविक खेती में उर्वरक के रूप में देशी गोबर का इस्तेमाल होगा तो कीटनाशक के रूप में नीम की पत्तियों का पानी, जिसका कोई भी कुप्रभाव नहीं होता। इस पद्धति में मिट्‌टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए कृषि में पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को महत्व दिया जाता है।

कृषि के क्षेत्र में किए गए पिछले दो सुधार किसानों, वैज्ञानिकों एवं सरकार की तरफ से एकाकार प्रयास थे। इनसे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन, जैविक खेती के प्रोत्साहन का श्रेय आम जनता को जाता है।

जन भागीदारी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। परिवर्तन का यह आंदोलन किसानों को एक-दूसरे के खेत से जोड़ रहा है। इससे गांव से गांव भी जुड़ रहे हैं। जुड़-जुड़कर इसका विस्तार धीरे-धीरे हो रहा है। यह एक दूसरे से चलने वाली साइकिल है। इस पद्धति से जमीन को हम सदा-सर्वदा के लिए सुरक्षित रखते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। भूमि संसाधन का दोहन करने से भी बचा जा सकता है।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने एग्रीकल्चर कोर्स को भी इसके लिए बदलना होगा क्योंकि जब कोर्स में बदलाव करेंगे तभी हम अपने बच्चों को इसके बारे में पढ़ा सकेंगे। खेती के परंपरागत स्वरूप को बदलने के लिए आधुनिक आर्गेनिक ढंग से खेती किए जाने का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

ऑर्गेनिक उत्पादों के बारे में एक और भ्रम है कि यह काफी महंगा है। परंतु यह सत्य नहीं है। चूंकि जैविक उत्पाद कम होते हैं इसलिए वे महंगे होते हैं। उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो तो उनकी कीमत स्वतः ही कम हो जाएगी। किसान खेती में जैविक खाद का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि भी करेंगे। ऑर्गेनिक खेती में बंपर पैदावार के आंकड़े हैं, तो देश में नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनेगी जो आर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित होगी।

स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी लाभों के कारण पूरे संसार में ऑर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन और उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, और अमेरिका सहित भारत में जैविक खेती हो रही है। इस तरह यह 7वें स्थान पर है।

सरकार भी देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती की सम्भावना का अनुमान अपने मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की जैविक फसल की सफलता से लगाया जा सकता है। सोयाबीन के अलावा, धान, मक्का, मूंगफली, मूंग, कपास जैसी फसलों की खेती भी विभिन्न जैविक पद्धतियों से की जा रही है। सबसे पहली जैविक हाट का आयोजन वर्ष 2003 में भोपाल में किया गया था।

हमारे अधिकांश किसान जैविक खेती के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस पद्धति में खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी हितधारकों जैसे सरकार, सहकारी समितियों, किसानों, उपभोक्ताओं और सिविल सोसाइटी आदि को मिलकर काम करना होगा।

भारत में जैविक खेती की सफलता हमारे घरेलू बाजारों के विकास पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में जैविक हाट जैविक उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसे हाट की स्थापना वास्तव में सराहनीय कदम है।

मैं, एक बार फिर जैविक हाट के आयोजकों को धन्यवाद देती हूं। जैविक हाट खुलने से इस क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि इस हाट का एक उद्देश्य किसानों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना है। इससे आस-पास के क्षेत्रों के उत्पादक और उपभोक्ता इस जैविक हाट में आएंगे। इस हाट से इन सबकी जरूरतें पूरी होंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ इस जैविक हाट का शुभारम्भ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

धन्यवाद।

छात्र हमारे कर्णधार*

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चोईथराम स्कूल, इन्दौर द्वारा आयोजित "मॉडल युनाइटेड नेशन" के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है।

यह "मॉडल छात्र युनाइटेड नेशन" यूएन के कार्यकलापों एवं उनकी समितियों की महत्ता को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मंचन से युवा स्कूली विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियों के माध्यम से पूरे विश्व के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित, सुरक्षा एवं मानवीय मूल्यों को समझने में सहायता होगी। यहां पर सम्मिलित कार्य-सूची के विषय अत्यंत ही समसामयिक हैं जैसे ECOFIN (Economic and Financial Council) में यूरो जोन से ग्रीस का निष्कासन, DISEC (Disarmament and International Security Committee) में छोटे शस्त्रों की तस्करी एवं ड्रग तस्करी की रोकथाम पर चर्चा इत्यादि। विद्यार्थियों द्वारा अगले दो-तीन दिनों में किए जाने वाली बैठकों के माध्यम से इन विषयों पर जागरूकता बनाने में मदद करेगी। युनाइटेड नेशन्स की कई संस्थाएं हैं जैसे WHO, UNICEF, UNDP, UNODC इत्यादि। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य पूरे विश्व में मानव मात्र के हितों के लिए निरंतर काम करना है। इन संस्थाओं में डब्ल्यूएचओ, मानव स्वास्थ्य की बेहतरी से संबंधित है। कोई संस्था बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं के हित को प्रमुखता से लेती है तो कोई संस्था उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करती है।

देशभर के विभिन्न स्कूलों के नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थी समसामयिक विषयों पर उपयोगी चर्चा करेंगे। इस तरह के आयोजन से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ केवल किताबी शिक्षा ही नहीं होती बल्कि यह वह मार्ग है जिस पर चल कर हमें भविष्य के लिए योग्य, जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करना हैं जिनका उद्देश्य टीमवर्क के साथ भारत को दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाना है।

महान चिंतक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के विषय में कहा था कि "जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन

* चोईथराम इंटरनेशनल विद्यालय, इंदौर के तत्वावधान में आयोजित 'मॉडल युनाइटेड नेशन इंदौर चैप्टर' के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, इंदौर (9 अक्तूबर, 2015)

सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। इस प्रकार के आयोजन छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध होते हैं।

यहां इस अवसर पर विभिन्न प्रदेश से विद्यार्थी आएं हैं। उनके लिए यह एक अच्छा अवसर होगा कि वे इस सांस्कृतिक मिलन स्थली में प्रवास का आनंद उठाएं। इनकी रचनात्मकता और सृजनशीलता बहुत मायने रखती है।

भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का सारी दुनिया में सम्मान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं उसके संचालन के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और पद्धतियों की अवधारणा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। प्रथम विश्वयुद्ध में हुई धन–जन की बर्बादी एवं विभीषिका को देखते हुए सर्वप्रथम राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सन् 1929 में हुई। भारत राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। अपनी स्थापना के प्रारंभिक दिनों में यह संस्था बाल्यावस्था में थी। परंतु 1939 से 1945 तक हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने इस संस्था को एक नया संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया और सभी देश इस बात पर राजी हुए कि वह अपने सदस्य देशों की सेनाओं को, यदि आवश्यकता पड़े तो शांति स्थापना के लिए तैनात कर सकता है। विश्व के 40 देशों ने इस संविदा पर हस्ताक्षर किए जिसमें पोलैंड भी सम्मिलित हुआ। उसी समय सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य देश बने जो संस्थापक सदस्य भी थे। वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन रूस, फ्रांस और चीन। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत का संबंध ऐतिहासिक और गौरवमयी है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। यह एक अबंधनकारी घोषणा थी, जो पूरे विश्व के लिए समान मानवाधिकारों की अवधारणा को स्थापित करती है। तब से लेकर यह पिछले 70 वर्षों से निरंतर सेवारत है एवं विश्व में शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नरत है।

पिछले 70 वर्षों में इसमें बहुत बदलाव आए हैं और यह बदलाव आज के यूएन में परिलक्षित होना चाहिए। हम सब अवगत हैं कि इस पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति भारतवासी है और भारत का शांति में योगदान, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है। अतः, समसामयिक आवश्यकताओं को स्वीकारते हुए सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन न केवल वांछनीय है अपितु आवश्यक भी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया के अधिकांश विकासशील

देश यह मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा है।

अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की मान्यता है कि इन महाद्वीपों से कम-से-कम एक देश स्थायी सदस्य होना चाहिए ताकि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस अवधि में जर्मनी एवं जापान विश्व के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरकर सामने आये हैं। वे भी सुरक्षा परिषद् में सुधार और स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते हैं। 1946 से अब तक सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्य देशों द्वारा कुल 236 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है जिनमें से 103 बार रूस ने इसका उपयोग किया और इन देशों की यह अवधारणा है कि यह उन्होंने अपने भू-राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। अत:, सुरक्षा परिषद् में वीटो पावर के साथ नए सदस्य देशों के सम्मिलित होने से विश्व में शक्ति संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित होगा।

भारत के विषय में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश ने वैश्विक शांति की तरफ अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारत सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। हमारे वीर सैनिकों के मन में विश्व शांति का लक्ष्य होता है एवं वे अपनी बहादुरी एवं शौर्य से सदैव हमारा मस्तक ऊंचा रखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 48 मिशनों में लगभग 1 लाख 80 हजार सैनिकों को प्रतिनियुक्त किया है जिसमें से 161 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। इसके अतिरिक्त भारत ने अब तक लगभग 82 देशों के 800 शांति सैनिकों को विभिन्न प्रकार के शस्त्र संबंधी प्रशिक्षण दिए हैं।

अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि जारी मिशनों अथवा नए मिशनों के लिए 850 सैन्य दल की अतिरिक्त बटालियन के साथ-साथ महिला सैन्यकर्मियों की बहुतायत वाली तीन अतिरिक्त सैन्य इकाई (police units) भेजने की घोषणा की है। भारत में और तैनाती स्थल में शांति सैनिकों के प्रशिक्षण के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन में तकनीकी कार्मिकों (technical personnel) को पदस्थापित किए जाने एवं हर प्रकार की सैन्य सहायता (military help) प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध (committed) हैं। वर्ष 2007 में भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पहली बार महिला सुरक्षा बल का दस्ता लाइबेरिया भेजा जो कि हमारी शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद है। यह पूरे विश्व में सुरक्षा संबंधी मामलों पर अपनी राय देती है तथा निर्णय लेती है कि उल्लंघन की परिस्थिति में किस देश पर क्या कार्यवाही की जाए। हम सभी अवगत हैं कि अफ्रीकी एवं मध्य पूर्व एशिया के देशों में संघर्ष चल रहा है और इसमें यूएन की भूमिका निःसंदेह महत्वपूर्ण है तथा उन्हें आगे आकर शांति एवं नागरिक हितों की सुरक्षा एवं स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सीरिया में चल रहा खतरनाक हिंसक युद्ध आज पूरे विश्व के लिए चिन्ता का कारक है। इस समस्या को एकीकृत रूप में देखना आवश्यक है। भारत और यूएन की भूमिका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम मानवता की बात करते हैं और उसे पूरे संसार के सामने प्रस्तुत करना समय की मांग है। इस मंच को हम जितना सशक्त करते हैं, उतना मानवता के प्रति हमारा दृष्टिकोण सुरक्षित एवं संवर्धित होता है।

हाल ही में मेरी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून जी से हुई थी, मैंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जीवन्त (vibrant) बनाने की बात की थी। भारत जैसे 125 करोड़ देशवासियों के लिए सुरक्षा परिषद् में स्थान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। परन्तु, आज विश्व का ध्यान हमारी तरफ है और यही हमारी विजय है। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थीगण इस समिति के कार्यों को हूबहू समझ पाने में सफल होंगे।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले 15 वर्षों में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर एक महत्वाकांक्षी (ambitious) कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) को स्वीकृति दी। 193 देशों के यूएन की आम सभा ने एक नया फ्रेमवर्क नामतः "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" को स्वीकृत किया है जिसके अंतर्गत 17 उद्देश्यों एवं 169 लक्ष्यों को चिह्नित (identify) किया गया है जिनमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन (climate change), असमानता के विरुद्ध संघर्ष एवं गरीबी उन्मूलन (poverty alleviation) का लक्ष्य इत्यादि सम्मिलित हैं। विकास का यह नया एजेंडा विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शीर्ष वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ काफी परिश्रम एवं सलाह मशविरे के पश्चात् तैयार किया गया है।

21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया, जो इस बात का प्रेरक है कि यह संस्था दुनिया में भारत की अच्छाई को बढ़ावा दे रही है। हम सभी जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है। यह तन, मन और आत्मा को सुव्यवस्थित करने एवं परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। पूरे विश्व में शांति और सहिष्णुता के प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए योग आज अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। "जियो और जीने दो" की परम्परा को पुष्ट करता है।

इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा "लोक सभा" को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें विषय होगा—संविधान की धारा 370 एवं 371 पर चर्चा और विचार-विमर्श। मैं यहां भी सार्थक चर्चा की उम्मीद करती हूं। साथ ही, उनके द्वारा आईपीएल 2013 में क्रिकेट मैच के दौरान हुए स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए संबंधित विधान (Legislation) बनाए जाने से संबंधित मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

मुझे खुशी इस बात की है कि प्रत्येक कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाए ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता के बारे में देश में लोगों को अवगत कराया जा सके।

जैसाकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं मुख्यालय गई थी। साथ ही, इसी वर्ष जून माह में यूरोपीय पार्लियामेंट को भी देखा। वहां के लोगों में भारत के लोकतंत्र के प्रति विशेष श्रद्धा है और वे चाहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में समानता (Equality), सहिष्णुता (tolerance) एवं भाईचारा (fraternity) स्थापित हो। वे भी वैश्विक मंच (global stage) पर भारत के योगदान को बखूबी समझते हैं। जीवन के प्रति हमारा उदार दृष्टिकोण "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'' से स्पष्ट है।

मैं एक बार फिर, इस कार्यक्रम के आयोजक चोईथराम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय संगठन, चोईथराम इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों एवं अभिभावकों का अभिनंदन करती हूं।

भारतीय सड़क कांग्रेस*

आज भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Roads Congress) के 76वें अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर आपका इन्दौर में सहर्ष स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान भी इस मंच पर उपस्थित हैं। यह सड़कों की महत्ता को अपने-आप ही प्रतिबिम्बित करता है। सड़कें गांव-गांव, शहर-शहर ही नहीं जोड़ती हैं बल्कि ये लोगों, सभ्यताओं और संस्कृतियों को जोड़ती हैं। मुझे बताया गया है कि आईआरसी प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित करती है जिसे देश के विभिन्न राज्यों द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष यह आयोजन मध्य प्रदेश को आयोजित करने का अवसर मिला है। यह खुशी की बात है कि मेरे अपने शहर इन्दौर में इसका आयोजन हो रहा है।

दिसंबर 1934 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह संस्था इस कार्य में निरंतर लगी है और देश के प्रतिष्ठित हाईवे इंजीनियर्स, महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रोफेसर, अन्य तकनीकीविद् इस कार्य में लगातार अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। अपनी स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या 73 थी और आज आईआरसी के सदस्यों की संख्या 13000 से अधिक है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के इंजीनियर्स शामिल हैं। इसके गठन से पहले किसी भी प्रकार के दिशानिर्देश (Guidelines), विनिर्देश (Instructions), कार्य संहिता और सड़क मानक नहीं थे। विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक कार्य एवं परीक्षण कार्य करने के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रणाली भी नहीं थी। सड़क संबंधी शोधों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए कोई संस्था नहीं थी। सड़कों और सेतुओं के निर्माण और उनके रख-रखाव करने संबंधी विभिन्न विषयों पर जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए आज आईआरसी एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय मंच बन गया है।

आईआरसी अन्य कार्यों के अतिरिक्त, देश में सड़क विकास योजनाओं की संकल्पना और उन्हें मूर्त रूप देने का कार्य करती है। इस संबंध में, इसने चार ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किए हैं, जिन्होंने पिछले 60 वर्षों के दौरान देश में सड़कों और सड़क परिवहन की बढ़ोतरी और विकास की नींव रखी है, इनमें सड़क विकास योजना (2001-2021) विज़न 2021 सबसे नवीनतम है। आईआरसी सड़कों से संबंधित मानकों जैसे सर्वेक्षण,

* भारतीय सड़क कांग्रेस के 76वें वार्षिक सत्र के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण, इंदौर (19 दिसंबर, 2015)

निर्माण, पर्यावरण, अनुरक्षण (Repairing), सुरक्षा, सड़क चिह्न और तकनीक आदि के विषयों पर अत्यधिक उपयोगी प्रकाशनों को भी प्रकाशित करता है।

हम सभी जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, वे नदी और सड़कों के माध्यम से ही फली-फूली थीं। लगभग हरेक सभ्यताओं में अच्छी सड़कें पाई गई हैं। प्राचीन काल में भी रोम एवं भारत के शासकों ने इसकी महत्ता को समझा था तथा उन्होंने जहां भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उन्होंने सड़कों की स्थिति को सुधारा एवं अपने साम्राज्य के सुदूर क्षेत्रों को भी अपनी राजधानियों से जोड़ा। भारत में सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी जैसे शासक इस बात के उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत पहले ही सड़कों की महत्ता को समझ लिया था। अच्छी सड़कें देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।

एक कहावत है कि "यदि किसी राष्ट्र के पास सड़कें हैं, तो आपके पास संपत्ति हैं।" यह कथन सच है। सड़कें न केवल परिवहन का माध्यम होती हैं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मोबिलिटी का भी माध्यम होती हैं। एक सशक्त परिवहन तंत्र विकसित होने से सामाजिक सुरक्षा, व्यापार वृद्धि एवं रोजगार के नए-नए अवसर सृजित होते हैं। चूंकि इससे पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को Boost मिलता है तथा इन व्यापारिक गतिविधियों से गरीबी उन्मूलन एवं आय बढ़ाने में मदद मिलती है। आज गांव, कस्बा, शहर और महानगर सभी आज सड़कों के माध्यम से जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें आज सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो गई हैं। इनके माध्यम से कृषि उत्पाद बहुत आसानी से शहरों तक पहुंच जाते हैं तथा किसानों को उन उत्पादों का सही मूल्य मिल पाता है।

आज हम पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज मानते हैं। प्राचीन काल में भी व्यापार परम्परा में इस बात को इंगित किया गया था। एक इतिहासकार के कथन के अनुसार, शहरी व्यापारिक नेटवर्क तैयार करने में मैसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सड़कों का विशेष महत्व था। सड़क के अलावा जल मार्ग से भी मसालों, वस्त्रों इत्यादि का व्यापार भारत से मध्य पूर्व एशिया होते हुए यूरोप तक हुआ करता था। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग व्यापार के साथ-साथ धर्म, सभ्यता, संस्कृति और रहन-सहन के आपसी समन्वयन के सूत्रधार के रूप में काम करते थे। सिल्क रूट से भारत से ढाका का मलमल और भागलपुर का रेशम चीन और यूरोप जाया करता था। इस प्रकार पहली बार पूर्व का पश्चिम से मिलन हुआ तथा दोनों संस्कृतियों में आपसी exchange संभव हुआ और दोनों संस्कृतियों ने एक-दूसरे की अच्छाइयों को आत्मसात् किया। बौद्ध धर्म के प्रसार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा इस मार्ग का विशेष ध्यान रखा गया तथा सिल्क रोड आने वाले समय में मुख्य मार्ग बनकर उभरा। इसी प्रकार शेरशाह सूरी ने पेशावर से चटगांव

तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया जो बाद में जाकर भारत की लाइफलाइन बन गया। इस सड़क के किनारे पर वृक्ष, सरायखाना एवं पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए गए।

सड़कें न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी देश की संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए उसकी सैन्य शक्ति का सशक्त होना अत्यावश्यक है और सड़कों का निर्माण सामरिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि युद्ध के समय में सैन्य, रसद एवं मदद तीव्र गति से उन्हें पहुंचाई जा सके।

आज सड़कों की लम्बाई की दृष्टि से हमारा देश पूरे संसार में दूसरे नम्बर पर है। परन्तु, केवल लम्बाई ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसका टिकाऊ एवं सुरक्षित होना भी महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसमें सुधार की गुंजाइश है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इंडियन रोड्स कांग्रेस को अब न केवल टिकाऊ बल्कि सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल सड़क एवं पुल बनाए जाने की दिशा में अधिक काम करना जरूरी है।

मित्रो, देश में हाइवे इंजीनियरों की उच्चतम संस्था के रूप में भारतीय सड़क कांग्रेस ने हमारे देश में Roads and Highway Infrastructure के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध कराई है। मैं इस बात की सराहना करती हूं कि आईआरसी इन कार्यों को करने के साथ-साथ कम प्रदूषण करने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु नई सामग्री का उपयोग भी करता है। आईआरसी यह भी मानता है कि राजमार्ग निर्माण का विपरीत प्रभाव और पर्यावरण पर काम करना एक बाह्य परिस्थिति है, जिसका सामाजिक प्रभाव होता है और इसका समावेशन किए जाने की आवश्यकता है। मेरा यह भी सुझाव है कि सड़क निर्माण के तकनीकी पहलुओं की परिकल्पना करते समय आप सड़क पर्यावरण पर भी कार्य करें जिससे न केवल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगेगी बल्कि यात्रियों को भी सहुलियत मिलेगी।

अमेरिका की आर्थिक प्रगति के बारे में एक कहावत है कि "अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं है कि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका समृद्ध है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं"। सड़कें आज और कल के लिए नहीं बनती हैं। ये भविष्य के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए आपको सड़कों का निर्माण सोच-समझकर करना होगा। सड़कों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। ये परिवर्तन एवं सभ्यता के उत्थान का माध्यम होती हैं और हमें इस दृष्टिकोण से सड़कों का निर्माण करना चाहिए। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक सशक्तीकरण में उनका विशेष योगदान है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने में इनका विशिष्ट योगदान है।

महान युगद्रष्टा राजनीतिज्ञ एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भारत के एक-एक गांव सड़क के माध्यम से आपस में जुड़ें ताकि

विकास की किरण हर गांव तक पहुंचे। उन्होंने इसके लिए "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" की शुरुआत की थी। इस योजना पर पिछले एक दशक में प्रभावी काम हुआ है। उन्होंने "ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर" एवं "गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड्स" योजना नामक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना की नींव भी रखी थी, जिस पर निरंतर काम चल रहा है। आज उनके इस सपने को साकार करने का जिम्मा श्री नितिन गडकरी जी के हाथों में है।

मध्य प्रदेश में कुल 68106 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें हैं जिनमें 4676 किलोमीटर की लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़े की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 22.14 किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय घनत्व 37 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे होने के कारण यहां और अधिक राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क होने के कारण तथा हमारे देश में हो रही जनसंख्या की वृद्धि के कारण परिवहन व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक कुप्रभाव यह पड़ा है कि सड़क दुर्घटनाओं में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। यह कटू सत्य है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.60 लाख लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। उनमें से लगभग 2 लाख लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। इस तथ्य से अधिक पीड़ा होती है कि प्रतिदिन इन दुर्घटनाओं में 14 वर्ष से कम के 20 किशोरों की मृत्यु हो जाती है जबकि असमय मरने वालों में दो पहिया वाहनचालकों की संख्या कुल मृत्यु का लगभग 25 प्रतिशत होती है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। मेडिकल इमरजेंसी में भी सड़कों का महत्व बढ़ जाता है। यदि सशक्त सड़क नेटवर्क मौजूद हो, तो दूरदराज में रह रहे रोगियों की जान बचाना संभव हो जाता है।

मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में युद्धस्तर पर अविलम्ब कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए चार 'ई' अत्यन्त महत्वपूर्ण है। Education, Enforcement, Engineering और Emergency Care. सुदृढ़ रोड नेटवर्क के सफलतापूर्वक संचालन के लिए यह जरूरी है। यदि हम सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परिवहन नियमों से अवगत कराएं, निर्धारित कानूनों का पालन किया जाए, सही तकनीक से सड़कें बनाई जाएं एवं आपातकाल में मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई जाए तो बड़ी संख्या में होने वाली इस जनहानि को रोका जा सकेगा। इन दुर्घटनाओं से न केवल जनहानि होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार होता है और देश के मानव संसाधन की अपूरणीय क्षति होती है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मात्र 3 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है जबकि वैश्विक औसत 7 किलोमीटर है। अत:, अभी सड़क निर्माण

में और गति लाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि यह बात भी सच है कि जब हम सड़क निर्माण की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण एवं कृषि योग्य भूमि की हानि जैसी बातों का भी संवेदनशीलता से ध्यान रखना होगा। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह सहमति बनी है कि हमें विश्व के जलवायु में बढ़ रहे तापमान को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के मानकों को अपनाना है। भारत इसमें अग्रणी राष्ट्र साबित हो सकता है।

सड़क एवं पुल निर्माण में भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में हाईवे एवं ब्रिज निर्माण की तकनीक और बेहतर बनाने की दिशा में सभी तकनीकीविदों का उत्तम सुझाव प्राप्त होगा। इन सुझावों से आगामी सड़क निर्माण की तकनीक/सड़क अवसंरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। आस्ट्रेलिया में तेल रिफाइनरी के अपशिष्टों एवं इस्पात विनिर्माण के अपशिष्टों से सड़क बनाने की दिशा में बहुत काम हुआ है जो कि सस्ता और टिकाऊ दोनों होता है। इस तरह की तकनीक भारत में भी अपनाए जाने की आवश्यकता है।

इंडियन रोड्स कांग्रेस जिस थ्योरी पर काम कर रही है वह है Minimise Accident, Maximize Medical Help. ऐसा देखा गया है कि कई बार हाईवे पर डिजाइन और गलत कर्व के कारण ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें निश्चित रूप से रोका जा सकता है। सड़कें ऐसी बनें जिसमें कोई तीखा/अंधा मोड़ न हो ताकि चालक की मामूली गलती होने पर भी गंभीर दुर्घटनाएं न हो सकें। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे विकसित एवं परिवर्धित रूप देते हुए उसके मुताबिक नई पद्धति तैयार करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर आज पूरे देश से हाईवे एवं ब्रिज निर्माण क्षेत्र के इंजीनियर्स, शोधकर्ता, सलाहकार एवं वैज्ञानिक एकत्रित हुये हैं। आप सभी सुधीजनों पर देश की सड़कों का भविष्य निर्भर है। इस मौजूदा सत्र के दौरान अगले कुछ दिनों में आईआरसी सड़कों और राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। ऐसे में मैं हमारी सड़कों और राजमार्गों की सुरक्षा का समाधान करने की आवश्यकता को उजागर करना चाहती हूं। सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति और अन्य कदम भी उठाए हैं। मुझे खुशी है कि सड़क सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के एक भाग के रूप में प्रति वर्ष जनवरी माह में "सड़क सुरक्षा सप्ताह" का आयोजन किया जाता है। इससे सभी संबंधित लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने प्रयासों से सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दें। मुझे आशा है कि आईआरसी के वर्तमान सत्रों में होने वाली चर्चाओं में भी इस अत्यावश्यक मुद्दे को कई प्रकार से उठाया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कामना करती हूं कि भारतीय सड़क कांग्रेस के 76वें वार्षिक सत्र में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए ये चर्चाएं उत्साहपूर्ण और सार्थक सिद्ध होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न सत्रों के दौरान विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान से सड़क और राजमार्ग क्षेत्र से जुड़े गंभीर मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी और आने वाले वर्षों में देश में सड़क अवसंरचना (Roads Infrastructure) को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

धन्यवाद।

स्थानीय स्वशासन की सुशासन में भागीदारी*

'स्मार्ट सिटी' विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (All India Local Self Government), वड़ोदरा तथा गुजरात नगरपालिका वित्त बोर्ड को संयुक्त रूप से इस सेमिनार का आयोजन करने के लिए बधाई देती हूं।

अखिल भारतीय स्वशासन संस्थान (All India Local Self Government) के अध्यक्ष श्री रंजीत चव्हाण को भी साधूवाद देती हूं कि उन्होंने पूरे मनोयोग से 'स्मार्ट सिटी स्कीम' को समझा है और जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों से तालमेल स्थापित करके इसकी सफलता के लिए तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक स्ट्रेटेजी के अलावा पेशागत अभिरुचि (Professional Attitude) भी दर्शायी है। उनमें देश सेवा की पुनीत भावना भी है और उनके पास सक्षम नई तकनीकीविदों का सहयोग भी हासिल है। अतः, आने वाले समय में उनसे एवं उनके संस्थान से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं।

आज यहां की इस बैठक की विषय वस्तु है- 'स्मार्ट सिटी-ए रोड अहेड (Smart City: A Road Ahead)' जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। यह एक नई अवधारणा है जिसे स्थानीय निकायों के सहयोग से विकसित किया जाना है जिसके लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से केन्द्र और राज्य सरकार की होगी। महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' की मौलिक अवधारणा का यह विस्तारित रूप है जिसमें सभी स्थानीय नागरिकों का हित समाहित है। पूरे विश्व के 'ग्लोबल विलेज' बनने से स्थानीय कस्बे व शहर के स्मार्ट सिटी में बदलने की कवायद वास्तव में अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त उछाल लाने का 'लांचिंग पैड' साबित हो सकता है। अतः, इसे 'ए रोड अहेड' मानना निश्चित रूप से तर्कसंगत है। हम सभी इस स्कीम की सफलता को लेकर बेहद आशावान हैं। इसके तहत कुछ विशेष मानदंडों के तहत स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ नगर निकायों का चयन किया गया है।

विशिष्ट प्रतिभागियों को मालूम होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission) के अंतर्गत 98 शहरों का चुनाव पहले ही किया जा चुका है। एक व्यापक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत वड़ोदरा सहित गुजरात के 6 शहरों को चुना गया है। मैं इस संबंध में Vadodara

*अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान द्वारा आयोजित 'स्मार्ट सिटी-ए रोड अहेड (Smart city: A Road Ahead)' विषय पर सेमिनार में भाषण, वड़ोदरा (23 जनवरी, 2016)

Local Body को प्रयास करने के लिए बधाई देती हूं। इन छह शहरों में गुजरात की लगभग 22 से 23 प्रतिशत आबादी रहती है और इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद इन शहरों से राज्य और पूरे देश में और अधिक आर्थिक वृद्धि आ सकती है। स्मार्ट सिटी परियोजना की सफलता मुख्य रूप से हमारी नगरपालिकाओं की सफलता पर निर्भर करती है क्योंकि ये पूरी परियोजना और इसके कार्यान्वयन के ध्वजवाहक होंगे।

शहरों के विकास का सम्मान करना एक अच्छा विचार है, आज देश में तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण के मद्देनजर इसकी बहुत जरूरत भी है। शहरीकरण से economic growth तीव्र होता है। Gross Domestic Product में शहरी क्षेत्रों का अधिक योगदान होता है। हमारे देश में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 32 प्रतिशत है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इनका योगदान 60 प्रतिशत से भी अधिक होता है। अनुमान है कि अगले 15 सालों में भारत की शहरी जनसंख्या Gross Domestic Product में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान करेगी। शहरों को "आर्थिक विकास का इंजन" कहा जाता है और ये हमारे भविष्य को मूर्त रूप देते हैं। देश की उन्नति शहरी क्षेत्रों की समृद्धि पर निर्भर होती है।

शहरों में रहन–सहन की बदतर स्थिति इस दशक का सबसे अधिक चिंता का विषय बन गया है। नागरिक सुविधाओं में कमी, अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण के नुकसान के कारण बुनियादी सुविधाओं की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होना स्वाभाविक है। वर्तमान में जो हमारे महानगर हैं वहां अनेक प्रकार की बुनियादी सुविधाओं संबंधी दिक्कतें हैं। पुराने शहरों का रूप बदलने की बजाय नई और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अत्यन्त relevant है और इसे विकास के मानदंड के रूप में स्थापित किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे कि आपके शहर में क्या–क्या है, किस क्षेत्र में जल्दी सुधार हो सकता है, किस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक उपाय आवश्यक हैं, इन बदलावों के लिए पैसा कहां से आएगा आदि। शहरों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।

2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 37 करोड़ 71 लाख से भी अधिक थी और सालों–साल निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसलिए शहरों से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों को राष्ट्रीय एजेंडा में स्थान देने और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यही समय है कि शहरों का विकास करने की दिशा में समुचित कार्यवाही की जाए ताकि लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें और इसी से national assets में वृद्धि के साथ–साथ rapid economic growth सुनिश्चित होगा। आज जब पूरे देश में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है और सभी का ध्यान विकास की ही ओर है।

सबसे पहले हम समझें कि स्मार्ट सिटी क्या है? वे शहर जहां जीवन से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें तथा Modern Technology के समावेशन के साथ-साथ प्राचीन स्थापत्य कला (Sculpture) की खूबसूरती का ध्यान रखते हुए एक ऐसे शहर का निर्माण, जिस पर हमें तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित महसूस करें एवं विश्व के मानस पटल पर स्थापत्य कला का आधुनिकतम चित्र अंकित करें। वह केवल परिकल्पना नहीं है अपितु हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का दर्पण है। इस दर्शन को इन स्मार्ट शहरों के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करना है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा के साथ यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। स्मार्ट सिटी में पूरी नियमितता से नागरिकों को प्रमुखता देते हुए भौतिक, सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्षा जल को संचित करने, साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और समुचित योजना को हमारी सरकार के एजेंडा में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि यह हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कल के लिए रहने योग्य एवं दीर्घकालिक शहर का निर्माण करें।

इन शहरों में सभी प्रकार की डिजिटल टेक्नोलॉजी की सुविधाओं सहित स्वचालित सीढ़ियां, सीसी टीवी कैमरे एवं अत्याधुनिक वाई-फाई तकनीक से संबंधित सुविधा होगी। वहां पर Environmental friendliness का भी ख्याल रखा जाएगा। वहां उत्कृष्ट तकनीक आधारित परिवहन व्यवस्था होगी, साथ ही समुचित पार्किंग व्यवस्था के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को इस प्रकार manage किया जाएगा कि कम-से-कम सीमित संसाधनों का उपयोग हो तथा अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे सोलर सिस्टम, विंड सिस्टम इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में जहां कड़ी धूप पड़ती है, खुला आसमान होता है। वहां पर सौर ऊर्जा का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। उसी प्रकार समुद्रतटीय शहरों में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है इसी प्रकार उन शहरों में जैविक चीजों का उपयोग किए जाने को प्राथमिकता देकर वहां पर प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सकता है।

भारतीय शहरों में रहन-सहन की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट शहरों के विकसित होने से विकास संबंधी योजनाओं को बेहतर ढंग से हम लागू कर सकेंगे एवं पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच सकने में हम सफल होंगे। प्रगति, बेहतर एवं सुव्यवस्थित जीवन के साथ-साथ यदि हम सुरक्षित आधुनिक जीवन जीने का माहौल दे पाएं तो हमें "ब्रेन ड्रेन" जैसी समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहतर अवसर और बेहतर रहन-सहन की तलाश में विदेश जा रही युवा प्रतिभाओं के पलायन को रोकने का यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है।

मैं समझती हूं कि एक आदर्श शहर वह होता है जो सुदृढ़ बुनियादी ढांचे की मदद से लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रियता से कार्य करता है और जिसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है जो इसके सफलता के कारकों पर आधारित है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि शहर उनका है। किसी शहर में रहने वाले लोगों के उत्साह और खुशी से ही वह शहर अच्छा शहर बनता है।

भारत में तेजी से urbanisation हो रहा है। गांवों की आबादी कम हो रही है और शहरों में आबादी बढ़ रही है जिसके कारण हमारे शहरों और नगरों पर अधिक दबाव पड़ेगा। बड़े पैमाने पर urbanisation की स्थिति को संभालने के लिए शहरों और नगरों को स्मार्ट बनाना होगा तथा समस्याओं का समाधान शीघ्र करने, कार्यकुशलता बढ़ाने, खर्च घटाने, जीवन स्तर को बेहतर बनाने और investment attract करने के उपाय करने होंगे। हमें समझना होगा कि चूंकि शहर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए उन्हें लगातार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना होगा।

स्मार्ट सिटी में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली, ठोस कचरा प्रबंधन सहित साफ-सफाई की सुविधा, कुशल शहरी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, किफायती आवास, बेहतर आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटीकरण और शासन विशेष रूप से ई-शासन तथा नागरिकों की सहभागिता, सतत पर्यावरण, नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी मिशन में मौजूदा शहरों को बेहतर बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की परिकल्पना है। 21 स्मार्ट समाधान हैं जिन्हें मुख्य रूप से छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है अर्थात् ई-गवर्नेन्स और नागरिक सेवाएं कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी परिवहन और ऐसी ही अन्य सुविधाएं शहर क्षेत्र विशेष के विकास के लिए और स्मार्ट समाधान लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं और इससे सरकारी धन का अपव्यय नहीं हो पायेगा।

जब नागरिकों को कुशल, विश्वसनीय और किफायती सेवाएं मिलने का भरोसा हो जाएगा और शासन कार्यकुशल, जवाबदेह जो पारदर्शी हो जाएगा, तब हमारी व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा जो हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, हम सब अपनी प्रणाली में लोगों के विश्वास के महत्व को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांधीनगर में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी हमने अपने विधायी निकायों में लोगों के विश्वास को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की थी।

स्मार्ट सिटी मिशन की पूरी योजना में शहरी स्थानीय निकायों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। सबसे पहले तो स्थानीय निकाय को ही स्थानीय सन्दर्भ, संसाधनों

और जिस स्तर तक वे पहुंचना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार करना है। स्थानीय निकाय को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना होगा। संबंधित शहर का मेयर विभिन्न संबंधित पक्षों के प्रतिनिधित्व वाले शहरी स्तर के निगरानी मंच के सदस्य भी होंगे।

जैसा कि आप जानते होंगे, स्मार्ट सिटी की funding केन्द्र और राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय की 50:50 के अनुपात की भागीदारी से होगा। प्रत्येक स्मार्ट सिटी को हर साल 100 करोड़ रुपये दिया जाएगा और यह राशि पांच साल तक दी जायेगी। राज्यों या शहरी स्थानीय निकायों को भी आनुपातिक आधार पर इतनी ही राशि का योगदान करना होगा। इस तरह राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्मार्ट सिटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को अपनी नई पहचान बनाते हुए अपने-अपने क्षेत्रों को रहने योग्य तथा व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्थानीय प्राधिकारियों को अपने क्षेत्रों की देखभाल करनी होगी, उन्हें विकसित करना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग भी ऐसा ही करें।

मैं समझती हूं कि सुशासन से हमारे शहर स्मार्ट बन सकते हैं और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हमें विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए वांछित साधन उपलब्ध होंगे। हमें लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए अपने कार्य की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता और संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। आइये हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, देरी, सुस्ती, कदाचार और ऐसी सभी गतिविधियों को कम करने के लिए करें जिससे नियमों, विनियमों और सुस्थापित मानदंडों का उल्लंघन होता हो। आइये, हम अपने नागरिकों के साथ बातचीत को बढ़ाने की कोशिश करें। जितनी बातचीत हम करेंगे, उतनी ही जानकारी हमें हासिल होगी जिसका इस्तेमाल हमारी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं समझती हूं कि समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकारियों और नागरिकों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में एक हेल्पलाइन नंबर होना एक अच्छी शुरुआत होगी।

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र इंदौर को भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुना गया है और मैं भावी चुनौतियों के बारे में भी जानती हूं। संसाधन जुटाना निस्संदेह एक कठिन काम है, लेकिन लोगों की सोच बदलना और उनमें स्वस्थ जीवन जीने की संस्कृति विकसित करना उससे भी बड़ा काम होगा। स्मार्ट सिटी की सफलता मुख्य रूप से हमारे नागरिकों के दृष्टिकोण और अपनी जिम्मेदारी निभाने की उनकी तत्परता पर निर्भर करेगी। जन नेता के रूप में हम सब उनकी सोच बदलने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय शहरों में जीवन का स्तर प्रभावित हो रहा है क्योंकि हम आर्थिक विकास पर अधिक बल दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। मकानों और पेयजल आपूर्ति की कमी, अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं और नियमित ट्रैफिक जाम से शहरों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। गुड़गांव और पुणे जैसे महानगरों के विकास मॉडल अभूतपूर्व शहरी चुनौतियों के साथ-साथ विकास की संभावना के ज्वलंत उदाहरण हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में एक नई योजना की घोषणा एवं उसके त्वरित एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन से हमें जनता को शासन से जोड़ने एवं उन्हें उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी एवं यह कदम वास्तव में क्रांतिकारी सिद्ध होगा।

मैं गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, राजकोट और दाहोद के नगर निगम अधिकारियों को भी स्मार्ट सिटी में उनके शहरों के चुनाव के लिए बधाई देती हूं और मिशन पूरा होने की सफलता की कामना करती हूं।

धन्यवाद।

DROUGHT AND RELATED AGRARIAN ISSUES, DRINKING WATER MANAGEMENT—PROBLEMS AND ISSUES AND INTERLINKING OF RIVERS FOR WATER MANAGEMENT*

I welcome you all to this workshop organised for the benefit of Hon'ble members of Parliament. You will recall that the Speaker's Research Initiative was inaugurated last year by Hon'ble Prime Minister Shri Narender Modiji. He had extended his good wishes for the success of the initiative at the inauguration of SRI. Later at different occasions, he has also applauded the initiative. During last one year or so we have organised a number of workshops on different issues and it has evoked good response. I will be happy if more number of Hon'ble members participate in the workshop. Our idea is that we must discuss these issues for a better understanding and clarity which will help improve the quality of debate in the House. Today we are going to discuss three major issues which are in a way linked with one and another. We have amidst us a very distinguished panel of speakers who will share their experiences and expertise with us. I will request Hon'ble members to raise questions and offer comments and perspectives so that the discussions are stimulating. The three topics are related to water Jal Hi Jeevan. Life originated from water, and it sustains life. But the paradox is that water gives rise to twin problem. Too much of water, as it happens during monsoon leads, to flood, while deficient rainfall causes drought. I will mention here that Prime Minister, Shri Narendra Modiji in his last episode on Mann ki Baat has expressed his concern over drought in various parts of the country. As such this workshop is very timely and topical. Despite

* At the Workshop under the auspices of the Speaker's Research Initiative (SRI), Parliament Library Building, New Delhi (4-5 May, 2016).

being endowed with enormous water potential, our country is not able to make the required strides on agriculture production. This largely gives to the fact that a large chunk of the nature's free gift of rainwater is being wasted in the form of floods. To solve this problem, our policy makers have been thinking of storing the huge monsoon runoffs in the river through constructing large structural interventions in the form of Dams. Besides, long distance inter-basin transfer of water is also not a new concept in our country and we have many such projects in operation. Water and irrigation are critical for our agriculture which is the mainstay of our economy. The implementation of the ambitious interlinking of rivers project includes various steps including negotiation and consensus-building amongst the States concerned and also agreement with neighbouring countries, if link projects involve these countries. Besides, clearance is also required from various appraisal agencies as also investment clearance and funding of the project. The specified procedure is to be followed independently for each of the links. The time limit for completion of the individual link project can be identified only after detailed project reports are techno-economically approved. Closely linked to our first subject of discussion on the agenda today is the issue of Drinking Water Management. Our objective in this Session is to delve into various problems and issues relating to scarcity of safe drinking water. As I said earlier, water is the most essential requirement of life anywhere on the Earth. Besides meeting basic human needs, it is critical to sustainable development too. Access to safe drinking water is recognized as a human right and therefore, achieving universal access to water has become one of the most important development challenges that we face today. Continuing population growth, erratic monsoons, ground water depletion and contamination and other related factors pose formidable challenges before us. In the current scenario, several parts of our country are facing acute water crisis. It has also been pointed out that water storage in our major reservoirs is at a level much below their total capacity. Access to

safe drinking water is in fact a matter of daily survival for many people right now. In this backdrop, how we effectively manage and preserve this scarce resource indeed assumes a vital significance. I am hopeful that this workshop dealing with the varied ramifications of the water management in our country would be very useful to you. With the distinguished specialists on this subject present here, you are in fact provided with a very good opportunity to allay your doubts, if any, on this issue of critical importance to our nation. As is the objective of SRI, by informing our parliamentarians in the right earnest, I indeed look forward to having enriching and fruitful discussions and debates on the related issues in the Parliament.

Thank you.

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार*

आज इन्दौर में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के इस सुअवसर पर यहां आए आप सभी महानुभावों का अभिनन्दन करती हूं। इन्दौर की जनता की यह चिर-परिचित मांग थी। अंतत:, सरकार ने उनकी मांगों को तवज्जो देते हुए मॉलकॉम रेसिडेन्सी कालोनी, मनोरमा गंज, इन्दौर में एक सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया जिसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान किया है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति ने भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उनके प्रयासों के लिए उन्हें आभार प्रकट करती हूं।

मैंने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस मामले को लेकर कई पत्र लिखे, उन्होंने हमारी बातों को सुना एवं मंत्रालय ने इन्दौर को नए स्वास्थ्य केन्द्र की सौगात दी, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूं। स्वास्थ्य केन्द्र के शुरू हो जाने से इन्दौर तथा आसपास के 10 हजार से अधिक पेंशनरों को सर्वाधिक लाभ होगा। इसके अलावा, सांसदों, अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे केन्द्रीय सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ आदि के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी भी सीजीएचएस के स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज करवा सकेंगे। इन्दौर में सेवारत केन्द्रीय कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य भी सीजीएचएस का विकल्प चुनने पर इलाज करवा सकते हैं।

अब तक देश में सीजीएचएस स्कीम के तहत कुल 273 ऐलोपैथिक, 19 पॉलीक्लिनिक, 85 आयुष केन्द्र एवं 4 सीजीएचएस अस्पताल कार्यरत हैं जो पूरे भारत के सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब तक भारत के 25 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध थी। इन्दौर 26वां जिला हो गया है जहां यह स्वास्थ्य केन्द्र खुल रहा है।

आप सब जानते हैं कि इन्दौर मध्य प्रदेश की शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है। इन्दौर शहर से मेरा विशेष लगाव है और यहां कि हर छोटी-बड़ी उपलब्धि मेरे लिये विशेष मायने रखती है और इस शहर की और यहां के लोगों की छोटी से छोटी समस्या भी मेरे लिये चिन्ता का विषय होती है। आप सब से; इस माटी से मेरा लगाव सर्वविदित है। इसलिये इस छोटे स्वास्थ्य

* केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, इंदौर के लोकार्पण के अवसर पर भाषण, इंदौर, (18 मई, 2016)।

केन्द्र के उद्घाटन के कार्यक्रम के निमंत्रण को मैं मना नहीं कर पाई और आज आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक खुशी है। एक महानगर के रूप में विकसित होते इस शहर की आबादी लगभग 20 लाख को पार कर रही है। परन्तु, सीजीएचएस स्कीम के वेलनेस सेंटर के न होने से कार्यरत एवं पेंशन ले रहे सरकारी कर्मचारियों को इलाज हेतु या तो भोपाल या मुम्बई जाना पड़ता था जो कि उनके लिए कष्टकारी एवं खर्चीला होता था। पेंशन लेने वाले सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त उन बुजुर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा जिनके पुत्र/पुत्रियां इन्दौर से बाहर किसी दूसरे शहर में कार्यरत हैं एवं उनके माता-पिता इन्दौर में रहते हैं। ऐसी अवस्था में, उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख संभव है।

व्याधि, बीमारी, जीवन का एक अंग है। हम में से शायद ही कोई होगा जो कभी बीमार ना पड़ा हो। रोग की सही समय पर जानकारी और सही इलाज से आज हर बीमारी का इलाज सम्भव है। ये स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा आप लोगों को सुविधा देने के लिये है। मैं यह मानती हूं कि नागरिकों का बीमारी के प्रति सचेत होना व एक स्वस्थ जीवन-शैली अपनाना भी एक कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ होगा तभी बाकी काम होंगे। शास्त्रों में कहा गया है- "शरीर माध्यम खलु धर्मसाधनम्"। इस सुविधा के मिल जाने से उन सभी लोगों को लाभ होगा, जो केन्द्रीय सरकार स्वस्थ योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं एवं जिन्हें निरंतर इलाज की आवश्यकता है। खासकर वृद्धों, महिलाओं एवं छोटे बच्चों को काफी सुविधा होगी तथा उन परिवारों के इस मद में होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कटौती होगी। इन्दौर में 25,000 के करीब सरकारी मुलाज़िम है जो इसका सीधा लाभ ले सकेंगे।

शासन का उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं अनुषंगी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैं मानती हूं कि इस अस्पताल के खुल जाने से सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त आम जनता को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। औषधालय भी हमारे देवालय के समान ही होते हैं। जहां देवालय में मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार औषधालय में हमें रोग से मुक्ति मिलती है। आप सभी के लिए बनाया गया यह स्वास्थ्य केन्द्र आप ही की संपत्ति है। इसके बेहतर प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव में हाथ बंटाने का काम आपका भी है। इसलिए आप इसे और बेहतर बनाने के विषय में सुझाव भी दे सकते हैं।

हम सब जानते हैं कि विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्पेशल स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादातर बड़े शहरों में हुआ करती हैं। छोटे एवं मध्यम आबादी वाले शहरों में यदि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं, तो इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर मरीज का पलायन भी रुकेगा और वे अपने घर में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा पा सकेंगे। मैं समझती हूं कि बुजुर्ग सरकारी कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह स्वास्थ्य केन्द्र अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

इसके अतिरिक्त, अगले कुछ वर्षों में जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी के कारण बड़ी संख्या में भारतीय 65 वर्ष की उम्र को पार कर जाएंगे। उम्रदराज हो रही आबादी को सुविधाएं एवं स्वास्थ्य सेवा समेत उन्हें आवश्यक सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रश्न है, तो यह बहुत परेशान कर देने वाला तथ्य है कि वर्ष 2020 तक विश्व के हर पांच मधुमेह रोगियों में से एक भारत से होगा। वर्तमान में भी भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक तपेदिक के मरीज हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सुविधा पर भारी जोर पड़ता है। जीएसटी, निजीकरण, सब्सिडियों, श्रम, प्रतिरक्षा, बीमा, बैंकिंग, कोयला, बिजली और गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित सुधारों पर फोकस करने के साथ-साथ सरकार को सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर बहुप्रतीक्षित और बेहद जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ देश का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

एक और महत्वपूर्ण कार्य स्वच्छता तथा सफाई व्यवस्था पर लोगों को शिक्षित बनाना है। संक्रमण एवं पुरानी दोनों ही प्रकार की बीमारियों के लिए सरकारी कदमों के जरिए रोकथाम जरूरी है। यह समाज को ज्यादा लाभ पहुंचाता है बजाय इसके कि बड़े पैमाने पर सृजित की गई महंगी सुविधाओं को अपनाया जाए। आज के सूचना क्रांति के इस युग में भारत के हर कोने में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक, योग्य डॉक्टर एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की सम्मिलित जिम्मेदारी है। किसी एक के प्रयास की बजाय हम यदि सामूहिक प्रयास करें तो हर स्तर पर बेहतरीन सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

इन्दौर की सांसद होने के नाते मैं सदा यही सोचती रहती हूं कि किस प्रकार अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोकार्पण के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। अन्त में, मैं पुनः एक बार आप सभी को इस अवसर पर बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि आप सब इस सेवा का लाभ उठाकर, स्वस्थ रहते हुए, आगे बढ़ेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेंगे।

ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद् दु:ख भाग् भवेत्।

नई शिक्षा नीति*

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक द्वारा "नई शिक्षा नीति और Nano Architecture & Mobile Oriented Digital Institutes Framework (NAMODI)" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। साथ ही अमरता के प्रतीक और प्राकृतिक विरासत को समेटे इस प्राचीन और पवित्र नगर अमरकंटक में आकर मुझे सुख और शांति का अनुभव हो रहा है।

सबसे पहले, मैं यहां इस गरिमामय आयोजन के लिए प्रो. टी.वी. कट्टिमणि और उनकी टीम को बधाई देती हूं। वास्तव में ऐसे सम्मेलन का आयोजन करना सर्वथा सामयिक एवं प्रासंगिक है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब हम सूचना क्रांति के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने और सूचना प्रौद्योगिकी की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाने और इसका पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की ओर अग्रसर हैं। हमें अपनी भावी शिक्षा नीति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पत्र की आवश्यकता है। इस बारे में, मैं कहना चाहूंगी कि यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान कर एकजुट किया है। विषय के विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा यहां व्यक्त किए गए और परस्पर साझा किए गए विचार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के कार्य को अवश्य प्रभावित करेंगे। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस सम्मेलन में डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरे देश को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने संबंधी योजना तैयार करने के साथ-साथ "Nano Architecture & Mobile Oriented Digital institutes Framework (NAMODI)" और डिजिटल शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु कार्य नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण, उन्नति एवं स्वाभिमान अर्जित करने के लिए शिक्षित एवं समर्थ नागरिक बुनियादी आवश्यकता है और शिक्षित एवं समर्थ नागरिक निर्माण में समाज के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा और शिक्षा नीति की होती है। जब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पर चिन्तन करती हूं, तो कई बातें मेरे मन-मस्तिष्क में

* नई शिक्षा नीति और Nano Architecture & Mobile Oriented Digital Institutes Framework (NAMODI) विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भाषण, अमरकंटक, मध्य प्रदेश (12 जुलाई, 2016)

एकाएक आती हैं। Access and Equity to quality education are the two prime pillars of a good education system:—

(क) **पहुंच (Access) —** अच्छी शिक्षा हर विद्यार्थी और नागरिक की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा **affordable** हो।

(ख) **समता (Equity) —** अच्छी शिक्षा न केवल सबकी पहुंच में हो बल्कि सभी को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। अच्छी शिक्षा पर किसी वर्ग विशेष या शक्तिशाली समूह का वर्चस्व न हो।

(ग) **गुणवत्ता (Quality) —** शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए जो न केवल उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाए। साथ ही एक आदर्श विश्व नागरिक भी बनाए।

(घ) **प्रासंगिकता (Relevance) —** शिक्षा ऐसी हो जो पूरे विश्व में उपयोग में लाई जा सके। शिक्षा के पाठ्यक्रम को समय, स्थानीय परिस्थितियों, संस्कृति एवं सामयिक जीवन शैली के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अध्ययन हेतु विषयों का चयन ऐसा हो, जो विद्यार्थियों के करियर को संपुष्ट (nourish) करने के साथ-साथ उनमें समुचित ज्ञान और उसके प्रति अभिरुचि (Interest) पैदा कर सके।

वर्तमान में भारत में गुणकारी शिक्षा देने की जरूरत है जिससे छात्र प्रतिभा विकसित हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ है विचार (ज्ञान), संस्कार (भावात्मक उत्थान) तथा रोजगार (श्रम आधारित अर्जन) देने वाली शिक्षा। प्राइमरी स्तर पर वरीयता संस्कार को, सेकेंडरी स्तर पर वरीयता रोजगार (skill development) तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विचार या ज्ञान को मिलनी चाहिए। हर स्तर पर तीनों का मेल रहना आवश्यक है। Head, Heart and Hand की शिक्षा पर बल दिया जाए और इसका वरीयता क्रम होना आवश्यक है।

शिक्षा ऐसी हो जो नागरिकों को स्वावलंबी एवं सामर्थ्यवान बनाये और विशेष दक्षता (skill development) एवं उद्यमिता के गुणों से सम्पन्न बनाए ताकि वह सम्मान के साथ अपने लिए अर्थोपार्जन कर सके। अभी हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि कहीं कुली की भर्ती के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा उससे भी ऊपर की डिग्री हासिल किए हुए अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इससे यह प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा वाले छात्र उचित रोजगार के अभाव में अपनी शिक्षा से परे कार्य करने के लिए विवश हैं।

एक ख्याल और मेरे मन में आता है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि बेशक ग्लोबलाइजेशन का युग हो और संसार सिमट कर छोटा हो गया हो पर फिर भी हमारी

शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के लाभ देने के साथ-साथ उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कार से जोड़े रखे। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में Education is a process by which character is formed, strength of mind is increased, and intellect is sharpened, as a result of which one can stand on one's own feet.

हमारे यहां शिक्षा अर्थोपार्जन के साथ-साथ उच्च चरित्र, समाज और राष्ट्र के लिए संवेदना और समर्पण और सही कर्तव्य पथ पर गमन शिक्षा के माध्यम से आता था। कई बार ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा में उन शाश्वत मूल्यों के प्रति आग्रह कम हो रहा है जो संस्कृत वांड्मय में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं और जिनके कारण भारतीय संस्कृति सदैव महिमामंडित होती रही है। इस पर चिंतन करना होगा और अपनी शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा पर अधिक बल देना होगा।

देखने में आया है कि विज्ञान के मूलभूत विषयों जैसे भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित इत्यादि के अध्ययन के प्रति भी विद्यार्थियों में रुचि कम हुई है। ज्यादातर विद्यार्थी तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी प्रोफेशनल कोर्स की ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं जो कि स्वाभाविक भी है। परन्तु सच यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन विज्ञान विषयों के Expert की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में applied science और technology का विकास pure science के अध्ययन पर ही आधारित है। अतः, हमें इस दिशा में यथोचित बदलाव करने होंगे।

शिक्षा के परंपरागत ढांचे के बाहर जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। Innovative ideas शिक्षा पद्धति की दशा और दिशा बदल सकते हैं। Innovation is change that unlocks new values. In fact, it distinguishes between a leader and follower. प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंसटीन ने कहा था: "Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world."

अपने आस-पास की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने परिवेश में Innovative सोच, Imagination और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षा प्रणाली सहायक हो, यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों की संख्या ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि women friendly tools विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों एवं शोध संस्थानों की सोच एवं प्रयास हो पाए हैं। हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या कारण हैं कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थान नए पेटेंट रजिस्टर कराने में उतने सफल नहीं हो पाते हैं जितने कि उनसे अपेक्षा है और क्यों वे अपने गांव, शहर, प्रदेश एवं देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान के

लिए स्थानीय स्तर पर Innovative solutions लेकर नहीं आ पाते हैं। कुछ एक Innovative products के उदाहरण के रूप में हमारे सामने आए हैं लेकिन व्यावसायिक रूप से उन्हें हम सफल product बनाकर प्रस्तुत नहीं कर पाएं हैं।

नई सोच, नए साधन एवं नए Innovation में हमारा देश, हमारे शिक्षा संस्थान कैसे नेतृत्व कर सकते हैं और देश की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने एवं सूचनात्मक वातावरण में अन्वेषण की भावना एवं मौलिक सोच विकसित किया जाना चाहिए। मैं यहां उपस्थित सभी शिक्षाविदों से अनुरोध करूंगी कि इस दिशा में वे अपनी सोच और सुझाव दें।

शिक्षकों की बात किए बगैर शिक्षा की बात अधूरी है। बचपन से हम सबने यह अवश्य सुना होगा कि "गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरू आपने जिन गोविन्द दियो बताए"। बिना अच्छे शिक्षक के सान्निध्य के कई मायनों में शिक्षा अधूरी है। आधुनिक युग के बदलते परिवेश में शिक्षक और छात्र के संबंध भी बदले हैं। पर मेरा यह मानना है कि इनके बीच एक भावनात्मक संबंध भी छात्र को संबल देकर उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। आज शिक्षण व्यवसाय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्वत: आना चाहते हैं। इसका कारण यह भी है कि हमारी परंपराओं के विपरीत समाज में उनके प्रति आदर और समर्पण के भाव में कमी आ गई है। आधुनिक युग में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखते हुए शिक्षकों की भूमिका को बदलते सामाजिक मूल्यों के आधार पर पुन: परिभाषित करना होगा, जिससे आने वाले परिवर्तनों के संबंध में चुनौतियों को स्वीकार किया जा सके। जैसे इन्दौर में 90 के दशक के अन्त में दो शिक्षाविद् डॉ. बी.के. पासी और डॉ. बी.के. सनसनवाल ने बी.एड. के विद्यार्थियों में Zero Lecture Class का अनुभव दिया। इसका मतलब विद्यार्थी सुबह से शाम तक किसी भी विषय पर संवाद और परिचर्चा करते व एक दूसरे से सीखते। शिक्षण पद्धति में Innovation से qualitative and quantitative दोनों लेवल पर सुधार होगा।

वर्तमान में हमारे देश में लगभग 36000 कॉलेज हैं। इन विश्वविद्यालयों में लगभग 2 करोड़ दाखिले हर वर्ष होते हैं जिनमें से मात्र एक प्रतिशत ही research and development के क्षेत्र में जाते हैं। यह आंकड़ा बहुत ही कम है। 58 प्रतिशत महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 50 प्रतिशत है जबकि सेकेंडरी से हायर स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत 37 प्रतिशत है। इसी प्रकार, हायर स्तर से कॉलेज जाने वाले छात्रों के स्कूल छोड़ देने का प्रतिशत 20 प्रतिशत है। भारत में 18 से 23 वर्ष के बीच के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में Gross Enrolment Ratio 20.4 प्रतिशत है

जबकि संपूर्ण विश्व में यही Gross Enrolment Ratio 30 प्रतिशत है। अर्थात् GER को वैश्विक स्तर के अनुरूप लाने के लिए हमें कम से कम 2000 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।

इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में संसाधन की आवश्यकता होगी और प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी विश्व के अच्छे विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालयों का नाम आ सकेगा और पूर्व की भांति विदेशों से विद्यार्थी यहां अध्ययन के लिए आकर्षित होंगे। भारतीय विद्यार्थियों में विदेशी शिक्षा के प्रति आकर्षण है और यह आकर्षण हमारी अर्थव्यवस्था से करीब 80,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निकलकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में जुड़ जाता है।

हमें अपने उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्व के सर्वोच्च संस्थानों में शामिल करने के लिए शिक्षा की विषय–वस्तु और गुणवत्ता में आमूल–चूल सुधार करने होंगे। शोध, कौशल विकास, उद्यमिता, व्यावसायिक निर्माण एवं उसकी उपयोगिता पर बहुत बल देना होगा। यह एक विरोधाभास है कि हमारे देश में जहां इंजीनियर्स और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को रोजगार नहीं मिलता है, वहीं उद्योग जगत के लोग कहते हैं कि उन्हें अच्छे skilled employee आसानी से नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं कोई रिक्तता है जिसके कारण उद्योग जगत और विद्यार्थियों के बीच में फासला है। इस फासले को कम करने के लिए उद्योग जगत एवं शिक्षा जगत में सुदृढ़ अंतरसंवाद एवं सामंजस्य होना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा संस्थानों के पास संसाधन कहां से आएंगे। सरकार एवं निजी क्षेत्र की सीमाएं हैं। हमें इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारे शिक्षा संस्थान कैसे संसाधनों के मामले में स्वावलम्बी एवं स्वनिर्भर हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा की पहुंच गरीब एवं मध्यम वर्ग की affordability भी हो। जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों में endowment fund, alumni donation, सफल शोध कार्यों से अर्जित आमदनी एवं यूनिवर्सिटी की परिसंपत्तियों के कुशल व्यावसायिक संचालन से अर्जित धनराशि के माध्यम से वे अपने सारे खर्चों को सफलतापूर्वक वहन करते हैं। उसी तर्ज पर, मैं शिक्षा जगत से आह्वान करूंगी कि वे इस प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन करें और कुछ मौलिक सुझावों के साथ आगे आएं।

Today's world is technology-driven world and technology is developing and changing very rapidly to make permanent changes in our lives, our social behaviour, closure of several traditional businesses, yet creation of totally new and innovative business opportunities.

हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनी शिक्षा के प्रचार-प्रसार और उन्नयन के लिए उपयोग करना चाहिए। Distance Education, Edusat ये आधुनिक तकनीक के साधन है जिसके माध्यम से सुदूर गांवों तक न केवल शिक्षा पहुंच सकती है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अमरकंटक या पेन्ड्रा रोड के कॉलेज को आईआईटी के सर्वोच्च, शिक्षकों की क्लासेज या सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के लेक्चर का लाभ मिल सके और वे उनसे Interaction से लाभान्वित हो सकें। यदि मुम्बई में कोई गणित का अच्छे टीचर हैं और वे रोचक तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं तो उसका लाभ technology के माध्यम से असम के या नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को क्यों नहीं पहुंच सकता।

इसी दिशा में आगामी 15 अगस्त 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक नई योजना की घोषणा करने जा रहा है जिसका नाम "SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds)" होगा। यह एक ऐसा वेब पोर्टल होगा जिसके माध्यम से सभी विषयों के लिए Massive Open Online Courses (MOOCs) के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था होगी। इन कोर्सों की पहुंच भारत के कोने-कोने तक होगी एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों के व्याख्यान भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध रहेंगे। इसमें ऐसे विद्यार्थी, जो दूरदराज के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, कामकाजी प्रोफेशनल्स एवं जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है, ऐसे विद्यार्थी इन कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे। इस योजना के तहत शिक्षण कार्य ऑनलाइन होगा तथा परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जाएंगी एवं उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें डिग्रियां दी जाएंगी। वास्तव में SWAYAM एक ऐसा मंच बनकर उभरेगा जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती शिक्षा मिलना संभव हो सकेगा। साथ ही, बिना फेल होने के भय के शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम 'स्वयं' बनकर उभरेगा।

शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यांजलि स्कीम लांच की है जो कि एक स्कूल वोलंटियर प्रोग्राम है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के स्कूलों में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है। इसमें कई नामी-गिरामी हस्तियों ने अपना enrolment कराया है जिनमें प्रख्यात डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता एवं सेना के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं जैसे अनिल कुम्बले, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, वेंकैया नायडू इत्यादि। इससे न केवल विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है बल्कि वे उनके जीवन के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं।

आज यहां नई शिक्षा नीति एवं NAMODI FRAMEWORK पर विचार-मंथन के लिए विश्व के अनेक शिक्षाविद्, तकनीकीविद् एवं प्रख्यात विशेषज्ञ उपस्थित हैं। NAMODI FRAMEWORK भारत में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक

महत्वाकांक्षी और अनूठी पहल है। इसमें "स्टार्ट अप इंडिया", "मेक इन इंडिया", "स्किल इंडिया" और "स्वच्छ भारत अभियान" जैसी अन्य सरकारी पहलों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त करने की क्षमता है। यह कार्यक्रम पूरे भारत के लिए एक सार्वजनिक शिक्षा मंच उपलब्ध करा सकता है और ग्रामीण तथा शहरी भारत के बीच की शैक्षिक असमानता को कम कर सकता है। इससे ग्रामीण छात्रों को भी शहरी छात्रों की तरह सबसे अच्छी शिक्षा और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सभी को हर विषय के शिक्षक के साथ-साथ ई-बुक्स भी उपलब्ध होंगे एवं वे अपने शिक्षक को चुनकर उनके लेक्चर को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे एवं अपने अंदर ज्ञान को आत्मसात कर सकेंगे।

मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हममें अनुशासन, प्रतिबद्धता, सहनशीलता और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास कर सके जो एक स्वस्थ समाज का आधार है। मैं अपने युवा मित्रों को याद दिलाना चाहती हूं कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके नागरिकों के चरित्र से ही बनता है।

हम सब आधुनिक युग में शिक्षा के महत्व से भलीभांति परिचित हैं। शिक्षा निस्संदेह सबसे बड़ी पूंजी है। मैं संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगी जो इस प्रकार है:

"न चोरहार्यम् न च राजहार्यन, भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।

व्यये कृते वर्धते एवं नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम।।"

इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या धन सबसे बड़ा धन है। इसे न तो चोर चुरा सकते हैं और न ही राजा इसका हरण कर सकते हैं। इसे भाइयों में बांटा नहीं जा सकता पर इसे जितना खर्चो, यह उतना ही बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपना ज्ञान सबके साथ बांटना चाहिए और इसका उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए।

इस दिशा में, नई शिक्षा नीति का निर्माण भारत सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। बहुहितधारक और बहुपक्षीय परामर्श प्रक्रिया, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों से संबंधित ऑनलाइन चर्चाएं भी शामिल हैं, के माध्यम से सभी को इस प्रक्रिया में शामिल होने और अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है। शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी, छात्रों, अध्यापकों और प्रतिनिधि निकायों की भागीदारी से परामर्श की प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है।

भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है और हमने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है और स्वतंत्रता के समय हमारी साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत थी और आज 74.04 प्रतिशत है। इन उपलब्धियों के बावजूद अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले 1968 और

1986 में शिक्षा नीति बनी थी। आज गत 30 वर्षों में पूरे विश्व में अभूतपूर्व संचार एवं सोशल मीडिया क्रांति आई है। ऐसी परिस्थिति में हमारी शिक्षा नीति में भी आमूल–चूल परिवर्तन आवश्यक है।

हमें ऐसी शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना चाहिए जिसमें E for Education ही न हो बल्कि E for Engaging, E for Equitable, E for Economic, E for Effective, E for Enterprising, E for Erudite, E for Efficiency, E for Excellence, आदि बिन्दु समाहित होने चाहिए।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन बहुत जरूरी है। हमारे समाज में गुरु को भगवान के समान माना जाता है। छात्रों को अपने अध्यापकों का आदर–सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर अध्यापकों को भी यह बात समझनी चाहिए कि देश का भविष्य छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा और मूल्यों पर निर्भर करता है। मैं समझती हूं कि आधुनिक विज्ञान और नैतिक मूल्यों से सम्पन्न मजबूत शैक्षिक प्रणाली से हमें अपने देश को विश्व समुदाय में उचित स्थान दिलाने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन*

15वीं विशेष सशस्त्र बल कॉम्पलेक्स, इंदौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के उद्घाटन और अन्य चार वाहिनियों जहां कि विडियो कान्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया जाना है, के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी एवं मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री श्री दीपक जोशी यहां उपस्थित हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के शिक्षित एवं बेरोजगार परिजनों को कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय का प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र की स्थापना का यह प्रयास सराहनीय है।

भारत की आबादी का लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है और वे 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह वक्त की मांग है कि युवा शक्ति के रूप में मिले इस जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) की ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक रूप से करें। हम इस युवा शक्ति को पर्याप्त कौशल एवं क्षमता प्रदान करके उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्ष श्रम संसाधन बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ कुशल वर्कफोर्स के समूह के रूप में विकसित करना है।

सन् 2025 तक तो भारत की 70 प्रतिशत जनता working age होगी और साथ-ही-साथ तेज गति से हो रहे विकास के कारण यह अनुमान है कि भारत में बहुत तेजी से नई नौकरियों का सृजन होगा। परंतु research study से यह पता चला है कि skill की कमी के कारण इनमें से अधिकांश लोग unemployable होंगे और इसके चलते industries की productivity घटेगी जिससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है।

आज हमारे सामने चीन का उदाहरण है जहां अच्छी skill training के कारण मजदूरों एवं मशीनों की productivity सबसे ज्यादा है, साथ ही उत्पादन लागत भी कम है। इसलिए दुनिया के तमाम बाजारों पर Chinese Goods का वर्चस्व है।

---

*15वीं विशेष सशस्त्र बल कॉम्प्लेक्स, इंदौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, इंदौर (25 जनवरी, 2017)

ऐसा अनुमान है कि हमें सन् 2022 तक 50 करोड़ और अधिक लोगों को विभिन्न vocational training skills में प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कम शिक्षा या अशिक्षा हमारे skill development programme में entry का barrier न बन जाए क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि vocational training school में admission के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इससे बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित व्यक्तियों का इस प्रोग्राम से वंचित रह जाने का खतरा है।

Skill development के महत्व को इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 लाख skilled drivers की कमी है वहीं युवा वर्ग रोजगार की तलाश में इधर–से–उधर भटक रहा है। जहां एक ओर ड्राइवरों की कमी है वहीं दूसरी ओर वर्तमान कार्यरत ड्राइवरों में पर्याप्त कौशल एवं कुशलता के अभाव होने से दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और इसके चलते प्रतिवर्ष बहुत अधिक जान–माल की क्षति होती है और देश को भी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है। मुझे खुशी है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 10 लाख व्यक्तियों को ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण देने और उनको माइक्रो–इंटरप्रेन्योर्स का लक्ष्य रखा है। यह न केवल उनको रोजगार प्रदान करेगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी इससे काफी कमी आएगी।

देश के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने एवं तेज आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने मानव संसाधन को विशिष्ट कौशल से युक्त करें। विशेषज्ञों का यह कहना है कि भविष्य में निर्माण क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र की तुलना में छह गुना अधिक नौकरियों का सृजन होगा। परंतु जिन राज्यों में निर्माण के क्षेत्र में ज्यादा कार्य होना है, वहां पर भी आईटी सेक्टर और उससे संबंधित सेवाओं में skill training पर ही ज्यादा focus है। हैरानी की बात यह भी है कि construction के क्षेत्र में सबसे ज्यादा unskilled persons (83%) काम कर रहे हैं। अतः इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य उचित सहयोग, समन्वय और सहमति आवश्यक है।

भारत सरकार की बहुद्देशीय योजनाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा मुद्रा योजना इत्यादि इस उद्देश्य से लाई गई हैं कि लोग इससे न केवल सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए ही प्रेरित हों बल्कि स्वयं अपना व्यवसाय या पेशा शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इन योजनाओं के मूल में ही उद्यमिता है। यह सारा कार्य केवल सरकार पर निर्भर होकर नहीं

किया जा सकता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना होगा और पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल (PPP Model) का अधिक-से-अधिक उपयोग करना होगा।

हमें job oriented शिक्षा प्रणाली की बजाय vocation oriented शिक्षा प्रणाली पर भी उचित बल देना चाहिए। साथ ही, समाज और सामाजिक सोच में बदलाव की भी अपेक्षा है। हमारे समाज में vocational training को परंपरागत रूप से कम महत्व एवं सम्मान प्राप्त है। ऐसा देखा गया है कि समाज में white collar job करने वालों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जबकि ज्यादातर छोटे-बड़े शहरों में mason, electrician, plumber, fitter, mechanic, drivers इत्यादि की अत्यन्त आवश्यकता है। दिल्ली जैसे महानगर में तो उनकी सेवाओं के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दूसरी ओर चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बीएससी, एमएससी, एमबीए, कहीं-कहीं तो पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदकों को आवेदन करते हुए पाया गया है। यह एक विरोधाभास है।

इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया है जिसका उद्देश्य युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष मानव संसाधन बनाना है। ऐसे प्रशिक्षण के पश्चात् युवा या तो स्वरोजगार कर सकते है या फिर अपनी योग्यतानुसार किसी प्रतिष्ठान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में यह राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा, विकास का कार्य होगा, साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी।

Skill development programme तैयार करते हुए हमें भविष्य की चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी के चलते विश्व में आ रहे तेजी से बदलाव के कारण नौकरियां परम्परागत आर्थिक गतिविधियों से हटकर नए सेक्टरों जैसे सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर और अन्य technology related sectors में उत्पन्न होंगी। हमें इसका अभी से अनुमान लगाकर हमारे युवाओं को उन सभी आवश्यक skills में प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे न केवल भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि हमारा देश इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सके।

युवाओं के सशक्तिकरण से ही भारत को समृद्ध एवं विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है। वर्तमान एवं भविष्य, दोनों का सुनहरा पल अब युवाओं के हाथों में है एवं यह उनके कौशल एवं दक्षता पर ही निर्भर करेगा। Sustainable Development Goals में भी इन बातों को प्रमुखता से लिया गया है तथा सन् 2030 तक सभी को रोजगार दिलाने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों से प्राप्त प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दक्षता से युक्त, आर्थिक रूप से सशक्त एवं विचारों से सकारात्मक युवा समूह न केवल रोजगार पा रहे हैं बल्कि स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। यह भी खुशी की बात है कि पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ नए-नए संकायों में उन्नत प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बेहतर श्रम संसाधन हमारे समक्ष हैं।

इस योजना के तहत उन सरकारी भवनों, स्कूलों और ऑडिटोरियम परिसर इत्यादि का बढ़िया उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। वास्तव में, देश के उस वंचित श्रेणी के लोगों के लिए प्रशिक्षण का उत्तम अवसर है, जो विषमता, गरीबी एवं बेरोजगारी से त्रस्त हैं और अपने विकास का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण से भारत में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है।

आज आधुनिक युग में युवाओं में ब्रांड के प्रति बहुत ललक है। उन्हें ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी एवं कारें इत्यादि खरीदना पसंद है। हरेक ब्रांड अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। हमें याद रखना चाहिए कि वह ब्रांड कहीं-न-कहीं कुशल कारीगरों की कुशलता के कारण ही उस मुकाम तक पहुंचा है। अगर हम अपने हुनर और कौशल को विकसित करेंगे तो हम न केवल उस व्यक्ति बल्कि समूचे समाज के जीवन-स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे और Make in India को एक सशक्त ब्रांड बना सकेंगे।

Vocational training has the power to transform India into the skill capital of the world. मेरे संसदीय क्षेत्र इन्दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए मैं केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन दोनों को धन्यवाद देती हूं।

जय हिन्द।

KNOW INDIA PROGRAMMES*

It is indeed my pleasure to be here today amongst this youthful gathering of 40 participants of Indian Diaspora. I hope you would have enjoyed the hospitality extended to you by the people and he concerned authorities and witnessed rich cultural and historical heritage of India. While returning to your country, you will be carrying alongwith you some sweet and lasting memories and homely feelings about Indian traditions and culture etc. Such regular visits assume significance as they strengthen the special relationships amongst our countries and especially amongst person of Indian origin. Let me assure you all that India extends you its unbound love, unlimited affection and unconditional support. The Indian Diaspora, today, has grown into an energetic and confident community of over 30 million that have given India a presence in all continents of the world. It makes all Indians proud when the overseas Indian Community is recognized for its work culture, discipline, social values and capacity to integrate successfully with the local communities and respect their traditions. You people have not only left our footprints in your respective countries but also impressed spiritual and cultural imprints in the hearts of the natives. One thing I would like to impress upon you is that structurally Indian plural groups present one culture, may be small or large in size, but all of them display a sense of solidarity among themselves. Indian civilization is distinguished from other civilizations in respect of its continuity and diversity, its accommodating history and its composite character. The groups that migrated to India were able to maintain their unique cultural identities within a larger society

*Address on the occasion of Call on the 40 participants from 10 countries under the 'Know India Programmes', Parliament Library Building, New Delhi (23 October, 2017)

and their values and practices were accepted by the other cultures. Today, we are a robust, stable and one of the fastest growing economies in the world. Besides having a formidable industrial and manufacturing base, we have developed one of the world's largest pools of scientific and technological manpower. We have achieved all this despite numerous challenges — such as poverty and terrorism.

Indian Government is working on the fronts of Make in India, Clean India Mission. Rejuvenation and Inter-linking of rivers, sustainable development, skilling the youths, developments of green-technologies and environment issues, waste-to-wealth, ease of doing business, renewable resources of energy etc. This provide ample opportunities for entrepreneurship and growth. Be a part of this growth process I am sure this will complement your education, talent, professionalism and innovative ideas. I wish you all success in your future endeavours. Also lots of blessings to all of you.

Thank you.

IV.

ENVIRONMENT, ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

POVERTY ERADICATION AND SDG*

Distinguished Delegates, As we are inching closer to the timeline for adopting Post 2015 development goals we are coming across views where reconciliation seems far more challenging than ever before. This is not only politically untenable; it is also economically, unviable and morally indefensible. Clearly, therefore, ending poverty must be the central and overriding objective of the new development agenda for the post-2015 period. The recommendations of the Open Working Group are quite encouraging.

Friends, as you may recall, at the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro in June 2012, Member States agreed to establish an inter-governmental open working group to design Sustainable Development Goals (SDGs). The Open Working Group suggested set of new Sustainable Development Goals (SDGs) to replace the MDGs at the end of 2015. The vision is for the goals to promote both sustainable development and poverty eradication. The proposal has 17 goals and 169 targets. The OWG engaged several governments and thus reflects a collectively agreed view.

Distinguished Delegates, The most important concern about the SDG proposal, and one which deeply questions its potential impact, is the fact that it covers a huge territory. The first 16 goals address priority areas that increased the ambition on existing MDG goals (poverty, food security, health, education, gender) with added dimensions on economic sustainability (inclusive growth, jobs, infrastructure, industrialization) environmental sustainability (climate change, oceans and land based ecosystems, sustainable consumption and production). In order to achieve effective reliable development

* At the 132 IPU Assembly, Hanoi, Vietnam (29 March, 2015).

data collection is a major challenge before the policy makers. It is an important issue how we collect timely and high-quality data. Usage of frontier technologies assumes key significance in this context.

Distinguished Delegates, In my view, this agenda is a unique opportunity for the international community to redouble its commitment for ending poverty and hunger and to set the world on a path to sustainable development. We need to analyse why we are ending up with a state of affairs where we have uneven achievement of MDGs across all different regions of this world. Some may point out the failure of the global partnership to support the efforts of the most vulnerable developing countries. In my view immediate relevance of the goals to the local priorities at the national and sub-national levels actually holds the key.

It is in this context, I feel, we need to concentrate on some of the most fundamental issues that remained at the core of the development debates. As Pandit Deen Dayal Upadhyaya, India's leading political philosopher and mass leader once said and I quote. “Integral humanism is the basis for development as it espouses indigenous economic model that puts the human being at the center stage” Unquote—This year, we are celebrating his birth centenary. With this integral approach we need to focus on issues related to Inter-generational equity; inequitable nature of development between nations; requirement of financial assistance and technology transfer from developed countries to developing countries; enabling more equitable growth *versus* environmental concerns. The democratic deficit in global governance institutions also need to be seriously addressed.

Distinguished Delegates, I strongly feel that development at the most of our culture is not sustainable. Our past tells us how civilisational strengths may steer us through the contemporary challenges. I find culture in Vietnam quite fascinating. India’s linkages with Champa civilization dated back to centuries.

It is indeed my privilege to be in this beautiful city of Hanoi and I am grateful to have this opportunity to express my views on such a relevant topic. India has been following a tradition to ensure sustainability which is clear from an old text from Sanskrit. I take the liberty to quote it:

समुद्रवसने देवि पवर्ततस्तनमण्डले।
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्वमे

This is in English translates to:—

(O Mother Earth, the Goddess who is having ocean as her clothes and mountains as her bosom, who is the consort of Sh. Vishnu, I bow to you; please forgive me for touching you with my feet.)

In this text there is a deep reverence for the mother earth which give us all natural resources which points out to our regard for sustainability. Partnership with modern Vietnam is a matter of great pride and satisfaction. I keenly look forward for Vietnam playing a key role in advancement of SDGs in the region. Being part of world's most dynamic region of ASEAN, I'm sure Vietnam would provide a leadership role.

Mr. President, Since Independence India has provided assistance to partner countries for their economic and social development. When developing countries like India can help, certainly the developed countries should be more generous. India's support is in line with Indian philosophy of returning back more than what one receives. Infact in a prayer we say that Oh God please keep my mental framework such that I always remain committed for giving more than what I receive. This has helped in advancing production, exports and in job creation.

Vietnam-India partnership for better rice production and export of black pepper are some of the bright examples of this partnership. Initially technology for production was shared between the two countries. Vietnam is a major rice exporter now and pepper import from Vietnam doubled during 2014 in India. India has imported roughly 4,500 tonnes.

Distinguished Delegates, It is important that we evolve our own indigenous ways of achieving sustainable goals. I would like to mention of few recent schemes launched by India for promoting inclusion and social advancement.

The initiative of 'Jan Dhan Yojana' or 'National Mission on Financial Inclusion' which aims at covering all households in the country with banking facilities and having a bank account for each household is just one example of empowering people and unleashing their entrepreneurial energies. The Beti Bachao Beti Padhao scheme to promote Girl Child and educate Girl Child brings girl child at focus of all effort for development. India is satisfied with overall deliberations, held on Sustainable Development Goals. This outcome needs to be preserved and alongside, focus should be on strengthening global partnership for development in coming months.

Mr. President—

To conclude, India is committed to working with international community to craft an ambitious, comprehensive and equitable development agenda with poverty eradication at its core. The Indian Parliament is ready to play its role in this noble endeavour.

Mr. Chairperson, I would be failing in my duties, if I do not make a mention of the gracious hospitality being extended to us by the great people of this great Country. I am sure, we all will carry very cherished memories of our stay in Hanoi and our deliberations will contribute immensely towards positive outcomes on all these vexed issues being faced by the mankind.

Thank you.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NEED COLLECTIVE EFFORTS*

I am very honoured to be here among all of you at the South Asian Speakers' Summit on 'Achieving the Sustainable Development Goals' jointly organized by the Bangladesh Parliament, the Inter-Parliamentary Union, and the Campaign for Tobacco-Free Kids. I take this opportunity to thank the organizers for convening this Summit meeting to discuss and deliberate an issue which has a bearing on the South Asia region as a whole and the countries of this region individually.

The South Asia region, which is one of the most populous regions in the world, has immense potential for growth and development; at the same time, we have to face many challenges in realizing our goals. As Parliamentarians and as Speakers of the National Parliaments, it is our duty how to turn these challenges into opportunities for our peoples and also for the entire region. While discussing the Sustainable Development Goals, I am reminded of the adage that poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere and it is more so in a globalized economy of mutual inter-dependence.

In my view, this agenda is a unique opportunity for the international community to redouble its commitment for ending poverty and hunger and to set the world on a path to sustainable and inclusive development. The larger goals of Sustainable Development are interwined with the issues of regional connectivity and regional cooperation. South Asia has not only a shared history but also a shared destiny. We have age old cultural and civilisational links. Our geographical and economic complementarities can be used

---

*At the opening session, of South-Asian Speakers' Summit on achieving the Sustainable Development Goals, Dhaka, Bangladesh (30 January, 2016).

for mutual advantage to improve the lives of peoples in entire region.

The Sustainable Development Goals, have a more ambitious agenda seeking to eliminate, rather than reduce poverty, and include more demanding targets on health, educations and gender equality to provide a life of dignity to all. It emphasizes the universal need for development that is sustainable and inclusive and benefits all. Besides, the agenda includes issues such as climate change, sustainable consumption and production, innovation and the importance of peace and justice for all.

India supports Sustainable Development Goals to be aspirational in nature and that each country sets its own targets for achievement, so that the sovereignty of each State is retained. We acknowledge that each country has the primary responsibility for its own economic and social development and the role of national policies, domestic resources and development strategies specific to its own circumstances and priorities cannot be but overemphasized. There are different approaches, visions, models and tools available to every country to achieve sustainable development, which is our overarching goal.

India's stance that a universal agenda ought to be a differentiated one based on the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) has finally been endorsed by UN World Sustainable Development Summit in its outcome document. While India is determined about its commitment to promote sustainable development for its people and do its fair share for global sustainability, it is equally important to ensure sustained and greater international flow of financial and latest technological resources to the developing countries. It is imperative that the developed countries take the lead in rapidly moving towards sustainable consumption and production patterns. It is in this context that we need to concentrate on some of the most fundamental issues that remained at the core of the development

debates. First and foremost is the citizen: no development is possible and sustainable unless it has a human face. As Pandit Deen Dayal Upadhyaya, India's leading political philosopher and mass leader, once said and I quote, "Integral humanism is the basis for development as it espouses indigenous economic model that puts the human being at the center stage". Climate change is a major challenge before all of us. We, in India, have always believed from the ancient times that there cannot be any sustainable development without nurturing the nature.

Since Independence, India has followed a path of sustainable growth. From the very beginning, we have pursued the dream of eliminating poverty and we stand vindicated that the same has now been highlighted in the Sustainable Development Goals as the SDGs commits to 'End Poverty in all its Forms Everywhere'. Similarly, the issues of food security, health, quality education, gender equality, etc. have always remained high on the developmental agenda of our country. Sustainable Development Goals reflect the development agenda pursued by India for years.

In this context, I would like to refer to some of the recent schemes launched in our country for promoting inclusion and social advancement. The initiative of 'Jan Dhan Yojana' or 'National Mission on Financial Inclusion' which aims at having a bank account for each household, is one example of empowering people through financial inclusion. The Beti Bachao Beti Padhao or the scheme to protect and educate the Girl Child brings them at the focus of all development schemes. Make in India, Skill India and Digital India are some of the other schemes which will enable us to achieve the Sustainable Development Goals.

Parliaments, being representative institutions have to play key role in implementing the Sustainable Development Goals. The oversight and legislative functions of Parliament need to be strengthened by focusing more on the Sustainable Development

Goals, and by associating all stakeholders with the government-led development processes.

We share the common goal of the international community for the successful implementation of Sustainable Development Goals. However, we also emphasize on 'global partnership', based on a genuine understanding of the requirements, priorities, resources available and native realities of the developing countries.

Before I conclude, I would like to emphasize that the 21st century belongs to Asia and the South Asian region, with its tremendous potential in terms of human resources and various other resources, has a pivotal role to make it happen. This can come about only when we are able to surmount the challenges before our countries and the South Asian region as a whole. We must share the best practices and learn from each other's experiences, knowledge and expertise. Mutual co-operation amongst us will surely accelerate the growth and fast track the dream of achieving Sustainable Development Goals to improve the lives of our people in the entire region. This Summit of Presiding Officers of the region offers a tremendous opportunity to show the way forward to achieve the Sustainable Development Goals. I do hope and trust that the deliberations at the Summit will be productive and fruitful and there will be many important take-aways from this distinguished assembly.

May I also take this opportunity to heartily thank my sister, the Hon'ble Speaker of the Bangladesh Parliament Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, Government of Bangladesh and IPU for making excellent arrangements for this Summit Meeting.

Thank you.

ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

As we come to the conclusion of the South Asian Speakers Summit on Sustainable Development Goals, I note with immense satisfaction the fruitful discussions we have had since yesterday, with insightful experiences and informed inputs from all the Distinguished Delegates. We are beholden to Her Excellency Sheikh Hasina, Hon'ble Prime Minister of Bangladesh, for her gracious presence, which has certainly enhanced the significance and profile of the Summit.

The global community has resolved to work over the next 15 years to achieve these ambitious goals which have a particular relevance to the South Asian region. It is quite appropriate that we, discussed at length the role of Parliaments in mainstreaming this theme in public discourse and policy formulation. The political system in this region, as anywhere else, revolves around the institution of Parliament, an institution which occupies a pivotal position in the constitutional scheme.

As we conclude the Summit, the take away from the deliberations is that the seventeen sustainable development goals are indeed actionable ideas which need to be instilled into the stakeholders' minds to ensure their proactive involvement for giving shape to these goals in terms of policy formulation and programme implementation. Development, it needs to be reiterated, must be made people-centric. This calls for a change in the mindset.

Addressing the prevailing gender inequity must be a central part of this debate. In fact, I consider gender equity as an integral

*At the closing cermony, of South-Asian Speakers' Summit on achieving Sustainable Development Goals, Dhaka, Bangladesh (31 January, 2016).

part of the developmental process. Development discourse would be incomplete if it does not address the issue of gender equity. We have to ensure a social order in which women occupy a place on par with men in all walks of life.

This Summit has provided a great opportunity to redouble our commitment to end poverty and hunger which are critical in setting the path for achieving sustainable development in the South Asian region and show the way to the world. South Asia presents a diverse scenario of socio-economic development, where affluence co-exists with poverty, as anywhere else in the world. What this means is that the fruits of development have reached certain sections of society, it has to reach the left out sections of society. We need to ensure inclusive developmental process and it is in this context that these goals can play a critical role. For example, Goal 16 highlights the significance of the institutions of governance, inclusion, participation, rights and security which are all important factors in achieving sustainable development. In fact, the test of success of these goals lies in the ability of the system to reach out to all the sections of people and make them stakeholders in the process.

Poverty starts with deprivation of the basic necessities of civilised life and leads to inculcating a negative mindset. Poverty breeds this negative mindset and the negative mindset sustains poverty. This vicious cycle must be broken. I am happy that we have discussed the issue of tobacco consumption and shared our experiences and ideas as how to combat it.

I must emphasise that communication plays a vital role in creating awareness among the masses about these goals and the menace of tobacco consumption. That being so, sensitisation is very critical and the people must be made to understand the point. They must be convinced that it is meant for them and they must be made willing partners in the process. Once the apathy and distrust are broken and the people are brought to the centre stage of policy

formulation, it becomes easy. It is here that Parliaments and Parliamentarians play a constructive role by influencing policies and programmes and winning the hearts of the people. The Dhaka Declaration which we adopted here will be a milestone in our quest for realising the Sustainable Development Goals.

With these words, I thank the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh, her Excellency Sheikh Hasina, for her gracious presence at the Valedictory Function. I also thank the Hon'ble Speaker of Bangladesh Parliament, Smt. Shirin Sharmin Chaudhury, for her warm hospitality and for the excellent arrangements which have made the Summit a grand success. We will carry home fond memories of Dhaka and the fruitful discussions that we have had at the Summit.

Thank you.

BRICS PARLIAMENTARY COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF SDGs*

It is indeed a matter of great pleasure for me to associate myself with you all today at this Meeting of BRICS Parliamentary Forum to discuss and deliberate on one of the most important topical global issues 'Sustainable Development Goals'. The question before us is how we, the Members of BRICS Parliamentary Forum can deliver effectively in the process of the implementation of the seventeen SDGs.

The post-2015 development Agenda which represents a comprehensive list of global goals integrating the social, economic and environmental dimensions of development is notable and relevant for many reasons. It emphasizes *inter alia* ending poverty and hunger, ensuring health, quality education while promoting inclusive growth. It also seeks to achieve gender equality and empower women everywhere. Building on the success and momentum of the Millennium Development Goals, the SDGs, in fact, cover more grounds, with ambitious plans to address various developmental issues, in particular environmental hazards, Under Goal 13, the imperative to take urgent action to combat climate change and its impacts has been especially highlighted. Needless to say, addressing such huge tasks needs concerted efforts at national, regional and global levels to succeed in our endeavours. The success in achieving the goals of SDGs depends on how well and effectively the nations, and especially the regional associations, cooperate among themselves by sharing experiences, technology and finance.

---

*At the Meeting of BRICS Parliamentary Forum on the sidelines of the 135th IPU Assembly, Geneva (October, 2016).

In this context, I would like to underscore that practices, problems and experiences thereon are country specific. Every country faces peculiar challenges and may follow different approaches, visions, models and tools as available to them, in accordance with the national circumstances and priorities. As far as achieving these goals are concerned, right from the beginning, India has its own vision of development and which is now mirrored perfectly in the SDGs. The focus of our development is on inclusive growth to ensure that no one is left out in development process. We have the mission 'Sabka Sath, Sabka Vikas' means participation of all and development of all. One of the important initiatives taken by the Government for financial inclusion is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana providing for opening of accounts even with zero balance. 'The Digital India Programme' has been started to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. So far protecting and promoting of the environment is concerned, in India, we have a great respect for nature. In fact, there has been traditions and practices to worship mountains, rivers and trees from times immemorial.

Friends, as we all know, BRICS has emerged as an important association by bringing together five major emerging economies, comprising 43 per cent of the world population, having 37 per cent of the world GDP and 17 per cent share in the world trade. Starting essentially with economic issues of mutual interest, the agenda of BRICS meetings has considerably widened over the years to encompass topical global issues. I welcome taking up such issues by BRICS. In this context, the cooperation of BRICS nations, particularly the Parliaments and the members of Parliaments is very crucial in implementing the Sustainable Development Goals. Friends as you all know, in India, we have hosted Meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum in August 2016 and the issue of implementation of SDGs was discussed and deliberated upon. The meeting was an endeavour on the part of the BRICS Women Parliamentarians for enhancing parliamentary cooperation in

furthering the agenda of BRICS, which unanimously adopted the Jaipur Declaration. Reiterating what I had mentioned there, I must say successful implementation of the SDGs in the BRICS countries should begin with a focus on the indigenous ways of achieving the SDGs and in meeting the challenge of climate change. Making changes in life styles will make us less dependent on energy and more sustainable in our consumption. I strongly believe that mobilization of financial resources as well as capacity building and transfer of technologies to developing countries on favourable terms is the key in the implementation of the SDGs. I do believe that women Parliamentarians have special responsibilities in mobilizing the participation of citizens, engaging them in governance processes, helping to define development priorities and providing leadership to grassroots organizations and initiatives.

There is no need to emphasize that Parliaments are powerful agents of change. It is by ratifying international agreements, translating the SDGs into enforceable national laws, monitoring their implementation and ensuring Government's accountability on SDGs that Parliaments can drive that change. Parliamentarians can use various parliamentary devices available to them to discuss and debate the subject matters concerning SDGs in the House and thereby, bringing the issues to the attention of public and the media. Parliaments can ensure that an inclusive and participatory political dialogue is followed in shaping national developmental priorities within the broader framework of SDGs. Through parliamentary reviews of proposed governmental expenditures, Parliaments can ensure adequate financial resources are allocated to the achievement of Sustainable Development Goals and the same are reflected in national and local budgets. The mechanism of Parliamentary Committees can be further strengthened to influence the governmental policies on SDGs.

The cooperation and exchange of experiences among the legislative bodies of BRICS nations is crucial for making it an important

platform of discussion and consultation on vital issues of global politics and economy towards overall developments. I am confident that today's discussion on this BRICS Parliamentary Forum will benefit each one of us in achieving the Sustainable Development Goals in our respective countries. I do reiterate the commitment of the Indian Parliament in extending cooperation to regional and international efforts towards achieving SDGs and urge for greater cooperation among BRICS Governments and Parliamentarians.

Thank you.

प्रणाम इन्दौर*

सर्वप्रथम, आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित समस्त जनता का मैं अभिनंदन करती हूँ। "स्वच्छता सर्वे 2017" में इन्दौर के प्रथम स्थान आने पर मुझे ही नहीं बल्कि इन्दौर के एक-एक व्यक्ति को एक अनूठी खुशी का एहसास हो रहा है और सभी नागरिक अपने-आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम सभी इन्दौरवासियों सहित इस पुनीत कार्य में लगी सभी संस्थाओं, इन्दौर नगर निगम, राज्य शासन महानगर विकास परिषद् तथा अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रयत्नों को सम्मानित करने एवं भविष्य में भी उन्हें इसी प्रकार कार्यरत रहने को प्रेरित करने से संबंधित है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गांधी जयंती पर "स्वच्छ भारत अभियान" की शुरुआत की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम पूरे भारत में देखने को मिले हैं। इसी अभियान से प्रेरित होकर इन्दौर के लोगों ने साफ-सफाई के लिए विशेष प्रयास किए और परिणाम ये रहा कि "स्वच्छता सर्वे 2017" में इन्दौर को पहला स्थान मिला है। यह समस्त इन्दौरवासियों, महिलाओं, पुरुषों, छात्र-छात्राओं, पार्षदों तथा विधायकों, महापौर, अधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे सफाई कर्मचारियों, सभी के सम्मिलित प्रयास से ही संभव हुआ है।

आज यहां पर माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। उनकी ऊर्जा एवं क्रियाशीलता का ही परिणाम है कि आज हम शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास (Infrastructure Development) के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हैं। नायडू जी ने प्रधानमंत्री जी की अपील को साकार करने की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य किया है। इन्दौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया है। शीघ्र ही, हम सब मिलकर इसे भारत का विश्व स्तर का स्मार्ट शहर (world class smart city) बनाने का स्वप्न देखते हैं। हम सब अवगत है कि Smart City के लिए स्वच्छता एक बुनियादी आवश्यकता है।

---

*विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित प्रणाम इन्दौर कार्यक्रम में भाषण, इन्दौर (5 जून, 2017)

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनन्दन है, जिन्होंने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की खूबसूरत जुगलबन्दी एवं जनभागीदारी के माध्यम से प्रगति की नई इबारत लिखी है। उन्होंने "नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा" के रूप मे नर्मदा संरक्षण के लिए 150 दिनों का जन–अभियान चलाकर जन–जन का ध्यान नदी संरक्षण की ओर आकृष्ट किया है।

यह गर्व का विषय है कि स्वच्छता सर्वे वाले 100 शहरों में 22 शहर मध्य प्रदेश से हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता ने स्वच्छता के संदेश को गंभीरता से लिया है एवं सभी लोग इस नेक काम में पूर्ण मनोयोग और स्वप्रेरणा से जुट गए हैं। प्रथम स्थान हासिल करना आसान नहीं होता है, पर उससे भी कठिन होता है उस स्थान पर बने रहना। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन्दौर की जनता न केवल अपना उच्च स्थान बरकरार रखेगी बल्कि स्वच्छता के विषय में नए प्रतिमान स्थापित करेगी।

यह उपलब्धि केवल सरकारी नीतियों, योजनाओं अथवा कानूनों से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके लिए जन–भागीदारी एवं स्वप्रेरणा का सर्वाधिक महत्व है। कुछ लोगों में स्वप्रेरणा, नागरिक भावना एवं उत्तरदायित्व (civic sense and responsibility) का स्तर इतना ऊंचा होता है कि कोई देखे या न देखे, वे गंदगी नहीं फैलाने के सामाजिक दायित्व का निर्वहन जरूर करते हैं।

महानगर विकास परिषद्, इन्दौर ने भी यहां के मोहल्लों–कॉलोनियों के साथ ही धर्मस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। त्यौहारों के अवसर पर परिषद् के सदस्य जनभागीदारी से सार्वजनिक स्थानों एवं धर्मस्थलों पर साफ–सफाई करते हैं। इस संस्था ने कूड़ा प्रबंधन के लिए डस्टबिन का वितरण कराया, साथ ही पॉलिथिन बैग के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा जनसाधारण में अब तक इन्दौर के पांच विधान सभा क्षेत्रों में पन्द्रह हजार (15,000) जूट की थैलियों का वितरण कराया जा चुका है एवं 85 वार्डों में लगभग पचासी हजार (85,000) जूट की थैलियों के वितरण का कार्य चल रहा है। महानगर विकास परिषद् के ये कार्य अनुकरणीय एवं सराहनीय है।

यह एक अत्यंत सुखद संयोग है कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'प्रणाम इन्दौर' कार्यक्रम, इन्दौरवासियों के साथ–साथ सफाई अभियान से जुड़े नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बधाई देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सोपान (first activity) है। यह अत्यन्त सरल एवं विशद भी है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शुरू होकर गांव, कस्बा, जिला, राज्य, देश होते हुए विश्व तक इसका विस्तार होता है।

स्वच्छता के लिए आत्मानुशासन के साथ-साथ सामूहिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, सांस्कृतिक अनुशासन भी अत्यन्त आवश्यक है। इसका एक ज्वलंत एवं सफल उदाहरण सिंगापुर है। साठ के दशक तक सिंगापुर में स्वच्छता का अभाव था। सर्वप्रथम, सन् 1968 में वहां के प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने सिंगापुर में स्वच्छता अभियान की नींव रखी थी। उन्होंने कठोर कानून एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया। लेकिन, उन्होंने जनता को प्रेरित कर उनमें सिंगापुर के प्रति गर्व और सम्मान का भाव इस तरह जागृत किया कि आज सिंगापुर का नाम ही स्वच्छ-स्वस्थ देश का पर्याय बन गया है परिणामस्वरूप, यहां के पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। "Keep Singapore Clean" has transformed developing Singapore to Developed Singapore. इसी प्रकार, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने भी अपनी नदियों, गांवों, कस्बों एवं शहरों की स्वच्छता में क्रांतिकारी सुधार किया है, फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य एवं विकास में अभूतपूर्व सुधार एवं वृद्धि हुई है।

यह बहुत प्रेरणादायी है कि अखिल भारतीय स्तर पर "सोर्स सेग्रेगेशन कैम्पेन** (Source Segregation Campaign)" का शुभारंभ दिल्ली एवं इन्दौर से हो रहा है। यह एक बहुत ही सकारात्मक, प्रासंगिक एवं सामयिक पहल है। Recycling of bio-degradable material एक बुनियादी आवश्यकता है। 3R (Reduce, Reuse and Recycle) के सूत्र पर Solid Waste Management का कार्य हो रहा है। कुशल एवं proper waste management से गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों के कचरा प्रबंधन की समस्या का निपटारा किया जा सकता है। Rapid Urbanisation समय की मांग है और इसी के चलते Waste Management आज के समय में एक गंभीर चुनौती है। Proper Urban and Rural Town Planning से न केवल हम बेहतर कूड़ा प्रबंधन कर सकते हैं बल्कि उनसे विद्युत एवं खाद उत्पादन का काम भी कर सकते हैं जो हमारी ऊर्जा एवं कृषि संबंधी गतिविधियों में भी सहयोगी सिद्ध हो सकता है।

**सोर्स सेग्रेगेशन कैम्पेन-कूड़े (Waste) कई प्रकार के होते हैं। उन्हें मुख्यत: दो श्रेणियों biodegradable waste और non-biodegradable waste में बांटा जाता है। Biodegradable waste decompose होकर खाद बन जाता है जबकि Non-biodegradable पदार्थों को recycle करके पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। इस कैम्पेन का उद्देश्य है कि इन दो प्रकार के कूड़े-कचरों को हरे एवं नीले रंग के डस्टबिन में रसोईघर से ही अलग कर दिया जाए ताकि उनकी further processing में सुविधा हो।

स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण के अभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दुनिया भर में लोगों को अनेक परेशानियां होती हैं। वर्तमान में पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। भारत के Gross Domestic Product (GDP) का 9.7 प्रतिशत हिस्सा पर्यटन से आता है एवं इस उद्योग से लगभग 4 करोड़ लोग संबद्ध हैं। स्वच्छता के स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में जहां 69.7 लाख पर्यटक आए थे, वहीं वर्ष 2016 में इसकी संख्या बढ़कर 89 लाख हो गई।

छोटी–छोटी आदतों में बदलाव लाकर भी हम पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकते हैं। एक टन कागज बनाने के लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं। मैंने भी संसद को "पेपरलैस" बनाने की कोशिश की है एवं संसदीय प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजों का digitization करके वृक्षों को बचाने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में लगभग 1500 पेड़ कटने से बचे हैं।

सतत विकास लक्ष्यों में "पर्यावरणीय स्थिरता" सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने संसद में Speaker Research Initiative (SRI) के माध्यम से माननीय सांसदों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न पहलुओं पर (पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर) वर्कशॉप के माध्यम से विस्तृत चर्चा करवाई है। संसद में भी एक दिन Sustainable Development Goals (SDGs) के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है तथा हर सत्र में SDG के लिए एक दिन का समय रखना सुनिश्चित किया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने देश भर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक कदम उठाये हैं। सतत विकास लक्ष्य के गोल सं. 6 में भी यही वर्णित है कि आने वाले 15 वर्षों में हम सभी को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा और सम्पूर्ण विश्व ओडीएफ (Open Defecation Free) होगा। हमारे समक्ष वर्ष 2019 यानि गांधी जी की 150वीं जयन्ती तक हर गांव, शहर एवं कस्बे को साफ–सुथरा बनाने, पक्के टॉयलेट, पीने के साफ पानी एवं कचरा निपटान की दीर्घकालीन व्यवस्था सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। बीते दो वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केरल, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम जैसे राज्य ने खुद को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2019 तक हम इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लेंगे और भारत का हर गांव ODF गांव हो जाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान की विशेषता इसलिए है कि लोगों ने इसे हृदय से अपना लिया है। आजकल महिलाएं 'स्वच्छता शिल्पी' बनकर शौचालयों का निर्माण

कर रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश के सागर जिले के किरोड़ गांव की 11 वर्ष की बालिका तारा हो, जिसने अनशन कर अपने पिताजी के समक्ष घर में शौचालय बनाने की मांग रखी थी या छत्तीसगढ़ की 104 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुंवर बाई हो या उत्तर प्रदेश की पंचायत प्रधान मंजू मौर्या अथवा छत्तीसगढ़ की महिला सरपंच उत्तरा ठाकुर या कर्नाटक की कालाबुरगी जिले की श्रीमती अकम्मा शर्ण बसावा, जिन्होंने अपने सोने के गहने और एलआईसी के बॉन्ड बेचकर भी अपने गांव में कई शौचालय बनवाए। समाज के समक्ष ऐसे अनेक अनुकरणीय उदाहरण हैं जो न केवल महिलाओं, बल्कि समस्त देशवासियों को प्रेरित करते हैं। यह मिशन जनभागीदारी के बिना संभव नहीं है। मीडिया ने भी इस अभियान को सकारात्मक सहयोग दिया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वातावरण की शुद्धता के साथ-साथ अपने शरीर और मन को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए नियमित रूप से योग करना बहुत आवश्यक है। इसी माह की 21 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। योग के निरंतर अभ्यास से शरीर, मन और मस्तिष्क में तारतम्यता बढ़ने के साथ-साथ आत्मिक शुद्धि आती है।

आप सबसे यह आग्रह है कि आप साफ-सफाई के लिए सुविधानुसार समय दें। पर्यावरण संवर्धन के लिए कम-से-कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। पितृ पर्वत के concept को सफल बनाएं। ऐसा करके आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास होगा। आपके समर्पण, संकल्प और विश्वास की प्रखर ज्योति देश को निस्संदेह आलोकित करेगी। Green Earth, Clean Earth is our dream worth.

इन्दौर की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है। अब स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद हमारा अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने शहर को हरा-भरा और प्राकृतिक रूप से विविधताओं से परिपूर्ण बनाएं। यहां स्वच्छता एवं हरियाली की दिशा में ऐसा काम हो कि केवल इन्दौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के लिए मिसाल बन सके। आइए, इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने आस-पास के Ecosystem में परिवर्तन लाने का प्रण करते हुए यह संकल्प लें: "Feel Indore, Clean Indore, Green Indore".

"जहां जहां हम जाएंगे, स्वच्छता का दीप जलाएंगे।
पेड़ों पौधों का रोपण कर, इसे हरा-भरा शहर बनाएंगे।"

जय हिन्द।

रैली फॉर रिवर्स*

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रख्यात आध्यात्मिक व्यक्ति सद्गुरु जग्गी वासुदेवजी की पहल पर आयोजित 'रैली फॉर रिवर्स" समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मानव सभ्यता के इतिहास में, नदियों ने सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि मानवजाति द्वारा बसाई गई बस्तियां नदियों के किनारे पर फली-फूलीं फिर चाहे वह सिन्धु घाटी की सभ्यता रही हो, मैसोपोटामिया की हो या दजला और फुरात की या येलो रिवर की सभ्यता रही हो। वे सभी सभ्यताएं नदियों के आस-पास ही फली-फूलीं। नदियों के किनारों पर ही बड़े-बड़े शहरों का निर्माण हुआ।

नदी को देखते ही मन में विचार आता है कि नदी कहां से आती है और कहां जाती है? आदि और अन्त ढूंढ़ने की सत्य और सनातन खोज करने की प्रेरणा शायद हमें नदी से ही मिली है। उपनिषद व भारतीय वांगमय, मैथ्यु आर्नोल्ड जैसे यूरोपियन कवि और रोम्या रोला जैसे उपन्यासकार जीवन को नदी की उपमा देते हैं।

इस संसार की प्रथम यात्री है नदी। नदी व जीवन का क्रम एक समान है। नदी स्वधर्म निष्ठ रहती है और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करती है और इसलिए प्रगति करती है। अन्त में नाम रूप को त्यागकर समुद्र में विलीन हो जाती है। विलीन होने पर भी वह नष्ट नहीं होती, बल्कि समुद्र के रूप में निरंतर चलती ही रहती है। जीवन का भी यही क्रम है।

निस्संदेह जल को जीवन कहा गया है और यह सच है। बिना पानी के न वनस्पति और न ही पशु-पक्षी जी सकते हैं। बिना पानी के सजीव जगत और पर्यावरण का ही कोई अस्तित्व है। शायद इसीलिए ईश्वर ने पृथ्वी के तीन-चौथाई हिस्से में पानी और एक भाग ही जीवन की रचना की ताकि हमें समझ हो कि जल ही जीवन है। बेहोश मनुष्य की आंखों में पानी के छींटे डालते ही वह तुरंत होश में आ जाता है, तो फिर अनंत बूंद से युक्त सरोवर को छलकते देख कर जीवन कृतार्थ होने जैसा आनन्द बहुत स्वाभाविक है। ग्रन्थों में नदियों को

*डेली कॉलेज, इंदौर (ईशा फाउंडेशन) द्वारा आयोजित समारोह में भाषण, इंदौर (22 सितंबर, 2017)

‘‘विश्वस्य मातर:” कहा गया है। इनकी महत्ता इतनी है कि नित्य पूजा में भी हम सभी नदियों का पुण्य–स्मरण करते हुए कहते हैं:–

गंगे! च यमुने! चैव गोदावरि:! सरस्वति!

नर्मदे! सिंधु! कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरू!

यह एक श्रेष्ठ भारतीय परंपरा रही है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहां नदियों को पूजा जाता है। इस विशाल भारत भूमि में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्यास, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेरियार, महानदी इत्यादि जैसी अनेक नदी एवं नदी प्रणालियां हैं। इन नदियों से त्यौहार भी जुड़े हुए हैं। पुष्कर जैसे हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे साधु–संतों की अनेक कहानियां हैं जिन्होंने मोक्ष की खोज में नदी किनारे साधना की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पावन गंगा नदी का विशेष महत्व है। इसे मूर्तिकला, कला, साहित्य, कविताओं, संगीत और नृत्य के माध्यम से अमर बना दिया गया है।

इनमें से हर नदी का अपना अलग महत्व है जिसका वर्णन हमारे धर्मग्रंथों में बहुत विस्तार से किया गया है। ये नदियां हमारे जीवन, आजीविका और आध्यात्मिकता की स्रोत हैं। गंगा जहां पवित्रता का प्रतीक है, वहीं यमुना के किनारे पर मथुरा का पावन शहर बसा है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जिनके अनुयायी पूरे संसार में हैं और जो प्रेम और स्नेह के प्रतीक हैं। विलुप्त नदी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की नदी कहा जाता है। कुमारी नदी के नाम से प्रख्यात नर्मदा नदी के साथ वैराग्य का गुण जुड़ा हुआ है। वहीं गोदावरी को भक्ति पंथ के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने इसी नदी के साथ लगे जंगलों में वनवास का लम्बा समय बिताया था। इसी तरह कावेरी नदी को ज्ञान और कृष्णा नदी को पराक्रम के साथ जोड़ा जाता है। कावेरी के तट पर प्रसिद्ध विकसित हुआ संगीत कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है।

हालांकि धरती के तीन–चौथाई भाग में पानी है, लेकिन इसमें से अधिकांश समुद्र का खारा पानी है। धरती के जल संसाधनों का छोटा–सा भाग ही मीठा पानी है जिसका उपयोग पीने और खेती–बाड़ी के लिए किया जा सकता है। ऐसे में सैमुएल टेलर कोलरिज की कही हुई बात हमारे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा था “water water everywhere, but not a drop to drink!” अर्थात् आस–पास सब जगह पानी होने के बावजूद पीने लायक एक बूंद पानी नहीं है! उस कवि ने नदियों के पानी की रक्षा और संरक्षण करने के महत्व पर जोर दिया था जो उचित ही है।

साफ पानी वातावरण को बनाए रखने के साथ-साथ धरती पर सभी जीवों के स्वास्थ्य और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव बस्तियों के लिए नदी का किनारा सबसे उपयुक्त स्थान होता है क्योंकि यहां पीने और खेती के लिए पानी उपलब्ध होता है।

नदियों की इतनी प्रशंसा से इस बात का पता चलता है कि वे हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही, हमें बड़े दु:ख के साथ इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में नदियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छोटी-छोटी नदियां सूख गई हैं और गायब हो गई हैं और बड़ी नदियों को बड़े पैमाने पर प्रदूषण के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

एक ओर तो हम बड़े भक्ति भाव से नदियों को पूजते हैं और दूसरी ओर हम सभी तरह की गंदगी इन नदियों में ही डालते हैं, यह जानते हुए भी कि करोड़ों लोग इन नदियों का पानी पीते हैं और अरबों प्राणियों का जीवन इनसे पलता है। हमारी सभ्यता का विकास हुआ, बड़े-बड़े नगर बसे, उद्योग लगे, जनसंख्या बढ़ी, पर इससे हमारी नदियों एवं नहरों को बहुत सजा मिली। उद्योग से निकला गंदा पानी, तेल, कचरा, गंदगी, कूड़ा-करकट सब नदी में जाने लगा, वन वृक्ष कटने लगे, रेत मिट्टी नदियों के तले में बैठने लगी। इन्हीं नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ और अधजले शव भी बहा दिए जाते हैं। आज हमारी अधिकतर नदियां दूषित हैं। इन नदियों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। आइए, आज नदियों के अपार महत्व को समझते हुए, हम प्रण करें कि इनका सम्मान करेंगे, इनकी मर्यादा को खराब नहीं करेंगे। आज Rally for Rivers का संदेश जन-जन तक पहुंचे। यह मानव सभ्यता के स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।

नदियों की सुरक्षा के लिए हम सबको सतर्क होना होगा। इसके लिए जन-भागीदारी एवं स्वप्रेरणा का सर्वाधिक महत्व है। हमें स्वप्रेरणा से नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। इसके पुनर्जीवन के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। Rivers are lifelines of any civilization. नदी जीवनदायिनी है। नदी है, तो जल है और जल है तो जीवन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नदियों के सूखने के कारण बड़ी-बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गईं। अत: हमें इस सत्य को सदैव समझना होगा कि उनकी रक्षा वास्तव में मानव सभ्यता की सुरक्षा करना है।

कृषि प्रधान देश होने के नाते हम धरती के महत्व को भी खूब समझते हैं। हम धरती से बहुत-कुछ लेते हैं, पर धरती से उसका सब-कुछ ना ले लें, इसके प्रति भी सचेत हैं। लगभग 65 प्रतिशत मीठे पानी के लिए हम नदियों पर ही निर्भर हैं। अत: उनका संरक्षण एवं पुनर्जीवन हमारा धर्म है।

बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में नदियों के महत्व को समझते हुए आम जनता को नदियों को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कभी–कभी नदियों से रेत का खनन करने से भी अपूरणीय क्षति हो सकती है। इन परिस्थितियों में सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी के प्रबुद्ध मार्गदर्शन में ईशा फाउंडेशन ने मिट्टी और नदियों के पुनरुद्धार का यह मिशन शुरू किया है। सद्गुरु जी ने नदियों के पास की मिट्टी की कम हो रही उर्वरता के बारे में उचित ही कहा है कि यह स्थिति खतरनाक है। पर्यावरण के बारे में उनकी चिंता से तो सभी वाकिफ हैं।

नदियों का संरक्षण न केवल मानव बल्कि सम्पूर्ण बायो सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Ecosystem में इसके सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। चाहे प्राणी जगत हो या वनस्पति जगत सबमें एक प्राकृतिक सामंजस्य है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण वह सामंजस्य अस्थिर होता दिख रहा है। अतः, पर्यावरण स्थिरीकरण बहुत आवश्यक है। नदियां aquaculture के मूल में हैं। नदी किनारे ही जीवन पलता है, flora and fauna विकसित होते हैं। नदियों के दोनों किनारों पर लगभग 1 किलोमीटर की चौड़ाई में वनस्पतियों का plantation किया जाना एक अच्छा विचार है जिससे soil erosion में कमी होगी, भूमिगत जल संरक्षण होगा और बारिश का पानी इन पेड़ों की जड़ों के जरिए होते हुए नदियों में जा मिलेगा। साथ ही साथ, नदी किनारे की किसानों की जमीन पर फलदार वृक्ष के plantation से जहां उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वहीं पर्याप्त मात्रा में फलों की उपलब्धता से देश के लोगों को पोषण (nutritional intake) भी मिलेगा।

नदियों के किनारों पर Bio-diversity पार्क के विकास से भी पर्यावरण की रक्षा संभव हो सकेगी। यदि बड़े पैमाने पर Bio-diversity पार्क विकसित किए जाते हैं तो स्वतः ही नदियों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

नदियां धरती के लिए थर्मामीटर जैसी हैं जो निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं बढ़ते तापमान को दर्शाती हैं। सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए नदियों का संरक्षण परमावश्यक शर्त है। पृथ्वी पर पिछले 150 वर्ष में विकास के नाम पर जो कुछ प्रगति हुई है, उससे पर्यावरणीय क्षतियां हुईं हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पर्यावरण और जलवायु पर ध्यान दें। कोशिश यह होनी चाहिए कि नदियों एवं उसके संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रों को restore किया जाए। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं तभी सम्पूर्ण विश्व में मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के समान अवसर सभी को उपलब्ध होंगे।

मैं इस अवसर पर सद्गुरु के कार्य की सराहना करती हूं जो देश के कोने-कोने में जाकर लोगों को जागरूक बनाकर उन्हें नदियों की स्थिति सुधारने के कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने अभियान में अनेक स्कूलों को पेड़ लगाने के अपने अभियान में शामिल किया है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि नदियों के पुनरुद्धार के लिए ईशा फाउंडेशन की इस पहल का लोग समर्थन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग वास्तव में पर्यावरण की परवाह करते हैं और यदि उन्हें जागरूक बनाया जाए तो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आयेंगे।

सद्गुरु वासुदेव जी ने इस मुद्दे को बहुत सही ढंग से उठाया है और उन्होंने इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने की शुरुआत की है। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने और नदियों के पुनरुद्धार जैसे मामले रातों-रात हल नहीं हो सकते क्योंकि इसकी प्रक्रिया समय मांगती है। इसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है और वासुदेव जी के प्रयास को एक लम्बे सफर में शुरुआती, किन्तु महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं एक बार फिर वासुदेवजी के निष्ठावान प्रयासों की सराहना करती हूं और मुझे विश्वास है कि लोगों के समर्थन से नदियां फिर से अपने खोये हुए वैभवशाली स्थान को प्राप्त करेंगी और अविरल बहेंगी।

धन्यवाद।

अर्थ हीरोज़ अवार्ड, 2017*

रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड फाउंडेशन इंडिया (RBS Foundation India) द्वारा आयोजित RBS EARTH HEROES AWARDS कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। हमारी पारिस्थितिकी, जलवायु, वन्य जीवों और उनके आश्रय स्थल, जल एवं नदी संसाधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन और सम्मान अत्यन्त उचित, सामयिक और प्रेरणादायी है। इस स्वागत योग्य कदम से उन अर्थ हीरोज़ को जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, उनके अच्छे कार्यों के महत्व को मान्यता मिलेगी और यह सम्मान इन विजेताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी अवश्य ही प्रेरित करेगा।

Global Warming, Green House Effect, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन (Carbon emission), Climate Change, Soil Erosion, नदी, घाटियों का सिकुड़न एवं उनमें silting होना आदि ऐसी परिघटनाएं हैं जो पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं और ये बदलाव मानव के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकते हैं। भारत में प्रकृति के साथ संतुलन एवं आदर की प्राचीन परंपरा है और हम "सर्व मांगल्य" की धारणा में विश्वास करते हैं जिसका अर्थ है सबका कल्याण तथा प्रकृति और इसकी रचनाओं के प्रति करूणा भाव। अथर्ववेद के "पृथ्वी सूक्त" के 63 श्लोकों में Environment Protection (पर्यावरण संरक्षण) और peaceful co-existence (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) का वर्णन किया गया है। इस धरा पर जैव विविधता की समरसता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। हर जीव-जन्तु, पेड़-पौधा, पशु-पक्षी एवं मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखे, इसके लिए मनुष्य को पर्यावरण दोहन को सीमाबद्ध करना होगा। ये आत्मबोध भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। प्रकृति संकेत देती है विभिन्न आपदाओं के रूप में और मानव ने इस आहट को पहचान लिया है और वे अब संरक्षण की राह पर चले हैं। Climate Change पर चर्चा और SDG ये सब इसी चिन्तन का परिणाम है। We have to understand that a safe and

*रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2017, नई दिल्ली (26 अक्तूबर, 2017)

sustainable environment is the only answer to food, water and energy security and our own survival.

प्राचीन भारतीय संस्कृति में सूर्य, वायु, नदी आदि जैसी सभी प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वृक्षों को पवित्र माना जाता है और यह कहा जाता है कि "वृक्षो रक्षति रक्षित:" जिसका अर्थ है कि जो वृक्षों को बचाता है, उसकी रक्षा वृक्ष करते हैं। पशुओं को लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ जोड़ने से उनकी रक्षा करने में बहुत मदद मिली है। जैन और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में भी सदियों पहले सभी जीवों के प्रति अहिंसा की शिक्षा दी गई थी। मत्स्य पुराण में वृक्ष के विषय में कहा गया है:

"दशकूपसमा वापी दशवापीसमो ह्रद:।
दशह्रदसम: पुत्रो दश पुत्रसमो द्रुम:।।"

(A pond equals ten wells, a reservoir equals ten ponds, A son equals ten reservoirs, and a tree equals ten sons)

हमारी पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ समरसता (Harmony) से रहने की समृद्ध परंपरा की अभिव्यक्ति हमारे संवैधानिक उपबंधों (Constitutional Provision) में भी की गई है। राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत राज्य को देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का उल्लेख है। हमारे संविधान के Article 51A(g) में कहा गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे। हमारे Constitutional provisions के अनुसार हमने हमेशा अपने Environment, Bio-Diversity और Wildlife की रक्षा का प्रयास किया है और तद्नुसार आवश्यक कानून बनाए हैं और नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए हैं।

हमारे जैसे विकासशील देश में शीघ्र आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास में पर्यावरण संरक्षा और विकास के पक्षधरों के बीच प्राय: तनाव हो जाता है। Environment Conservation को विकास के आम मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता और इसे विकास के एक अभिन्न अंग और सतत् विकास के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा (necessary pre-requisite) के रूप में देखा जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि सतत् विकास के लिए वर्ष 2030 का

एजेंडा जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (SDG) और इनसे संबंधित 169 टारगेट हैं, में भी विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है। Sustainable Development Goal जो मेरे दिल के बहुत करीब है, में पर्यावरण निरंतरता एक अलग लक्ष्य है। SDG Goal No. 15 में Sustainable Forest Management मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, Land degradation को रोकने और जैव-विविधता (Bio-diversity) की रक्षा करने की परिकल्पना की गई है। हम Sustainable Development Goals की लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हमने अपनी संसद में कई अवसरों पर इस विषय पर गंभीर चर्चा की है।

इस संदर्भ में मैं आपको Speaker's Research Initiative (SRI) के रूप में शुरू की गई विशेष पहल के बारे में बताना चाहूंगी जिसके द्वारा विभिन्न विकासात्मक मुद्दों के बारे में संसद सदस्यों को गहन जानकारी प्रदान करके उनकी सहायता के लिए हमारी संसद में एक संस्थागत व्यवस्था की गई है ताकि संसद सदस्य कानून बनाने, संसदीय वाद-विवाद, सरकार की निगरानी के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के निरंतर बढ़ रहे और जटिल मुद्दों से निपटने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। कई अवसरों पर इस मंच का उपयोग हमारे संसद सदस्यों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है ताकि वे इन Sustainable Development Goals के कार्यान्वयन में भरपूर योगदान दे सकें।

Global warming is leading to weather extremes resulting in more intense droughts, floods, shifting seasons, rising sea levels, change in migration and growth patterns of animals and plants. यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस green planet को green and clean planet ही रहने दें। हजारों साल पहले वेद की ऋचाओं में यह महसूस किया गया था कि शांति और सद्भाव के लिए संपूर्ण चराचर जगत में संतुलन अनिवार्य है। यह हमें अन्य जीवों के साथ मिल-जुलकर जीने की शिक्षा देता है। यह बात इस श्लोक से सिद्ध हो जाती है:–

"यावत् भूमंडलम धत्ते सशैलवनकाननं,
तावत तिष्ठति मेदिन्याम् सन्तति पुत्र पौत्रिकी।"

(अर्थात् जब तक धरती पर वन और वन्य जीव रहेंगे, मानवजाति सुरक्षित रहेगी। अत:, उनका रक्षण हमारे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।)

इस वर्ष आर.बी.एस. फाउंडेशन द्वारा पुरस्कृत श्री जाधव मलाई पयेंग हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर असम के जोरहाट में 1360 एकड़ के जंगल का सृजन कर दिया है। इसी प्रकार डॉ. रोहन चक्रवर्ती ने अपने कार्टूनों के माध्यम से जो पर्यावरण के प्रति सोच और जन-जागरूकता की अलख जगाई है, वह अत्यन्त अनुकरणीय है एवं स्तुत्य प्रयास है। कहते हैं कि एक अच्छा कार्टून एक हजार लेखों के बराबर होता है क्योंकि कार्टून का संदेश अत्यन्त प्रभावी एवं दूरगामी होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कार विजेताओं ने भी अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों के महत्व को रेखांकित करना और उन्हें पुरस्कृत करना सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति यह सकारात्मक योगदान है।

मेरे लिए आज का यह समारोह मात्र एक पुरस्कार समारोह नहीं है। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की vibrant and sustainable eco-system के रूप में हमारे वनों को फिर से हरा-भरा करने के हमारे स्वप्न और विश्वास का उत्सव है। हमारे यहां वन, वन्यजीव और वनवासी युगों-युगों से एक साथ रहते आये हैं। वन संभावित Carbon sink (कार्बन सोखने वाले) हैं। वे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद करते हैं और Climate Change के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने में भी मददगार हैं। Environment concern should be among the first lesson to a child we need to bring up the new generation with a sensitivity to environment concerns. धरती पुत्र होने के नाते हम सबको अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुदृढ़ करने और अपनी जैव-विविधता की रक्षा करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए।

Someone has said and I quote:— “We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children.” मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और इसके फाउंडेशन को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई और धन्यवाद देती हूं।

धन्यवाद।

V.

WOMEN EMPOWERMENT AND GENDER EQUALITY

WOMEN LEADERSHIP AND EMPOWERMENT*

I deem it an honour to have been invited to inaugurate the Conference on 'Women Leadership and Empowerment, being hosted by the Confederation of Indian Industry and the launch of Delhi Chapter of the CII on 'Indian Women Network', I am glad to learn that the CII's initiative to provide a network channel to women professionals and entrepreneurs has within one year of its beginning resulted in servicing the entire Southern region of India with a sizeable membership. I am also glad that, it has to its credit, many activities that have impacted the lives of many women.

Friends, the twentieth century witnessed large scale and conscious efforts to improve the quality of life of women, who despite many exceptions are generally regarded as one of the vulnerable sections of the society. Though the position of women in India is not very different when compared to the women in other countries, it still presents certain distinct features. Traditions are deep rooted in the Indian society and a woman assimilates them in her life and plays a vital role in preserving these. Women have been among the most disadvantaged and oppressed sections of our society particularly with regard to access and control over resources. Problems faced by them continue to be grave particularly for illiterate and semi-literate women of rural and urban areas. The gender disparity in the opportunities for access to work is clearly evident in the latest sex disaggregated data at the national level as compiled by the Central Statistics Office in 2011. The figures depict female workforce participation rate at 25.51 per cent as compared with males at 53.26 per cent. The rural sector shows an enhanced

* At the Inaugural Session of the Conference on 'Women Leadership and Empowerment' and launch of the Confederation of Indian Industry (CII) — Indian Women Network (IWN), Delhi Chapter, New Delhi (31 July, 2014).

female workforce participation rate at 30.02 per cent as compared with that for males at 53.03 per cent. Whereas in the urban sector, it is 15 per cent for females and 53.76 per cent for males. The Government of India has been taking several measures for the welfare, upliftment and empowerment of women. The various provisions of the Constitution of India and legislative interventions aim at providing positive discrimination in favour of women for neutralizing the various socio-economic inequalities and educational and political disadvantages faced by them. Besides, the State has taken several other initiatives as well. These include women and girl centric policies, plans, establishment of a National Commission for Women in 1992 and launching of the National Mission for Empowerment of Women in 2010. The National Commission for Women is entrusted *inter alia* with facilitating redressal of grievances of women and advising the Government on all policy matters affecting women. The National Mission for Empowerment of Women operationalized during 2011-12, seeks to assess the current Government interventions and align future programmes so as to translate the provisions of women centric policy instruments into reality. It has developed a model of convergence of women focused schemes, policies and programmes at the district level, named as '*Poorna Shakti Kendra*'.

Friends, I want to share with you the recommendations of the National Consultation on the Maternity Benefit Act held at New Delhi on 2 July 2013. The deliberations highlighted issues pertaining to the Maternity Benefit Act and sought universal standards in this regard for the women of the entire country whether in the organized, unorganized or the private sector. It was also emphasized that creches should be maintained in every establishment and that the coverage should be broadened in the unorganized sector. The private sector can think of introducing some kind of flexi hours for the benefit of their women employees.

Today, more women than ever before earn a better living than previous generations in India's history. In the business sector, they

are on the wheel of increasing entrepreneurship and new business ideas and are reaching new professional heights. They all are strengthening the Indian economy and have great impact on the entrepreneurship ecosystem of India. I take pride in acknowledging that women entrepreneurs in India represent a dynamic group of women who are exploring new avenues of women participants with all new vigour. Not only in cities but even small towns, women are showing courage and spirit to start their own business. However, the potential of grassroot level women in this sector is yet untapped. Moreover, the basic and the one of the most critical question concerning women coming to the fore as a startup young entrepreneur—whether from urban or rural background—still remains to be answered is that how many of them are able to grab the opportunity to scale up further. There may be many women who want to work but are not getting the opportunity to even attempt to do so. For this, they need access to the necessary information, education, credit, training and above all motivation to take on the challenges.

Friends, a number of Government run programmes and institutional mechanisms along with a plethora of banking and non-banking financial institutions in the formal, semi-formal and informal sectors are providing assistance to women entrepreneurs for setting up and running their businesses. However, new businesses are like untravelled paths. Most of the hurdles faced, concern beginning with the new ideas and not as women *per se*. In an all women's platform however, women find it easy to take career advice, share their experiences and secure access to resources. These provide an enabling environment to them and empower them to successfully wade through difficulties. In this scenario, I do hold a firm belief that a network of working women from the diverse genres would definitely go a long way in further assisting women on each and every issue that they face in their professional lives and learn from each other’s endeavours.

I am indeed, delighted to know that the CII's 'Indian Women Network' which aims to involve women from all walks of life with its primary focus on entrepreneurship development, is also addressing a host of other women centric issues such as work-personal life balance, gender sensitization, domestic violence, sexual harassment, etc. I am hopeful that as intended, the 'Indian Women Network' would also focus on reaching out to a larger community of women including those at the grassroot level through the imparting of necessary technical and professional expertise, support and training. However, it could further expand its role in assuming a mentor's role by further monitoring the beneficiaries connected to the network and see to it that they do not give up or are defeated during the run.

In order to promote women entrepreneurship in the country, NSIC—the National Small Industrial Corporation, a public sector undertaking under the administrative control of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises—has launched a special incubation programme for unemployed girls and women to set up their own businesses. The NSIC has set up 45 Training-cum-Incubation Centres with one centre each in the Northern region of India in the States of Haryana, Himachal Pradesh and Delhi. Punjab has 6 centres while Uttar Pradesh has 12 centres. The gamut of services provided by NSIC *inter alia* includes imparting of technology and training, market assistance scheme and bank credit facilities.

Recognizing the need for financial inclusion of women as an effective tool for empowerment of women and eradication of poverty, the Government of India started a programme of linking the self-help groups — which is an informal group of people coming together for credit support, savings and other services with banks during the early 1990's. This has emerged as an effective instrument to promote entrepreneurship and self-confidence among women, particularly in rural areas. Pioneered by the National Bank for Agriculture and Rural Development — the NABARD, the SHG-Bank

linkage programme is now being implemented vigorously by many commercial banks, regional rural banks and cooperative banks. The NABARD later on assumed the nodal responsibility of providing re-finance assistance to banks for financing SHGs and Micro Finance Institutions. The notable feature of self-help groups is the active participation by women. A scheme for promotion of self-help groups in 150 backward and left wing extremism districts across the country is currently being implemented under which the effective rate of interest is 4 per cent per annum on prompt repayment and 7 per cent in other districts. In the Union Budget for the current fiscal year, the scheme has been extended to yet another 100 districts. At the end of 2013, a total number of 1,13,042 women self-help groups had been saving linked with banks in 150 districts, of which 23,451 had been credit linked.

I am proud to say that thousands of poor illiterate women are spearheading a silent revolution. The predominant activities that these women self-help groups engage in, range from manufacture of sarees, handicrafts, toys, food items and in the farming, fisheries and animal husbandry sectors, service parlours, auto garages, irrigation, dairying and so on. In Gujarat, the Lijjat Papad Udyog and Amul Dairy—the globally acclaimed entrepreneurial role models—are a mark of women's success. The membership of Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papads has swelled from an initial number of 7 to over 43,000 as on date. The success of the organization stems from the efforts of its women members who withstood several hardships with unshakable belief in their strength. A three-tiered federated structure—the Amul model of dairy development has been known to empower thousands of village women, who benefit at the grassroot level by selling milk to Amul.

Friends, in order to facilitate and support the microfinance sector, the Government of India has facilitated creation of Micro Finance Development and Equity Fund—to be funded by RBI, NABARD and commercial banks in the ratio of 40:40:20. Besides NABARD,

other institutional mechanisms in place for this are the SIDBI—the Small Industries Development Bank of India and the RMK—the Rashtriya Mahila Kosh. The Rashtriya Mahila Kosh set up as a society under the Ministry of Women and Child Development, extends collateral security free micro credit for livelihood support and asset creation to women in the unorganized sector. There is also a special Government scheme aimed at economic empowerment of women through trade related training and credit assistance, namely TREAD — the Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development. Under this, a Government grant up to 30 per cent of the total project cash as appraised by lending institutions is being provided.

In furtherance to its cause of providing a more enabling environment for women, the Government established the 'Bharatiya Mahila Bank' with its first branch inaugurated on 19 November, 2013. The first of its own kind in India, this is a bank exclusively meant for the women clientele. By December 2013, its 9 branches were made functional in major metropolitan cities across India. The Bank's Corporate Office is located at New Delhi. Besides proposals to grant loans to self-help groups in the country, the bank is providing education loans to girl students at a concessional rate.

I am very happy to share with you that according due importance to financing of the micro, small and medium enterprise sector, the Government of India in its Budget for the current fiscal has proposed to establish a Rs. 10,000 crore fund to act as a catalyst for attracting private capital by way of providing equity, quasi-equity, soft loan and other risk capital for startup companies. To boost the manufacturing sector, considering its multiple effects on creation of jobs, the Government proposes to incentivize small enterprises. An investment allowance at the rate of 15 per cent is proposed to a manufacturing company that invests more than Rs. 25 crore in any new plant and machinery. The benefit which is proposed to be made available for three years, that is, up to March 2017, would

definitely give the required fillip to the female entrepreneurship as well. Further, the Government has also proposed to promote foreign direct investment in selective sectors where it helps the major interest of the Indian economy.

On the issue of empowering women to the extent of enhancing their representation on corporate boards and executive committees, I am constrained to note that there is an acute dearth of women in the senior positions in the corporate sector in India. However, with the enactment of the Companies Act, 2013, every listed company is now mandated to have at least one female director. This, I am sure, would create a wide career growth for women and enable them rise up the corporate ladder and also open doors for other women candidates in managerial positions. Here, I must once again emphasize the need for collaboration and interacting amongst women who are at the helm of affairs in the corporate sector, which is in fact keystone to leadership success. By networking in an informal atmosphere, they would benefit by new ideas, insights and solutions and would be provided with a platform to explore and forge new business alliances as well. Further, as mandated by the Companies Act, 2013, the CII should also incorporate relevant clause of empowerment of women and gender equality in its Corporate Social Responsibility policy which as I have learnt, is at the formulation stage as of now.

It gives me immense pleasure to learn that the CII had setup at the national level a Committee on Women's Empowerment as early as in 2002 to take cognizance of the needs of women in the organized sector and to recognize women achievers at the grassroot level. It has been honouring women achievers who have taken development initiatives defying all odds at grassroot level in the diverse fields by instituting and awarding the annual CII Women Exemplary Awards since the year 2005. Further, that in addition to convening of national level conferences on gender-issues, the CII has also been actively engaging itself in undertaking various studies aimed at understanding

the difficulties felt by women which might be affecting their career growth. I am happy to learn that taking the agenda forward, the CII has also been successfully catalyzing a change by encouraging companies to adopt gender informed policies at workplace by holding workshops in different regions and States. I am also happy to note that to identify industry's role in mitigating and tackling crimes against women effectively, the CII has also constituted a National Task Force on the Safety and Security of Women in 2013. I appreciate, the work done by the CII in its role as advocacy partner with the Government of India on various policy inputs concerning vital legislative and participatory measures on women centric issues from time to time.

Ladies and Gentlemen, it is heartening to note that despite all the odds that a working woman of today faces, there is an unprecedented rise in women entrepreneurship in India. In India, women today have emerged as a force to reckon with. I firmly believe that women need to believe in themselves and create an ecosystem to achieve success. And this can be done through education, continuous learning, sharing, support for each other and above all creating women’s support networks. The inter-linking would help in mentoring and passing on experience to the ones who need it the most. On a concluding note, I would like to share with you that a capable and empowered woman can pick up a job any day, but if she becomes an entrepreneur, she can provide livelihood to many people. My best wishes to the Confederation of Indian Industry in all, its endeavours especially at building, strengthening and empowering the women force of India.

Thank you.

BUILDING A CONDUCIVE ENVIRONMENT FOR WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT*

Traditional Indian wisdom has always held that all living beings are of common stock made from similar life units. In other words, at a gross material level human beings and all other life forms are alike but ability to act rationally and logically separates us from other living beings. According to our ancient Sanskrit literature and I quote:

"Ahara-nidra-bhaya-maithunam cha
Samanam_etatapashubhir_naranam I
Dharmo hi tesham adhiko vishesho
Dharmena hinah pashubhih samanah II"

In the Sanskrit stanza, *Ahara* is food, *nidra* is sleep, *bhaya* means feeling of fear from outside world and consequently the urge to protect oneself and *maithunam* indicates mating and propagation of species. These aspects are common to both animal and human existence. But what differentiates human beings from animals and makes them the 'crown of creation' is *dharma* which means good conduct or righteousness which is the ability to use intelligence or buddhi to do what is right. This unique capability enables them to learn from life experiences and carefully work towards higher goals of social good.

The worth of any civilization can be judged from the position it gives to women. Our culture and ethos justifiably ascribes an honoured status to women. Women are not excluded, but are an integral part of life and dharma. As per the Indian mythology the concept of woman as shakti, or the primal energy force and the concept of *shiva shakti* or *ardhnarishwar* amply demonstrates that

* At the 9th Annual Meeting of Women Speakers of Parliament, Geneva, Switzerland (4-5 September, 2014).

man and woman are not separate entities, but are together and complement each other. They are endowed with similar qualities, capabilities and potential. That woman and man are equal in the eyes of *dharma* is made explicit in a beautiful *sloka* or *verse* from the *Rigveda,* which is the oldest veda and a part of our ancient religious literature. The verse translates somewhat like this:

> "O women! These mantras are given to you equally (as to men). May your thoughts, too, be harmonious. May your assemblies be open to all without discrimination. Your mind and consciousness should be harmonious. I *(the rish*i) give you these mantras equally as to men and give you all and equal powers to absorb (the full powers) of these mantras."

The subject Building a Conducive Environment for Women's Economic Empowerment treats women as a group separate from men who need to be given special concessions and encouragement in the economy and society. However, as per the Indian belief, the concept of inclusiveness prevails as men and women are not independent of each other but are interdependent in the family and the larger society. Men and women together make the universe noble (Aryam). They reap the benefits of socio-economic advancements jointly. Accordingly, men and women should equally participate in the development process as it contributes to inclusive growth, sustainable development and long term prosperity. It is well recognized that societies which discriminate by gender tend to experience less economic growth and poverty reduction than societies which treat men and women equally.

One of the versus in the *manusmriti,* (a set of codified laws of ancient India) says:

> "Yatra naryastu pujyante ramante tatra Devata, yatraitaastu na pujyante sarvaastatrafalaah kriyaah."—

This may be translated as: Where women are respected, there reside the Gods, and where women are dishonoured, all actions no matter how noble remain unfruitful.

In order to create a more just and caring world, social and economic policies of countries should accord top priority to women. Their empowerment is key to a better life for all. In recent years, women’s access to career opportunities has increased, but there are concerns about their low wages, vulnerable employment and lack of social protection. Women are under-represented in the organized sector and over-represented in the unorganized sector. Moreover, women have to devote much of their time to domestic responsibilities. It is extremely difficult for them to balance work with family pressures. This challenging situation affects families adversely and has a negative impact on the professional domains and well-being of women.

It is felt worldwide that there is a need to recognize women's unpaid domestic work which is a major cause of uneven power relationship between men and women within the household as well as in society. There is little acknowledgement of a large portion of the work that women perform. They take care of children, elderly people, the sick and the disabled. However, such work is dismissed as family obligations. It is necessary for the society and the economy to give value and respect to women's unpaid care giving work and also to change the traditional mindset. The economy should take into account the real value of the most basic and important human work of care giving—the work without which there will be no work force and no human potential and which is impossible to quantify in economic terms as it is beyond every measure. It is necessary to think outside conventional economic models and provide visibility and value to the work of care giving. There is need to redefine what productive work is. Models of development need to change. These models have created enormous stress in the lives of people. For example, Bhutan does not measure its economy on the basis of Gross Domestic Product (GDP) alone but they have developed the concept called Gross National Happiness (GNH) which is indicator that measures quality of life or social progress in more holistic way and it is of utmost importance for any society. We all should strive to achieve this noble concept of GNH in our national life.

To quote Dr. Radhakrishnan, one of the most outstanding scholars and the former President of India:

"The general Hindu view of women is an exalted one. It regards the woman as the helpmate of man in all his work (Sahadharmini) ..."

Indian culture and civilization has always honoured women and their rights. Accordingly, the Constitution of India grants equality to women and prohibits discrimination in matters of opportunities and employment. Flowing from this Constitutional mandate, our country has enacted laws and developed policies that challenge traditional determinants of women's status to create a conducive environment for empowering women economically and promoting gender equality. These include issues such as asset ownership, skill development and financial inclusion. The Government of India has also taken the initiative to start gender budgeting with the objective of securing gender equality in decision-making and in public resource allocation. A gender-responsive budget acknowledges the gender patterns in society and allocates money to implement policies and programmes that will change these patterns in a way that moves towards a more gender equal society.

Gender Budgeting is in practice with Central Ministries/ Departments to collect and analyse sex disaggregated data as it is vital in taking the gender agenda forward through the disaggregation of economic and social statistics so as to facilitate corrective measures in policies and programmes, facilitate monitoring and evaluation and undertake training programmes for policy makers as well as communities to produce tangible improvements in gender equity. The revised EFC (Expenditure Finance Committee) format has a mandatory column on Gender Analysis of the proposal wherein specific objective of proposal relating to women and the percentage of total expenditure on the gender components need to be mentioned.

India has made significant progress in improving the position of women and empowering them economically, politically and socially. The issue of political empowerment has received the utmost attention from different quarters with the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, 1992 which has increased the access of women to decision-making at the local level by providing them with 33 per cent reservation in Panchayati Raj bodies. The reservation quota has been further enhanced to 50 per cent of the total number of seats in 14 States of our country. All these initiatives have made practical changes at the grassroots level. Efforts are also being made to bring about 33 per cent reservation of seats for women in the Parliament and Legislative Assemblies. Women are also participating in other spheres of Governmental activity, the Judiciary and Corporate Sector which are also recognized and are equally important for women empowerment. The commitment of the Parliament of India and the Government to this holistic view of women empowerment is reflected in their continuing efforts on this front. Major initiatives have been taken to protect and promote the rights of women to achieve equity and justice and with this view the National Commission for Women (NCW) has been set up.

In order to encourage women to join the workforce and protect their rights, India has enacted several legislations on payment of minimum wages, provisions for childcare, decent and safe working conditions and basic social security. There are legal provisions under the Equal Remuneration Act, 1976 and Maternity Benefit Act, 1961 to ensure their basic rights. To protect women from sexual harassment at workplace both in the organised and the unorganised sector, Parliament has enacted the Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act promotes participation of women in the Workforce through one-third quota. The National Food Security Act, 2013 which ensures nutritional security to identified households also contains women specific provisions.

The National Mission for Empowerment of Women (NMEW) was launched along with other objectives, to strengthen the inter-sector convergence; facilitate the process of coordinating all the women's welfare and socio-economic development programmes across ministries and departments.

The Government of India also provides several facilities to women to enable them to strike a balance between family obligations and work. Creche/day care facilities, supplementary nutrition, immunization, medicines and recreation facilities are provided to the children between the age group of 6 months – 6 years. In addition, women employees of Central Government having minor children (below the age of 18 years) have a right to avail child care leave for a maximum period of two years during their entire service.

The Government has also launched several schemes and programmes for mainstreaming women in the economy. Some of these schemes are Trade Related Entrepreneurship Assistance Development Scheme for Women (TREAD), Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP), Support of Training and Employment Programme (STEP) that provides upgradation of skills and sustainable employment for women Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY) is an exclusive income generating scheme for economic development of Scheduled Tribes Women. The Rashtriya Mahila Kosh (National Credit Fund for Women) has been set up to provide collateral, free micro-credit to poor women for various livelihood support and income-generating activities at concessional terms in a client-friendly manner to bring about their socio-economic development.

The Bharatiya Mahila Bank (BMB), an exclusive bank for women with a vision of economic empowerment of women caters to all segments of women with special attention on the economically deprived, discriminated, underbanked, unbanked, rural and urban women to ensure inclusive and sustainable growth. The recently launched Jan Dhan Yojana is the government's largest financial

inclusion programme in the financial services sector in the country which aims at providing easy, credit facility, accidental insurance cover along with life insurance cover to the poorest of the poor and benefit the women particularly.

Real empowerment comes with education. I am happy to inform you that the literacy rate in India has improved for both, girls and boys. With education comes confidence and identification. Women with this empowerment have increased awareness levels and they have started raising their voice against injustice in society.

It is true that women have been accorded an honourable place in our culture and tradition and our Government has also taken numerous concrete initiatives for women empowerment. However, it is also true that women in our country are facing formidable challenges in almost all spheres of life. Adverse socio-cultural norms, traditional practices and prejudices and obstinate patriarchal mind-sets, bigamy, polygamy, child marriage, female foeticide and unfair treatment of widows serve as impediments in the path of women's empowerment. The child Sex Ratio (age group 0—6 in rural segment) has shown deterioration at the National level from CSR of 939 in 2001 to CSR 923 in 2011. The Government is taking initiatives to address these issues with measures like One Stop Crisis Centre (Nirbhaya Centre) for women affected by violence, both in private and public spaces, including family, community, workplace etc., which are proposed to be established at 660 locations across the country. The Government of India has also announced *Beti Bachao Beti Padhao (Save the girl child Educate the girl child)* Campaign to increase awareness on critical issues and try change mindsets. It will be aimed at ensuring girls are born, loved and nurtured without discrimination, educated and raised to become empowered citizens of this country with equal rights. Additionally, our strength is that we are an open society with an independent judiciary, free media and civil society to help in improving the well being of women.

As Women Speakers of Parliament, it is our duty to ensure that the laws enacted by Parliament are women-friendly and that Parliament serves as a model institution for creating a positive environment for women's economic empowerment. Parliamentarians can be motivated to address women related issues particularly those matters which deal with the 'care' aspect.

In my own Secretariat, various policies and schemes have been adopted to provide healthy and safe working conditions of work to women staff along with a variety of support services intended to enhance their capacity to balance professional and family responsibilities. These initiatives include enhancement of maternity leave, introduction of child care leave, provision for paternity leave, drop-off facility by office vehicle in case of late stay for official work and ladies' pool in government accommodation. There is a Complaints Committee for redressal of Sexual Harassment of Women Employees aimed at providing them safe and secure environment.

I would like to end by saying that, the real need is to change the mind set. The need of the hour is to have self governance where every individual has the power and every individual is treated equally.

ACHIEVING GENDER EQUALITY, ENDING VIOLENCE AGAINST WOMEN*

It gives me immense pleasure to participate in the General Debate on the theme—'Achieving Gender Equality, Ending Violence Against Women'. This subject is, in fact, very close to my heart; and being a woman Speaker of the elected House of the Parliament of the world's largest democracy, I deem it my privilege to raise the issues of women in a prestigious international Forum such as the Assembly of the Inter-Parliamentary Union.

Women in fact, the unwavering pillars of society. They are the nurturing base who cultivate the growing generations, nourish the families, care for the ageing populace, support the economy and weave the social fabric of the communities. But still they suffer social, economic and physical discrimination.

Gender inequalities increase the risk of acts of violence against women. Therefore, promoting gender equality has been considered as a critical tool of preventing violence against women. Accordingly, empowerment of women was identified as one of the eight Millennium Development Goals targeted to be achieved by the year 2015. Over the years, though there has been significant improvement in the status of women in many parts of the world in relation to their health, education and employment, there still exist several challenges and constraints on the way of achieving gender equality in its entirety.

The worth of any civilization can be judged from the position it gives to women. Indian culture and ethos justifiably ascribes an honoured status to women. As per the Indian mythology the concept of woman as shakti, or the primal energy force and the concept of

* At the General Debate during 131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland (12-16 October, 2014).

shiva shakti or ardhnarishwar amply demonstrates that man and woman are not separate entities, but are together and complement each other. They are endowed with similar qualities, capabilities and potential. The principle of gender equality is enshrined in our Constitution which guarantees to all women the fundamental right to equality in all matters. On the political front, India has been a pioneer in extending adult franchise to its women population. To further promote the political rights of women in India, we had amended our Constitution way back in the year 1992 to provide one third seats to women in our local bodies and in some States even up to 50 per cent.

On the economic front, we recognize the fact that gender equality is the cornerstone of inclusive growth, sustainable development and long term prosperity. Today, gender mainstreaming is an essential part of our developmental planning. To promote gender equality, we have in place the process of Gender Budgeting as an integral tool of our annual Budgets. l am glad to place on record that we have made significant progress, over the years, in making the position of women better and stronger to bring about gender equality in our society. However, we still have a long way to go as gender-based violence still remains a serious concern for us.

Indian culture and civilization has always honoured women and their rights. The Constitution of India grants equality to women and prohibits discrimination in matters of opportunities and employment. Our country has enacted laws and developed policies that challenge traditional determinants of women's status to create a conducive environment for empowering women economically and promoting gender equality. These include issues such as asset ownership, skill development and financial inclusion. Though enacting laws to prohibit violence against women is an important step towards eliminating such violence, the efficacy of such legislations depends on the extent to which they are effectively applied and enforced. In India, the Ministry of Women and Child Development, the National

and State Level Commissions for Women and a specialized Parliamentary Committee on Empowerment of Women are the integral parts of our State apparatus that strive to ensure effective implementation of the laws, programmes and schemes.

To end the cycle of violence against women we have recently started a programme called *Beti Bachao, Beti Padhao* (that is, Save Daughter, Teach Daughter) to increase awareness on critical issues facing our daughters and to try to change mind-sets of people in favour of the girl child. To prevent trafficking and help the victims of trafficking for commercial sexual exploitation, we have been implementing a comprehensive scheme called *Ujjawala*. Recently, we have proposed to set up One Stop Centres across the country as a single point access to provide the women in distress legal aid, counselling and temporary shelters.

I appreciate the noble initiatives of the Inter-Parliamentary Union member countries to strive to achieve the goal of gender equality and violence against women. The real need is to change the traditional mind-set and not treat them as commodity. The real empowerment of women will happen when they participate as equal partners in economic, political, financial and social decision making process. In fact, women deserve higher respect for giving birth to life. Let us all join hands to eliminate all forms of gender-based inequalities and violence that have wide-ranging implications for sustainable peace and prosperity in our societies.

Thank you.

रचनात्मक महिला शक्ति*

सर्वप्रथम मैं संसद की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की विचारगोष्ठी के इस गरिमापूर्ण अवसर पर आपके बीच आकर मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष 1989 में अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों का यह संघ, महिलाओं के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों पर चर्चा करने, मंत्रणा करने और विचार-विनिमय करने के एक मंच के रूप में उभरकर सामने आया है। आज की इस विचारगोष्ठी का विषय है "भारत के विकास में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका है"।

महिलाएं आदिकाल से सृजन के केन्द्र में रही हैं। महिला शक्ति रचनात्मक है। जब मानव घूमंतु था तो सबसे पहले महिला ने ही परिवार की परिकल्पना को साकार किया। परिवार के आधार पर ही गांव, फिर समाज, फिर राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसकी धुरी महिलाओं पर टिकी हुई है। आज के आधुनिक युग में भी परिवार ही समाज की मूलभूत इकाई हैं जिसका आधार महिला है। इस परिस्थिति में यह कहना कि महिलाएं राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व के निर्माण के केन्द्र में हैं, अतिश्योक्ति नहीं होगी।

किसी भी सभ्यता के उत्कृष्ट होने का पता इससे लगता है कि वह सभ्यता महिलाओं को कितना सम्मान देती है। महिलाएं धर्म और जीवन का अभिन्न अंग हैं। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार शक्ति मूल ऊर्जा स्रोत है और शक्ति से ही शिव का आधार है। शिवशक्ति अथवा अर्द्धनारीश्वर की अवधारणा यह सिद्ध करती है कि नर और नारी अलग नहीं हैं बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों समान गुण, क्षमता और ऊर्जा से भरे हुए हैं। धर्म की दृष्टि में नर और नारी एक समान हैं।

जब हम महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना एवं उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने का हक देना। सशक्तीकरण का अर्थ उनके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव जीवन के अन्य आयामों के साथ-साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। महिला सशक्तीकरण किसी भी समाज के आधुनिकीकरण

* राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की विचारगोष्ठी में 'महिलाओं की भारत के विकास में केन्द्रीय भूमिका है', के उद्‌घाटन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (22 दिसंबर, 2014)

का रास्ता खोलती है। सामाजिक भय, पीड़ा, उनके प्रति हिंसा का प्रतिकार पूरे जोर-शोर से किए जाने का साहस उनमें पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे समाज में सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाएं।

महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं हो सकता। हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति जो सोच है, वह रूढ़िवादिता के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है। महिला सशक्तीकरण को प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षित समाज ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात को गंभीरता से लेता है।

आज महिलाएं चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरी, उद्यमिता इत्यादि के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। भारत और अन्य देशों के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। खेल के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने असाधारण सफलता हासिल की है। महिला कार्यबल की बढ़ती संख्या ने हमारी आर्थिक विकास दर में महत्वपूर्ण योगदान किया है और इसे गति प्रदान की है। वर्तमान विकास दर पर, वर्ष 2015 तक वेतनभोगी वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 22.28 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है जो कि सर्वोत्तम स्तर होगा।

हमारा विश्वास है कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें शिक्षित करना है। जैसाकि कहा जाता है जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं। हमने शिक्षा का विस्तार करने के लिए गम्भीर प्रयास किए हैं और प्राथमिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। 2015 से पहले प्राथमिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने की संभावना है। हमें महिलाओं के लिए कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

महिलाओं के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मीडिया में महिलाओं से संबंधित सरोकारों को प्राथमिकता के आधार पर दिखाए जाने की आवश्यकता है। सिनेमा, विज्ञापन एवं टी.वी. पर महिलाओं की जो छवि प्रस्तुत की जाती है वह चिंताजनक है। कार्यक्रमों में जिन महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लगन और प्रतिभा का उपयोग करते हुए अपने-आपको साबित करते हुए सफलता का परचम लहराया है, उनकी खबरों को दिखाना चाहिए। ऐसी खबरों से उनका हौसला बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर वे सशक्त होकर समाज के सामने आती हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में ई-कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से

आंध्र प्रदेश में भी ग्रामीण महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने अपने उत्पादों को देश में ही नहीं परन्तु विदेशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी इलाके में सोलर कूकर को प्रचलन में लाकर उन महिलाओं की ईंधन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई। हमें कृषि तकनीक को भी जेंडर न्यूट्रल बनाना है ताकि महिलाएं उनका उपयोग आसानी से कुशलतापूर्वक कर सकें। हमारे देश में 90 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनका कार्य हैंडीक्राफ्ट्स, सिलाई, बीड़ी बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि है। सूचना तकनीक के उपयोग के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सकती है।

महिलाएं राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना प्रत्यक्ष योगदान तभी कर पाएंगी जब वे सुरक्षित होंगी। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी-युक्त परिवहन व्यवस्था, पुलिस स्टेशनों का आपस में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ा जाना, अपराधियों के आंकड़ों का केन्द्रीय संग्रहण एवं उनकी व्याख्या इत्यादि महत्वपूर्ण कदम हैं।

महिलाओं के विकास से संबंधित जिन अन्य क्षेत्रों पर हमने ध्यान केन्द्रित किया है वे हैं पोषण, स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार नियोजन। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें उन्हें महामारी, संक्रमणकारी, संचारी और यौन रोगों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान करनी होगी जिससे वे स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ उठा सकें। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हम प्रसूति केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

मित्रो, जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाओं की संवर्धित भागीदारी महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं की हिस्सेदारी को हमें विधायिका में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर बढ़ाना है। देश की आधी आबादी की लोक सभा में लगभग 12% प्रतिनिधित्व है। इसलिए महिला सांसदों को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर वे सतर्क और सजग रह कर महिला हितों का संरक्षण और संवर्धन करें। विभिन्न कानूनों पर संसद में बहस के दौरान महिला हितों की अनदेखी न हो यह भी उनकी जिम्मेदारी है। जागरुक और सफल जनप्रतिनिधि का उदाहरण प्रस्तुत कर वे और महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटों का आरक्षण दिया गया है जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए मजबूत नींव रखी गई है। हमारे देश में, शासन के उच्चतम पदों पर अत्यधिक प्रतिष्ठित महिलाएं रही हैं। इस बार सोलहवीं लोक सभा के लिए 62 महिला सांसद चुनकर आयी हैं जबकि आम चुनावों में महिलाओं

के मतदान की प्रतिशतता 65.63 रही। वर्तमान में, स्थानीय स्वशासन के लिए लगभग 15 लाख महिला प्रतिनिधियों का चयन होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है। वर्ष 2005 से, सरकार ने जेन्डर बजटिंग आरंभ की है जो कुल बजट परिव्यय का लगभग 6% है।

संसद के स्तर पर वर्ष 1997 में महिला सशक्तीकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। समिति महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में समानता की स्थिति और गरिमा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों संबंधी रिपोर्टों की जांच करती है।

हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें, इसके लिए हम सकारात्मक उपाय करते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सबसे पहली आवश्यकता पारम्परिक सामाजिक सोच से 'मुक्ति' है। साथ ही महिलाओं को उत्पीड़न, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, अशिक्षा अथवा अल्प शिक्षा, आर्थिक निर्भरता से भी मुक्ति दिलानी है और हम सहभागी सशक्त महिला की संकल्पना के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे विचारगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं आशा करती हूं कि यहां जो विचार-विमर्श होगा वह हमारी महिलाओं को और भी सशक्त बनाएगा।

धन्यवाद।

रानी मां गाइडिन्ल्यूः एक वीरांगना*

अपने समय की एक अति सम्माननीय नेता रानी मां गाइडिन्ल्यू की जन्मशती मनाने हेतु आयोजित आज इस विशाल महिला सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। मैं रानी मां को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने न केवल हमारे स्वाधीनता आंदोलन में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं का यहां आना रानी मां की लोकप्रियता और इस क्षेत्र के कल्याण के लिए उनके योगदान का परिचायक है।

विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित देवी मां कामाख्या की गृहनगरी असम विशेषकर राजधानी गुवाहाटी आने पर मुझे अत्यधिक खुशी होती है। अपने ताजगी भरे चाय बागानों और दुर्लभ जीव-जन्तुओं के लिए विख्यात असम एक समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुन्दरता वाला राज्य है। मैं असम के लोगों के प्रेम और स्नेह से अभिभूत हूं। हालांकि यह क्षेत्र भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है, फिर भी इस क्षेत्र के लोगों द्वारा संजोई गई अपनी समृद्ध परम्परा और स्वदेशी संस्कृति के कारण इस क्षेत्र का हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक विशेष और अनूठा स्थान है।

आज का यह 'महिला सम्मेलन' रानी गाइडिन्ल्यू की याद में आयोजित किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि जेलियंगरोंग हरेका एसोसिएशन रानी गाइडिन्ल्यू के विचारों, सुधार कार्यों, योगदान और उनके बलिदानों को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने जीवनभर न केवल भारत में ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध किया अपितु लोगों के कल्याण के लिए भी लगातार काम किया। रानी गाइडिन्ल्यू ने जेलियंगरोंग नागा समुदाय की संस्कृति, परम्पराओं और संस्थाओं के संरक्षण, उसे आगे बढ़ाने और उसे संजोए रखने के लिए संघर्ष किया। मेरा यह मानना है कि हमारी अपनी संस्कृति, विचार, परम्पराएं और सामाजिक संस्थाएं हमें पहचान देती हैं और अपनी पहचान को बचाना हमारा अधिकार है। आज मैं उस महान नेता, जो अपने समुदाय की अस्मिता

* रानी मां गाइडिन्ल्यू की जन्मशती समारोह के अवसर पर गुवाहाटी, असम में आयोजित महिला सम्मेलन के अवसर पर भाषण, असम (28 दिसंबर, 2014)

के संरक्षण और उत्थान हेतु हमेशा कोशिश करती रहीं, की जन्मशती समारोह में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।

मुझे बताया गया है कि रानी मां के जन्मशती समारोह को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रानी गाइडिन्ल्यू पर स्मारिका का प्रकाशन, स्मृति व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल महिला सम्मेलन आयोजित करने और विभिन्न स्थानों पर रानी मां गाइडिन्ल्यू की प्रतिमाएं लगाने जैसे कार्यक्रम सराहनीय हैं क्योंकि ऐसे प्रयासों से रानी मां के महान बलिदानों से जन-जन को अवगत कराने में सहायता मिलेगी। मेरा यह मानना है कि रानी गाइडिन्ल्यू के जन्मशती समारोह को इतने विशाल पैमाने पर मनाना उनके योगदान और बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

हमारे देश और विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की महान वीरांगना रानी गाइडिन्ल्यू अपने ओजस्वी, बहुमुखी और ईमानदार व्यक्तित्व के लिए विख्यात हैं। समाज के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनके संघर्ष और त्याग, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को भारत की मुख्यधारा में लाने में उनकी अद्वितीय उपलब्धियां और नागा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के उनके अथक प्रयासों के कारण रानी मां गाइडिन्ल्यू को 1981 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार, 1983 में बिरसा मुंडा पुरस्कार और 1987 में विवेकानंद सेवा सम्मान से नवाजा गया और यह सही मायने में इसकी हकदार थीं।

रानी मां गाइडिन्ल्यू विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज की इन विषम परिस्थितियों में, जब महिलाओं के शोषण की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, सभी महिलाओं को रानी मां गाइडिन्ल्यू के आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जो अपने बचपन से ही एक आत्मनिर्भर और दृढ़ इच्छा शक्ति की बालिका थीं और जिन्होंने जीवन की सभी विषम परिस्थितियों में निडर होकर काम किया। हम सभी रानी मां की प्रतिबद्धता, उनके दृढ़ निश्चय, समर्पण और लोगों को एकजुट करने के कौशल से सीख लें और ऐसा माहौल बनाएं जिसमें महिलाएं अधिकार और गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें।

एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, राजनेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रानी मां गाइडिन्ल्यू की जन्मशती सभी महिलाओं के हितों का संरक्षण करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने हेतु संकल्प लेने का एक उचित अवसर है। हाल के वर्षों में महिलाओं के प्रति हिंसा की गंभीर घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। जो कि समाज में गिरते मानव मूल्यों के दुखद पहलू को दर्शाता है। हमारी एक महान महिला नेता की जन्मशती के आयोजन के इस महान अवसर पर महिला सम्मेलन में भाग लेते हुए हमें महिलाओं के लिए अपने समाज को

सुरक्षित बनाने का संकल्प लेना चाहिए। महिला होने के नाते हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी के लिए और विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक हिंसामुक्त, न्यायसंगत, भेदभाव रहित और एक समान माहौल तैयार करें। रानी गाइडिन्ल्यू के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार में अपने स्थानीय मूल्यों को शामिल करने की आवश्यकता है।

हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारी लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं और बालिकाओं की है और वे अपने जीवन में प्रतिदिन सामाजिक अभिशाप, भेदभाव, आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न और हिंसा का सामना करती हैं। हमारी महिला जनसंख्या का एक बड़ा भाग, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आवश्यक अपने मूलभूत अधिकारों, हकदारियों और अवसरों से वंचित हैं। महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना, व्यापक अशिक्षा, गरीबी और गहरी पैठ बना चुके सामाजिक पूर्वाग्रह इन सभी बुराइयों की जड़ है। एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस तथ्य पर बल देना चाहती हूं कि महिलाएं हमारे समाज का एक स्थायी स्तंभ हैं और उनके सहयोग और उनकी अधिकारिता के बिना हम किसी राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। महिलाओं को अधिकार दिए बिना और समाज में उन्हें पूरी तरह शामिल किए बिना हमारे विकास संबंधी सभी प्रयास अधूरे रहेंगे। परन्तु, यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारी आजादी के छह दशकों के बाद भी महिलाएं हमारे समाज का एक सबसे वंचित वर्ग है। राजनैतिक रूप से निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है और उच्च विकास दर तथा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति होने के बावजूद विकास का परिणाम और लाभ हमारे देश में महिलाओं के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचा है।

अतः, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए हमें एक ऐसा अनुकूल परिवेश तैयार करना होगा जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकें। हमें महिलाओं के ऐसे स्वयं-सहायता समूहों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो उत्पादनकारी और आय जुटाने वाले विभिन्न कार्यकलापों में भाग ले सकें और विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देते हुए विकास संबंधी पहल कर सकें। इन सभी कार्यों का प्रयोजन महिलाओं को अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करना है।

आज हम विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारी छवि काफी अच्छी है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शोषण से बाहर निकालने के काफी अनुकूल अवसर पैदा हुए हैं। रानी गाइडिन्ल्यू के जन्मशती

समारोह के इस पावन अवसर पर मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के महान उद्देश्य को बढ़ावा दें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस विशाल महिला सम्मेलन का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। रानी मां के जन्मशती समारोह को सफल बनाने के लिए मैं जेलियंगरोंग हरेका एसोसिएशन और चयन समिति से जुड़े सभी सदस्यों को उनके कठिन परिश्रम और पहल के लिए बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि रानी गाइडिन्ल्यू के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने और सभी के लिए शांति और समृद्धि कायम करने में आप सभी के प्रयास काफी सार्थक सिद्ध होंगे।

धन्यवाद।

DEVELOPMENT: INNOVATING FOR FINANCING FOR GENDER EQUALITY*

We have assembled here to discuss and deliberate on a subject that has attracted a lot of attention in recent times. The topic has a direct bearing on women and how to improve their lot through innovative financial inclusion. Financial inclusion in turn has the potential to empower them. Today, equality entails equipping, both men and women with equal access to capabilities; so that they have the freedom to choose opportunities that improve their lives. It means that women have equal access to education, health, nutrition, access to economic assets and resources, political opportunity and freedom from coercion and violence. Gender Equality connotes equality, fairness & justice in the distribution of opportunities, responsibilities and benefits in law and social situations for men and women. Gender equality is not a woman's issue, it is a human issue. It affects us all. Gender equality is at the core of sustainable development.

Equal access to resources and opportunities is not new to India. Even in Ancient times, there were many accomplished women like Gargi (Philosopher), Maitreyi (Thinker), and Leelavati (Mathematician) were icons of women's intellectual stature in Indian Society.

All developments are fuelled by finance and the innovations in financing can be a critical element in attaining gender equality. Institutional innovations are an integral part of any new process. The Gender Budget initiative has opened up new vistas of channeling public expenditure in India.

---

* At the 10th meeting of Women Speakers of Parliament organized by IPU, New York (29 and 30 August, 2015).

The Government of India has adopted Gender Budgeting as a tool for achieving gender mainstreaming. The most important milestone towards institutionalizing the Gender Budgeting process in India has been the formation of ‘Gender Budgeting Cells (GBCs)’ in 57 Ministries and Departments, which serve as focal points for coordinating Gender Budgeting initiatives, both at intra and inter-ministerial level. To facilitate the integration of gender analysis into Government budget, a ‘Gender Budget Charter’ has also been drawn for guidance and implementation. It continuously maintains a gender perspective in policy and programme formulation, its implementation and review. Provision of circulating Annual Action Plan Format also enables the Gender Budgeting Cells to look beyond mere allocation of resources for women and to track their utilization and undertakes an analysis of their impact.

The mechanism of Gender Budget Statement in India monitors the progress on gender equality. Herein, the Gender Budgetary allocations are reflected in a two way classified Gender Budgeting Statement—the first part that is Part A includes Schemes with 100 percent allocation for women while Part B of the Statement reflects where the allocation for women constitute at least 30 percent of the provision. With a happy note, I may mention that this practice of laying the Statement has emerged as an important tool for allocation for women and provides a picture of the funds flowing to them. This way the magnitude of gender budget has increased substantially from Rs. 143786 million in 2005-06 to Rs. 792578 million, in 2015-16.

Hon’ble Chairperson, Women’s economic empowerment is a pre-requisite for sustainable development and financial independence is key to women’s empowerment as a whole. Our efforts to promote gender equality through financial inclusion has indeed contributed towards more sustainable growth and development. The Microfinance programmes are run with the help of Non-Government Organizations and Self-Help Groups, and have led

to economic empowerment of our women. In India, it has helped in poverty alleviation, livelihood promotion, developing the local economy, building organizations and changing institutions within the society. Self-Help Groups coupled with the microfinance have linked women to the mainstream banking system in the rural areas, *Dhanlaksmi* is one such conditional cash transfer scheme being implemented to provide financial incentives for families to encourage them to retain the girl child and to educate them.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana is a National Mission on Financial Inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country. It aims to ensure access to various financial services like availability of basic savings bank account, access to need based credit, remittances facility; insurance and pension to the excluded sections *i.e.* weaker sections & low income groups. The plan assures universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household along with financial literacy, access to credit, insurance and pension facility. Overdraft facility upto Rs. 5000- is made available to each account for every household, to the lady of the household. The Cash Transfer schemes ensure direct transfer of cash for girls and women which further promote financial inclusion of women. The Unique Identification Device (UID) or Aadhaar Card Scheme in India provides the proof of identity to the poor and marginalized women. The Aadhaar Card facilitates disbursal of social security and other benefits like pensions, scholarships, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) wages, etc. to women and girls. Bhartiya Mahila Bank Ltd.—A Bank exclusively for women, first of its kind in the banking industry in India, has been formed with vision of economic empowerment for women. With 23 branches across the country, the bank is focusing on the entire pyramid of Indian women, with special attention to economically weak, under banked, unbanked, rural and urban women to ensure inclusive and sustainable growth. Other unique initiatives

such as the National Rural Livelihood Mission (NRLM); the National Credit Fund for Women provide direct financial access to women.

However, there are some challenges too in the process of innovating for financing for Gender Equality. Every country is at a different stage of development and follows different path, strategies, visions and tools in accordance with their national ideologies, circumstances and priorities: Choice of financial instruments and innovativeness is determined by indigenous culture, financial habits such as informal channels of banking, cash economy and level of financial literacy.

The World has become a global village, so every country's choice of financial policies is also affected to some extent by Global imperatives. These imperatives force developing countries many times to commitments which pressurize their financial policies. The issues of subsidies, agriculture, marketing and trade which affect farmers will have direct impact on the women by increasing or decreasing the income of the rural household. It is therefore important that there should be safeguards to protect the women from getting affected by the impact of these global imperatives.

Women participation in political, economic and social decision making process is absolutely critical for their empowerment and systematic influence on policy outcomes.

Needless to say, we have enacted progressive legislations and introduced programmes and schematic interventions to facilitate progress towards the goals of gender equality and women's empowerment. Our Parliament has enacted enabling Legislations to provide safe environment for women to work, live and fulfil their potential. With a view to encouraging women participation in decision making at various levels, provision for at least one woman director has been included in the new Companies Act, 2013. As per this Act, every listed company and every other public company having paid up share capital of Rs. 100 crore or more or having turnover of Rs. 300 crore or more is required to appoint at least

one woman director. Non-compliance with this rule has been made punishable. To empower women we have reserved 33 percent seats for them in local governance to facilitate and strengthen their position in decision-making. Encouraged by this, some of our States have raised the reservation level to 50 percent for wider participation by them. About 1.3 million women at the local governance level have been brought into the local decision making mainstream, thereby ensuring direct flow of development finance.

Friends, Speakers of Parliaments, and specially the Women Speakers, have a major role to ensure that gender dimension is highlighted in local and international issues as well as in all aspects of the parliamentary work. The Women Speakers of Parliament can take a lead for establishing gender-sensitive sustainable goals for the world. They can ensure that more and more women participate in parliamentary committees, fora and groups and help place them in positions of effective leadership in all parliamentary structures. The Women Speakers can also support the cause by allocating more time to debates on gender equality issues in Parliament, by setting up specialized committees on gender, and through empowered gender or women's caucuses and gender units in Parliament. Being the Speakers they can bring a change in the working environment in Parliament by ensuring that internal policies of Parliament are reviewed from a gender perspective. The Women Chairpersons of the Parliamentary Committees and Women members of Parliaments have an important role towards gender empowerment and equality.

There is no denying the fact that the battle for gender equality has to be fought at the level of minds. Only when a particular mindset, of men as well as women, is changed to view women as an equal human being and a partner in all activities will this fight be over. In this direction, a new initiative that we have recently launched is *Beti Bachao Beti Padhao* (Save Girl Child, Educate Girl Child). Aiming at changing mindsets, this programme addresses not only declining child sex ratio but also discrimination against women in a life cycle continuum.

In conclusion, I must say that there should be growing understanding that it is not enough to have the right policies and system to fix the gender gap and promote gender parity. For real impact it is crucial to identify and transform the deeply entrenched mindsets and behaviour pattern that obstructs the change. With these words, I hope that the deliberations and exchange of experiences in this meeting will go a long way in further innovating for gender equality.

Thank You.

The former President of India, Smt. Pratibha Patil, addressing the Valedictory Session. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi and the Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan are on the dias.

President of India Shri Pranab Mukherjee; Vice-President Shri Mohammad Hamid Ansari; Prime Minister Shri Narendra Modi; Lok Sabha Speaker Smt. Sumitra Mahajan; and Speaker of Bangladesh Parliament Dr. Shirin Sharman Chaudhury at the inaugural session of the First National Conference on "Women Legislators: Building Resurgent India" on 05 March, 2016 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Hon’ble Speaker of Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan and other dignitaries at the lighting of the Lamp Ceremony of Meeting of the BRICS Women Parliamentarians' Forum, Jaipur, Rajasthan, August, 20-21, 2016.

महिला जनप्रतिनिधि का विशिष्ट योगदान*

It is my great pleasure and honour to welcome all of you to this first ever National Conference of Women Legislators in India.

We are beholden to the Esteemed Rashtrapatiji, for accepting our request to inaugurate this National Conference. The President of India is an integral part of our Parliament and Shri Pranab Mukherjee represents in himself the finest qualities of a virtuous Head of State, an able and experienced administrator and an outstanding parliamentarian. As such, his words of wisdom, based on many years of intimate association with the highest institution of governance, will indeed set the tone for the discussions to follow in the Conference. It is worth mentioning in this context that the Hon'ble Rashtrapatiji, in his Address to the Members of Parliament on 23rd February, has said that in future the Government would induct women in all the fighter streams of our Armed Forces. This is a matter of pride and source of encouragement to all of us.

I am grateful to the respected *Up-Rashtrapatiji* for his benign presence in this Conference. He too, has rich and varied experience in the working of the administrative and legislative institutions. I extend a hearty welcome to Shri Hamid Ansariji.

The august presence of the respected Prime Minister has enhanced the profile and prestige of this Conference. We look forward to hearing his enlightened views at the Valedictory Session of the Conference tomorrow.

I am particularly delighted to welcome my sister, the Hon'ble Speaker of the Bangladesh Parliament, Dr. Shirin Sharmin Chaudhury, who also happens to be the chairperson of Commonwealth

*महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, (5–6 मार्च, 2016)।

Parliamentary Association and who has very gladly acceded to my request to grace this Conference. We are thankful to her and eagerly await her learned exposition at the Plenary Session which she will be chairing.

With great pleasure, I welcome the women legislators who have gathered here today, especially those sisters who have come from the State and Union Territory Legislatures and my colleagues in both the Houses. I am delighted that large number of women legislators from Legislative Councils and Assemblies of most States of the country are attending this Conference. We are sure that they will participate in the sessions with utmost involvement and give invaluable insights into the different dimensions of the Agenda Items.

I also extend a warm welcome to Hon. Ministers, Members of Parliament, distinguished panelists, domain experts, invitees and members of the media.

देवियो और सज्जनो! जैसा मैंने आरम्भ में कहा, यह पहला अवसर है जब अपने देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की महिला जन-प्रतिनिधि तथा सांसद एक मंच पर एकत्र हो रही हैं। यह बात इस सम्मेलन को विलक्षण बनाती है और इसे एक विशेष महत्व प्रदान करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे के विचार और उद्देश्य को हम गहराई से समझें। मूल विचार और उद्देश्य यह खोजना है कि राष्ट्र-निर्माण के किसी एक नहीं, विविध पक्षों और क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधि क्या और कैसे अपना विशिष्ट योगदान दे सकती हैं। कैसे, विशिष्ट अधिकारों से सम्पन्न महिलाओं का यह शक्तिशाली समूह सशक्त, गौरवशाली भारत के निर्माण में एक अग्रणी, नई और प्रभावी भूमिका निभा सकता है? How women Legislators can contribute towards building Resurgent India?

इस सत्र के बाद के मुख्य सत्र और फिर तीन विशेष सत्रों में यह सम्मेलन इस पर गहन विचार-विमर्श करेगा कि देश के सामाजिक विकास (social development), आर्थिक विकास (economic development), अभिशासन (governance) तथा विधेयन (legislation) के चार महत्वपूर्ण आयामों में महिला जन-प्रतिनिधि कैसे अपनी भूमिका का पुनराविष्कार (re-invent) करते हुए एक एक नई दृष्टि, प्रेरणा और संकल्प से सम्पन्न हो सकती है। इस मंथन को सघन,

सृजनात्मक तथा उत्पादक बनाने के लिए हर सत्र विषय को उप-विषयों (sub-themes) में बांटा गया है। लेकिन मूल विषय एक है - सशक्त देश के निर्माण में महिला जनप्रतिनिधियों की एक बेहतर, स्पष्टतर और अधिक प्रभावी भूमिका।

मन में प्रश्न उठ सकता है, महिला जन-प्रतिनिधियों का ही सम्मेलन क्यों? इसलिए कि महिलाएं नैसर्गिक प्रबन्धक होती हैं। परिवार हो या समाज या सार्वजनिक जीवन, एक मां, बेटी, पत्नी, बहू, नागरिक एवं कार्यरत व्यक्ति के रूप में महिला विभिन्न परिस्थितियों, क्षेत्रों, भूमिकाओं और परिवार के सदस्यों के बीच सहज ही सामंजस्य कुशलता से स्थापित कर लेती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई है-

'मुखिया मुखु सो चाहिऐ, खान-पान कहुं एक।
पालइ-पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक।।'

आज की स्त्री अपनी विभिन्न भूमिकाओं में मुखिया की इस परिभाषा पर खरी उतरती है जो मुख की तरह सभी अंगों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विवेक के साथ पालन-पोषण करती है। महिला जन-प्रतिनिधियों पर तो यह परिभाषा विशेष रूप से लागू होती है। देश या प्रदेश की सर्वाधिक शक्तिसंपन्न, नियामक संस्थाओं की सदस्य होने के नाते वह देश की मुखिया ही हैं। इस रूप में क्या वह उस विवेक का सम्यक् प्रयोग कर रही हैं जो प्रकृति ने उन्हें सहज ही दिया है और जिसकी विशेष अपेक्षा उनकी यह अधिकार-संपन्न भूमिका करती है? जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों का दायित्व भी उन पर रहता है।

एक विशाल और जीवन्त लोकतन्त्र की जीवन यात्रा में आने वाले सभी उतार-चढ़ावों, मोड़ों, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों, आर्थिक विकास-मंदी के सभी संभावित चक्रों से गुजरते हुए भारत ने अपने आपको विश्व-मंच पर एक परिपक्व और गतिमान लोकतंत्र तथा एक सुदृढ़, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह स्थापित कर दिया है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं ने समय और परिवर्तन की अग्नि-परीक्षाओं से गुजर कर अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। पूरे विश्व में भारत की सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रणाली की चर्चा है, सराहना है। भारत विश्व-पटल पर एक सशक्त, मूल्यवान, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले, सबसे युवा और गतिशील देश बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

लेकिन किसी राष्ट्र की सर्वांगीण और सन्तुलित प्रगति के लिए केवल आर्थिक विकास दर का, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के ऊंचे स्तर का होना ही काफी नहीं हैं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक विकास और बेहतर अभिशासन (good governance) भी उतना ही आवश्यक है। आप सब मुझसे सहमत होंगे कि देश का विकास राज्यों के विकास पर ही निर्भर करता है। Development of country depends upon the development of State. इसलिए महिला जन-प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सबकी इसमें अहम् भूमिका एवं जिम्मेदारी है।

पिछले दशकों में भारत में स्त्रियों ने हर क्षेत्र में उपलब्धियों की बड़ी छलांगें लगाई हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभा के स्तर पर लगभग 12 लाख ग्रामीण स्त्रियों को स्थानीय नेतृत्व का अभूतपूर्व अवसर दिया है। महिलाओं ने अपनी उत्साहपूर्ण भागीदारी से इसका औचित्य सिद्ध किया है। विधान सभाओं तथा विधान परिषदों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सोलहवीं लोक सभा में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। लेकिन स्त्री सशक्तिकरण की व्यापक चर्चा कार्यक्रमों, योजनाओं के और स्त्रियों के बड़ी संख्या में नेतृत्व की भूमिकाओं में आने के बाद देश के जीवन, राजनीति, अभिशासन, आर्थिक विकास आदि प्रमुख क्षेत्रों में वह प्रभाव दिखना भी चाहिए जिसकी सामर्थ्य उनमें है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2015 का एक अध्ययन कहता है कि यदि भारत के कुल कार्यबल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाए तो देश के जीडीपी में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह केवल आर्थिक क्षेत्र में उस छलांग का एक उदाहरण है जो स्त्रियों की आर्थिक/रोजगार समानता से मिल सकती है। अगर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व में प्रभावी भागीदारी की चुनौती वे स्वीकार करें, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी।

मेरा ऐसा मानना है कि यदि सशक्तिकरण की चर्चा का कोई सार निकालना है तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक जानकारी और उससे जुड़े तंत्र को दुरुस्त न किया जाए। मैं समझती हूं कि महिला सांसदों और विधायकों पर यह काफी हद तक लागू होता है। उनके कार्य की दक्षता का आकलन असमान जानकारी के धरातल पर नहीं हो सकता। अपने संसदीय जीवन में मैंने देखा है कि विषयों की गूढ़ता दिनों-दिन बढ़ी है। पर्याप्त जानकारी न सिर्फ विषयों पर बल्कि उनसे जुड़े संस्थानों, सरकारी कार्यक्रमों एवं वित्त से जुड़े प्रावधानों पर भी आवश्यक है। इसके अभाव में न सिर्फ महिला सांसदों तथा महिला विधायकों की दक्षता पर असर पड़ सकता है बल्कि उनकी उपस्थिति से राष्ट्र और उनके राज्य की

कार्यपालिका के नीति-निर्धारण में जो सहयोग मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल पायेगा। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यवस्था तंत्र में ये सभी परिवर्तन हों जो वास्तविक रूप से सामान्य स्तर पर भी महिला सांसदों एवं विधायकों को विषयों की जटिलता से परिचित करा सकें। ऐसा होने पर ही महिलाओं की उपस्थिति से जिस गुणात्मक परिवर्तन की आशा की जाती है, वह साकार हो सकती है। पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन उनका काम भी उपरोक्त खामियों से प्रभावित रहा है। इस स्तर पर भी नए प्रयासों से हम परिवर्तन कर सकते हैं।

इस विचार से आगामी महिला दिवस हेतु जब मुझे कई तरह के सुझाव मिले तो मैंने किसी औपचारिक कार्यक्रम की योजना के बजाए एक संगोष्ठी के आयोजन का विचार किया। इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण मुद्दों का हमने नियोजन किया। ये हैं-सामाजिक, आर्थिक एवं शासन प्रणाली। ये तीनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। साथ ही, महिला सांसद-विधायक जब एक साथ बैठेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपसी अनुभव एवं चर्चा से हम विभिन्न चुनौतियों से सामना करने के कई रास्ते निकाल सकते हैं। मेरा अनुभव है कि महिला सांसद तथा विधायक कई दफा वित्तीय विषयों को छोड़कर सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संसद या विधानसभा में बोलना चाहती हैं या उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है, इससे वे अपने सशक्तिकरण की पहल में कहीं पीछे रह सकती हैं। उन्हें महिलाओं के विषय में तो बोलना चाहिए ही, साथ ही वित्त और देश के सामने खड़े तमाम विषयों में भी समान रुचि दिखानी चाहिए। मुद्रा बैंक क्या है? क्या कार्य कर रहा है? उसे राष्ट्रीय स्तर से हमारे स्थानीय स्तरों तक कैसे ले जाया जाए? Sustainable Development Goals क्या हैं? उनसे आर्थिक प्रगति कैसे संभव है, इत्यादि कई ऐसे सवाल हैं जिनसे हमारा जुड़ाव आवश्यक है।

आर्थिक पहलुओं का आज के समय में महत्व और भी बढ़ गया है। मनरेगा के तहत खातों में सीधे पैसा देने का कार्यक्रम, जन-धन योजना एवं इससे जुड़े निगरानी और सतर्कता के मुद्दे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन पहलुओं से जुड़े तमाम जानकारी के सूत्र न सिर्फ हमारे पास होने चाहिए बल्कि हमें अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों और जिम्मेदारी के लिए आगे लाना चाहिए। यह काम हम अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। जैसा कि यह अक्सर देखा गया है कि खेतों में तो महिलाएं कार्य करती हैं परन्तु जब कृषि विज्ञान केन्द्रों में फसल के संबंध में जानना हो, तो अधिकतर पुरुष ही जाते हैं। महिलाओं को

विज्ञान और तकनीक (IT) के विभिन्न आयामों पर साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। Women friendly tools के संबंध में समुचित विचार नहीं हुआ है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह जुड़ाव ही महिला सांसदों एवं विधायकों की तमाम समितियों एवं अन्य स्थानों पर निगरानी की भूमिका को सशक्त कर सकता है। वर्षों से परिवार में सतर्कता की भूमिका निभा रही महिला निश्चय ही देश में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर यह भूमिका निभाने में सक्षम हैं। मैं समझती हूं कि कृष्ण की तरह महिला सांसद एवं विधायक विकास के भारतीय परिदृश्य में सारथी बन कर उसे एक सही दिशा दे सकती हैं। कण्णगी, रानी रौम्मा, चांदबीबी, गार्गी, मेत्रैयी, मल्लिनाथ, पद्मिनी, जीजाबाई, रानी गाइडिन्ल्यू, अहिल्याबाई, रानी झांसी और इंदिरा गांधी जैसी अनेक महिलाओं ने अपने कर्त्तव्य से प्रशासनिक क्षमता, सक्षम नेतृत्व एवं राष्ट्रीय सोच के जो मानचित्र हमारे सामने रखे हैं, उससे महिला जन-प्रतिनिधिगण प्रेरणा ले सकती हैं। यह प्रेरणा उनकी विभिन्न भूमिकाओं में मदद कर सकती हैं। यह न सिर्फ जनप्रतिनिधि की भूमिका होगी अपितु, एक ऐसी भूमिका होगी जो गहरे, दीर्घकालिक और व्यापक सामाजिक बदलाव की ओर देश के सशक्त कदम बढ़ाने में योगदान करेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं बहुत उपयोगी, सोद्देश्य तथा समाधानपरक होंगी। इस प्रयास से जो तस्वीर, भविष्य की दिशाएं, रणनीतियां और संकल्प निकल कर आएंगे, उनसे हमारी महिला जन-प्रतिनिधियों के सशक्त भारत निर्माण में योगदान का गौरवशाली अध्याय शुरू होगा। आज यहां इस सम्मेलन का जो थीम सांग (गीत) "उम्मीदम" प्रस्तुत हुआ है, उसके गीतकार श्री प्रसून जोशी, संगीतकार श्री शंकर महादेवन एवं गायिका सुश्री रसिका शेखर एवं श्रीनिधि घटाटे का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इस गीत में स्त्री शक्ति की कल्पना कल-कल बहती नदी से की है। यह सही भी है-नदी-जीवनदायिनी है, स्त्री भी जीवनदायिनी है। नदी के किनारे जीवन बसता है। परंपरागत नदी बस्तियां, नदी के किनारे गांव-स्त्री के आंचल में जीवन पलता है - नदी के सहारे फलता-फूलता है, मगर धीरे-धीरे हमने नदी के प्रवाह को रोका-तोड़ा-प्रदूषित किया - यही बात स्त्री जीवन की भी है। आज पानी का महत्व समझकर, हम फिर गंगा को निर्मल करने की, नदियों को जोड़ने की, साफ करने की बात करते हैं। वही बात स्त्री या नारी, इसलिए नहीं कि वे देश की आधी आबादी हैं, अपितु जीवनदात्री-निर्मात्री मातृशक्ति हैं, पर भी लागू होती है। मगर स्त्री को भी अपनी शक्ति का एहसास एवं अनुभव करना होगा। मैं अपनी बात का समापन श्रीमद्भागवत

गीता के इस श्लोक से करना चाहती हूं जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहते हैं-

"कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।"

यानि, नारियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक् हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं और क्षमा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उप-राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, बांग्लादेश की संसद की माननीय अध्यक्ष महोदया, विशिष्ट अतिथिगण और इस समारोह में आए सभी विशिष्टजनों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करती हूं।

महिलाएं विकास में बराबर की भागीदार हैं*

प्रतिष्ठित अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यन्त प्रेरक, सारगर्भित भाषण के बाद मैं नहीं समझती कि मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इस समापन समारोह की शोभा और महत्व बढ़ाने तथा उनके विचारोत्तेजक उद्‌बोधन के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद आभारी हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि महिलाएं विकास में बराबर की भागीदार हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए लीक से हट कर काम कर रहे हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना कन्याओं का जीवन, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करके लैंगिक विषमता (gender inequality) की जड़ पर प्रहार करती है। इस सम्मेलन में आपकी सहभागिता प्रमाण है कि आप महिलाओं के सरोकारों, जरूरतों और उन्हें सशक्त करने के लिए कितने गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। देश भर से आई महिला जनप्रतिनिधि आपकी इस प्रेरक और नेतृत्वकारी सहभागिता के लिए आपकी हृदय से आभारी हैं।

प्रधानमंत्री जी, आपने 3 मार्च को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस के अंत में बोलते हुए अपने भाषण के आरंभ में ही इस सम्मेलन और अध्यक्षीय शोध कदम की स्थापना की जिन शब्दों में जो प्रशंसा की उससे मैं तथा सम्मेलन की सभी प्रतिभागी अभिभूत हैं।

मैं हमारी पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जी की भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज यहां उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन किया है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होने के कारण और अपने गरिमापूर्ण व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक जीवन के व्यापक अनुभव से आप देश की महिलाओं के लिए, विशेषकर महिला सांसदों और विधायकों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। आपके विद्वतापूर्ण उद्‌बोधन एवं सम्माननीय उपस्थिति ने इस सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाया है।

मित्रो, यह सम्मेलन मेरे लिए भी अभूतपूर्व रहा है। चूंकि यह सम्मेलन एक नए विचार पर आधारित था, इसलिए मेरे मन में भी विचार था कि क्या हमारी महिला

*महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (5-6 मार्च, 2016)

जनप्रतिनिधि इसकी मूल भावना को आत्मसात कर अपनी भूमिका, अपने और अपने काम के बारे में नए दृष्टिकोण को अपनाएंगी? लेकिन इसके आयोजन के दौरान माननीय राष्ट्रपति जी, उप-राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों, हमारी महिला सांसदों तथा राज्यों की विधायिकाओं ने जिस उत्साह के साथ इस विचार को अपनाया और पूरी भागीदारी की, उससे मुझे बहुत संतोष हुआ कि इस विचार की सार्थकता का सभी अनुभव करते हैं।

इसमें जो चर्चाएं हुईं, नए-नए विचार सामने आए, अनुभवों का और सुझावों का आदान-प्रदान हुआ, विचार और काम की नई दिशाएं, नई सम्भावनाएं खुलीं, वे सब बेहद मूल्यवान हैं। अब हमने जो कुछ यहां पाया है तय किया है, उसे जमीन पर उतारना है।

मेरी मूल भावना इस सबके पीछे यह रही है कि अब समय आ गया है कि भारत की महिलाएं अपने लिए अधिकार, प्रावधान मांगना बंद करें, अपनी अन्तर्शक्ति (inner strength) को साधें और अपने कर्तव्य से वह स्थान, प्रतिष्ठा, शक्ति और समानता हासिल करें जिसकी वे अधिकारी हैं। मुझे लगा कि इस विचार को ताकत देने का सबसे प्रभावी माध्यम महिला जनप्रतिनिधि ही हो सकती हैं।

इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें सारी महिला जनप्रतिनिधि मिलकर केवल महिला-मुद्दों पर ही विचार न करें बल्कि राष्ट्र निर्माण के जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं, उन सब पर चर्चा करें, अपनी भूमिका को नए तरीके से देखें और एक नए विचार और संकल्प के साथ काम करने का निश्चय करें।

एक उद्देश्य यह भी था कि विविध विकास मुद्दों के बारे में महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण का लाभ उठाया जाए और उनके परिप्रेक्ष्य (perspective) को नीति-निर्माण (policy making) में शामिल किया जाए। अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं की ऊंची राजनीतिक भागीदारी से तमाम क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास के आयामों के प्रति जन-सामान्य और प्रशासन दोनों में अधिक सक्रियता और संवेदनशीलता आती है।

आप शायद मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि इस सम्मेलन से हम सबको यह प्रेरणा और विश्वास प्राप्त हुआ है कि हम महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सुशासन के सभी आयामों में अपनी विधायी और गैर-विधायी नेतृत्वकारी भूमिका के माध्यम से मूलभूत, प्रभावी और निर्माणकारी योगदान कर सकती हैं। यह विश्वास और यह संकल्प इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मैं इस अवसर पर परम सम्माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उप-राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जी का इस सम्मेलन में उपस्थित होने तथा प्रेरणादायी मार्गदर्शन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। मैं संसद के दोनों सदनों तथा हमारे राज्य विधानमंडलों की माननीय सदस्यों का उनकी सक्रिय भागीदारी और बौद्धिक योगदान के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं राज्य विधानमंडलों के presiding officers का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

बांग्लादेश की "जातीयो सोंगशद" की माननीय अध्यक्ष, डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी ने विशेषतौर पर यहां आकर सम्मेलन की न केवल शोभा बढ़ाई है बल्कि अपने उद्बोन से महत्वपूर्ण योगदान किया है। हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार; गुजरात की मुख्यमंत्री, श्रीमती आनंदीबेन पटेल; दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित का कार्यसत्रों में अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

हम विभिन्न पैनलों की प्रतिष्ठित सदस्य श्रीमती सुषमा स्वराज, डॉ. नज़मा हेपतुल्ला, श्रीमती मेनका गांधी, श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, सुश्री उमा भारती, श्रीमती रंजना देसाई और श्रीमती शैलजा चन्द्रा के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने गहन और विविधता से भरे हुए अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया जिससे संवाद का स्तर बहुत ऊंचा बना रहा।

विभिन्न सत्रों की संचालक श्रीमती किरण खेर, श्रीमती पूनम महाजन, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती के. कविता, कुमारी सुष्मिता देव और श्रीमती पूनम मदाम की उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए भरपूर प्रशंसा की जानी चाहिए।

हम सबकी प्रिय और सांसद हेमामालिनी जी एवं उनकी प्रतिभाशाली पुत्रियों ईशा और आहना के विशेष आभारी हैं जिन्होंने कल शाम अपनी मनमोहक नृत्य-नाटिका से हम सबके सांस्कृतिक अनुभवों को समृद्ध किया।

मैं यहां पर श्री प्रसून जोशी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने अलग-अलग जगहों और देशों में होने के बावजूद बहुत कम समय में सुन्दर और प्रेरक सम्मेलन गीत तैयार किया।

इस स्तर का सम्मेलन अनेक व्यक्तियों और विभागों के पूरे और हार्दिक सहयोग के बिना इतना सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता था। सम्मेलन की केन्द्रीय समिति के सदस्यों ने प्रत्येक मामले का बहुत बारीकी से संयोजन किया। लोक सभा के महासचिव श्री अनूप मिश्र, सचिव डॉ. डी. भल्ला, सम्मेलन के संयोजकद्वय श्री राहुल देव और

श्री अभिलाष खांडेकर, सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संसद परिसर, विज्ञान भवन और अशोक होटल में कार्यरत अभिकरणों (agencies) के विभिन्न अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं।

मैं अपनी बात का समापन अपने एक विचार और स्वामी विवेकानन्द के एक वाक्य से करना चाहती हूं।

"Rights, powers and prestige are not things to be demanded. They are for us to command."

और स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था–

"हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। अतः, आप जो सोचते हैं, उसके विषय में सजग रहें। शब्द गौण हैं। विचार जीवित रहते हैं। वे दूर तक जाते हैं।''

मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में व्यक्त किए गए और हृदयंगम किए गए विचार एक सशक्त भारत के निर्माण में हमारे प्रयासों को आलोकित करते रहेंगे।

मित्रो, 8 मार्च को हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। इस वर्ष उसका विषय है–ऐसी समानता की प्रतिज्ञा करना, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को उनकी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति में सहायता के लिए प्रतिबद्धता हो, जाने हुए और अनजाने पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जा सके, महिलाओं और पुरुषों का संतुलित नेतृत्व हो, समावेशी और लचीली संस्कृतियों (inclusive and flexible culture) का सृजन हो और महिलाओं तथा पुरुषों के योगदानों का समान मूल्यांकन किया जाए।

इस स्वप्न के साकार होने के लिए आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

BRICS WOMEN PARLIAMENTARIANS' FORUM*

It is my privilege and honour to welcome the distinguished gathering to the beautiful city of Jaipur, popularly known as the pink city, for the meeting of the BRICS Women Parliamentarians on the theme 'Women Parliamentarians'—Enablers for Achieving SDGs'.

This meeting is an endeavour on the part of BRICS Women Parliamentarians to provide an opportunity for strengthening parliamentary cooperation in furthering the agenda of BRICS. I am sure that we will gain invaluable insights into the, different dimensions of the issues with the active participation from all the delegates who have assembled here. In my opinion there could not have been a better-venue than the State of Rajasthan to discuss the theme of the Conference as the State is led by a dynamic woman Chief Minister, and it also brings to mind a remarkable tradition in the State of Rajasthan in the area of sustainable development.

Rajasthan receives scanty rainfall concentrated over barely 3-4 months of the year. The society here nurtured a strong tradition of water conservation and sustainable use of water resources derived from the teachings of leaders, such as—Shree Guru Jambheshwar Bhagwan and others, who preached preserving bio-diversity and sustainable natural resource management in order to peacefully coexist with nature. Taking forward this tradition, which had mainly women at the forefront, resulted in a community-driven effort in the area of rainwater harvesting, water conservation and watershed development making Rajasthan virtually a drought-free State. There were nine droughts between 1997 and 2007, and still Laporiya village

* Inaugural Address at the Meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum, Jaipur, Rajasthan (20 August, 2016)

in Rajasthan did not require a single water tanker as the village developed unique dyke system called the “Chauka” and other traditional water conservation methods to set an example for others to emulate. One of the first environmental movements, which was inspired by women, was the ‘Chipko’ movement (Women tree huggers). It started in the early 18th century in Rajasthan. Women risked their lives—Amrutha Didi was one—to protect forest trees from being felled. In Uttarakhand and other States also, such campaigns continued.

Distinguished Delegates, BRICS is a relatively young group. The Group has taken impressive strides beginning from a forum for consultation on economic issues of mutual interest to evolving into a group which now has various topical global issues on its agenda. The agenda cooperation in addressing global and multilateral issues of mutual interest has been carried forward in the last seven Summits and several Ministerial meetings. We hope that it would be considerably furthered during India’s chairmanship for this year, especially at the 8th Summit to be hosted by India later in October.

The BRICS countries together comprise 43 per cent of the world population, contributing 37 per cent of the world GDP. The success of the SDGs will heavily be dependent on their successful implementation in the BRICS countries. So with agreement reached on the 'what' we have to get on with the ‘how’.

Our collective track record of achievement of the MDGs has been an uneven picture and at current rates over 970 million people will still be in poverty in 2016. This is not only politically untenable; it is also economically unviable and morally indefensible. It is in this context, I feel, we need to concentrate on some of the most fundamental issues that remained at the core of the development debates. As Pandit Deen Dayal Upadhyaya, India’s leading political philosopher and mass leader once said, and I quote: ‘Integral humanism is the basis for development as it espouses indigenous

economic model that puts the human being at the centre state'. I emphasize what he said—human being should be at the centre stage in any economic model.

He placed the welfare of the poorest at the centre of his thoughts. This is what we also see in the 2030 Agenda. I strongly feel that development at the cost of our culture is not sustainable. Our Past tells us how civilizational strengths may steer us through the contemporary challenges. It is important that we evolve our own indigenous ways of achieving sustainable goals. While the 2030 Agenda acknowledges different national realities, capacities and levels of development and respects national policies and priorities, the fact remains that it is in our collective interest to implement the SDGs efectively. It is a vital necessity for ensuring peaceful, sustainable and just world. Ensuring food security and adequate nutrition, healthcare, education, etc., and at the same time developing and acquiring green technologies to save the environment, require resources that the least developed and developing countries may not be able to generate on their own. Therefore, the 2030 Agenda requires that mobilization of financial resources as well as capacity building and transfer of technologies to Developing countries on favourable terms, will play a vital role in the implementation of the SDGs.

Climate change possesses grave risks. Women are most vulnerable people, and therefore, are most at risk from climate change. They spend increasingly long hours hunting for food, fuel and water, or strugge to grow crops. Through their experiences and traditional knowledge, women can offer valuable insights into better managing the climate and its risks. However, their knowledge about traditional practices is often excluded from decisions about sustainable ecosystems. In addressing Climate Change, we should forge a global public partnership to harness technology, innovation and finance to put affordable clean and renewable energy within the reach of all. Equally, we must look for changes in our life styles. That will make

us less dependent on energy and more sustainable in our consumption.

'Nurture the Nature' has been the guiding philosophy of Indian way of living. We are committed to a sustainable path to prosperity. It comes from the natural instinct of Indian tradition and culture. But it is also routed firmly in our commitment to the future. Our National plans are ambitious and purposeful. New capacity of 175 gigawatt of renewable energy over the next seven years; energy efficiency, a tax on coal; a huge afforestation programme; reforming our transportation; and cleaning up our cities and rivers. In the words of our popular Prime Minister, Shri Narendra Modi: "When we speak only of climate change, there is a perception of our desire to secure the comforts of our lifestyle; when we speak of Climate Justice, we demonstrate our sensitivity and resolve to secure the future of the poor from the perils of natural disasters".

The bond between the Indian people, especially women and trees, is very strong. Various trees, fruits, plants have special significance in Indian traditions. All plants and flowers have medicinal value in Indian System of Medicine, Ayurveda. Indian ethos drive home the importance of preserving nature by deifying it through centuries. A Hindu household is considered incomplete if it does not have a Tulsi, the holy basil, the Tulsi plant in a courtyard because it not only purifies air but also offers cure for several ailments. Similarly, Indian women worship various trees like what we call, the Bargad, the Banyan tree; Pipal, the sacred fig; the Aamla, the Indian gooseberry, not only for their beneficial medicinal properties but also for seeking blessings for the family.

Today, much of India's development agenda is mirrored in the Sustainable Development Goals. We have chosen the path of removing poverty by empowering the poor. Now, I would like to make a mention of a few recent initiatives launched by India for promoting inclusion and social advancement. The initiative of 'Jan Dhan Yojana' or 'National Mission on Financial Inclusion' which aims at covering

all households in the country with a bank account and insurance benefit, is just one example of empowering people and unleashing their entrepreneurial energies. The 'Beti Bachao-Beti Padhao' or the scheme to promote Girl Child and educate Girl Child brings the girl child at focus of all efforts for development. 'Make in India', 'Skill Development', 'Digital India' are some of the new initiatives taken by the Government to accelerate the growth in our country.

The implementation of the noble goals in the SDGs will be successful only when we present a united front. I am sure, we are all aware of what this entails for the BRICS countries. In order to leverage our position with regard to issues of global concern, especially, the SDGs, the BRICS countries need to strengthen our cooperative mechanisms and to innovate new institutional means for meeting the needs of the Member countries. Multilateral cooperation like the New Development Bank established by the BRlCS, is a step forward in that direction. The NDB can be instrumental in filling the massive gap in investment in infrastructure and sustainable development resources in emerging and developing economies, and also giving them a greater voice in the development finance architecture.

Our goal should, above all, be to secure inclusive development for all people and to share responsibilities equitably, just as we say in our shloka:

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु। सर्व कामनावाप्नोतु सर्व सर्वत्र नन्दतु।।

It means: May all cross their difficulties. May all see good and auspicious things. May all get their wishes fulfilled; and may everyone everywhere be happy. That is our philosophy.

Women are the fountainheads of life. The family, the society, the community and the country, go around women and it is them who hold the world together. Women are the natural care givers. They are the first providers, the first educators, the first resource allocators in the family and society, and they are the natural

protectors of the environment. In households, women are often the primary energy managers and are more likely than men to conserve energy through a greater willingness to alter everyday behaviours.

As women parliamentarians from the BRICS Parliaments, we are here to make a forceful statement that we have a pivotal role in ensuring that all these happen in our respective countries. We must recognize that, as women, we all are concerned with policy issues that affect life at the level of family and community, and other larger social concerns, especially, in areas like education, infrastructure and health.

The role of women parliamentarians as enablers of achievement of the SDGs need to concentrate on our role as people's representatives helping to highlight the concerns of the people as well as mobilizing the participation of the citizens in issues of governance and sustainable development. As women parliamentarians, we also have special responsibilities as well as advantages in providing leadership to women and grass-roots organizations, which are engaged in addressing issues like Climate Change.

We, as parliamentarians, have various roles — legislative, representational and leadership. As legislators, we can bring our knowledge and understanding of topical issues and also concerns about the SDGs and their implementation to bear on the content of legislative proposals. Our representational roles extend, to our engagement with the governance processes to represent the concerns of our constituencies, helping the Government define development priorities and supporting them in their implementation. Parliamentarians also have the leadership roles in that. In that, we can provide leadership too, and mentor elected representatives at the grassroots — that is more important— and help initiate development projects and local bodies in securing funding for their own projects.

The 2030 Agenda also recognizes the essential role to be played by the National Parliaments in ensuring accountability at different stages of the policy cycle and their implementation. Beside, global developmental targets have to be made locally relevant, viable and then implemented by involving various stakeholders so that we create country ownership for the SDGs.

In all of these, we, as women Parliamentarians, have added responsibilities because worldwide women face disproportionate risks and greater burdens from the impacts of poverty, climate change and other social political and economic crisis.

We come from different political systems which provide different institutional platforms for our voices to be heard. We may have different concerns on our agenda depending on our own individual preferences and expertise but as Parliamentarians, our roles are not much different because we represent people and people in our respective countries have similar concerns which also define our responsibilities.

To conclude, India is committed to working with international community to craft an ambitious, comprehensive and equitable development agenda with poverty eradication at its core. The Indian Parliament is ready to play its role in this noble endeavour. India's support is inline with Indian philosophy of 'returning back more than what one receives'. That is our philosophy. In fact, in a prayer, we say that 'Oh God, please keep my mental framework such that I always remain committed for giving more than what I receive'. We say:

जीवनेयावद आदानं श्यात प्रदानं ततोधिकम्, इत्येशाप्रार्थना अस्माकम् भगवन परिपूर्यतम्।

That is what we always say that we have to give more than what we get. So, let us work together to achieve the noble goals as laid down in the SDGs. In this context, I would again like to quote. Sanskrit shloka and that is also our philosophy:

ॐ सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवाव है, तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषाव है, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

It means, ‘Om! May he protect us, may we enjoy the knowledge together, may we work with great energy, may our journey together be brilliant and effective, may there be no bad feelings between us. That is why we say peace, peace and peace everywhere'. That is what every now and then we pray.

I once again extend a hearty welcome to all of you to this gathering of BRICS Women Parliamentarians. I wish the meeting very successful deliberations and all the delegates a very enjoyable and pleasant stay in our country.

I am, particularly, delighted to acknowledge with thanks the special role of Shrimati Vasundhara Rajeji, the hon’ble Chief Minister of Rajasthan, who has shouldered the utmost responsibility of putting in place all arrangements for holding this meeting. I am also glad to acknowledge the special privilege of working with Hon’ble Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, Shri Kailash Meghwalji, who has taken special care in making sure that all facilities are in place.

So, with these words, I am very glad to inaugurate the Meeting of BRICS Women Parliamentarians Forum.

Thank you very much.

BRICS WOMEN PARLIAMENTARIANS' FORUM —VALEDICTORY SESSION*

We now come to the conclusion of the Meeting of the BRICS Women Parliamentarians' Forum. Last year, when the BRICS Parliamentary Forum first met at Moscow, a new journey began in the inter-parliamentary dialogue among the BRICS countries. The BRICS parliamentary forum is a building bloc of the BRICS architecture. We must build BRICS, brick by brick, Jaipur, the pink city of palaces, signifies another new journey as the venue of the first ever meeting of the BRICS Women Parliamentarians' Forum. It is a historic occasion as it brought together women Parliamentarians, from Asia, Europe, Africa and Latin America for the first time. It is certainly a great occasion for us to host the Women Parliamentarians from BRICS countries who have gathered here, deliberated on subject matters which are close to our heart from the development perspective. This meeting is taking the Moscow initiative to a higher plane.

Distinguished Delegates, I strongly believe that dialogue among Parliamentarians is important in deepening cooperation and promoting strategic partnerships, especially in the context of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. This event is conceived in that spirit. I am grateful to you all for coming here and participating in the deliberations of the agenda. Not only that Members of Parliament are in a better position to interface between citizens and Government, and also laws and legislations are instruments through which sustainable development can be brought about. Environmental laws, for example, have a great bearing on climate change, which, in turn, will impact ecology. These are the topics which we have discussed. We must learn and benefit from

* At the Valedictory Session of the meeting of BRICS Women Parliamentarians' Forum, Jaipur, Rajasthan (21 August, 2016).

the best practices available in BRICS countries. I greatly appreciate your active participation and the valuable suggestions you have offered. I am sure, this will encourage us to meet regularly to discuss issues and exchange views in order to acquire deeper insights and develop a perspective on the problems and challenges faced by us as lawmakers to make our planet a better place to live in.

During the two day deliberations, we discussed three important subjects, namely, 'Perspectives on implementation of SDGs', 'Achieving SDGs-Role of Women Parliamentarians in Involving Citizens' and 'Containing Climate Change—Imperatives of Global Cooperation'.

The first subject bears great relevance in the context of our journey towards the Millennium Development Goals coming to an end and we are now moving forward to achieve the Sustainable Development Goals, a concept far more comprehensive and inclusive than the former. I strongly believe these 17 goals and the 169 associated targets have the potential to transform the future of our countries by accelerating our endeavours and to take us on the path of a meaningful growth, in close harmony with nature. It must be our endeavour to achieve these goals in our own interest and in global interest, as well. As law makers, it is our responsibility to oversee and monitor the implementation strategies and mechanisms of the SDGs put in place by our respective Governments.

The second subject — Achieving SDGs — Role of Women Parliamentarians in involving Citizens was also of great significance from the developmental perspective. Development must be gender inclusive, if it is to be equitable, sustainable and effective. Unless women and the resources they represent are fully integrated into the developmental processes, there cannot be a meaningful development and inclusive growth. Therefore, mainstreaming gender equity is vital for ameliorating the socio-economic conditions of people within the framework of sustainable development. I think there is a pressing imperative to mainstream women's involvement in the developmental dialogue, strategies, mechanisms and

partnerships. The time has come to make the system understand how critical the role of women Parliamentarians is in this context. As women, we have a natural instinct towards development and progress. As I have said earlier, we are seen as agents of change. It is widely recognised that if there is money in a woman's hand, there is money in her house; if the woman's hand is strong, her family is strong; and if there is happiness on a woman's face, there is happiness in her home. As development partners, we can involve citizens in the process of development and can also strengthen innovative partnerships with civil society organisations to scrutinize and assess the effectiveness of various Government programmes. Therefore, active involvement of our women Parliamentarians in the process will result in a greater responsiveness towards citizen's needs and will lead to a greater harmony, meaningful development and inclusive growth. This will ensure that the fruits of Development spread across various sectors of society. At the national level, we can have multi-party and multi-portfolio committees or forums of women Parliamentarians for advancing the goals of SDGs in a crosscutting way, and at the international level constructive cooperation and strategic partnerships will accelerate the march towards SDG targets.

Another important subject covered during the Meeting was Containing Climate Change—Imperatives for Global Action. Climate change affects humanity as a whole, but, at the same time we, as developing countries, have our own challenges. We welcome the Paris Agreement, which is anchored in the UNFCCC and is ambitious agreement based on the principles of equity and common issues but differentiated responsibilities. I note with satisfaction that this Forum has highlighted the concerns shared by the BRICS countries on climate change and the ways and means to deal with it. Overall, the priority theme of the Meeting and the Sessions focussed on the implementation areas and also highlighted the emphasis that Member States are expected to put on SDGs.

As we are closing the historic event on a memorable note, I express my sincere appreciation to all of you for your active and meaningful participation in the discussions during the informed sessions we have had over the past two days. I am sure, the valuable suggestions you have given and the experiences we all shared amongst us during the deliberations will be useful in further streamlining our development agenda. An event, of this magnitude is made possible only with the involvement of many individuals and agencies. On behalf of all the Distinguished Delegates, and on my own behalf, I express my sincere gratitude to the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, Smt. Vasundhara Raje for sparing time from her busy schedule to join us in the Meeting and for her very insightful Valedictory Address. We are thankful to the Hon'ble Chief Minister, her ministerial colleagues, various Departments of the Government of Rajasthan and other agencies, for the wholehearted cooperation extended in facilitating a successful conclusion of this Meeting. We are also grateful to Shri Kailash Chandra Meghwal ji, Hon'ble Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, for his utmost cooperation in making this event a grand success. I thank the Secretary of the Rajasthan Legislative Assembly and his dedicated team of officers and staff for the efficiency and commitment they have shown in organizing this Meeting successfully. I thank all the women Parliamentarians of BRICS countries, especially the Chairpersons of various Sessions and Panelists and Delegates who participated in this event. Their valuable participation has indeed enriched the proceedings of this event.

Our thanks are also due to the Secretary-General of Lok Sabha Shri Anoop Mishra, Secretary Dr. D. Bhalla and the Officers and staff of the Lok Sabha Secretariat for their unstinted efforts in organising this event. I also thank the members of the Core Committee for their support and cooperation. I greatly appreciate the cooperation they all have extended to make the Meeting a grand success. I also take this opportunity to thank the Ministries involved in this event, particularly the Ministry of External Affairs for their cooperation

and support. Before concluding, let us resolve to continue our endeavours towards achieving the SDGs and to promote these goals as a universal frame-work. Our commitment should be towards the implementation of the Declaration and the Resolution that we have made here and in Moscow on this subject. I have no doubt that we will exceed the expectations going by the enthusiasm and involvement shown over the past two days. I wish you all a pleasant and safe journey back home and I hope you will cherish beautiful memories of this Meet.

Thank you.

स्वच्छ भारत मिशन और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी*

सरकार ने आम लोगों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2019 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी है। मैं समझती हूं कि बीते दो वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आशातीत प्रगति हुई है, जिसमें 1.14 लाख गांवों और 59 जिलों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। आप सभी उन चेंज मेकर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने इसे संभव बनाया है। केरल, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम ने खुद को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित कर दिया है।

हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए साफ हवा, पानी, भोजन एवं स्वस्थ पर्यावरण अत्यन्त आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण में ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सफाई के महत्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसे मैं यहां उद्धृत करती हूं:—

"When there is both inner and outer cleanliness, it approaches godliness".

गांधी जी ने सिर्फ क्विट इंडिया का नारा ही नहीं दिया था, बल्कि उनका एक और नारा था 'क्लीन इंडिया'। स्वच्छता में ही देवत्व का निवास होता है। महात्मा गांधी सामुदायिक स्वच्छता पर भी विशेष बल देते थे। वास्तव में, गंदगी फेंकने से वातावरण ही नहीं, शरीर और मन भी दूषित होता है। Cleanliness and purity are not matters of instinct but they are matters of education, habit, mentality and principles.

उन्हीं के विचार को आदर्श मानते हुए आज यह अभियान एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है और देश का जनमानस एक स्वस्थ एवं सुन्दर रहने योग्य वातावरण के निर्माण हेतु तैयार है। इसके मूल में आप सभी महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण न केवल महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करता है बल्कि उनकी शक्ति एवं अपने घरों और गांवों को साफ एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में उनके दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। यह मिशन जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है और जन भागीदारी के लिए महिलाओं से बेहतर शक्ति और प्रेरणा कोई नहीं हो सकती।

*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के महिला सम्मेलन में भाषण (9 नवंबर, 2016)

एक कहावत है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। (Women are agents of social changes the world over. When we are educating a women, we are educating society as a whole.) इसी प्रकार स्वच्छता के बारे में भी हम कह सकते हैं कि स्वच्छता के महत्व के बारे में एक महिला को शिक्षित करें तो पूरा गांव साफ और स्वच्छ हो जाएगा। वास्तव में यह उल्लेखनीय है, क्योंकि हमने देखा है कि अपने गांव को ओडीएफ और स्वच्छ बनाने में महिलाएं अग्रदूत हैं।

Green Earth, Clean Earth is our dream worth. एक स्वस्थ जीवन के लिए यह एक सूत्रवाक्य है और यह हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में आरम्भ से ही सिखाया गया है। हमारी कई परम्पराएं एवं व्यवस्थाएं इस बात की पुष्टि करती हैं।

यह भी सच है कि बचपन से ही बालिकाओं में सफाई एवं सलीके के प्रति प्राकृतिक रुझान होता है। हमने अपने घरों में देखा है कि छोटी–छोटी बालिकाएं भी अपने खेलने एवं पढ़ने के स्थान को और अपनी निजी चीजों को बहुत सफाई एवं सलीके से रखने का प्रयास करती हैं। आप सब महिलाएं जो यहां आज पुरस्कृत हुईं हैं, वे सब इस बात की पुष्टि करती हैं कि महिलाओं की सशक्त भागीदारी ही लोक कल्याण की नीतियों को जन–जन तक पहुंचा कर देश को विकास की राह पर ले जाने में अग्रिम भूमिका निभाती हैं। आपने अपने गांवों को ओडीएफ और स्वच्छ बनाने में जो प्रयास किए हैं, वे निश्चय ही सराहनीय हैं।

उल्लेखनीय है कि जीवन के सभी क्षेत्रों से और सभी स्तरों पर महिलाएं चैंपियन के रूप में उभर कर सामने आई हैं चाहे वे मोटिवेटर्स हों, सरपंच हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) की सदस्य हों, विद्यार्थी हों, नेचुरल लीडर्स हों अथवा प्रशासक हों। महिला होने के नाते यह बताते हुए मैं अत्यंत गर्व महसूस कर रही हूं कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा संवेदनशीलता दर्शाई है और यही वजह है कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम में अधिकांश चैंपियन डीसी/डीएम/सीईओ महिलाएं ही हैं।

महिलाओं ने न केवल अपने घरों की बल्कि अपने गांवों की जिम्मेदारी भी लेते हुए यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है कि उनका गांव स्वच्छ बने और कोई खुले में शौच न करे। निगरानी समिति का सदस्य होने के नाते महिलाएं न केवल अपने गांवों को ओडीएफ बना सकती हैं, बल्कि इसकी निरंतरता भी सुनिश्चित करती हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर और हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला स्वच्छता में महिला शक्ति को दर्शाने के आदर्श उदाहरण हैं, जहां उन्होंने अपने जिलों को न केवल ओडीएफ बनाने बल्कि इसे स्थायी बनाने में कारगर भागीदारी की है।

आजादी के बाद स्वच्छता के लिए कई योजनाएं बनीं और उन्हें लागू किया गया, इसमें आंशिक सफलता भी मिली, परंतु अक्तूबर 2014 में सरकार की योजना ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का एक sub-mission, Swachh Bharat Mission (Gramin) इस उद्देश्य से आरंभ किया है कि 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण स्वच्छ बनाने के साथ ही खुले में शौच से मुक्त बनाया जाए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि इन्दौर आज देश के उन 59 जिलों में शामिल है, जिन्हें खुले में शौचमुक्त जिला घोषित किया गया है। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप महिलाएं ही इस संदेश की सूत्रधार हैं। आप देश की कोटि-कोटि जनता की मार्गदर्शक एवं प्रेरक हैं एवं गांधी जी के इस सपने को पूरा कर सकती हैं।

महिलाओं ने न केवल मोटिवेटर्स के रूप में कार्यकलापों को पूरा किया है, बल्कि अपने स्वयं के शौचालय निर्माण में मिस्त्री के रूप में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिस्से के रूप में अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन में भी भाग लिया है। सुशीला कंवर, काथर जैसी सरपंचों, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि वह तब तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, जब तक कि उनका गांव ओडीएफ नहीं बन जाता, यह सब महिला नेतृत्व के धैर्य और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

कुछ सर्वाधिक प्रेरक प्रसंग उन लड़कियों के हैं जो दुल्हन बनने वाली हैं। कानपुर, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने उन परिवारों में शादी करने से मना कर दिया जिनके घरों में शौचालय नहीं थे। इधर, कर्नाटक के एक गांव में एक 15 वर्षीय लड़की लावण्य ने अपने घर में शौचालय की मांग को लेकर 48 घंटे का अनशन किया। लावण्य की आरंभिक दलील को उसके पिता ने ठुकरा दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लावण्य की मांग पर प्रशासन को दखल देना पड़ा और उसके घर के बाहर शौचालय बनाने में उसे सहायता दी गई। लावण्य न केवल पूरे गांव के लिए बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए एक रोल मॉडल बन गई है।

आज जब मैं आप लोगों को देखती हूं तो इतना अच्छा काम किए जाने पर गौरवान्वित महसूस करती हूं। काफी काम कर लिया गया है तथा और बहुत-कुछ हासिल करना बाकी है। आप सबने यह साबित कर दिया है कि 'स्वच्छ भारत मिशन' वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया है। हमें न केवल सफाई की दिशा में प्रयास करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वच्छता को केवल महिलाओं का काम न माना जाए अपितु इसे पुरुष एवं महिला दोनों का संयुक्त दायित्व समझा जाए। इस लक्ष्य की दिशा में, सभी संस्थाओं में स्वच्छता का कार्य करने वाली महिलाओं से और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करती हूं। स्वच्छता के कार्य से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और यह इसकी वास्तविक सफलता होगी।

इस जन-जागृति की वजह से देशभर में शौचालयों का निर्माण हो रहा है लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका समुचित उपयोग भी हो। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं जैसे पानी, सफाई एवं रख-रखाव महत्वपूर्ण है, वरना एक नई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेरा मानना है कि उन सुविधाओं के लिए आवश्यक चीजों की ओर भी ध्यान दिया जाए। महिलाओं एवं कन्याओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सैनिटरी नैपकिन का उपयोग किया जाना चाहिए। महिलाओं के समक्ष कई समस्याएं हैं जिनके निदान हेतु महिलाओं को आगे आना चाहिए एवं उन्हें सफाई से संबंधित तरीके के विषय में प्रशिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे अपने परिवार, गांव एवं समाज में स्वच्छता संबंधी जागरूकता लाने में सक्षम हैं एवं खाना खाने से पहले एवं बाद में हाथ धोने, शौच के नियमों तथा स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को बड़ी आसानी से अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने में सक्षम हैं। आज भी बहुत लोग गांवों में नंगे पांव चलते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि ऐसा करके वे कई विपदाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। महिलाएं एवं युवक बड़ी ही सहजता से ग्रामवासियों को इसके विषय में समझा सकते हैं एवं उन्हें बताकर दूसरों को प्रेरित करने का सूत्र दे सकते हैं।

एक और बात है waste management की। यह न केवल आज गांवों, कस्बों बल्कि नगरों और महानगरों की भी गंभीर समस्या है। कूड़ा-कचरा की कई श्रेणियां होती हैं। कुछ bio-degradable होती हैं तो कुछ non-degradable, उनके निपटान के अलग तरीके होते हैं। आज कल तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे की भी एक अलग समस्या हो गई है।, अतः, समय की मांग है कि जन-जन को कूड़े-कचरों से होने वाले खतरों से भी अवगत कराया जाए। इनसे radiation तक का भी खतरा हो सकता है। अतः, कूड़ा-प्रबंधन के बारे में जानने और लोगों को उसके बारे में बताने की आवश्यकता है। कुछ चीजों को recycle and reuse किया जा सकता है तो कुछ को नहीं। अतः, एक बार फिर यह जिम्मेदारी आप महिलाओं के कंधों पर ही आ जाती है। कूड़ा प्रबंधन में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए।

इसी क्रम में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र इंदौर के मोहल्लों-कॉलोनियों, धर्मस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई का आह्वान किया, जिसमें महिलाओं सहित सभी ने पूरे जोश एवं उत्साह से भाग लिया एवं सफाई का प्रण लिया। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थलों व धर्मस्थलों की सफाई करनी चाहिए। ऐसा होने पर विश्व में हमारी स्वच्छ छवि बनेगी और लोग पर्यटन हेतु भी भारत की ओर आकर्षित होंगे।

हमने देखा है कि इस साल हमारे 10 राज्यों में सूखा पड़ गया था और लोग बूंद-बूंद पानी को तरस गए थे। यहां तक कि महाराष्ट्र के लातूर में पीने के पानी को ट्रेन से भेजा गया था। यह स्थिति की भयावहता को बताता है कि हम सबका ध्यान जल संरक्षण की ओर होना चाहिए। यदि हम अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल ढंग से करें तो हम लम्बे समय तक उन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। चाहे वे नदी हों, तालाब हों, जोहड़ हों, कुएं हों या बावड़ी हों। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी विधायकों, पार्षदों एवं शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में संवेदनशील बनाया और यह प्रयत्न किया है कि इनकी सफाई तथा संरक्षण किया जाए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वच्छ भारत होगा, तभी तो स्वस्थ भारत बनेगा। आप सभी ने इस दिशा में नवीन कदम उठाया है और खुद प्रेरित हुए हैं और बहुतों को प्रेरणा दी है। इसलिए, आप सभी सम्मान प्राप्त करने की हकदार हैं। मंच पर उपस्थित सभी लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरी कामना है कि जिस मनोयोग से आपने इस कार्य को राष्ट्र धर्म समझकर किया है, आगे भी करते रहें एवं एक स्वस्थ, संतुलित, विकसित एवं समर्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग निरंतर देते रहें।

इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं:-

"मेरा गांव या शहर साफ हो, इसमें जन-जन का हाथ हो।
स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे।"

NATIONAL WOMEN'S PARLIAMENT*

It gives me immense pleasure to be with you all today at this Valedictory Ceremony of the National Women's Parliament. At the outset, I would like to thank Hon'ble Chief Minister Shri Chandrababu Naidu ji and Dr. Kodela Siva Prasada Rao, Hon'ble Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, for inviting me to this august gathering. It is indeed a joy to be in this beautiful capital city of Amaravati, which is being called the People's Capital. The people and the Chief Minister of Andhra Pradesh deserve rich accolades for developing it as the most modern state-of-the-art city. I offer my sincere appreciation to the Andhra Pradesh Legislative Assembly for their laudable initiative in organising this important event on the theme 'Empowering Women for Nation Building'.

Friends, in recent months, the Parliament of India has been making consistent efforts to mainstream the role of women legislators in policy formation and programme implementation, particularly in the development sphere. As you may recall, last year in August, our Parliament hosted the first meeting of BRICS Women Parliamentarians Forum in Jaipur. The Forum was initiated by us to bring women parliamentarians of BRICS countries under one roof to discuss ways and means of realising the targets of Sustainable Development Goals. Prior to this Meeting, as a first step in this direction, we had also organised a two day National Women Legislators Conference in March 2016 on the theme 'Women Legislators: Building a Resurgent India'. The Conference, as you know, was attended by over 350 Delegates comprising State

*At the Valedictory Ceremony of the National Women's Parliament organised by the Andhra Pradesh Legislative Assembly, Amaravati (12 February, 2017).

Legislators, Members of Parliament, Chief Ministers and Union Ministers and Chief Ministers of various States. The Conference dwelt on many important issues and challenges concerning women with a special thrust on how women legislators could proactively and productively contribute towards nation building.

Today, I am immensely pleased that a similar initiative has been taken by the Andhra Pradesh Legislative Assembly to bring together women legislators and parliamentarians, as also eminent women leaders from the civil society and the corporate world to continue this important discussion on the role of women in nation building. In fact, I consider the present convention as a continuation of our endeavour to empower women and to help them in contributing towards nation building. With this objective in mind, I am happy to learn that during the last two days you have deliberated on a number of important themes and contemporary challenges concerning women including on women's status and decision making power, vision for the future and women as change makers in global scenario, among others.

आज इस महिला सम्मेलन में आप सबको देखकर मन आशा और उम्मीद से भर गया है। यहां एकत्रित नारी शक्ति का मैं अभिनन्दन करती हूं। आप सभी उस ईश्वरीय तत्व की प्रखर लौ हैं जिनकी रोशनी से हमारा समाज और देश सदियों से आलोकित होता आया है और यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। नारी स्वयं जीवन दायिनी है। नारी प्रेम, संरक्षण एवं समर्पण है, वह स्वभाव से ही कल्याणी है। श्रीमद्भागवत गीता में इस शाश्वत सत्य को बहुत ही सरलता से दर्शाया गया है:- "कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।" (यानी, नारियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक् हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं और क्षमा हूं)।

आंध्र की धरती ओजस्वी व तेजस्वी नारी शक्ति का केन्द्र रही है। पालगुडु वरलक्षम्मा, अन्नपूर्णा देवी एवं सरोजिनी नायडू जैसी स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर वर्तमान में पी.वी. सिन्धू, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल और कोनेरू हम्पी इस धरती की प्रतिभाशाली बालाओं ने देश का नाम विभिन्न क्षेत्रों में रोशन किया है मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस पावन धरती की सकारात्मक ऊर्जा आप सबको प्रेरित करेगी।

वर्तमान में महिलाएं परम्परागत पेशों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एवं कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव, बैंकिंग एवं सरकारी क्षेत्रों के अलावा गैर-परंपरागत क्षेत्रों जैसे defence and paramilitary sector, commercial driving, petrol pump worker, security guards, fighter pilot के रूप में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। आपको अपने-अपने क्षेत्रों में यह संवाद पहुंचाना होगा कि उनके लिए रोजगार के कई और नए-नए क्षेत्र खुले हैं। आप सशक्त हैं, आवश्यकता है औरों को अपने जैसा बनाने की।

Today, technology has made the world a global village. In this fast moving and rapidly developing world, where interdependence amongst nations and societies has become more relevant, women with her inherent qualities of love, compassion, devotion, understanding, tolerance and patience have a very crucial and proactive role to play at every level. Women have to be in the driving seat to navigate the ship of life for family, society and nation.

मेरा निजी अनुभव है कि महिलाएं जब-जब किसी विधायिका या कार्यपालिका के पद पर होती हैं तो वहां विकास की गति एवं दिशा दोनों ही बेहतर और सकारात्मक होती है। एक सर्वे के मुताबिक जिन-जिन पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता और पेयजल से संबंधित अलग-अलग योजनाओं पर अधिक खर्च किया गया है और उन सुविधाओं का स्तर बेहतर हुआ है। पार्लियामेंट में मेरा अनुभव है कि महिला प्रतिनिधियों में विषयों को गूढ़ता से जानने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ी है। मैंने विभिन्न गूढ़ विषयों की जानकारी एवं जटिल पहलुओं की जानकारी संसद सदस्यों तक पहुंचाने के लिए संसद में Speakers Research Initiative प्रारंभ किया है और बड़ी संख्या में महिला सदस्य इसका लाभ ले रही हैं, इसकी मुझे खुशी है। I believe that if more and more women participate in policy making and legislature, executive and judiciary, the direction and quality of governance will improve a lot. अतः, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को हासिल करें एवं इसके सभी पक्षों को आत्मसात करें। तभी आप खुद सशक्त होंगी एवं सभी को सशक्त एवं जागरूक बनाएंगी।

कानून केवल एक कागज का टुकड़ा नही है बल्कि इसे श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से पालन किया जाना चाहिए। चूंकि नारी में संवेदनशीलता होती है, उनमें पारिवारिक, सामाजिक एवं वास्तविक समस्याओं की समझ होती है और उनके समाधान के बारे में सूझ-बूझ और दृष्टि होती है। उनमें सेवा का स्वभाव भी होता है। स्त्री सदा से ही समाज में सबके हितों की बात करती है, सबका ख्याल रखती है। अतः, नीति एवं विधि निर्माण में स्त्री की ज्यादा भागीदारी समाज और राष्ट्र के लिए अत्यन्त सकारात्मक एवं शुभ है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए भी स्त्री अधिक संवेदनशील एवं प्रगतिशील होती है क्योंकि वे धार्मिक प्रतीक, क्रिया के रूप में तुलसी, वट वृक्ष, पीपल आदि का न केवल संरक्षण करती है बल्कि पूजा करती हैं। घर में ऊर्जा संरक्षण के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता एवं झुकाव ज्यादा होता है। साथ ही, स्त्री घर में बचत और वित्त के मामले में बहुत ही सूझ-बूझ एवं व्यावहारिक निर्णय लेती है। वे कुशल प्रबंधक, शिक्षक, मितव्ययी, साहसी, सामाजिक संबंधों को संजोकर रखने वाली होती हैं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि यदि महिलाओं को उचित अवसर मिले तो वे गृह एवं वित्त एवं रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर सकती हैं।

National Conference of Women Legislators' theme song उम्मीदम था जिसमें बताया गया था कि महिलाएं मां, कुशल प्रबंधक, साहसी एवं संवेदनशील स्त्री की भूमिकाओं में सफलतापूर्वक परिवार, समाज और देश को सारथी की तरह दिशा देती हैं। इस गीत में स्त्री शक्ति की कल्पना कल-कल बहती नदी से की गई हैं। यह सही भी है कि नदी जीवनदायिनी है, स्त्री भी जीवनदायिनी है। नदी की तरह स्त्री भी अपनी राह खुद बनाते चलती है। नदी के किनारे जीवन बसता हैं। परंपरागत नदी बस्तियां, नदी के किनारे गांव—स्त्री के आंचल में जीवन पलता है—नदी के सहारे फलता-फूलता है, मगर धीरे-धीरे हमने नदी के प्रवाह को रोका-तोड़ा प्रदूषित किया—यही बात स्त्री जीवन की हैं। आज पानी का महत्व समझकर, हम फिर गंगा को निर्मल करने की, नदियों को जोड़ने की, साफ करने की बात करते हैं। वही बात स्त्री या नारी, इसलिए नहीं कि वे देश की आधी आबादी है, अपितु जीवनदात्री-निर्मात्री मातृशक्ति है। पर भी लागू होती है। मगर स्त्री को भी अपनी शक्ति का एहसास एवं अनुभव करना होगा।

Distinguished Delegates and Friends! I would like to urge you to contribute in whatever different ways you could towards mitigating the problems faced by women in helping to empower

them to contribute to the country’s development. It is my hope that new perspectives and insights you gained during this convention through the exchange of views and experiences will help you to bring about positive outcomes for women in the society. We have to now move from development and empowerment of women to women led development and empowerment.

With these words, I once again thank you all for inviting me here and I wish you all the very best in the discharge of your onerous public roles and responsibilities in the future.

Thank you.

WOMEN POLITICAL LEADERS : CLIMATE CHANGE, WOMEN LAND RIGHTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

At the outset, I would like to express my sincere appreciation to the House of Representatives of Indonesia and the Inter-Parliamentary Union for the laudable initiative they have taken in organising this World Parliamentary Forum on Sustainable Development so as to provide a full range of comprehensive perspectives to the Parliaments around the world in terms of implementation of SDGs. This Forum is indeed a welcome initiative that will provide us an extremely useful platform to facilitate the sharing of policy analysis, experiences, best practices with respect to the SDGs across the world Parliaments. I am happy that this first World Parliamentary Forum on Sustainable Development has also made special emphasis on the true meaning of SDGs: for the people.

Distinguished Delegates, coming to the topic of our discussion, we all know that climate change, women land rights and sustainable developments are all inter-related and there is a need to address the issues and challenges associated with them. It is a great cause for concern today that women are a vulnerable lot in the society. They are more at risk to the effects of climate change than men, primarily because women and men have unequal access to resources and opportunities. Often, their needs are different and competitive. Men, most often being in control of budgets, may not value women's concerns, and cultural barriers may prevent women from asserting their demands effectively.

---

* At the World Parliamentary Forum on Sustainable Development, Nusa Dua, Bali, Indonesia (7 September, 2017).

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which is the overarching international Agreement aimed at stabilisation of climate change, acknowledges and promotes gender balance and gender equality in the context of climate change policies. Since social, economic and political barriers limit women to cope with the adverse impacts of climate change, consultation and participation of women in climate change initiatives is imperative and the role of women's groups and networks need to be strengthened.

Distinguished Delegates, women's land rights are also critical to secure them access to land and other natural resources which is imperative for sustainable livelihoods and a key factor in assuring food security. It is a cause for concern that while many countries have gender equality in their constitutions, laws relating to property rights often do not give equal status to women, or, where they do, women's property rights may not be respected in practice. This calls for a broader conceptualization of land rights and access to productive resources which is pro-poor, gender inclusive and responsive to human rights.

With respect to sustainable development, the 2030 Agenda and its actionable core of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted on 25 September 2015 by the United Nations General Assembly provides ambitious SDGs, envisaging the eradication of poverty as the overarching goal, and laying a balanced emphasis on the three pillars of sustainable development *viz*. social development, economic growth, and environmental protection. The Agenda, unlike the MDGs, has a stand-alone Goal on gender equality and the empowerment of women and girls. In addition, there are gender equality targets in other Goals, and there is a need for collection of sex disaggregation data across many indicators. Since gender equality is central to all of the SDGs women need to be given a more meaningful role to play in the attainment of these goals. In India, the 2030 Agenda and its actionable core of 17 SDGs resemble

our own vision of development. The Government of India's initiatives such as Smart Cities, Make in India, Beti Bachao Beti Padhao (Save girl child, educate girl child), Swachh Bharat (Clean India), Jan Dhan Yojana (National Mission for Financial Inclusion), Digital India, Skill India, Startup India etc., closely relate to several targets under the SDGs.

Friends, in recent times the Parliament of India has been making consistent efforts to mainstream the role of women legislators in policy formation and programme implementation, particularly in the development sphere. Last year in August, our Parliament hosted the first meeting of BRICS Women Parliamentarians Forum in Jaipur in the State of Rajasthan. The Forum was initiated by us to bring Women Parliamentarians of BRICS countries under one roof to discuss ways and means of realising the targets of Sustainable Development Goals. During the two days' meeting, we deliberated on the theme 'Women Parliamentarians: Enablers for Achieving SDGs'. The meeting ended with the Jaipur Declaration which *inter alia* underscored the need to address climate change in all its manifestations, and work out integrated solutions to preserve and protect ecological systems and forests and ensure food security. The Declaration also underlined the significance of expeditious parliamentary approval of SDG related legislation and adequate budgetary resources, oversight and monitoring of implementation through procedural devices and Parliamentary Committees. Prior to this Meeting, as a first step in this direction, we had also organised a two-day National Women Legislators Conference in March 2016 on the theme 'Women Legislators: Building a Resurgent India'. The Conference was attended by over 350 Delegates comprising State Legislators, Members of Parliament, Union Ministers and Chief Minister of a State. The Conference dwelt on many important issues and challenges concerning women with a special thrust on how women legislators could proactively and productively contribute towards national welfare and development.

More recently, from 18 to 19 February this year, our Parliament, along with the IPU, jointly hosted the South Asian Speakers' Summit on Achieving Sustainable Development Goals in Indore, Madhya Pradesh. The Summit, among others, held Sessions on Gender equality as a critical factor for sustainable development and Dealing Effectively with the Challenge of Climate Change and Natural Disasters: Opportunities for Regional Parliamentary Cooperation. At the end of the Summit the Indore Declaration was adopted which, *inter alia,* emphasized the important role of Parliaments and Parliamentarians in achieving the SDGs and the need for Cooperation among the countries of the Region.

Besides, these initiatives our Parliament had also held discussions on the SDGs on 3 August 2016 in the Monsoon Session, and again on 30 March 2017 during the Budget Session. Both the Government and the Parliament have taken keen interest in the proper implementation of the SDGs, and are committed to set aside one day of every session of Parliament for a thorough discussion on the progress on SDGs, focusing on one particular goal at a time. This is intended to serve as an opportunity for stocktaking and course correction, while ensuring a broader participation of parliamentarians in achievement of the SDGs. Additionally, the Speaker's Research Initiative (SRI) has been launched for providing, among other things, SDG-related insights to Members of Parliament. The SDGs and their implementation have been constantly on the parliamentary agenda as shown by the events and activities that the Parliament of India has organized from time to time.

Distinguished Delegates, as people's representatives, we have onerous responsibilities to highlight the concerns of the people as well as mobilize the participation of the people in issues of governance and sustainable development. As women parliamentarians, we also have special responsibilities as well as advantages in providing leadership to women and grassroots organizations which are engaged in addressing issues like climate

change that have disproportionate impact on women. As parliamentarians, we also need to highlight these issues in appropriate forums at the international level and call for greater cooperation in addressing them.

With our respective Parliaments responsible for legislating, policy oversight and budget approval, parliamentarians are central to the development agenda. We are in a unique position to Influence shape and content of our respective national development agenda and ensure the implementation of the SDGs through legislation, Oversight of Government's work and achievements, annual parliamentary reviews of proposed government expenditures and budgetary allocation. We can initiate debates that can catalyze a wider public discussion or debate on the SDGs, ensure scrutiny through Parliamentary Committees, and develop and strengthen innovative partnership with civil society organizations to scrutinize and assess various Government programmes concerning SDGs. As parliamentarians can help in strengthening the effort of the Government in building infrastructure such as roads, transport, power, healthcare facilities, etc., which support growth and facilitate development in their constituencies through their personal initiatives and involvement.

As women parliamentarians, we have a pivotal role in ensuring that all these happen in our respective countries. We must recognize that, as women, we all are concerned with policy issues that affect life at the level of family and community and other larger social concerns, especially in areas like education, infrastructure and health. The desired goals and objectives in areas of climate change, land rights and SDGs can only be achieved if women are able to play an active role in the decision making process in the legislation, governance and policy formulation. Though women constitute about 50% of the population, but we do not see much presence of women in decision making bodies. Unless the views of women are heard and they are made part of the policy making bodies, it may be

difficult to achieve the desired lofty ideals and goals with respect to many targets we are supposed to achieve.

Let us hope that the deliberations like this happening here would go a long way in sensitizing the Parliament and policy makers to have a more responsive, equitable society where women are becoming equal partners in progress.

Thank you.

VI.

CULTURAL MATTERS

HARMONY OF RELIGIONS: WELFARE OF HUMANKIND*

It is a matter of great pleasure for me to be here with you all today at the inauguration of the Third International *Dharma-Dhamma* Conference on 'Harmony of Religions: Welfare of Humankind'. At the outset, I would like to take this opportunity to congratulate the Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Sanchi — University of Buddhist-Indic Studies; and Centre for Study of Religion and Society for organising this Conference which will focus on religion as the most potent force that has the capability to bind the entire humanity in the ties of love, peace and development.

Harmony of religions and welfare of humankind are the life force energies of our national cultural tradition. It is said about *Dharma- 'Dhaarnaat dharma ityahoo'* which means that it is dharma to develop positive attributes. It gives me great pleasure to welcome all of you in this significant Conference being held in Indore. As I have the privilege of representing Indore for the eighth term now in Lok Sabha, this culturally vibrant and diverse city has become a part of my life and my being. The people of Indore are extremely hospitable, friendly and peace-loving. I am proud to mention here that Indore is the only city in the country which can boast of having two temples of modern learning in India — an Indian Institute of Technology and an Indian Institute of Management. I am extremely happy that a Conference of this magnitude is being held in my home town. In this august gathering of learned intellectuals of various religious beliefs would deliberate on the harmony among

* At the 3rd International Dharma—Dhamma Conference 'Harmony of Religions: Welfare of Humankind', Indore (24 October, 2015).

religions from the viewpoint of peace and welfare of entire mankind. It is indeed a momentous occasion for all of us.

Ladies and Gentlemen, our nation, *Bharata* established on the principle of *'Sarve Bhavantu Sukhina'* derives its name by adding the components like *Bha* means sensation, that is the basis of all experience and expression; *Ra* means *raga,* the tune and texture of life; and *Ta* means *tala,* the rhythm of life, which involve both rhythms of the human system and nature. This being the basis of our culture and heritage, we have naturally inherited the values of tolerance, non-violence, equity, and compassion for animate objects. There has always been a compassionate concern and kindness for every form of life in our mind. Right from the beginning, we have learnt to grow up in close association with nature, based on the principles of co-existence and interdependence. Mankind is the best creation of God and the true meaning of dharma is to follow the path of humanism. As the author of *Smritis* Manu has aptly put it that Dharma means following the path of truth under all circumstances through one's thought, speech and action.

Human life is always evolving. This dynamism of human life along with his personal needs and habits tend to control his code of conduct. The codes of conduct of World civilizations, moral values etc. also change constantly along with this ever changing nature of life and strive towards the state of perfection. Despite there being constant changes in the conduct, habits and beliefs, the basic tenets of religion are steadfast and they tend to evolve towards perfection in this state only. The vibrancy of dharma helps the humankind to connect with his surroundings.

All of us are aware that all the religions give the message of embracing love, compassion, tolerance in the interest of humanity in order to achieve happiness. All the religions are oriented towards the welfare of mankind. Humanism has been accepted as one of the great ideals in all the religions of the world. Along with this basic tenet of love and compassion, all the religions teach the followers

to observe equanimity in all states of life and remain always active. As per the Sanatan Dharma, the supreme state is to remain unaffected by pains and pleasures and see oneself as a mere spectator of life. It is our tradition to accept the victory and defeat with equanimity. One should not be too happy in victory and should also not lose heart when defeated.

'सुखे दुखे समेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।'

(Sukhe Dukhe Samekritwa Labhalaabho Jayajayo)

As all of us are aware, India has been a cradle of various religions being followed in the world. It indicates that India has always been witness to regular and dynamic contemplation and deliberation on religion. We have a dynamic approach and respect for other religions is one of the characteristics of India. These values are taught by all religions and in that sense there is 'सर्वधर्म समभाव'. Every religion actually teaches its followers to become good human beings. All the religions thus pave the way for a harmonious existence on earth, harmonious existence not only among mankind but also between mankind and nature including trees and plants, animals and birds and the sun and the moon and the air and the water!

I would like to quote a prayer shloka here which says:

ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।।
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ऊँ।

Meaning that 'May peace radiate there in the whole sky as well as in the vast ethereal space everywhere; May peace reign all over this earth, in water and in all herbs, trees and creepers; May peace flow over the whole universe; May peace be in the supreme being; and May there exist in all peace and peace alone.

भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंध*

श्रीमती हेमा देवरे की पुस्तक **'गंगा टू मेकांग: ए कल्चरल वॉयेज थ्रू टेक्सटाइल्स'** उनके कई साल के शोध और अध्ययन का नतीजा है। हम सब जानते हैं कि वस्त्र मूलभूत आवश्यकता के साथ-साथ हमारे देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जन-जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।

श्रीमती देवरे संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी जैसी अलग-अलग भाषाओं में लिखती हैं। उनका भारतीय संस्कृति, वस्त्रों और इसके इतिहास तथा परम्पराओं के बारे में व्यापक अध्ययन है। उन्होंने **'बाली यात्रा'** नामक एक नृत्य-नाटिका भी लिखी है जिसमें बाली और ओडिशा के बीच के प्राचीन संबंधों के बारे में बताया गया है। उन्होंने **'साड़ी सूत्र'** नामक एक पुस्तक का सम्पादन भी किया है जिससे भारत और इंडोनेशिया के रेशमी वस्त्रों के बीच के संबंधों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा, उन्होंने **'थ्रेड्स दैट बाइंड'** नामक वृत्तचित्र का निर्माण किया है जिसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच लम्बे अरसे से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बताया गया है।

उन्होंने वस्त्र उद्योग के माध्यम से मेकांग क्षेत्र और गंगा नदी क्षेत्र (यानी भारत) के बीच के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया है। उनके अध्ययन से पता चलता है कि गुजरात कोरोमंडल तट और गंगा नदी के तट से भारतीयों ने कैसे अपने वस्त्र उद्योग का विस्तार दक्षिण-पूर्व एशिया की मुख्यभूमि में मेकांग नदी और इंडोनेशिया के समृद्ध स्पाइस आइलैंड तक किया। वस्त्र न केवल व्यापार बल्कि संस्कृति, दर्शन, विचार और परम्पराओं के आपसी आदान-प्रदान का माध्यम है। वस्त्रों ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और निकट सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस किताब का नाम "गंगा टू मेकांग : ए कल्चरल वॉयेज थ्रू टेक्सटाइल्स" इसलिए भी उचित प्रतीत होता है क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति की छाप और उसका प्रभाव वहां के दैनिक जीवन में, इतिहास में और वर्तमान में भी देखा जा सकता है। हमारे पारिवारिक मूल्य, दर्शन, चिंतन और सोच में काफी समानता है और एक-दूसरे की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है, जैसे आपसी प्रेम, भाईचारा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सद्भाव की भावना इत्यादि। दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और वहां

*श्रीमती हेमा देवरे द्वारा लिखित पुस्तक 'गंगा टू मेकांग: ए कल्चरल वॉयेज थ्रू टेक्सटाइल्स' के विमोचन समारोह में भाषण, नई दिल्ली (14 दिसंबर, 2015)

संस्कारों में, नामों में एवं दैनिक जीवन में बौद्ध एवं हिन्दू संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। उदाहरण के लिए ब्रुनेई की राजधानी का नाम "बन्दर सेरी बेगवान" है तो थाईलैंड के राजा का नाम "श्री भूमिबोल अतुल्यतेज" है, वहीं सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में निर्मित कम्बोडिया में मेकांग नदी के किनारे स्थित अंकोरवाट का मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर परिसर है।

इस पुस्तक में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों की चर्चा के साथ-साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभ्यता, संस्कृति, परम्परा की तरह पहनावा में भी आपसी मेल-जोल बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय से निकलकर भारत के बड़े भू-भाग से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भू-भाग से होकर गुजरने वाली मेकांग नदी म्यांमार, थाइलैंड, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम होते हुए अंत में दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हमारे इन देशों में आपसी संबंध इतने निकटस्थ हैं कि सभी ने एक-दूसरे की परम्पराओं, वस्त्रशिल्प इत्यादि का अनुकरण किया है। एक जगह में दूसरे जगह की झलक मिल जाती है।

उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अजन्ता की गुफाओं में चित्रित एक महिला के परिधान में हंसों के चित्र चित्रित हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के परिधानों में अमूमन देखे जाते हैं। उसी प्रकार अंकोरवाट के मंदिरों में चित्रित देवी-देवताओं के परिधानों में भारतीय परिधान की झलक मिलती है। ऐसा ही थाइलैंड एवं इंडोनेशिया के देवस्थलों में भी देखा गया है। अर्थ यह है कि सांस्कृतिक एकता परिधानों में भी दृष्टिगोचर होती है।

एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहां तो भारत ही भारत दिखता है। यानी हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हजारों वर्षों से इन देशों में हुआ है। गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल के तट से हो रहे कई सौ सालों के पुराने व्यापारिक संबंधों ने इसको एक नया आयाम दिया है। गुजरात का **इकट पटोला**, तो कोरोमंडल के **ब्लॉक प्रिंटिंग** वाले वस्त्र, उड़ीसा के **क्लिंग कपड़े**, आंध्र प्रदेश की **कलमकारी** तो गुजरात के **बंधेज** ऐसे वस्त्र शिल्प हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के शहरों में आसानी से देखे जा सकते हैं। उनमें से कुछ तो उनकी पूजा पद्धति के अभिन्न अंग बन चुके हैं तो कुछ राजसी परम्परा में राज्याभिषेक या इस प्रकार के अवसरों पर पहने जाने वाले परिधान इस बात को साबित करते हैं।

"वस्त्र, मसालों और सोने" के त्रिभुज का यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रहा है। वस्त्र उद्योग से मसालों के विनिमय की पुरानी परम्परा रही है। भारत में वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में थे तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मसाले बड़ी मात्रा में उपजते थे। चूंकि भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था थी, तभी यह व्यापार बहुत तेजी से

दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला था। यूरोप में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप भारत से कच्चे माल को यूरोप ले जाया जाता था तथा वहां से तैयार माल भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा जाता था, तथा बदले में मसाला खरीदा जाता था। यूरोपीय देशों में मसालों की विशेष मांग इसलिए होती है क्योंकि उसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इस प्रकार, वस्त्र उद्योग से मसाला लेकर उसे यूरोपीय देशों में बेचा जाता था तथा उनके लाभ से सोना कमाया जाता था। भारतीय वस्त्र परम्परा के यूरोपीय हाथों में जाने से उनके लिए कमाई का एक द्वार खुल गया था।

वस्त्र के व्यापार के साथ ही उन डिजाइनों, हस्तशिल्प एवं कलाकारी का प्रसार पूरे विश्व में भी हो जाता है तथा कुछ ऐसा ही उन देशों में हुआ जहां से भारत के साथ वस्त्र व्यापार हुआ करते थे।

भारत सरकार की वर्तमान नीति भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को और विकसित करने एवं उनके साथ मिलकर विकास की गति को तीव्र गति देने की है। इसी के तहत लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई है।

चाहे म्यांमार हो, थाईलैंड हो, कम्बोडिया हो, जावा हो या सुमात्रा हो, सभी जगहों पर भारतीय वस्त्र शिल्प का प्रभाव दिखता है। चाहे राजसी पहनावा हो अथवा नागरी पहनावा हो, हर जगह भारतीय संस्कृति और परंपरा दिखती है। घरों से लेकर मंदिरों तक भारतीय पहनावे की झलक निरंतर मिलती है। चाहे बैंकाक के राजकुमार के राज्याभिषेक के समय की पोशाक हो या शादी के वक्त वहां की दुल्हन की पोशाक हो और भारत में पहने जाने वाली पोशाक, दोनों की समानता इस बात को दर्शाता है कि वस्त्र निर्माण की कला को पूर्णतः आत्मसात कर लिया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के बाहर दक्षिण पूर्व में बहुत से भारतीय हैं जो भारतीय सांस्कृतिक परम्परा, आदर्श और पहनावे का अनुसरण करते हैं।

पुस्तक का कलेवर बहुत अच्छा है। छपाई बहुत सुन्दर है तथा उनमें वर्णित तथ्य हमें इतिहास के झरोखे में ले जाते हैं और भारत के दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं वस्त्र-विन्यास के आपसी मेल-जोल को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करते हैं। मैं पुस्तक की लेखिका को बधाई देती हूं कि उन्होंने एक नए नज़रिए के साथ हमारे समक्ष नया शिल्प प्रस्तुत किया है। आशा करती हूं कि पुस्तक अपने प्रयोजनों में सफल सिद्ध होगी।

धन्यवाद।

कुम्भः आस्था, धर्म एवं आध्यात्म का अद्‌भुत संगम*

It gives me great pleasure to be amongst you all on this International Conference Vichar Kumbh on Fundamental thoughts of Development, Simhasth, 2016.

कुम्भ की बात करते ही पहला विचार वहां आने वाले साधु-संतों के बारे में आता है। सन्त शब्द अत्यंत श्रद्धा से युक्त शब्द है। मैं कहना चाहूंगी कि सन्त यानि 'स' का अन्त, यानि स्व-अहंकार से मुक्त व्यक्ति ही सन्त है, जिसका जीवन जन-कल्याण व उत्थान के लिए समर्पित हो।

सन्त-जन अपने ज्ञान से देश, काल और परिस्थिति का सटीक आकलन कर पाते हैं। वे निराकार भाव से समाज को भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हैं एवं अपनी संस्कृति को सहेजकर रखने की प्रेरणा देते हैं ताकि बदलते वक्त में जीवन जीने की कला इनके सान्निध्य में मिलती रहे।

वे केवल स्व-मोक्ष तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वे सब इस जीवन की सत्यता को समझते हुए एक आदर्श जीवन जीने की कला को जन-जन तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। तभी तो हम सब उन्हें श्रद्धा से सन्त कहते हैं।

वैसे तो वे चारों स्थान, जहां कुम्भ का आयोजन होता है, वे अपने-आप में विशेष हैं, परंतु मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि किसी भी स्थान पर आध्यात्मिक समागम हो और चारों दिशाओं से एकत्रित होकर साधु-संत आपस में विचार-विमर्श करें तो निश्चय ही वहां के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा एवं जीवन्त माहौल से प्रेरित होकर ही श्रद्धालुजन ऐसे समागमों में स्वतः ही खिंचे चले आते हैं तो कुछ भक्तियोगी पुण्य प्राप्ति एवं ज्ञान प्राप्ति की लालसा में आते हैं।

सहस्त्रं कार्तिके स्नानं, माघे स्नानं शतानि च।
वैशाखे नर्मदा कोटिः, कुम्भस्नानेन तत्फलम्।।

---

*सिंहस्थ कुंभ महापर्व, 2016 के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड' के विशेष प्लेनरी में भाषण, उज्जैन (14 मई, 2016)

अर्थात् सैकड़ों स्नान कार्तिक मास में किए हों, हज़ारों स्नान माघ मास में तथा करोड़ों बार बैशाख में नर्मदा स्नान करने से जो पुण्य अथवा फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एक बार कुम्भ स्नान पर्व में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह है इस कुम्भ का विशेष महत्व। कुम्भ आस्था, धर्म एवं अध्यात्म का अद्भुत संगम है। Religion means following the messenger whereas spirituality means following the message.

भारतीय संस्कृति ने हमेशा पंचभूत पर विश्वास किया है यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शास्त्र में वर्णित है:– **"क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिल बना शरीरा।"** हम अपने कर्म और ज्ञान, दोनों से इन पंचमहाभूतों के मर्म को समझते हुए भारतीय पद्धति से जीवन जीते हैं और यही हमारी विशेषता है।

We have always nurtured the nature and taught the world how to protect it. We have always protected the environment in various ways.

हमारे धर्मग्रन्थ, हमारी जीवन पद्धति, हमारा सब कुछ पर्यावरण व सृष्टि को सहेजने के लिए है। इसलिए तुलसी, नीम, वटवृक्ष, पीपल की हर घर में पूजा होती है।

Rivers are lifelines of any civilization. नदी जीवनदायिनी है। नदी है, तो जल है और जल है तो जीवन है।

कृषि प्रधान देश होने के नाते हम धरती के महत्व को भी खूब समझते हैं। हम जानते हैं कि धरती माता हमारा भरण–पोषण करती है और अन्ततः जिसमें हम समा जाते हैं। हम धरती से बहुत–कुछ लेते हैं, पर धरती से उसका सब–कुछ ना ले लें, इसके प्रति भी सचेत हैं।

सभी मन में एक ही भाव लेकर कुम्भ स्नान के लिए आते हैं। नदी सबको एक–सी शीतलता एवं सन्त सबको एक–सा ज्ञान देते हैं। यह समता का पर्व है।

मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर राजा या शासक या सत्तासीन व्यक्ति की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर ढूंढ़ती हूं तो मुझे स्वामी समर्थ रामदास का कथन याद आता है **"राजा एक उपभोग शून्य स्वामी होता है।"** सत्ताधारी अथवा राजा का धर्म सत्ता अथवा शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना है।

अनेकता में एकता की अमृत भावना के कारण हमारी संस्कृति निरंतर मानव जाति के कल्याण और विकास की दिशा में प्रयास करती रही है। भारतीय संस्कृति से ओत–प्रोत यह संदेश इस मंच के माध्यम से पुनः विश्व में गुंजायमान हो रहा है।

आज हमारे युवा विश्व के हरेक कोने में लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा रहे हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाने में उनका विशेष योगदान रहा है। आज वे समर्थ शिक्षक, व्यापारी, राजदूत एवं आध्यात्मिक

गुरु हैं एवं सम्पूर्ण जगत का नेतृत्व कर रहे हैं और वे अपने भारतीय संस्कारों के कारण पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व मेहनत से काम कर वहां की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

Human excellence depends on development of culture. Only Indian culture can be called as first world culture.

Indian Culture is equal to Human Culture because our culture focuses on inculcating human values in every person. In Indian Culture, there is absolute freedom of speech and every thought is allowed to develop freely whether it is a theist or atheist. Everyone is free to imagine or accept the God's form according to one's own belief.

The Indian Cultural expansion was not oppressive in character; rather it was educative and elevating. The expansion and development of Indian culture in other parts of the world has proved to other civilizations of the world that such cultural synthesis is a healthier one as it has no use of force or enducement or hegemonistic aspirations. In fact, wherever Indians have gone, they have left behind not only their footprints but also spiritual and heart prints.

A Greek traveller in 1st Century AD said about India and I quote, "In India, I found a race of mortals living upon the Earth, but not adhering to it, inhabiting cities, but not being fixed to them, possessing everything, but possessed by nothing".

We have shown to the world that different religions, languages, practices and beliefs can co-exist and prosper simultaneously. This is the most amazing aspect of our culture.

Indian contribution to the world has been manifold. From Indigo to Pepper, from Chess to Pachisi, from Moral Fables to Asceticism, from Indology to Philosophy and so on, but Monism, Arithmatics, Democracy are undoubtedly the greatest as the first has overwhelmed the philosophy, the second has advanced science and the third has elevated human society.

So far as medicine is concerned, Ayurveda is regarded as the origin of all medicine. Surgery was known to ancient India thousands of years back.

India has contributed tremendously to the world and even today, we give something new to the world to think, ponder and follow sooner or later. हमारा देश अद्भुत इसलिए भी है कि हमने अपनी पिछली अच्छी परंपराओं को भविष्य के लिए सहेजकर रखा है।

Yoga has its roots in India. Yoga is somewhat great boon to humankind and the way to feel and amalgamate with the ultimate source of power *i.e.* God. It has the power to heal body, mind and soul.

मार्क ट्वैन के शब्दों में भारत की व्याख्या कुछ इस प्रकार है– "India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most constructive material in the history of man are treasured up in India only".

हमारे ऋषियों ने मानव एकता और मानव कल्याण का भाव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में प्राचीन काल में ही मुखरित किया है। हमारे दर्शन का प्रमुख सूत्र है 'एकोऽहं बहुस्याम्' यह सारा चराचर जगत परब्रह्म का ही अंश है। अतः मानव अपने मूल उद्भव से भी जुड़ा है और ब्रह्माण्ड से भी।

आज इस मंच से मैं पुनः सम्पूर्ण विश्व का आह्वान करती हूं कि आएं और शिप्रा की पुण्यसलिला नदी में डुबकी लगाएं एवं सम्पूर्ण विश्व एक हो जाए।

मन, वचन, कर्म से हम सभी सत्य का साथ दें, असत्य का बहिष्कार करें, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें एवं हमारे हृदय में सबके लिए कल्याण, करुणा एवं प्रेम की भावना अंतरतल से उपजे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उज्जैन की मिट्टी को प्रणाम करती हूं। आप सभी यहां पधारे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

जय हिन्द।

मातृ संसद*

आज आप सबके बीच इस **"मातृ संसद"** में आना मेरे लिये सौभाग्य का विषय है। इस धर्म संस्कृति के महाकुंभ की परिकल्पना कर उसके इतने विशाल आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई देती हूं।

मां, मातृत्व और मातृभूमि। इन तीनों का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। जैसे मां ममता, प्रेम, दया, सहिष्णुता और करुणा की सजीव मूर्ति होती है, उसी प्रकार मातृभूमि हमारे लिए सीमाओं से बंधा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसी मिट्टी से पैदा होकर इसी मिट्टी में मिल जाने की भावना हमारे अंदर मातृभूमि के प्रति ऐसा अटूट प्रेम जगाती है। जैसे बुन्देलखंड की भूमि में रानी लक्ष्मीबाई का रक्त है, वहीं राजस्थान की भूमि में वीर महाराणा प्रताप का रक्त है। वीर इन्हें अपने रक्त से सींचते हैं, जबकि किसान अपने पसीने से। इसी प्रकार, मातृभाषा केवल संप्रेषण की भाषा नहीं है बल्कि यह संस्कार और संस्कृति को संजोकर रखने एवं अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए, मां, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों हमारे लिए सर्वदा वन्दनीय हैं।

हमारे देश की महिलाएं सदैव से समाज को दिशा देती रही हैं। यह मूलतः कर्तृत्व, मातृत्व और नेतृत्व पर आधारित है। जीजाबाई, अहिल्याबाई और रानी लक्ष्मीबाई तीनों क्रमशः कर्तृत्व, मातृत्व और नेतृत्व के साक्षात् उदाहरण हैं। जीजा बाई के बिना शिव बा कैसा? इतिहास साक्षी है कि जीवन के विकासात्मक मूल्यों, आदर्शों एवं समाज के सृजन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है।

वैदिक युग भी इस बात का साक्षी है कि भारतीय समाज का आदर्श स्त्री रूप में निहित था। यही कारण है कि वैदिक भारत में स्त्री को देवी स्वरूपा माना गया। प्रत्येक देवी विद्या, लक्ष्मी, शक्ति, सौन्दर्य, पवित्रता तथा सर्वव्यापी ईश्वर को भी "जगजननी" के नाम से संबोधित किया है।

आधुनिक युग में जहां स्कूली शिक्षा का जोर ज्ञान और विज्ञान पर होता है लेकिन संस्कार तो हमे आज भी माता एवं परिवार से ही मिलता है। माता प्रत्येक शिशु के लिए प्रथम गुरु होती है और परिवार प्रथम पाठशाला। अतः, संस्कार और सभ्य समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम,

*विश्वमांगल्य सभा द्वारा आयोजित मातृ संसद, नागपुर, महाराष्ट्र (24 दिसंबर, 2016) में भाषण।

आत्मीयता, व्यवस्था, नियम, अनुशासन, विश्वास, निःस्वार्थ समर्पण, परस्पर सम्मान एवं समझ जैसे गुणों का स्वतः ही विकास होता है। एक मानव के लिए जो उपयुक्त गुण चाहिएं, उन सभी का विकास परिवार में होता है। परिवार वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर मनुष्य शान्ति का अनुभव करता है। एक महान सन्त कन्फ्यूशियस ने परिवार के विषय में कुछ कहा था जिसे मैं उद्धृत करती हूं– "To put the world right in order, we must first put the nation in order; to put the nation in order, we must first put the family in order; to put the family in order, we must first cultivate our personal life; we must first set out hearts right."

हम सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों पुरानी है और इस समृद्धिशील एवं उत्कृष्ट सभ्यता के मूल में स्त्री शक्ति ही है। आदिमानव काल से ही नारी ने परिवार की व्यवस्था को बनाया। परिवार के ही विकास से सुसभ्य समाज का निर्माण हुआ। वास्तव में परिवार से समाज का, समाज से देश का निर्माण होता है। इन सभी के मूल में नारी शक्ति ही है। वे सभ्यता और संस्कृति की वाहिनी है एवं पीढ़ी–दर–पीढ़ी मूल्यों और परम्पराओं के हस्तांतरण में केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं।

परिवार का, कुल का हमारे देश के विधायी तथा सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय समाज में आदिकाल से कुल की परम्परा एक प्रतिष्ठित व जरूरी चीज मानी गई है। हर कुल की अपनी विशेषता रही है और इनका सार ही एक कुटुम्ब, फिर कबीला एवं एक समाज में दिखती है। हम सबने सुना है:–

"रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई॥"

समकालीन कुलों की बातें, मान्यताएं एवं आदर्श, उस समय के समाज व भविष्य की मार्गदर्शक हो जाती हैं। ऋग्वैदिक काल में पुर, यदु, तुर्वशा, अनु, शिवा आदि कुल भारत के अलग–अलग जगहों पर थे और उनकी रीति, मान्यताओं एवं परम्पराओं इत्यादि ने उस समाज में तथा उन जगहों पर अपना सुप्रभाव छोड़ा। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय एवं बहुधार्मिक देश है। यहां परिवार की **Dynamics** समाज की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। वस्तुतः, परिवार ही वह कड़ी है जो हमारे संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

समस्त विश्व, राष्ट्र एवं समाज का विकास इन्हीं सद्गुणों पर आधारित है और परिवार नामक संस्था ही भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक संरक्षण प्रदान करते हुए व्यक्ति को उत्थान के मार्ग पर ले जा सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। हमारे यहां चार आश्रमों की व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। इन सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया

है। बाकी तीनों आश्रमों के लिए सभी व्यवस्थाएं प्रदान करने का दायित्व उन्हीं का है। उन सभी की पूर्ति का मार्ग और व्यवस्था परिवार से ही निकलती है।

परिवार ही सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अत्यन्त आवश्यक कड़ी है। रामायण एवं महाभारत काल में भी कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने समाज में व्यवस्था स्थापित करने एवं उनके कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया एवं कई आदर्श प्रस्तुत किए। आधुनिक युग में भी, जहां तक कलात्मक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रश्न है, हमारे यहां संगीत एवं अन्य कला के क्षेत्र में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने उन उत्कृष्ट कलाओं का संरक्षण एवं संवर्धन किया है जो हमारी धरोहर है। नृत्य के क्षेत्र में पंडित बिरजू जी महाराज का परिवार, संगीत के क्षेत्र में पं. रविशंकर जी का परिवार एवं गायन के क्षेत्र में मंगेशकर परिवार उस विख्यात परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में भी कई परिवार अपनी परम्परा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे वीर सैनिकों के परिवारों की परम्परा रही है कि उन्होंने राष्ट्र प्रेम एवं त्याग का अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। तात्पर्य यह है कि परिवार हमारी समृद्धि एवं विशिष्टता के वाहक हैं। अतः, उनके योगदान को कोई भी समाज नकार नहीं सकता है।

परिवार, समाज, प्रान्त, राष्ट्र और विश्व सभी में लोकतांत्रिक परम्पराएं विकसित करने का श्रेय भी अन्ततः परिवार को ही जाता है। आपसी मतैक्य स्थापित करने की परम्परा ने ही पंचायत एवं गण प्रमुख की व्यवस्था को ईजाद किया। बाद में, यही लोकतंत्र की बुनियाद बनी। वैशाली में लिच्छवि का गणराज्य प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। यही आज सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र के रूप में विकसित हुई। आज पूरे विश्व में से आधे से अधिक राष्ट्रों में लोकतंत्र स्थापित है जो शासन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कही जा सकती है। इस सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के मूल में तो नारी ही है क्योंकि वही परिवार की धुरी है।

भारतीय संस्कृति का अर्थ है कर्म, ज्ञान, भक्ति की जीती-जागती महिमा; शरीर, बुद्धि और हृदय को सतत् सेवा में लीन करने की महिमा। भारतीय संस्कृति का अर्थ है सान्त से अनन्त की ओर जाना। भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। भारतीय संस्कृति का अर्थ है मेल, सारी जातियों का मेल, सारे धर्मों का मेल, ज्ञान-विज्ञान का मेल। भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार-प्रसार भी इसलिए हुआ कि इसी संस्कृति में शिक्षा, सहिष्णुता, निष्ठा एवं सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है। हमने प्रेम से देशों को जीता है, युद्ध से नहीं। **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** व **"सर्वे भवन्तु सुखिनः"** वाली यह संस्कृति मानव जाति के बेड़े को मंगल की ओर ले जाने की इच्छा रखती है।

अथर्ववेद में यह कहा गया है **"माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्यां"।** यह धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है, हमारा पोषण करती है, इसलिए वेद आगे कहते हैं– **"उप सर्प मातरं भूमिम्"।** हे मनुष्यो! मातृभूमि की सेवा करो। अपने राष्ट्र से प्रेम करो। मातृभूमि के प्रति ऐसा भाव केवल और केवल भारत में ही है। **"वयं राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहिता"।** यजुर्वेद में कहा है–**"नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्याः"** अर्थात् माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। माता और मातृभूमि के बारे में यह भी कहा गया है कि **"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"।**

कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी मंदिर या गुरुद्वारे में, अथवा अन्य किसी उपासना स्थल पर जाते हैं तो हम नमस्कार की मुद्रा में अपने सिर झुकाते हैं और पुजारी हमारे हाथ में प्रसाद रख देता है। अक्सर, पुरुष प्रसाद खाकर अपने हाथ पोंछ लेते हैं और चले जाते हैं। परंतु कोई भी महिला केवल थोड़ा-सा ही प्रसाद खाएगी और बाकी अपने पूरे परिवार में बांटने के लिए रख लेती है। यह एक महिला की स्वाभाविक प्रकृति और चरित्र है।

भारत वर्ष अगर आज विश्व में गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा है, तो इसका श्रेय हमारी संस्कृति को है। कई गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब खण्डहर हो चुकी हैं जबकि भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो प्राचीनतम होते हुए भी जीवित व क्रियाशील है क्योंकि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाती है। स्वतंत्र चिंतन, समन्वय, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, उदारता, भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं रही हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार **"ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेजुनांतिष्ठति।' (अर्थात् ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं।)**

एक ग्रीक यात्री ने पहली शताब्दी में भारत भ्रमण के दौरान यह अनुभव किया था कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है, परंतु यहां के लोग उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता अपनाते हैं। वे उनका उपयोग करते हैं, दोहन नहीं करते। वे उन संसाधनों का उपयोग बहुत बुद्धिमत्ता से करते हैं तथा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये संसाधन पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे एवं सभी उन्हें सुरक्षित रखने के बारे में जानते हैं।

पृथ्वी की रक्षा का मतलब पर्यावरण की रक्षा! इस भूमि का पूजन व रखरखाव हमारी धरती मां को प्रदूषण मुक्त रखेगी ही, वह चिर काल तक हमें पोषण करती रहेगी। भारतीय संस्कृति ने हमेशा पंचभूत पर विश्वास किया है यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शास्त्र में वर्णित है:–**"क्षिति, जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिल बना शरीरा।"** हम अपने कर्म और ज्ञान, दोनों से इन पंचमहाभूतों के मर्म को समझते

हुए भारतीय पद्धति से जीवन जीते हैं और यही हमारी विशेषता है। हम लोगों ने प्रकृति का निरंतर संरक्षण किया है और दुनिया को सिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए? हमारे धर्मग्रन्थ, हमारी जीवन पद्धति, हमारा सब कुछ पर्यावरण व सृष्टि को सहेजने के लिए है। इसीलिए तुलसी, नीम, वटवृक्ष, पीपल की हर घर में पूजा होती है।

सन्त जन अपने ज्ञान से देश, काल और परिस्थिति का सटीक आकलन कर पाते हैं। वे निराकार भाव से समाज को भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हैं एवं अपनी संस्कृति को सहेजकर रखने की प्रेरणा देते हैं। वे केवल स्व–मोक्ष तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वे सब इस जीवन की सत्यता को समझते हुए एक आदर्श जीवन जीने की कला को जन–जन तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। तभी तो आदर भाव से हम सब उन्हें सन्त कहते हैं। इस तरह के आध्यात्मिक समागम में उनकी उपस्थिति से निश्चय ही वहां के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

भारत को एक विश्वस्तरीय देश बनाने हेतु एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। जब हम एकजुट होकर ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे, विकास और समृद्धि के अवसरों का सृजन करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक विकास का समर्थन करेंगे। तभी भारत एक समृद्ध देश बनेगा। परन्तु सबसे पहले हमें आध्यात्मिक और सांगठनिक रूप से और अधिक सक्षम होना होगा। इसके लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के बहुमुखी उत्थान एवं उनके कार्यों में सफलता पर ही हमारे वैभव में वृद्धि एवं समृद्धि संभव है।

धर्म और संस्कृति महाकुम्भ जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं, वास्तव में एक चिन्तन कुम्भ है। आज **"मातृ संसद"** के इस समागम में लगभग 20 हजार महिला शक्ति एकत्र हुई है एवं अपनी ज्ञान अनुभूति से इस सभा को सुशोभित कर रही हैं। मैं उन सभी नारी शक्ति का अभिनंदन करती हूं। इस महाकुम्भ में धर्म व संस्कृति से संबंधित व्याख्यानों के माध्यम से इस समागम का कोना–कोना आलोकित हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इस संसद से निकले विचार समस्त सवा सौ करोड़ भारतवासियों के आचार–विचार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। उसे सजोते हुए, अपनाते हुए कैसे इक्कीसवीं शताब्दी के तकनीकी सफर में सफलतापूर्वक आगे बढ़े और इसके लिए हमारी मातृशक्ति की क्या अतिरिक्त जिम्मेदारी हो, यह समय इस चिन्तन का है।

मैं एक बार फिर, विश्वमांगल्य सभा, जिसने अपने असाधारण तरीके से हमारे राष्ट्र की सेवा का बीड़ा उठाया है, को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रयास से सभी पीढ़ियों की महिलाएं प्रेरणा लेंगी और समाज के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए आगे आएंगी। मेरा यह अनुरोध है कि आप पूरी लगन से अपने प्रयासों को जारी रखें। मैं **"विश्वमांगल्य सभा"** द्वारा आयोजित

सभी कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता की कामना करती हूं और इसमें सम्मिलित होने वाले सभी लोग यहां से कुछ सकारात्मक लेकर जाएंगे, यह आशा भी करती हूं। मैं आपके भावी प्रयासों के लिए भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद।

अखिल भारतीय संस्कृत विद्वान सम्मेलन*

सर्वेभ्यो मम सादरं नमस्कारः।

प्रिय बान्धवाः! संस्कृत भारत्याः अस्य अधिवेशनस्य अस्मिन् उद्घाटनावसरे अहम् अत्र उपस्थितानां भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम् करोमि। प्रमोदस्य एवं विषयः एषः यत् अद्य अहम् भवतां सर्वेषां मध्ये अस्मि ये अहर्निशं संस्कृतेन एवं जीवन्ति। धन्यं भवतां जीवनम् ये संस्कृतार्थम् जीवन्ति। यथा अहं जानामि, अवगच्छामि च, तदनुगुणं संस्कृत भारती केवलम् एकं संघटनम् एवं न, अपितु अस्माकं राष्ट्रस्य 'श्वासः' एवं येन वयं जीवामः।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति पश्यन्त्या संस्कृत भारत्या संकल्पितः स्वप्नः, कृतानि च कार्याणि वस्तुतः जगति मानवकल्याणार्थम् एवं। गीतायाम् भगवता दर्शितम् 'इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम्' इति विश्वरूपम् संस्कृत-वांगमये एवं विद्यमानम् अस्ति।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।।"

इति श्लोकः मानवस्य कल्याणार्थम् संस्कृत भाषायाः एवं विद्यमान वर्तते।

विश्वस्तरे अनुपाल्यमानः "योग दिवसः" संस्कृत भाषायः एवं महत्तवं प्रकटयति।

"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्" इति संस्कृतस्य एवं उद्घोषः।

यद्यपि संस्कृत एक प्राचीन भाषा के रूप में देखी जाती है तथापि इसका सन्देश सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक ही है। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य भविष्य में ''संस्कृत के विकास एवं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दस वर्षीय योजना" के विषय में विचार-विमर्श करना एवं संस्कृत विद्वानों को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में इस विषय पर काफी गहन एवं विस्तृत विचार-विमर्श होगा जिसके फलस्वरूप संस्कृत भाषा का निर्बाध विकास सुनिश्चित होगा। इस देववाणी को जनता के करीब ले जाने के विषय में कई विदेशी मूल के विद्वानों ने भी काम किया है जिनमें मैक्समूलर भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने इसके लिए जो भी प्रयत्न किया है, वह सराहनीय है। इसके लिए मैं संस्कृत भारती के अध्यक्ष श्री चांद किरण सलूजा जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इसके आयोजन के लिए विशेष प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सभी भारतीयों में संस्कृत

*अखिल भारतीय संस्कृत विद्वान सम्मेलन में भाषण, उडुपी, कर्नाटक (6 जनवरी, 2017)

को लोकप्रिय बनाने का उनका सपना एक दिन हकीकत बन जाएगा और भारत एक बार फिर दुनिया का सिरमौर बनेगा।

इस संदर्भ में वैदिक साहित्य का विशिष्ट महत्व है। वेदों की दार्शनिक दृष्टि अतुलनीय है। यह चिन्तन और मनन की अद्भुत राशि है। इस साहित्य में निहित कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेचन मानव समाज का दिग्दर्शक है। **'सम्पूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ'** की उद्घोषणा सम्पूर्ण मानवजाति के उत्कर्ष को प्रेरित करता है। ऋग्वेद का **'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्'** (मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक-दूसरे को समझते हुए व्यवहार करो।) यह सन्देश विश्व समुदाय के संगठन के लिए है। वस्तुत: मानव समाज के हित हेतु इस संस्कृत साहित्य में क्या-क्या विद्यमान नहीं है।

वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान भी अत्यन्त गौरवपूर्ण था। ऋग्वेद के दशम मंडल में उसे साम्राज्ञी के रूप में घोषित करते हुए कहा गया है- 'सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्र्वां भवं'। बहुत स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि **'जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं।"** वह अत्यन्त बलशालिनी है, न कि 'अबला'।

राजनयिक एवं प्रख्यात विद्वान चाणक्य ने लिखा था जिसे मैं उद्धृत करती हूं-

"परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत्,

आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः।"

संस्कृत का दर्शन यही शिक्षा देता है कि **'आत्मवत् सर्वभूतेषु'**। दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान एवं दूसरों को अपने समान समझने वाले ज्ञानी होते हैं।

संस्कृत के बिना न तो प्राचीन भारत को समझा जा सकता है और न ही आधुनिक भारत को भी समझा जा सकता है। संस्कृत की संस्कृति समावेशी है। यह सबको साथ लेकर चलने वाली भाषा है। केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, अपितु विश्व संस्कृति की दृष्टि से भी संस्कृत विश्व की भविष्य की भाषा है।

इस संबंध में संस्कृत भारती की विशिष्ट भूमिका है। वैश्विक मानव को अभिलक्षित करके **"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"** यह मंत्रांश इस संगठन का ध्येय वाक्य है। यहां आकर जो मैंने अनुभव किया, वह अतुलनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि **''संस्कृत ही हमारी जनभाषा है"।** यह एक आनंददायिनी अनुभूति है।

प्रिय बन्धुओं! मुझे यह भी पता चला कि कर्नाटक में शिमोगा जिले में दो गांव ऐसे हैं, जहां सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोल-चाल करते हैं। यह काफी प्रेरणादायक है। इस भाषा को देश भर में लोकप्रिय बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और योजना की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा संस्कृत के विकास के लिए जिस **"विज़न और रोडमैप"** को

तैयार किया गया है, उस पर विचार-विमर्श होने से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि न केवल संस्कृतज्ञों बल्कि आम जनों के मुख से भी संस्कृत भाषा सुनी-पढ़ी जाए। सबकी सम्पर्क भाषा बने।

आज विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण, तापवृद्धि, अत्यधिक भोग प्रवृत्ति, परस्पर संघर्ष, दरिद्रता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए संस्कृत साहित्य में विद्यमान ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वास्तव में, इस साहित्य में ज्ञान की त्रिवेणी सहजता से उपलब्ध है। चाहे दैहिक, दैविक हो या आध्यात्मिक हो, संस्कृत भाषा का साहित्य evergreen lamp post की तरह है जो सदा-सर्वदा संसार को आलोकित करता रहेगा। आज का आधुनिक अविष्कार कम्प्यूटर भी संस्कृत को तकनीकी रूप से सर्वाधिक सक्षम भाषा मानता है।

Friends, we all know that **samskrita Bharati** had been set up with the Mission to **Revive a language, Rejuvenate a culture, and Rebuild a nation that is Bharat** over three and half decades back. This institution has been successful in transforming teaching curricula of Sanskrit across the country. Needless to say, Samskrita Bharati has emerged as a devoted organisation and also as a movement for the revival of Sanskrit to a place of pride.

मित्रो! संस्कृत भारती की स्थापना का मिशन अपनी भाषा, संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण है। पिछले 35 सालों में संस्था ने पूरे देश में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस संस्थान ने लगभग एक लाख बीस हजार कैम्प लगाकर 10 लाख से ज्यादा लोगों को संस्कृत भाषा में बोलने की शिक्षा दी है। एक लाख से ज्यादा संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है और 450 से अधिक किताबों के अतिरिक्त 50 ऑडियो/वीडियो सीडी जारी की है। करीब 6000 ऐसे परिवार हैं जिन्हें संस्कृत बोलना सिखाया गया है तथा सुदूर के चार गांवों को संस्कृत बोलने वाले गांव के रूप में मान्यता मिली है। 2000 शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व के 15 देशों में संस्कृत प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। वर्ष 2011 में तो बंगलौर में प्रथम विश्व संस्कृत पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया। यह हर्ष का विषय है कि राज्य सरकारें भी इस भाषा के संवर्धन एवं विकास में निरंतर रुचि ले रही हैं।

आदिकाल से ही संस्कृत ज्ञान-विज्ञान की भाषा रही है। उस परम्परा की रक्षा की जानी चाहिए। इस भाषा को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, इस पर संस्कृतज्ञ लोग मिल बैठकर चिन्तन करें और भाषा के पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन को कैसे आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सके। संस्कृत भाषा का जीवन के साथ सीधा संबंध है।

आम जनता में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। यदि संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो निर्धारित लक्ष्य को बहुत हद तक हासिल किया जा सकता है।

हमारे जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक एवं विविधतापूर्ण समाज में संस्कृत का अपना विशेष स्थान है। चूंकि हमारे यहां शिक्षा की परम्परागत गुरु–शिष्य परम्परा काफी समृद्ध रही है जिसमें उनके बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध विकसित होते थे एवं गुरुकुल परम्परा से अध्ययन की प्रक्रिया में ज्यादातर ज्ञान को कंठस्थ ही करा दिया जाता था। उस संदर्भ में संस्कृत भाषा बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। भारत के सारे प्राचीन ग्रन्थ जैसे श्रीमद्भागवतगीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत तथा अन्य शास्त्र संस्कृत भाषा में ही थे एवं गुरुजन अपने शिष्यों को सारी शिक्षाएं कंठस्थ करा दिया करते थे। उनका जीवन ब्रह्मचर्य युक्त एवं काफी व्यवस्थित होता था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू होने से शिक्षा के तरीके में बदलाव हुआ है, परंतु ज्ञान की गंगा तो अब भी वहीं है। अतः, हमें नवीनता के साथ प्राचीनता का कुशल सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मैं समझती हूं कि संस्कृत भारती इस कार्य में निरंतर लगी हुई है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्मपथ पर निरंतर चलते रहें। सफलता या असफलता में से एक तो मिलेगी ही, यह निश्चित है। पर यदि प्रयास सकारात्मक दिशा में हो, तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है।

Friends, such is the vitality of this language that the modern-day scientists are trying to understand the intricacies of the world through the analysis of various concepts and themes mentioned in our ancient *shastras* through Sanskrit.

मित्रो! संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान बहुत समृद्ध था। संस्कृत के श्लोकों में छिपे हुए ज्ञान और विज्ञान के सूत्रों को आज भी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक जानने एवं समझने का प्रयास कर रहे हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्र के ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके सूत्रों का विवेचन अब भी किया जा रहा है। कैंसर एवं कई अन्य असाध्य व्याधियों एवं उनके उपचार का वर्णन उक्त पुस्तक में सदियों पहले किया गया है।

महर्षि दयानन्द जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। यह उद्घोष वास्तव में हमारे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को जानने–समझने के लिए ही था। भारत को विश्व गुरु इसलिए माना गया क्योंकि हमारा इतिहास समृद्ध था, संस्कृति अतुलनीय एवं जीवन पद्धति सरल और सीधी–सादी थी। अतः, हमें अपने मूल की ओर लौटना चाहिए।

इस शुभ अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक उनका भी स्मरण करना चाहती हूं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु निरंतर 33 वर्षों तक देश के कोने–कोने में जाकर लोगों को प्रेरित किया,

जिन्होंने अपने विचारों एवं आचरण से युवकों के जीवन को परिवर्तित किया। वे हैं 'गुरुजी' नाम से प्रसिद्ध हमारे प्रेरणास्रोत श्री माधव सदाशिव गोलवलकर। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि इस पवित्र अवसर पर ही संस्कृत में अनुदित श्रीगुरुजी समग्र वांग्मय के अवशिष्ट छह खण्डों का लोकार्पण किया जा रहा है। गुरु गोलवलकर जी का जीवन साक्षात त्याग और सेवा का साक्षात उदाहरण है एवं वे भारतीय संस्कृति के एक प्रकाश स्तम्भ हैं और सदैव रहेंगे।

अध्ययन–अध्यापन में तत्पर आप संस्कृतप्रिय एवं मां सरस्वती के उपासक और आराधक हैं। मैं यहां उपस्थित सभा को पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी के साथ मिलकर गाना चाहूंगी......

"पठामि संस्कृतम् नित्यम्, वदामि संस्कृतं सदा।

ध्यायामि संस्कृतम् सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्॥"

मैं इस सम्मेलन में उपस्थित संस्कृत विद्वानों, विद्यार्थियों एवं आयोजक का धन्यवाद करती हूं जो इस सम्मेलन को सफल बनाने की कामना से एकत्र हुए हैं। भारत एवं इसकी संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के उद्देश्य से संस्कृत भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं संस्था के आयोजकों को भी साधूवाद देती हूं। साथ ही, नव वर्ष में सभी भारतवासियों, विशेषकर यहां उपस्थित सभी नागरिकों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं एवं जीवन्त भारत के निर्माण में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूं।

धन्यवाद।

34वां अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017*

वेदीयील इरिकुन्न: विशिष्ट व्यक्तिकले, केरलीयराया एन्डे एल्ला सहोदरी–सहोदरन्मारे, दैवतिंडे सोन्दम नाडाया इविडे वन्नु निंगलोड संसारीक्कान अवसरम् लभिच्छतु भाग्यमायि न्यान् करूतुन्नु!

[God's Own Country केरल में आप सबके समक्ष अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017 के सुअवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है।]

मेरे लिए यह सम्मान और गौरव की बात है कि मुझे 28 अप्रैल से 07 मई, 2017 तक अम्बलप्पुझा में आयोजित किए जा रहे 34वें अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017 के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस विशाल आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों, विशेष रूप से सत्रम समिति के अध्यक्ष श्री बाबू पनिक्कर जी को धन्यवाद देती हूं। Normally Shrimad Bhagwat Katha is a 7 days long Anushthan (a religious commitment), but The Satram to be organised here in the holy city of Ambalapuzha will be of ten days *i.e.* from 28 April to 7th May 2017. I am fortunate enough to be a part of this holy and august gathering.

I am also excited to know about the grand history of this age old historical City Ambalapuzha, which is also known as Dwarka of South. श्री कृष्ण मंदिर और मंदिर से जुड़ी अनेक जनश्रुतियों तथा श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसादम् (आशीर्वाद के रूप में आराध्य देव का भोग) अम्बलप्पुझा पाल पायसम (दूध की खीर) के लिए प्रसिद्ध यह पवित्र और पौराणिक शहर है।

आज मैं भी इस महान आध्यात्मिक आयोजन 34वें अखिल भारत श्रीमदभागवत महासत्रम में एक श्रद्धालु के रूप में आई हूं। इस महासत्रम को दक्षिण भारत में सबसे बड़ा वार्षिक आध्यात्मिक समागम माना जाता है। इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन में

---

*34वें अखिल भारत श्रीमद्भागवत महासत्रम 2017 के उद्घाटन के अवसर पर अम्बलप्पुझा, केरल (28 अप्रैल, 2017)

देश के अलग-अलग भागों से बड़ी संख्या में लोग प्रतिष्ठित विद्वानों और व्याख्याताओं के प्रवचनों और व्याख्यानों को सुनने के लिए आते हैं। श्रीमद्भागवत में निहित उपदेशों को आत्मसात करने और इस पवित्र ग्रंथ में उल्लिखित महान आदर्शों, मूल्यों और दृष्टिकोण का श्रवण करके सांसारिक बाधाओं से मन को मुक्त करने के लिए यहां उपस्थित होना सौभाग्य का विषय है।

पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवतम् हमारी समसामयिक परंपराओं में व्याप्त है और इसकी कथाओं को नियमित रूप से लोक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत तथा रंगमंच के माध्यम से दर्शाया जाता है।

पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवतम् अनेक महत्वपूर्ण भारतीय भक्ति परंपराओं की धार्मिक विधियों का आधार है। इसका कथानक पूरी तरह सुगठित है और इसकी भाषा तथा संगीतमय अभिव्यक्ति संस्कृत के श्रेष्ठतम कवित्व के समान है। इसके साथ ही श्रीमद्भागवतम् का आध्यात्मिक संदेश कृष्ण अथवा विष्णु की भक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित है जो कि वेदांत और सांख्य की शास्त्रीय परंपराओं का आधार है।

वैदिक ज्ञान के सम्यक् परिणाम के रूप में वर्णित श्रीमद्भागवतम् के उपदेश देश काल से परे हैं। ये नैतिकता अथवा न्याय की स्पष्ट अवधारणाओं का अनुसमर्थन किए बिना धर्म की व्याख्या करते हैं और हमें यह सीख देते हैं कि "धर्म" की एकमात्र कसौटी भक्ति ही है। जब हमारे कार्य भक्ति से प्रेरित होते हैं और परमात्मा हमसे प्रसन्न होता है तब इसका परिणाम शुभ ही होता है।

मैं इसके एक श्लोक का उल्लेख करती हूं (8.9.29):

"यद् युज्यतेऽसुवसुकर्मनोवचोभि
र्देहात्मजादिशेष नृमिस्तदसत् पृथक्त्वात्।
तैरेव सद् भवति यत् क्रियतेऽपृथक्त्वात्
सर्वस्य तद् भवति मूलनिषेचनं यत्।।"

(अर्थात् मानव समाज में किसी के शब्दों, सोच और कृत्यों से अपनी सम्पत्ति और जान की रक्षा करने के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं लेकिन ये सभी कार्य अपने व्यक्तिगत अथवा अपने शारीरिक या मानसिक सुख के लिए किए जाते हैं। भक्ति भाव के अभाव में ये सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जब ये सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करके किए जाते हैं, तो इससे सभी का कल्याण होता है, जैसे कि वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है।)

आज से 7 मई 2017 तक निरंतर 10 दिनों तक प्रख्यात विद्वानों एवं ऋषि-मुनियों द्वारा मंत्रों एवं उपदेशों का निरंतर पठन-पाठन होगा, जिससे सम्पूर्ण जगत एवं वातावरण में सकारात्मक शक्ति (Positive Energy) का संचार होगा। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण से लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। श्रीमद्भागवत की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, जो सच भी है। इसकी महिमा इस श्लोक से वर्णित है:-

"सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्।

न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा।।"

(अर्थात् मनुष्य के लिए सम्पूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या सम्पूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्रकारक नहीं है, जैसा श्रीमद्भागवत है।)

Man's journey from birth to death consists of 4 phases—(1) **Kama** (desire or craving), (2) **Artha** (means to realize kama), (3) **Dharma** (the righteous ways to gain Kama and Artha), (4) and finally **Moksha** (the liberation, peace and blissor: Ananda). While **Kama** and **Artha** are integral to every living beings man needs *Dharma* and *Moksha* as well. Mahabharath, the greatest epic ever composed, dwells on the first three aspects of human existence—Kama, Artha and Dharma. And Sreemad Bhagavatam expounds how we can attain Moksha, the Param Purushartha, and the ultimate human attainment.

Ignorance is the cause of worldly misery and to dispel ignorance, the light of Jnana (Knowledge) is needed, and for this mere scriptural knowledge is not enough, Jnana (the ultimate knowledge) can be experienced only through deep devotion (Bhakthi) and Bhakthi will eventually lead us from ignorance to Jnana and then on the ultimate liberation or Ananda. This in essence is Sreemad Bhagavatam. Great sage Veda Vyas tell us this simple truth in the stories of Sree Krishna, The Lord of Guruvayoor.

Bhagavatha Sapthaham (the 7 days of Bhaghavatam) recital and discussion by an Acharya has been quite common in almost all temples and even in many Hindu households. Both Sanskrit and Malayalam versions of Bhagavatam are read in Sapthahams. Sankaran Namboothiri's contribution to make Bhagavatha-Sapthahams highly

participatory and popular is to be remembered with respect and gratitude, and Malliyoor-Thirumeni, as he is known was the inspiration behind the concept of *Bhagavatha Sathram* of our time.

सन् 300 ई. से सन् 800 ई. तक केरल में संगम युग था जो एक स्वर्णिम काल था। इसी संगम युग में केरल के प्रख्यात सन्त शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत में चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित कर सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का पुनीत कार्य किया था। फलतः, भारतीय सनातन परंपरा निरंतर चिरंतन रही है। केरल के निवासियों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं परम्परा को लेकर अपनी एक अलग ललक है। वे सदैव अपने को ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह विरासत अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणी की रही है।

हमारी सदियों पुरानी संस्कृति मानव एकता एवं मानव कल्याण पर ही आधारित है। **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** हमारी मूलभूत अवधारणा है। हमारे दर्शन का प्रमुख सूत्र ही है **"एकोज्यहं बहुस्याम्"** यह सारा चराचर जगत परब्रह्म का ही अंश है। इसलिए शास्त्र हमें यह सिखलाते हैं कि **"क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचतत्व मिल बना शरीरा।"** हम अपने कर्म, ज्ञान और आत्मा, तीनों से इन पंचमहाभूतों के मर्म को समझते हुए भारतीय पद्धति से जीवन जीते हैं और यही हमारी विशेषता है। हमारे धर्मग्रन्थ, हमारी जीवन पद्धति, हमारा सबकुछ पर्यावरण एवं सृष्टि को सहेजने के लिए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यास पीठ एवं अन्य विद्वानों द्वारा ज्ञानयुक्त उपदेशों का प्रवचन होगा जिसपर सभी उपस्थित साधुजन चिंतन, मनन, मंथन करते हुए अध्यात्मयुक्त भक्ति रस में सराबोर होकर जीवन अमृत का पान करेंगे। यह उपलक्ष्य यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए सहज ही सौभाग्य एवं उनके आत्मोत्थान का समय है। महायोगी कृष्ण का जीवन चरित्र स्वतः ही सामान्य व्यक्ति के समक्ष आए जीवन के रहस्यों एवं उलझनों को बहुत ही आसानी से समझा देती हैं।

आज इस महासंगम में प्रख्यात महंत, साधु-संत, भक्तगण, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञों के साथ-साथ केरल की हजारों आम जनता उपस्थित है एवं श्रीकृष्ण जी के जीवन से एवं महाभारत में कुरुक्षेत्र में दी गई उनकी शिक्षाओं से सभी लाभान्वित होंगे।

मानव हमेशा से शांति, सौहार्द एवं प्रेम की खोज में रहा है। हमारी संस्कृति और विरासत का यही मूल मंत्र एवं आधार है जिससे स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के प्रति सहनशीलता, अहिंसा, समानता और करुणा का भाव हमारे मन में आता है। हमारा हृदय दया और करुणा से ओत-प्रोत है। शुरू से ही हम सह-अस्तित्व और परस्पर निर्भरता के आधार पर प्रकृति की गोद में पले-बढ़े हैं। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और मानवता की राह पर चलना ही मेरी दृष्टि में धार्मिक होना है।

जैसा कि सब जानते हैं, भारत विश्व के अनेक धर्मों की जन्मस्थली रहा है। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत में धर्म संबंधी चिन्तन, विचारधारा चिरवर्द्धमान, चिरगतिशील रही है। जीवन्तता के प्रति हम कटिबद्ध हैं एवं सभी धर्मों के प्रति सौहार्द भाव भारत की विशेषता है। यही शिक्षा महायोगी श्रीकृष्ण ने "श्रीमद्‌भागवतगीता" के माध्यम से दी है।

''श्रीमद्‌भागवदा महासत्रतिल पंगु चेरन्नु श्रीकृष्ण भगवान्डे चरितम् केट, भक्तियुडेयुम ज्ञानत्तिंडेयुम कर्मत्तिंडेयुम मार्गम् स्वीकरिचे नमुक्क नम्मुडे व्यक्ति जीवितवुम्, सामुह्या जीवितवुम महत्वरमाकान सादिकट्टे एन्न प्रार्थिकुन्नु। जय श्री कृष्ण।

अर्थात्, आइए, श्रीमद्‌भागवत महासत्र में भाग लेकर और भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र का श्रवण करके आप सब ज्ञान, भक्ति और कर्म का मार्ग अपनाकर अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। जय श्री कृष्ण।

“अल्काजी” की धातु मुद्रा का अनावरण*

संगीत नाटक अकादमी के मेघदूत परिसर के पचासवें वर्ष में ज्ञान के पीठ (Chair) के रूप में “अल्काजी” की धातुमुद्रा के अनावरण के अवसर पर यहां उपस्थित सभी कलाप्रेमियों, सुधीजनों के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आधुनिक भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में अल्काजी का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय, सराहनीय एवं प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से रंगमंच के क्षेत्र में कई नवीन प्रयोग किए एवं रंगमंच को दूरगामी प्रभाव, परिवर्तन एवं दिशा दी। कलाप्रेमी जानते हैं कि वे अपने काम में बहुत निष्णात, सुनियोजित अर्थात् meticulous, perfectionist और systematic हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। He taught his students that theatre was not merely a hobby but a profession, which required serious dedication like any other profession. इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति बहुत ही प्रेरणादायी एवं हर्ष का विषय है।

उनका मानना है कि रंगमंच एक ऐसी गम्भीर विधा है जिसे आत्मसात करने के लिए शरीर, मन, मेधा और आत्मा सभी का सुसंयोग एवं संयोजन आवश्यक है और इसीलिए अपने Students को उन्होंने योग सीखने के साथ-साथ सर्वांगीण विकास एवं नाट्य विधा के श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाने के लिए अन्य कला (performing arts) जैसे संगीत, नृत्य, पेंटिंग्स जैसी चीजों को सीखने के लिए प्रेरित किया। उनकी छवि एक बहुत अनुशासनप्रिय गुरू के रूप में थी। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि उनके कई शिष्य सुबह छह बजे योग करने के लिए उस समय बहुत उत्साहित नहीं रहते थे। नाटक से जुड़ा हरेक विभाग अल्काजी साहब के लिए बेहद महत्वपूर्ण था इसलिए उनके सारे विद्यार्थी सर्वगुण सम्पन्न हुए। उनकी इसी प्रेरणा, अनुशासन एवं प्रशिक्षण से ही भारत को रंगमंच के कई उत्कृष्ट कलाकार मिले जिनमें नसीरूद्दीन शाह, विजया मेहता, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, गिरीश कर्नाड, रोहिणी हटंगड़ी जैसे और भी अन्य प्रतिष्ठित नाम हैं।

आज इस धातुमुद्रा के अनावरण का कार्यक्रम न केवल एक व्यक्ति, उसके कार्य एवं उपलब्धियों के प्रति मान-सम्मान दर्शाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा का कार्य भी करता है। ऐसे मान-सम्मान प्रकाश स्तम्भ (Light House) की

* संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा मेघदूत परिसर के 50वें वर्ष में ज्ञान के पीठ (Chair) के रूप में “अल्काजी” की धातुमुद्रा के अनावरण के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (3 मई, 2017)।

तरह होते हैं। जैसे कि समुद्र में प्रकाश स्तम्भ आने-जाने वाले जहाजों को मार्ग दिखलाता है, वैसे ही यह धातुमुद्रा आने वाली पीढ़ियों एवं रंगमंच के कलाकारों को न केवल माननीय इब्राहिम अल्काजी के द्वारा नाट्यक्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों की याद दिलाएगी बल्कि एक प्रेरणा के रूप में यहां प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करती रहेगी।

भारत में रंगमंच का इतिहास एवं परम्परा अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली रही है। चाहे कालिदास की अमर कृतियां **"मालविकाग्निमित्र"** या **"अभिज्ञानशाकुन्तलम"** हो अथवा भवभूति की रचना **"मालती माधव"** या उत्तर राम चरित जैसी लोकप्रिय रचना हो या सम्राट हर्षवर्धन की **रत्नावली, प्रियदर्शिका** हो या **नागानन्द** जैसी कालजयी रचनाएं हों, ये नाटक आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने आज से हजार-पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व लोकप्रिय थे।

प्राचीन भारत में नाटक संचार का महत्वपूर्ण साधन और मनोरंजन का प्रमुख माध्यम होते थे। हमारे यहां मंच कला से जुड़ी भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक है। इसमें थिएटर के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक के अनुसार, थिएटर के ग्रुप में सत्रह लोग होने चाहिएं जो अन्य विशेषताओं के साथ-साथ मंच-सज्जा, अभिनय, संगीत और नृत्य जैसी विभिन्न कलाओं में पारंगत हों। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों का संयोजन कितने वैज्ञानिक ढंग से करते थे। रंगमंच एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि होती है। भीमा मुनि के शब्दों में इस मान्यता की पुष्टि होती है:-

"हितोपदेश जननम् नाट्यमेतद् भविष्यति।
विनोदकरणम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति।।"

कहने का तात्पर्य है कि नाटक हितोपदेश व लोगों के मनोरंजन के लिए किए जाते हैं।

राष्ट्रीय रंगमंच की तरह भारत में श्रेत्रीय रंगमंच भी बहुत सशक्त रहा है चाहे वह केरल का कोडिअट्टम हो, कर्नाटक का यक्षगान हो, उत्तर प्रदेश का स्वांग हो या महाराष्ट्र का तमाशा हो, इन सबकी अत्यंत गौरवशाली परम्परा, इतिहास और सामाजिक योगदान रहा है। नाटक अथवा रंगमंच समाज में किसी संदेश, जनजागृति फैलाने का अत्यन्त सशक्त माध्यम है और इसके सामाजिक योगदान के महत्व को सब मानते हैं। क्योंकि देश-विदेश में नाटकों के माध्यम से अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को चुनौती दी गई और समाज में जागरूकता लाने एवं जनमत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता के आन्दोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था।

श्री इब्राहिम अल्काजी मानते हैं कि नाटक समाज को दिशा देने एवं समाज की झलक दिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। उनका जीवन, जीवन शैली, उनका रंगमंच के प्रति समर्पण व योगदान सबके लिए प्रेरणादायी है और यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि उनका पूरा परिवार रंगमंच के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

हमारे देश में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है और यहां अनादि काल से ही अनेक कलात्मक विधाओं का अस्तित्व रहा है। इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और इसे बढ़ावा देना हमारा कर्त्तव्य है और यह हर्ष का विषय है कि संगीत नाटक अकादमी कला पारखियों और दिग्गजों के मार्गदर्शन में यह प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama) विश्व के सबसे सम्मानित संस्थानों में से एक है। मित्रो मुझे विश्वास है और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि इब्राहिम अल्काजी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां पर यह आज विद्यमान है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मेघदूत परिसर की स्थापना की और आज हमारी बारी है कि हम उनके योगदान का सम्मान करें और मैं रंगमंच की जीवित किंवदंती के सम्मान के लिए संगीत नाटक अकादमी एवं यहां उपस्थित कला प्रेमियों को बधाई देती हूं।

मैं श्री इब्राहिम जी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूं। साथ ही, उनके स्वस्थ, प्रसन्न एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करती हूं। I wish him a long, healthy and happy life.

PROMOTING CULTURAL PLURALISM AND PEACE THROUGH INTER-FAITH AND INTER-ETHNIC DIALOGUE*

I sincerely thank the Russian Parliament and IPU for the excellent hospitality and arrangements made for the 137th Assembly of IPU. The world is a gift to us from God who created it like a bouquet of flowers. Numerous religions, diverse faiths, ethnicities are like lovely flowers with different colours, size and distinct fragrances, each one attractive in their own way, to make this bouquet most colourful and beautiful. A beautiful bouquet is an object of pleasure for the senses likewise these diverse religion, faith ethnic groups and cultural traditions when held together by eternal values of love, compassion, justice and equity are a sources of pleasure for hearts and souls.

IPU needs to be complemented for selection of a very relevant topic for general debate as entire world is grappling with various kind of conflicts in the name of religion, faith or ethnicity. The diversity of our world's many religions, languages, cultures and ethinicities should not be a pretext for conflict, but should be seen as a treasure that enriches us all. I believe that mutual tolerance and respect among religions and ethic groups is absolutely essential for peace, harmony, proper decorum and social order on our earth.

Every mother brings up her son or daughter to be responsible, respectful and caring towards parents and society and have right values. Similarly all religions teach their followers to practice love, compassion and be good human beings steeped in right ethos, Pluralism is not diversity alone, but energetic engagement with

* At the 137th Assembly of Inter-Paliamentary Union at St. Petersburg, Russian Federation (14-18 October, 2017).

diversity. The language of pluralism is that of dialogue and debate, give and get, speaking and listening. Dialogue fosters mutual understanding, dignity and patience and promotes peaceful co-existence. Dear Delegates, India is perhaps the largest and most plural society in the world and the singular thing about Indian culture is that you can only speak of it in the plural.

Our great cultural heritage is the generous concept of Vasudhaiv Kutumbakam (meaning that the entire world is a family). Our society is based on spiritualism, humanism and giving less importance to materialistic growth. We are socially, politically, culturally, religiously and spiritually democratic. As a result a number of religions and religious ideas have taken birth and flourished; different languages, musical, dance and art forms have developed in India. Our accommodating ethos sheltered many religions coming from outside our boundaries. The spread of Indian Culture has never been oppressive in character; rather it is educative and elevating. In fact, wherever Indians have gone, they have left behind not only their footprints but also spiritual and cultural imprints in the hearts of people. We have shown to the world that different religions, languages, practices and beliefs can co-exist and prosper simultaneously. India believes in giving and being there for others: 'गौरवं प्राप्यते दानात्। न तु वित्तस्य संचयात। स्थितिः उच्चै पयोदानां। पयोधीनाम् अधःस्थितिः।' Which means that the person who gives enjoys a higher position and not the person who hoards or accumulates. Like the clouds which give rain are always up in the sky, while the sea is always on the ground.

A nation's culture resides in the hearts and the soul of its people. In India we inculcate this in our children. We celebrate our diversity and plurality. This is the virtue of India's parliamentary democracy and Indian ethos. The freedom of religion is guaranteed under Indian Constitution. Parliaments and Parliamentarians have a very responsible role to play in fostering the culture of inter-faith and inter-ethnic dialogue. This can ensure mutual respect and a deeper understanding of diverse perspectives and practices. Social harmony, mutual understanding and better coordination between

different religions is of utmost importance for the survival of mankind and the promotion of the culture of peace, security and tolerance. The Parliament of India has been playing a significant role in providing necessary safeguards and an enabling environment for peaceful co-existence of religions, faiths and diverse groups. By sharing of knwoledge and best practices, I am sure, we can enrich ourselves, and together we can resolve to develop chords that foster building a harmonious world.

Thank you.

VII.

INTERNATIONAL MATTERS

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2014*

मेरे अपने शहर इंदौर में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित किया। इंदौर की सांसद होने के नाते मैं तमाम उद्योगपतियों और अन्य अतिथियों का स्वागत करती हूं और उनकी सफलता की कामना करती हूं।

यहां इस आयोजन का होना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहां पिछले कुछ वर्षों में काफी निवेश हुआ है और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से यह सिलसिला जारी है। यह दौर आगे भी निरंतर इसलिए चलते रहना चाहिए क्योंकि यहां स्थिर, योग्य, विश्वसनीय और प्रगतिशील सोच वाली सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश न केवल देश का दिल है बल्कि अवसरों का केन्द्र भी है।

मुझे जानकारी मिली है कि यहां कौन-कौन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कई बड़े नाम हैं, वहीं कुछ मध्यम स्तर के उद्योगपति हैं तो कुछ अनजाने भी। जो भी उद्यमीबंधु हैं, उन सबके लिए मध्य प्रदेश में निश्चय ही काफी संभावनाएं हैं। हमारे पास क्या नहीं है इन्हें देने के लिए, प्रकृति ने हमें अकूत संसाधन दिए हैं। मध्य प्रदेश में 21 तरह के खनिज मिलते हैं और निवेश के लिए तो हीरा है हमारा प्रदेश। यहां पर्याप्त पानी है, बिजली है, जमीन है और मेहनतशील श्रम शक्ति की भी कोई कमी नहीं है। शांति-सुरक्षा के साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए उपयुक्त माहौल भी देश के इस दूसरे सबसे बड़े राज्य में है।

उद्योग-धंधों के लिए सिंगल विंडो की बातें पिछले कुछ वर्षों से हर जगह होने लगी है, इस बिंदु पर राज्यों में होड़ भी रही है, लेकिन हमें अब इससे आगे बढ़कर कुछ सोचना चाहिए। सिंगल विंडो के साथ-साथ अब सिंगल टाइम फ्रेम पर फोकस करना होगा ताकि सारी स्वीकृतियां तुरंत मिल जाएं। सिंगल टाइम फ्रेम का यह समय एक दिन हो सकता है, सात दिन का भी हो सकता है या फिर एक पखवाड़ा अथवा महीना भर, जो भी हो, पर सारा कार्य समय-सीमा में ही होना चाहिए।

मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि कागजी कार्यवाही भी सरल होनी चाहिए। लंबी-चौड़ी कागजी कार्यवाही उद्योगपतियों को हतोत्साहित करती है, नियम सरल बनाने

*ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिटि, 2014 के अवसर पर भाषण, इंदौर (8 अक्तूबर, 2014)

के साथ-साथ कागजी औपचारिकताएं सीमित करके निवेशकों की सहायता की जानी चाहिए। राज्य सरकार के अधिकारी यह काम करके प्रदेश के इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आखिर में इन्हीं अफसरों से तो सबका पाला पड़ता है।

इन्वेस्टर्स समिट में आज का दिन एम.एस.एम.ई. के लिए नियत है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज देश की अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। हमारे देश में इस तरह के उद्यम तीन करोड़ से ज्यादा हैं, जिनकी देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग आधी भागीदारी है। ये उद्योग तकरीबन सात करोड़ परिवारों का पेट पाल रहे हैं, साथ ही जी.डी.पी. में इनका योगदान बढ़ ही रहा है। उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि जॉब्स और बढ़ेंगे। जब उद्योगों का पहिया दौड़ेगा, मशीनें कल-कल घूमेंगी तो कमाई होगी और लोगों का काम-धंधा चलता रहेगा। रोजगार होगा तो लोगों के घर चलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे-बढ़ेंगे, यानी यह पूरी एक साइकिल है हमारे प्रोग्रेस की।

आज के समय में लोकल मार्केट्स में हर छोटी-बड़ी वस्तु विदेशों से आ जाती हैं, क्योंकि वे सस्ती होती हैं। अब हमें क्या करना है? कॉम्पीटिशन के इस दौर में हमें अपने हिस्से का बाजार चाहिए और अपना बाजार तो बचाना ही है। चीजें सस्ती बनें और टिकाऊ भी हों, तभी हमारे उद्योग-धंधे टिक पाएंगे। घर-घर, बस्ती-बस्ती में चलने वाले छोटे कुटीर उद्योगों को ताकत देनी होगी, जहां से काफी बड़ी आबादी का घर चलता है।

छोटे उद्यम, उद्यमिता के स्कूल हैं। इन उद्यमों में रचनात्मकता, नवीनता और मेहनत का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट में करीब 40 प्रतिशत योगदान इन उद्यमों का ही है। यह आंकड़ा निश्चय ही चौंकाने वाला है, इसलिए इन्हें और भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। भले ही यह सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन यहां 10 में से 9 इंडस्ट्रीज पूरी तरह असंगठित हैं। स्थानीय लोगों और उनके स्किल के आधार पर कार्य कर रहे इन कुटीर उद्योगों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिजली-पानी की, सरकारी ढर्रे की, तकनीक और गाइडेंस की कमी की, लेकिन इन सबसे पार पाना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जहां लैटरल ग्रोथ है।

देश में विकास के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों की ही जरूरत होती है। ग्लोबलाइजेशन और आई.टी. क्रांति से दूरियां मिटी हैं और इस दौर में आप दूर-दूर से यहां संभावनाएं तलाशने आए हैं। यह निश्चय ही सुनहरा अवसर है।

मेरे प्रदेश की मिट्टी में मेरा दृढ़ विश्वास है। यहां सब कुछ है, ऐसे में आज आप इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। यह देश का पांचवां सबसे बड़ा मछली उत्पादक और छठा सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश को लगातार दो साल

तक कृषि कर्म पुरस्कार मिल चुका है। यह राज्य बागवानी के उभरते क्षेत्र के रूप में भी तरक्की कर रहा है। इसी प्रोडक्टिविटी के कारण हमारे प्रदेश में फल-सब्जियों, फूलों, डेयरी, फूड-पार्कों, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसेज, लॉजिस्टिक्स व सिंचाई परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

मध्य प्रदेश को अपने टाइगरों, नेशनल पार्क वाले घने जंगलों के साथ-साथ परम्परागत हस्तशिल्प और हथरकघा के लिए भी जाना जाता है। चंदेरी और महेश्वरी कारीगरी की प्रदेश से बाहर भी दुनियाभर में पहचान है। सांची, खजुराहो और भीमबेटका विश्व विरासत हैं। इन सबको देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश की काफी गुंजाइश है। आप सुविधाओं के लिए निवेश करें, पर्यटक तो यहां आएंगे ही।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, आई.टी., ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्र भी तेजी से फल-फूल रहे हैं। सर्विस सेक्टर भी यहां बढ़ा है। पीथमपुर-धार-महू, इन्वेस्टमेंट एरिया, अपनी संभावनाओं के कारण आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के पहले चरण के आठ निवेश क्षेत्रों में से एक है।

मध्य प्रदेश का तंत्र मोदी जी के **"मेक इन इंडिया"** के मंत्र के अनुकूल है और अब शिवराज जी ने भी स्लोगन दे ही दिया है-मेक इन एमपी। ऐसे में, आप सभी के लिए व यहां के निवासियों के लिए भी सुकून की बात है कि अब निवेश के इस अनुकूल माहौल से प्रदेश पर खुशियों की बरसात होगी।

विकास के सभी दरवाजे खोलने के लिए और दुनिया में नाम कमाने के लिए हमें कुछ वर्ल्ड क्लास करना होगा, जो इंदौर के साथ-साथ मध्य प्रदेश की और देश की पहचान बन जाए। हमें यहां पर एक वर्ल्ड क्लॉस-स्टेट ऑफ द ऑर्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की कल्पना को साकार करना होगा, जहां बिजनेस की सारी सुविधाएं हों और पर्यटन की संभावनाएं भी हों। मध्य प्रदेश को विश्व के वाणिज्यिक नक्शे पर इंदौर के रास्ते लाना होगा। इसके लिए वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को एग्जीबिशन/डिस्पले एरिना, कन्वेंशन सेंटर, इंटरटेनमेंट जोन, बिजनेस सेंटर, कांफ्रेंस हॉल, कम्यूनिकेशन सेंटर और हॉस्पिटैलिटी जोन इत्यादि सुविधाओं से भरपूर करना होगा।

दुनिया के हर बड़े शहर की अपनी पहचान है। चीन का ग्वांगचाऊ इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए जाना जाता है तो अमरीका का डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट इंडस्ट्रीज के लिए, वहीं फ्रांस का पेरिस फैशन के लिए फेमस है। ऐसे ही इंडिया के इंदौर की पहचान यह स्टेट-ऑफ-द-आर्ट एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर बनें, यह हमारा सपना है, परिकल्पना है, जिसे सभी को साकार करना है।

मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे देश-दुनिया के इन्वेस्टर्स के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टर्स समिट से यह साबित होगा कि मध्य प्रदेश केवल देश का भौगोलिक केन्द्र-बिन्दु ही नहीं है, बल्कि अब तो सर्वोच्च प्राथमिकता वाला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है।

धन्यवाद।

PARLIAMENT AND THE MEDIA LAW*

I am glad to be here today to inaugurate the CPA Parliament and Media Law Conference in this port city of Visakhapatnam which is very appropriately called 'the Jewel of the East Coast'. I commend the CPA and the Andhra Pradesh CPA Branch for selecting this beautiful city which is soon going to be a smart city, to host this Conference.

The Commonwealth Parliamentary Association (CPA) has been actively engaged in the issue of media freedom and its relation to Parliament. Fifteen years back, the CPA and the Parliament of India in association with several Commonwealth media organisations held a conference on **'Parliament and the Media: Building an Effective Relationship'** which was followed up with other similar conferences focused on various aspects of an informed democracy.

It goes without saying that a free, responsible and diverse media is as vital to parliamentary democracy as democracy is for freedom of speech and expression. An independent media can play crucial role in building and moulding public opinion, which, in turn, influences decision-making process. The **'freedom of the press',** which it was once called and now includes freedom of every kind of mass media, is not simply freedom of journalists, editors or proprietors alone to report and comment but it includes public's right to know and to participate in free flow of information.

While Commonwealth countries generally recognize the right of the media to a fundamental level of freedom, in practice this right is constrained as well as protected by constitutional provisions, statutes, legal precedents and licensing conditions. In India, media

---

* At the Commenwelath Parliamentary Association's Parliament and the Media Law Conference, Visakhapatnam (8 April, 2015).

freedom is constitutionally secured through fundamental right to freedom of speech and expression in article 19(1)(a) of the Constitution. However, right to freedom of speech and expression comes with same restrictions such as sovereignty and integrity of country/security of State/public order/decency or morality, etc. In recent years, there has been progress on freedom of expression with several Commonwealth countries enacting substantial legislation on it.

The relationship between Parliament and media is crucial aspect of public's right to be informed. Parliament, or the Legislature in this sense, is the forum where public issues and policies are discussed and public grievances are addressed. As media acts as communication link between Legislature and people, it conveys to people substance of parliamentary legislation and discussion, and informs them about policies and programmes of Government. It helps decision makers to understand the pulse of society by providing a feedback mechanism.

Within this relationship, there are vital principles that require a fine balance. As public figures, parliamentarians or legislators have to sometimes sacrifice their right to privacy as individuals so as to satisfy public's right to know. Disclosure of information held by government or public authorities in public interest is also a requirement of an informed democracy which needs to be balanced with requirement for secrecy/privacy.

In India, under the Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Act, 1977, statutory protection has been given to publication in newspapers or broadcasts by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament, provided reports are for public good and are not malicious. Normally, no restrictions are imposed on reporting the proceedings of the House unless the report is *mala fide* or there is wilful misrepresentation or suppression of speeches of particular members, which constitutes a breach of privilege and contempt of the House.

During this Conference, our focus may not be confined to relationship between Parliament and media. As the theme suggests, Parliament has as much interest and responsibility as any stakeholder to be fully alive to debate on whole gamut of laws that impinge on and have implications for media freedom. This is a matter that concerns larger society for which Parliaments and parliamentarians owe a responsibility.

Today, when we talk about media freedom, we not only think in terms of strengthening media freedom but also to regulate so that freedom is used in a constructive manner. As the medium through which public is informed of public issues, government policies and programmes, freedom of media is essential. This freedom makes it possible for media to exercise huge influence on society by shaping public opinion. The power that media has in a free democratic society is apprent from the status it has earned as Fourth Estate of society. However, it is also to be understood that with powerful right to freedom come great responsibilities. Hence, there is need for media to ensure that freedom is wisely and responsibly used and corresponding responsibilities are consciously fulfilled. How to achieve this—whether by an imposed law or by guidelines voluntarily adopted by media—is the main question about responsibility of Media?

Friends, it is worth reminding ourselves that the situation that prevails in a country cannot be a template for all societies everywhere although there may be insights and best practices that can be shared from each other's experiences. As we know, the situation in India is not quite similar with that of UK.

We have distinct systems of regulation for broadcast media, print media and social media. The broadcast media is regulated by the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995. The Act does not provide for any regulatory authority but Programme Code and Advertising Code under the Act is monitored by various agencies of Government. Also there are two industry-level regulatory bodies for self regulation.

For non-news sector, there is **'Broadcasting Content Complaints Council',** an independent council comprising twelve members with retired Judge of Supreme Court or High Court as Chairperson. For news and current affairs channels, the self-regulatory body is 'News Broadcasting Standards Authority (NBSA)' set up by News Broadcasters Association (NBA). Unfortunately, jurisdiction of NBSA is limited because out of total 350 news channels, only few are members NBA. Therefore, rest are unregulated.

Regulation of print media in India is governed by Press Council Act, 1978, that establishes Press Council of India (PCI). The Council is statutorily empowered to take *suo motu* cognizance or entertain complaints of violations of journalistic standards and ethics.

In cyber sphere, we have Information Technology Act, 2000, amended in 2008. Information Technology Rules, which direct intermediaries to remove objectionable content, were introduced in 2011. Section 66A, inserted in the Act had made it a punishable offence to send offensive or false messages through a computer device. However, there was no guideline for identification of offensiveness. The said provision has been set aside recently by the Supreme Court as being violative of free speech as it has often been said to have been invoked arbitrarily or with political motive to block access to content allegedly objectionable. As while the judgement upheld freedom of media, it has left open the field of regulation of offensive messages on media. How to regulate this now after striking down of section 66A, is a big question for you to debate?

We understand that there are different views-on media regulation. There is a strong argument, mostly held by media industry, that media accountability is better served by self-regulatory institutions. Any form of statutory regulation is looked upon with apprehensive fear of censorship and State suppression of media freedom. However, media insiders and people who have been associated with regulatory authorities will agree that even the agencies who are regulating the media at present are very week in their enforcement. So there is

need for better regulation, whether it is done by the government or by bodies of media industry itself — is a question you must debate in this conference.

Media industry is getting more and more integrated. Most media players are present on all media platforms whether it is print or broadcast or cyber or social media. Therefore, there may be a need for common standard for all sectors of media. For instance, licensing and journalistic standards applicable to print media shall also be applicable to broadcast media. Is there a way that media players can be made accountable to same standards whether print, digital or online? Are separate regulatory bodies necessary for different forms of media platform, or a single regulatory body desirable? These are the issues to be debated.

In our times, social media has also become a big source of information. At present, under Information Technology Act, the Cyber Appellate Tribunal is empowered to deal with complaints under the Act. Is it desirable to regulate social media? And to what extent?

I have placed some of the important issues before you for deliberations during the Conference. I would like to add here that these issues do not necessarily reflect state of journalism in this country. It has more to do with state of media laws that exist. There may be a need for their modification which you shall deliberate upon.

I am sure that Conference will endeavour to find viable solutions to these issues. I wish you fruitful deliberations towards that end. With these words, I have the pleasure of inaugurating the Conference.

Thank you.

THE MORAL AND ECONOMIC IMPERATIVE FOR FAIRER, SMARTER AND MORE HUMANE MIGRATION*

Migration is not a new phenomenon. It has been there since time immemorial and many countries have experienced it in some form or other; only the degree and intensity varies. What has added new angle to human migration in recent times is the process of globalization which has broken the barriers of the nation state facilitating seamless movement of people, goods, service and ideas. A new noticeable trend is increase in number of women migrants.

Nobody would like to leave his or her country of birth and his home and hearth without insurmountable circumstances. People migrate in search of better opportunities and at times under very compelling circumstances due to economic, political or social reasons. The difference between voluntary and involuntary migration, or between refugees fleeing political conflict versus economic or labour migration, is complex.

The exodus of hundreds of thousand people from Syria **and other countries as refugees** is a man-made human tragedy. This has raised a number of issues, which need to be addressed with great degree of sensitivity. **Far from being propelled by economic reasons, this crisis is mostly about refugees.** We encourage the Governments concerned to work out comprehensive and mutullay beneficial solutions derived from their international obligations and the best practices dealing with such large scale refugee movement in the post-world War-II period. They must also deeply reflect on the factors leading to this crisis.

* At the 133rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland (17-21 October, 2015).

I wish to keep our comments within the framework of the theme for the Geneal Debate relating to fairer, smarter and more humane migration.

Migration poses challenges and moral dilemma for destination countries, as fear, anxiety and doubts arise about the interests of local population. However, it also presents and opportunity for economic growth, human development and cultural diversity. The host country benefits in terms of their labour, both skilled and unskilled, talent and expertise, energy and innovation brought in by younger migrants. The native country benefits in terms of remittances, savings, skills and international contacts provided by migrants. Migration also strengthens tourism and nostalgia for one's foods and products of the country of origin creates markets for those products in the immigration country fostering local production and international trade.

The top destination countries for immigration have generally witnessed social, cultural and political diversity and strengthening of liberty, freedom and democratic values. Migration also helps in bridging the socio-cultural divides and brings people together leading to better understanding, which is very essential for a peaceful world.

Now let me share India's experience with migration. Since time immemorial, India has witnessed migration as one of the important features of interaction with the outside world, and as means for exchange of ideas, trade and commerce among many other things. The central theme and understanding of migration for Indians is derived from the Indian philosophical concept of **"वसुधैव कुटुम्बकम"** which means that the entire world is one family. Historically Indian traders, seafarers and monks have migrated and settled in foreign lands as goodwill ambassadors spreading the message for unity, peace and brotherhood and **never ever to conquer territories.** Integral Humanism is deep rooted in the Indian Psyche.

Over 28.5 million overseas Indians, including Non-Resident Indians and persons-of Indian Origin, are presently residing overseas. Almost similar number of migrants, including irregular migrants, have made

India their home. This has made India an important country of origin and of destination for migrations.

One of the finest examples of fairer, smarter and more humane migration is proudly showcased in Indian history. The Parsis, (Zoroastrians) emigrated to India for reasons of religious freedom and they were allowed to settle in India thanks to the Goodwill of a local ruler. They were also granted a plot of land to build a fire temple as their place of worship, this was quite a remarkable gesture in the prevailing times. **Over the centuries the Parsis have integrated and assimilated themselves into Indian Society like sugar in the milk. They have contributed immensely to the history and development of India. Their achievements are not only respected by the whole nation but every Indian also take pride their success as own success.**

Sustainable development can only be achieved with the inclusion of all groups. This finds reflection in the 2030 Agenda for Sustainable Development by including migration and human mobility in four of the seventeen Sustainable Development Goals target. Our Prime Minister Shri Narendra Modi's Vision of "सबका साथ सबका विकास" which means 'together with all, development for all' underscores the importance of inclusive growth.

The Non-resident Indians and Persons of Indian Origin, by their creativity, entrepreneurship, diligence and law abiding nature have played an important role in global brand building and image of India as a 'knowledge Economy'. They have become the most effective brand ambassadors to showcase India's proud heritage, culture and its progress and also have contributed immensely to their host countries.

As a responsible country, India constructively engages with the International Organisation for Migration, Global Forum for Migration and Development, Colombo Process and similar other regional and international platforms, which promote and protect the interests of migrants. India has been advocating the need to view migration form a developmental paradigm, from humane perspective, and as a win-win situation.

I believe that we, the Parliamentarians need to support for greater international efforts to supplement national efforts in addressing the challenges associated with migration. Climate change may add new dimensions to the issue of migration. We acknowledge the fact that the solutions and approaches for dealing with migration may differ from country to country based on local and national circumstances, but at all times it should conform to the basic norms of human dignity and human rights of migrants.

India calls for concerted efforts to promote teamwork amongst nations to maximise the benefits of migration while reducing its negative effects. I conclude:-

''प्राणिनाम् उपकाराय यद् इव परार्थ च।
कर्मणा मनसा वाचा तदैव मतिमान भजेत्।।

which means 'by his work, thoughts and words, an intelligent man (**and this applies to nations also**) must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and the next'.

Thank you.

भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध की स्वर्ण जयंती*

भारत-पाक युद्ध 1965 के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में यहां के प्रतिष्ठित "लोकशाही वार्ता" अखबार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मैं गौरवान्वित हूँ। लोकशाही वार्ता के मुख्य सम्पादक श्री लक्ष्मण जोशी एवं इस कार्यक्रम की परिकल्पना से लेकर आज इसके आयोजन तक इससे जुड़े सभी लोगों की मैं आभारी हूं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच इस युद्ध में सक्रिय रहे कर्नल (सेवानिवृत्त) अभय बालकिशन पटवर्धन भी मौजूद हैं। उनका आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ।

हम सब जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। वह **"वसुधैव कुटुम्बकम्" एवं "सर्वेभवन्तु सुखिनः"** के मूल्यों पर चलने वाला देश है। भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, भारत पर हमेशा युद्ध थोपा गया। सन् 1962 के युद्ध के उपरान्त भारतीय सेनाओं का मनोबल थोड़ा गिर चुका था, हालात कुछ ऐसे थे। सेनाध्यक्ष पी.एन. थापड़ को अस्वस्थ होने के कारण अफगानिस्तान का राजदूत बनाकर काबुल भेज दिया गया था। देश में अकाल की स्थिति थी। 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और 1964 में ही चीन ने नाभिकीय परीक्षण किया। इसके विपरीत पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट थी। ऐसे सशक्त जनरल अयुब खान जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में बर्मा के जंगलों में युद्ध कौशल हासिल किया था, वे पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे। पड़ोसी देश के हौसले बुलन्द थे, इसी जोश में उन्होंने भारत पर ताबड़तोड़ आक्रमण किया। पर हमारी सेना ने निज राष्ट्र की सुरक्षा एवं गौरव पर कभी आंच नहीं आने दी। हम पर जब भी आक्रमण हुआ, हमारी सेनाओं ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।

मेरे विचार से जब युद्ध होता है तो उसमें सेनाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। 1965 के युद्ध में कई ऐसी घटनाएं हुईं जो हमारे सैन्य कौशल, उनकी दक्षता और उत्कृष्टता का जीता जागता उदाहरण है। हाजीपीर, असल उत्तर, फिलौरा, बरकी और डोगराई की पांच प्रमुख घटनाओं के साथ युद्ध भूमि में असंख्य छोटी-बड़ी घटनाएं हुईं। सब घटनाओं की चर्चा तो संभव नहीं है परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा किए बिना यह कार्यक्रम पूर्ण नहीं कहलाएगा। मैं पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना के चौथे ग्रेनेडियर्स के एक बहादुर सैनिक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की चर्चा करना चाहूंगी जो कि मात्र 32 वर्ष के थे।

*स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान भाषण, नागपुर (25 अक्तूबर, 2015)।

उन्होंने 10 सितम्बर, 1965 को खेमकरण सेक्टर में दुश्मन के पैटन टैंक को आगे बढ़ते देख स्थिति को भांपते हुए, एक जीप पर मुहिम शुरू की और जान की परवाह किए बगैर अपनी जीप पर लगी तोप से लड़ाई लड़ते हुए तीन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उनके बहादुरीपूर्ण कर्तव्य से प्रेरित होकर सेना ने उस सेक्टर से दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। उनके इस अतुलनीय साहस के सम्मान में आज भी वहां "पैटन नगर" नामक युद्ध स्मारक है।

इसी प्रकार, भारत पाक युद्ध के एक और परमवीर चक्र विजेता कर्नल आर्देशीर बरजोरजी तारापोर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करना चाहूंगी। 11 सितम्बर 1965 को 17 हॉर्स रेजीमेंट ने उनके नेतृत्व में सियालकोट सेक्टर में फिलौरा पर दक्षिण की ओर से आक्रमण किया। फिलौरा और छविन्दा के बीच पाकिस्तानी सेना की भारी मौजूदगी के बावजूद उन्होंने प्रहार करना नहीं छोड़ा। घायल होने पर भी वे सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे और 14 सितम्बर को वजीरावाली और 16 सितम्बर को जसूरॉ और बटूर डोगरांडी पर कब्जा किया। उन्होंने वीरता की पराकाष्ठा दिखाई और अपनी जान की परवाह नहीं की और अंतिम समय तक अपनी सेना का नेतृत्व करते रहे एवं युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि दुश्मन की सेना ने भी वीर तारापोर की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके अंतिम संस्कार के वक्त फायरिंग रोक दी थी।

ऐसी वीरता की अनगिनत घटनाएं युद्ध के मैदान में हुईं। हमारे जांबाज सिपाहियों ने दुश्मन के इतने टैंक तोड़े की रणभूमि में ही टैंकों की कब्रगाह बन गई। हमारी थल सेना कूच करते-करते लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर पीछे रह गई थी। मैंने यह **"लाहौर-13 किलोमीटर"** लिखा मील का पत्थर राजपथ पर आयोजित प्रदर्शनी **"शौर्यांजलि"** में देखा। इस युद्ध में भारत ने 1920 किलोमीटर की पाकिस्तान की जमींन पर नियंत्रण किया था जबकि पाकिस्तान 540 किलोमीटर पर ही नियंत्रण कर पाया था। देश ने 2862 वीर सैनिकों को इस युद्ध में खोया और इनमें से 211 सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारतीय वायु सेना ने भी भारतीय थल सेना का मजबूती से साथ दिया और हमारे वायु वीरों ने अपनी युद्ध क्षमता प्रमाणित कर दी। हमारे वायु सेना के जांबाजों ने अपने छोटे-छोटे नेट विमानों से शत्रु देश के द्वारा विदेशों से आयातित सैवर जेट विमानों को ध्वस्त कर उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय दिया और भारत की जीत में सहायक हुए।

हमारे अर्धसैनिक बलों की भूमिका भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण रही। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में सहायक भूमिका में उत्कृष्ट काम किया। युद्ध क्षेत्र में बचाव कार्य, घायलों का प्राथमिक उपचार, उन्हें तुरंत उपयुक्त अस्पताल में पहुंचाना, यातायात के लिए सड़क साफ करना और मलबे को हटाना, इंजीनियरिंग के काम में मदद, जल-आपूर्ति, बिजली-आपूर्ति इत्यादि कई कामों में अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ हमारे एन.सी.सी. के कैडेटों एवं भारत स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों ने बखूबी निभाया। इन कैडेटों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने देश सेवा के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। आकाशवाणी, दूरभाष केन्द्रों एवं डाकखाना की सुरक्षा भी इनके जिम्मे रही।

वस्तुतः 1965 का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं जीता गया, वह वास्तव में हर भारतवासी की जीत थी। वह कुशल नेतृत्व की जीत थी, वह नेतृत्व पर विश्वास की जीत थी। शायद आक्रमणकारी ने सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध को देखते हुए हमें कमजोर समझकर हम पर यह सुनियोजित और पूरी तैयारी के साथ यह हमला किया था, पर शायद उसे यह आभास नहीं था कि हालांकि भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है पर समय गवाह है कि भारत ने हरेक आक्रमणकारी को अपने वीरता और पराक्रम से हराया है और भारत की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को हमेशा अक्षुण्ण रखा है हमारे वीर सैनिकों के इन वीर सपूतों की वीरगाथा को शब्दों में बांधना कठिन है।

अभी हाल ही में दिल्ली में भारत-पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रदर्शनी **"शौर्यांजलि"** लगाई गई थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम **"मन की बात"** में इसके विषय में सुनकर उक्त प्रदर्शनी देखने गई। देखने गई थी तो आधे घंटे के लिए, परंतु जब प्रदर्शनी देखने लगी, तो कब ढाई घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। वहां 1965 के युद्ध को मानो, राजपथ पर सैनिकों ने जीवन्त कर दिया था। इस प्रदर्शनी से मुझे इस युद्ध की कई बारीकियां समझ में आईं। मैं अपने वीर सैनिकों के कारनामे एवं हौसलों का प्रदर्शन देखकर गौरवान्वित हो उठी और मेरे मन में यह ख्याल आया कि इन वीर सैनिकों की याद में देश की राजधानी में एक युद्ध स्मारक की स्थापना होनी चाहिए जिसे भारतवासी ही नहीं, कहीं से भी दिल्ली आने वाला हर व्यक्ति का वह गंतव्य बने। ऐसे स्थान निश्चय ही हर आगंतुक में देश के प्रति समर्पण और सेवा का भाव जागृत करते हैं और यही उन वीर शहीदों के प्रति असली श्रद्धांजलि है। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने दिल्ली में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

देश पर जब कोई विपत्ति आती है, कोई आक्रमण होता है और युद्ध की स्थिति बनती है, तो सिर्फ सेनाएं सीमा पर ही युद्ध नहीं कर रही होती हैं बल्कि हरेक नागरिक एक योद्धा होता है और उस देश के शीर्ष नेतृत्व की उस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1965 के युद्ध में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में उनके **"जय जवान जय किसान"** के उद्घोष से जहां जवानों में उत्साह और जोश का संचार हुआ, वहीं आम जनता, किसानों, युवाओं, महिलाओं यहां तक कि बच्चों ने भी युद्ध की गंभीरता को समझा और अपना-अपना योगदान दिया। महिलाओं ने अपने गहने तक दान किए, लोगों ने व्रत और उपवास किए तथा युद्ध के आर्थिक प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभाई। बूंद-बूंद से सागर भरता है। सबके सम्मिलित प्रयासों से भारत माता के कोष में युद्ध के लिए धन की कमी नहीं आई। यहां पर मैं उन मां, बहनों, बच्चों और महिलाओं के साहस को भी नमन करुंगी जिनके बेटे, भाई, पिता और पति सीमाओं पर गोली खाते हैं। ऐसे परिवारों की धुरी अवश्य ही बदल जाती है परंतु ऐसे देशभक्त परिवार व नागरिक युद्ध के परिणाम बदल देते हैं।

युद्ध ने कुछ हद तक भारतीय सशस्त्र बलों को और अधिक संगठित सैन्य शक्ति बना दिया। इस युद्ध ने हमारे रक्षा बलों को छह वर्ष बाद 1971 के युद्ध की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। इससे हमें युद्धों के परिणाम सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी और आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का महत्व पहचानने और उन्हें हमारी रक्षा नीति में शामिल करने में भी सहायता मिली। विशेष रूप से यह एक संयुक्त अभियान था जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक संगठित रणनीति बनाकर युद्ध में भाग लिया जो हमारी युद्ध से संबंधित योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक बना। 1965 का युद्ध हुए काफी समय हो चुका है। हमने यह भी सीख लिया है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी एक सेना अपने बल पर युद्ध नहीं जीत सकती। खुफिया क्षेत्र में भी आज काफी प्रगति हो चुकी है। कारगिल युद्ध से प्रभावी रूप से यह सिद्ध हुआ कि भारतीय नेतृत्व और सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

1965 के युद्ध को आज पचास वर्ष हो गए हैं। इस युद्ध के बाद उसी देश के साथ हमारे दो और युद्ध हुए। अभी भी भारत के भरसक प्रयासों के बाद भी इस पड़ोसी मुल्क से हमारे संबंधों में मधुरता नहीं आई है। भारतीय नेतृत्व ने हमेशा इसके लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। कारगिल युद्ध के तुरंत बाद सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कथनी एवं करनी दोनों से पहल की। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ जी को शांति वार्ता

के लिए न्यौता देने की बात आई, तो कई साथियों के न चाहने पर भी उन्होंने उदारता से कहा कि परस्पर बातचीत से ही शांति के प्रयासों को सफलता मिलेगी और इसलिए उन्होंने बिना पूर्वाग्रह के परवेज़ मुशर्रफ को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। हमारे द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों के बावजूद आज स्थिति वही है। पर, हम प्रतिबद्ध हैं कि इस समस्या का समाधान पारस्परिक वार्ता से शांतिपूर्वक तरीके से ही करेंगे।

कर्नल पटवर्धन जी ने एक सच्चे वीर सैनिक के नाते सेना में अपने जीवन के 36 वर्ष बिताए। उन्होंने भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया और आप सबसे उस समय की युद्ध की स्मृतियों को **"लोकशाही वार्ता"** में 6 सितम्बर से 27 सितम्बर तक लेख के रूप में साझा किया। वही लेख अब एक पुस्तक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। **"द्वितीय भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965"** वस्तुतः, 1965 के युद्ध में शहीद हुए उन बहादुर सैनिकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए युद्ध के दौरान शत्रुओं का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में मुख्य भूमिका निभाई।

यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार लड़ा गया, इसका क्या परिणाम रहा, वर्तमान और भावी परिवेश में युद्ध से हम क्या सबक सीख सकते हैं, इन सभी तथ्यों और घटनाओं का कर्नल पटवर्धन ने अपनी पुस्तक में बारीकी से ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा युद्ध से जुड़ी घटनाओं को पाठकों के समक्ष रखा है। मुझे इस पुस्तक का विमोचन करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। उनके इस प्रयास को मैं अटल जी की इन पंक्तियों में कहना चाहूंगी:-

"हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल
वर्तमान के मोहजाल में, आने वाला कल न भुलाएं
आओ फिर से दिया जलाएं।
आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा,
अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं
आओ फिर से दिया जलाएं।"

अन्त में मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूं एवं आशा करती हूं कि हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे अपने-अपने मार्ग पर ईमानदारी और परिश्रम से चलते हुए भारतवर्ष के गौरवशाली भविष्य को और उत्तम बनाने के लिए काम करेंगे। हम प्रण करें कि देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों एवं स्वतंत्रता पश्चात् भारत की रक्षा के लिए हुए युद्धों में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों, उनके

परिवारजन एवं सभी भारतीय नागरिकों के समर्पण को सदैव याद रखने एवं देश को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करती हूं।

जय हिन्द।

INDIA AND MALAYSIA: CLOSER COOPERATION*

I am indeed delighted to be here in this beautiful city of Kota Kinabalu in Sabah. We are all happy to come to Malaysia for the 23rd Conference of the Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth.

At the outset, allow me to convey my heart-felt greetings to all of you for a new year of good health, peace and prosperity.

Incidentally, today also happens to be a day of great significance. It was on the 9th of January in 1915 that the greatest *Pravasi* son of India, Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the Nation, returned to India from South Africa after leading a spirited struggle there against the British apartheid. Over the next 32 years, Mahatma Gandhi led India to freedom with Truth and Non-Violence as his weapons. The Government of India, since 2003, has been celebrating this day every year as the *Pravasi Bharatiya Divas*. It's therefore befitting that our High Commissioner has chosen this day to host a reception in our honour with our *Pravasi* brothers and sisters in Malaysia.

I am particularly delighted that Hon'ble Speaker of the Perak Legislative Assembly Dato Seri Devamany is present here. His presence is symbolic since Malaysia is home to the second largest Indian Diaspora in the world. And we, in India, are extremely proud not only of the Indian community's seminal contribution to Malaysia, but also of your contribution to nurturing the deep, abiding cultural, educational and trade linkages with India, the country of your ancestors.

---

*At the Reception hosted by the High Commission of India, Malaysia during the 23rd Conference of the Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (9 January, 2016).

Reflecting upon the years 2014 and 2015, I feel happy to convey that India is doing remarkably well on many fronts. Through innovative ideas and initiatives, the Government has ensured that the wheels of progress move at rapid pace and the fruits of development reach every citizen. Governance has become open, easier and transparent. Development is on every Indian's lips. The *'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana'* launched on our Independence Day in 2014 marked a paradigm shift in ensuring that every citizen is integrated in the financial system of the Nation. The 'Make in India' initiative, complimented by a focus on making business easy, has stimulated unprecedented vigour and enterprise among investors and entrepreneurs. Labour reforms and dignity of labour under the *'Shrameva Jayate'* initiative has empowered several workers of small and medium industries, also providing a boost to our skilled youth. The Government has launched three social security schemes for the people of India and also focussed on giving pension to the elderly and insurance cover to the poor. In July 2015, the Prime Minister unveiled the Digital India Mission to create a Digital India where technology plays a key role in bringing a qualitative change on people's lives. On 2nd October, 2014, Mahatma Gandhi's Birth Anniversary, the Prime Minister of India launched *'Swachh Bharat Mission'*, a mass movement for cleanliness across the Nation. The scale and impact of the movement is historic. And all this we have, managed to do by preserving and nurturing our vibrant democratic polity.

On the economic front, India continues to be the fastest growing major economy in the world, with a growth rate of over 7 per cent. The total FDI inflows soared by 24.5 per cent to USD 44.9 billion during 2015, indicating that investors are attracted by our efforts to improve ease of doing business and relaxation in Foreign Direct Investment (FDI) norms.

For Malaysian multi-national companies, India has always been a prime investment destination. Malaysian companies have invested over USD 6 billion in India and have completed projects worth an

additional USD 6 billion. I am aware that several Malaysian companies are currently pursuing investments into India, especially in the areas of infrastructure such as road, ports, power, tourism and hospitality, Information and Communications Technology (ICT), etc.

Several Indian businesses are also bullish about Malaysia. At present, there are over 150 major Indian companies operating in Malaysia and Indian companies have invested over USD 2.3 billion in Malaysia till 2014.

The visit by our Prime Minister, Shri Narendra Modi to Malaysia last November has imparted added dynamism to our relationship in political-security, economic and socio-cultural spheres.

India's links with Malaysia are civilizational and historic. Extensive trade and cultural links were forged between the Coromandel and Kalinga coast of ancient India and the Malay Peninsula over centuries, when this region was at the crossroads of trade and commerce. The Great Pallava and Chola dynasties of Tamil Nadu left a large imprint on the Malay Peninsula going back to more than 10 to 15 centuries earlier. Remnants of their temples and other structures and their inscriptions have been excavated, particularly in Bujang valley in the State of Kedah. Soon these commercial and cultural link extended to many other parts of India, including the Malabar coast and Gujarat.

The British rule brought with it another wave of influence from India into Malaya. Indians, especially Tamils, from South India were brought by the British to work in plantations and were also given the arduous task of building roads and constructing railways. In this process, several thousands lost their lives and I salute the memory of all those who laid down their lives in this country during the British era.

Netaji Subhash Chandra Bose and the Indian National Army drew their sustenance and strength from Malaya and many thousand Malaysian Indians came forward to support him in his quest for freeing India from its colonial masters. Women came in large numbers leaving the comfort of their homes. I would like to pay tribute today to

Puan Sri Capt. Janaky Athi Nahappan, who had served as Deputy to Capt. Lakshmi Sehgal in the famous Rani of Jhansi regiment. In recognition of her great contribution, India conferred on her the award of Padma Sri. We have also recently renamed the Indian Cultural Centre in Kuala Lumpur as Netaji Subhash Chandra Bose Indian Cultural Centre.

Millions of Indian soldiers who fought alongside British and Allied troops against Japanese occupation, lost their lives in Malaysia. Among these Indian soldiers who laid down their lives, a majority were Sikhs.

Apart from Netaji, many great Indians came to Malaysia in recent history, including Nobel Laurate Guruji Rabindranath Tagore. Pandit Jawaharlal Nehru visited Malaysia twice before independence and Swami Vivekananda came to Penang. Our Prime Minister unveiled a magnificent statue of Swami Vivekananda at the Ramakrishna Mission premises in Kuala Lumpur during his visit in November, 2015.

We have also donated a Bust of Mahatma Gandhi to the Gandhi Memorial Hall in Sungai Petani in the State of Kedah.

The contribution of Indians in Malaysia through history has been tremendous. I would like to acknowledge all the pioneers who settled in Malaysia over centuries and whose descendants are now proud citizen of this great country.

I also laud Malaysia for assimilating various races and ethnicities, and providing a democratic framework where all can co-exist in peace and harmony. In many ways, this beautiful State of Sabah is a symbol of this plurality and co-existence. The Malaysian Indian Congress was a pioneer in the Malaysian political landscape. I wish Malaysia well in their quest for moderation and peace.

What I find equally remarkable is that most of you, even after the passage of all these years, have managed to preserve your tradition, culture and religion and even more importantly, passed on these values to next generation.

Even now, the largest contingents in the *Pravasi Bharatiya Divas* meetings are from Malaysia. In 2013, we gave a pride of place to

Malaysia in the *Pravasi Bharatiya Divas* in Delhi, acknowledging the contribution of the Indian community in Malaysia.

We were truly touched by the outpouring of the grief in Malaysia at the passing away of former President, Dr. APJ Abdul Kalam in July in 2015. Dr. Abdul Kalam continues to live in the heart of every Indian, just as he touched the hearts of those outside India and in Malaysia.

India continues to assist needy and deserving Malaysian Indian students through the Indian Students' Trust Fund, which was set up way back in 1954. India has, over the years, been a destination for thousands of Malaysian Indian children to study medicine. It is now equally important that your children take advantage of the strength of engineering and other degrees in India, and come to India to study other disciplines as well. We are working with the Malaysian Government to recognize the degrees conferred by Universities of both our countries to facilitate this process.

Indian system of medicine is among some of the well-known and acknowledged systems of medicine globally. Government of India has deputed Ayurveda doctors and therapists to Malaysia. Our High Commission has brought out a book on Ayurveda in Bahasa language. We are now working on deputing a Siddha doctor to Malaysia soon.

The Festival of India in Malaysia, held for the first time in Malaysia last year, where 45 events were held in 100 days in all major cities of Malaysia, was a huge success. Malaysians from all walks of life participated in the festival. I was equally heartened to hear that thousands participated in the first International Yoga Day held all over Malaysia. Our High Commission, in collaboration with the University of Malaya, Kuala Lumpur, has brought out a book on Yoga in Bahasa Malaysia so that people of Malaysia will truly benefit from this ancient science of holistic health and well-being.

Your interests have always received our Government's closest attention. We have made the PIO card valid for life and now lifelong OCI cards are being issued to all People of Indian origin.

Friends, India and Malaysia are poised to considerably benefit from closer cooperation. In fact, it is through you that the relations between India and Malaysia would gain strength. In whatever we do with Malaysia, the Indian Diaspora would be a part of it.

Once again, I wish you all a very happy and prosperous year 2016.

Thank you.

YOUTH ARE HARBINGERS OF CHANGE*

It is a great pleasure for me to be here with you to share my thoughts and exchange my views on *'Rejuvenating Democracy, giving voice to youth'*, a subject of utmost relevance in the current global scenario. Youth are harbingers of change. Today's generation of young people is the largest the world has ever known. Every second person alive today is below the age of thirty and around ninety percent of young people are living in developing countries mainly in Asia and Africa. The challenge of creating enough jobs and opportunities for the global youth population is the major challenge world faces today.

We all recognize that democracy is a dynamic system of organizing societies and governing communities. Therefore, it has to rejuvenate itself periodically to tackle the challenges of change by absorbing new ideas and understanding new needs.

One obvious section of society whose involvement in public life needs to be encouraged in the interests of democracy is the youth to whom the future belongs. With youth comes energy, vigour, innovation and optimism. These lay the ground for major positive contributions by youth for a rich demographic dividend for nations and our world. The wisdom of the old and the vigour, of the youth must be blended for the benefit of deepening democracy in society. Great leaders like Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Nelson Mandela and Dr. Kenneth Kaunda in their youth and subsequently also successfully channelized the energy of youth to strengthen the roots of democracy in their respective countries.

In the demographic profile of any country, youth are always a great asset and at the same time, we must recognize that they also face various problems. We need to engage them productively and

* Speech on 'Rejuvenating Democracy, giving voice to Youth' at the 134th Inter-Parliamentary Union Assembly at Lusaka, Zambia (19-23 March, 2016).

mainstream them in the task of nation building. When the system can channelize their energies in the proper direction, it strengthens development, democratic fabric and promotes social harmony. If their youthful energy is not used properly, it may get misdirected to terror or other activities which are detrimental to the larger interests of society. To strengthen the democratic process and make it inclusive, meaningful and sustainable it is imperative that the youth should get a rightful say in decision making.

The question that is often raised is about the factors that make the youth stay away from public life. Analysts have identified four levels of space that dominate the thinking of the youth. The first space is for the family, the second space is for career, third is for lifestyle and fourth is for friends. There is a need to create a fifth space from ‘self to society’ by inculcating an interest in the mainstream social processes. In Indian philosophy we talk about divine journey from vyashti (individual) to samashti (cosmic) and then to the absolute. Vyashti vision addresses concerns of an individual, while samashti vision stands for compassion & welfare of all. It should be a sincere endeavour of everyone to expand his or her vision so as to embrace more & more people.

It is, however, true that opportunities for youth to engage in effective participation in the democratic process or governance are not easily available. Electoral politics has become highly competitive and a costly avocation, thereby shrinking the space for the youth. The lack of a formal platform to express themselves can lead to their marginalization. That should not be allowed to happen. It is possible to create a non-electoral space within the democratic processes to involve the youth and their perception of politics needs to be understood to create effective space for them in public life.

In India, we have brought down the minimum age for voting from 21 to 18 years resulting in youth participation in large numbers in the democratic process. The advent of the social media, has been a boon in this context. It has become a dominant force which is used by the

youth, to convey their opinions and share their thoughts and ideas on contemporary issues.

Today, India is a young nation with about 27.5% of its population being in the age group of 15-29 years. In the next twenty years, these figures are going to increase and therefore, it is necessary to make them an active part of the political and developmental process. In this regard, various initiatives have been taken to involve the youth in community development. The Department of Youth Affairs was specifically created to formulate policies for the youth, give them support and channelize their energies into creative endeavours. *The National Young Leader Program* was launched with the objective of developing leadership qualities and service motive among the youth. The present Government has launched path-breaking initiatives *i.e.* Skill India to train people in different skills and Start up India to boost youth entrepreneurship and encourage job creation. *The National Youth Policy* was re-launched in 2014 in our country with one of its priority areas being *'Participation of youth in politics and governance'*. This initiative seeks to create future leaders from grass-root to the national level.

India celebrates the birthday of Swami Vivekananda, the great Indian reformer as the *National Youth Day* on 12th January. Swami Vivekananda had immense faith in the youth and asked them to Arise and Awake from inactivity and emphasized on self-belief. While talking about youth he said and I quote **"What we want is vigour in the blood, strength in the nerves, iron muscles and nerves of steel".**

The present day youth needs opportunities to be seen and heard. Greater participation of youth will infuse anew vigour, and energy into the system. Thus, there is a need to expand, the fifth space that I have referred to earlier, to bring about a paradigm shift from 'self to society' to rejuvenate the democratic system. Supreme value of youth period is the most precious. Young age is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming

years that lie ahead of you. As they say that *“**the best way to predict future is to create it**”*. It is our sincere hope that the youth will find greater political development space in the years to come and have their rightful say in shaping the destiny of the nations all over the world.

Thank you.

“I to we mine to Ours .... ”

प्रवासी भारतीयः लोकदूत एवं सांस्कृतिक दूत*

I am delighted to visit New Zealand, a nation blessed by Nature, and to have this opportunity to meet you in this beautiful city of Auckland. On my own behalf and on behalf of the Indian Parliamentary Delegation, I take the privilege of extending the warmth, affection and good will to you from the People of India.

India and New Zealand share a longstanding, friendly and growing relationship. We have a shared inheritance of language, law and custom, common values and a long history of people to people contacts. Our ties, in fact, go back to the 1890s when the first immigrants from Punjab and Gujarat came to New Zealand. Today, New Zealand is a popular destination especially for Indian students.

आजकल प्रवासी भारतीय को सम्पूर्ण विश्व में विशिष्ट सम्मान दिया जाता है एवं हमारी संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता है। पिछले कुछ दशकों से, 28 मिलियन से अधिक आबादी वाले इस समुदाय को ऊर्जा एवं विश्वास से भरे हुए एक ऐसे समुदाय के रूप में देखा जा सकता है जिसकी उपस्थिति आज विश्व के सभी महादेशों में है। ये समुदाय मूल देश भारत जहां से वे आए हैं एवं जिस देश को ये अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, दोनों के लिए असाधारण रूप से उपयोगी एवं प्रतिभाशाली सिद्ध होते हैं। उनकी सफलताओं के किस्से सुनकर हम भारतीय सदा गौरवान्वित होते हैं क्योंकि विदेशी भारतीय समुदाय अपनी कार्य संस्कृति, अनुशासन एवं सामाजिक मूल्यों के लिए जाना जाता है।

आपकी सबसे बड़ी क्षमता स्थानीय समुदाय से घुल-मिल जाने और उनकी परंपराओं का सम्मान करने की है। आपके ज्ञान, दक्षता एवं संसाधन आपके मूल देश एवं वर्तमान देश न्यूजीलैंड के बीच एक सेतु का काम कर सकती है। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारे समुदाय के तीन सदस्य न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के वर्तमान सदस्य हैं एवं वे बड़ी कुशलता के साथ अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। भारत की सरकार आपके साथ

*At the Indian Community Event in Mahatma Gandhi Centre, Auckland (18 September, 2016).

मिलकर निरंतर कार्य करने एवं एक दूसरे का ध्यान रखकर आपसी समन्वय के साथ उसका लाभ उठाने के लिए तैयार है।

For me, India is not confined to its territory. India also exists in every Indian in every part of the world. Many of you came here more recently in the mobility of our globalised world. Whenever you came here, whatever be the circumstances in which you came, time and distance has not reduced your love for India.

वैसे तो हर दूसरे देश में राजदूत होते हैं परंतु वे सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं। परंतु आप सभी लोकदूत अथवा सांस्कृतिक दूत हैं। आप भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं, वाणी और विचारों के ध्वजवाहक हैं। आप हमारे देश की उत्कृष्ट सांस्कृतिक विविधताओं एवं खान–पान के भी मुखर प्रचारक हैं। इतने लम्बे समय के अंतराल पर भी आप सभी ने अपने पंथ, संस्कृति और परम्पराओं को अक्षुण्ण रखा है एवं अपने ये गुण आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपसे पूरे देश को बहुत आशाएं एवं अपेक्षाएं हैं।

At the same time, I feel happy to mention that since Independence, India has recorded remarkable achievements in many fields. This is a time of great opportunities in India. A perceptible transformation is taking place. The country is at the threshold of a new era of rapid economic development. India today is the fastest growing economy in world and in terms of purchasing power parity, India's economy is the fourth largest in the world. We look forward to your active participation in India’s growth story.

I would also like to take this opportunity to thank the friendly people of New Zealand for making the Indian community here feel at home, valued and assimilated in their society. India looks forward to further strengthen the friendship and co-operation between our people in the years to come. We greatly value your ties with India and we urge you to make use of the many opportunities that India offers for our mutual benefit. In this context, we are eagerly looking forward to share views and experiences with Hon’ble Speaker and Members of the New Zealand Parliament.

With these words, I thank the New Zealand India Central Association for hosting this reception and thank you all for being here. I extend my best wishes for your well-being, progress and many proud achievements. I am confident that the current visit of this Indian Parliamentary Delegation to New Zealand will go a long way in further strengthening the bonds of friendship between our people.

Thank you.

NON-RESIDENT INDIANS—OUR CULTURAL AMBASSADORS*

I am happy to be here amidst you in this spectacularly beautiful city of Wellington. I am accompanied by a multi-party delegation of Members of both Houses of the Indian Parliament. Since we arrived, we have been deeply touched by the warmth, goodwill and hospitality of the people, Parliament and Government of New Zealand. On my own behalf and on behalf of my Parliamentary delegation, I would like to extend the affection and warm greetings of the people of India.

The Commonwealth ties, shared democratic values, people-to-people contact and sporting links underpin the long standing and vibrant bilateral relationship between India and New Zealand. The exchange of high level visits between our two countries over the years has played a major role in giving a significant boost to our bilateral relations. Inter-Parliamentary friendship and understanding has become the cherished goal for our two nations. We attach great priority to building a sustained relationship over a large number of areas. I am confident that the visit of my delegation and our interaction with the members of the Parliament of New Zealand will add further impetus to the relationship between our two countries.

Friends, India is proud of its large Diaspora. Indians all over the world are successful not only as dedicated professionals and hard working businessmen, but also as model citizens. We are proud of their contribution to the society in which they choose to live and work; yet they nurture in themselves and their younger generations an enduring Indian identity and an undying love for their motherland. They serve as ambassadors of Indian culture and values across the world. I commend you all.

*At the Indian community Event in Wellington (19 September, 2016)

प्रवासी भारतीयों की पहचान ईमानदार, मेहनती, अनुशासित एवं शांतिप्रिय नागरिकों के रूप में होती है और विदेशों में रहकर वे जिस देश में रह रहे हैं, उसकी उन्नति में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते ही हैं, साथ ही भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं एवं विविधताओं से दुनिया को परिचित कराते हैं। दुनिया की कई सभ्यताएं युद्ध के माध्यम से दूसरे देशों में पहुंची जबकि भारतीय सभ्यता बुद्ध के माध्यम से दूसरे देशों में पहुंची।

We have today more than 23,000 students studying in this beautiful country. The setting up of India-New Zealand Education Council has made India the second largest source of students in New Zealand. The New Zealand-India Research Institute has started function in Wellington.

Friends, India, as you are aware, is among the fastest growing economies in the world. We have made remarkable stride in economic growth and development. Our country's performance reflects the implementation of number of meaningful reforms. Today, despite uncertainties in the global economy, Indian economy stands out as a haven of macroeconomic stability, resilience and optimism and can be expected to register high GDP growth. The Government has taken a number of steps to improve the business climate and boost investment in the economy which, among other, include: the "Make in India" initiative along with the attendant facilitatory measures for a more conducive environment for investment; *"Start-up India"* initiative to boost entrepreneurship and creation of jobs; *"Skill India and Digital India",* opening up of specified sectors for foreign direct investment; and investment-augmenting tax measures. India has successfully implemented the world's largest financial Inclusion plan in the form of *"Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana"*. I invite you all to be a part of India's conducive business climate and growth story.

मैं यहां पर न्यूजीलैंड के मित्रवत नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने भारतीय समुदाय को मन से अपनाया एवं उन्हें घर जैसा महसूस कराकर उनको अपने समाज में घुलने-मिलने का अवसर प्रदान किया। भारत भविष्य में भी न्यूजीलैंड के नागरिकों एवं भारत के नागरिकों के बीच परस्पर मैत्री एवं सहयोग की अपेक्षा रखता है। हम आपके भारत के साथ इस मधुर संबंधों की बहुत कद्र करते हैं एवं आपसे इन अवसरों

का लाभ उठाने के लिए आपको भारत आमंत्रित करते हैं। भारत में अभी बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में भारत में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर है। अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस संबंध में, हम न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों के साथ ये विचार एवं अनुभव साझा करना चाहते हैं।

With these words, I convey my good wishes to all of you present here today and your families and also to those who were unable to attend. I would urge that each one of you continue to work hard, as you have done so far, towards preserving, nurturing, promoting and strengthening the enduring friendship that exists between India and New Zealand. We have always attached a great importance to the people of Indian origin and their valuable contribution. More heartening is the fact that they have now emerged as essential in facilitating India's growth as a leading power in the world. I also take this opportunity to thank the community leaders in Wellington for giving me and my delegation this opportunity to interact with all of you.

मैं आप सभी की समृद्धि, श्रीवृद्धि एवं गौरवपूर्ण उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं देती हूं। मेरा विश्वास है कि भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के न्यूजीलैंड दौरे से भारत–न्यूजीलैंड के आपसी रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी।

Jai Hind.

INDIA AND KOREA— WARM AND CORDIAL TIES*

It is a pleasure to be able to pay a return visit to Korea, a year since your predecessor visited us last year. And I am delighted that I am here, because in the few hours of my visit, I have been able to see for myself *"the Miracle on the Han river"*. Indeed, I can see the foresight of our great Poet, Kavi Guru Rabindranath Tagore ji, nearly 100 years ago, who predicted that this country would be the *"lamp of the east"*.

Friends, as representatives of new nations, we are also inheritors of two ancient cultures. In the nearly two millennia of our ties, the relationship has always been warm and positive. Indeed, your own record in the *'Samguk Yusa'* ['The Heritage History of the Three Kingdoms'] written some eight hundred years ago, tells us that Princess Suriratna, an Indian princess from Ayodhya, came to Korea in AD 48, and married King Kim-Suro in Gimhae to become Queen Hur. This also means that some ten per cent of the Korean people could be considered to be of Indian origin.

In the modern age, our friendship was forged in the crucible of war and sacrifice, as India offered medical aid and assistance in repatriation in the Korean war. Today, our ties are truly multi-dimensional, spurred, by a significant convergence of strategic interests and vast vistas of opportunity. Indeed, when Prime Minister Modi ji visited Korea last May, it was agreed to upgrade our ties to a *"Special Strategic Partnership"*. This is a level of friendship that we share with very few countries. Governments on both sides have gone a significant distance in implementing the commitments made during that Summit. These include increasing flight services, creating space

* At the Reception hosted by the Speaker of National Assembly, Republic of Korea during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Republic of Korea (28 September, 2016).

for mutually beneficial ties in the maritime sector, starting work to upgrade our Comprehensive Economic Partnership Agreement, and creating a dedicated unit exclusively to help Korean businesses find opportunities in India. Both leaders agreed step up the pace of partnership-building, when they met in Laos earlier this month.

Excellencies, Ladies and Gentlemen, In Government and Parliament, and indeed among our people, there is unanimity on one thing: India and Korea are natural partners, and our economies have natural complementarities. From the legend of our shared ancestry to a shared Independence Day on August 15, from a shared faith in democracy to a conviction in the power of individual choice, Indians and Koreans have much that we share. Just as Korea's economic and technological capacities are well suited to India's needs, India can be your *"blue ocean"* to secure the next twenty years of Korea's rapid economic growth. In every effort we are making—whether it is *"Make in India", "Digital India"* or *"Clean India",* there is nothing we cannot do together for our mutual benefit. As representatives of our people, it is both our duty and our privilege, to facilitate this outcome.

Excellency, I am confident that our excellent discussions today, and the establishment of friendship groups in our National Legislatures, will help build our partnership, just as an expansion of cooperation between us on Parliamentary Studies and training. Excellency, it will be my pleasure and privilege to host you in India to further our discussions at your early convenience. Mr. Speaker, It is in this spirit that I request you, and all the distinguished guests present here, to join me in a toast to the everlasting friendship between the Indian and Korean peoples. As you say in Korean, wee-ha-yo! Wee-ha-yo! (Toast)

INDIA AND SOUTH KOREA— PROMOTING STRONG TIES*

I am happy to be with you in this beautiful city of Seoul. It is indeed a pleasure for me and members of our Parliamentary Delegation to be with you this evening. We are indeed, touched by the reception extended by Ambassador Doraiswami, to the members of the Indian community and friends in the Republic of Korea, for the warmth of sentiment shown to us. I thank you for this hospitality. On behalf of my fellow Parliamentarians and on my own behalf, I take this opportunity to thank you for this pleasant evening.

Friends, the Indian Diaspora has become widespread. Sizeable numbers of people of Indian origin are living all over the world, and they have proved to be great assets to both their adopted country, as well as their ancestral homeland. In the current era of globalisation, overseas Indians are excelling everywhere and making their presence felt and are playing the role of cultural ambassadors with great distinction. I am told that the total number of Indian nationals living in the Republic of Korea is estimated to be around eleven thousand and five hundred, and around a thousand Indian scholars are pursuing their post-graduate and Ph.D. programmes. It is a shining example of this vibrant spirit of achieving excellence in their chosen fields.

I am happy to note that many of you are in well accomplished senior positions in your organisations and some are highly successful businessmen. It is an ample demonstration of the demonstrations to make it big under trying circumstances. We also take pride in the fact that overseas Indians are amongst the most successful communities in the world. It has been a satisfying experience to hear about your excellent performance in whichever field you are working.

* At the Reception hosted by the Ambassador of India in Seoul during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Republic of Korea (29 September, 2016).

Friends, It is heartening to note that in spite of being away from home, you have retained your cultural identity. The Indian Cultural Centre (ICC) has provided the much needed impetus to preserving our culture. I am told that the Indian Council for Cultural Relations has deputed Indian Yoga and Kathak-cum-Contemporary dance instructors, who hold classes regularly at ICC. I am glad to know that Hindi, Tabla and cooking classes have also been added with local teachers given the ever increasing interest in Indian culture. I am happy to note your enthusiasm in preserving our culture and traditions through lectures, exhibitions and performances, which are arranged periodically by the ICC. Ladies and Gentlemen, we have shared more than seventy years of close cultural and commercial contacts with the Republic of Korea.

India played an important and positive role after Korea's independence in 1945. Shri K.P.S. Menon served as Chairman of the 9-member UN Commission set up in 1947 to hold elections in Korea. An Indian Parliamentary Delegation participated in the events to commemorate the 60th anniversary of the Armistice Agreement from 26 to 27 July 2013. In recent years, we have witnessed exchange of high level visits and meetings. We have been nurturing this relationship into a strong bond of brotherhood and bonhomie. I am sure, our current visit is a sure step in the direction of strengthening the relationship. We attach great importance to exchange of Parliamentary delegations as they help in promoting people to people contacts. In the past decades such delegations have strengthened the political and economic ties. As both India and the Republic of Korea are parliamentary republics, there is a great deal to learn from each other.

Ladies and gentlemen, I am sure you must be aware that India is having one of the highest GDP growth rates in world. Increasing FDI and FII flows have insulated the economy from the international financial crisis. I am happy to note that India is the 13th largest trade partner of Korea. It is indeed, encouraging to see that bilateral trade between our countries has touched US$ 16.27 billion in 2015.

Major Korean conglomerates such as Samsung, Hyundai Motors and LG, who are now a household name in India, have made significant investments in India, estimated at over US$3 billion. As you are aware, Indian investments in the Republic of Korea is close to US$3 billion, and there are officially 603, large and small Korean firms, which have offices in India. This shows that we can still further achieve much in our bilateral trade. Friends, in this connection, I recall the India-Korea Business Summit, which was held in New Delhi from 14-16 January 2016. The Summit was jointly organised by Chosun Ilbo, and the Confederation of Indian lndustry (CII). The Summit was attended by the leadership from the top Korean conglomerates as well as Deputy Speaker of the National Assembly and the Vice Minister for Trade, Industry & Energy. The Summit also included an exclusive round table meeting with the Hon'ble Prime Minister. I am confident that this Summit would further boost our bilateral trade. I am also happy to note that the Indian Chamber of Commerce in Korea help Korean companies interested in doing business with India. I believe that this is the right time to forge new business partnerships, and I am confident that the Mission would be doing its best in this regard. With these words, I, on behalf of the delegation and on my own behalf, once again thank the Ambassador, for hosting the warm reception.

Jai Hind.

AWARD OF HONORARY DOCTORATE*

I am honoured to receive an honorary doctorate from this prestigious University. Hankuk University of Foreign Studies is recognized as the best institution for foreign language education in Korea, and one of the best of its kind in the world. Yours is also a key promoter of international understanding, as an institution with MoUs with over 500 universities and institutions in 84 countries. Mr. President, friends, an award such as this honours both the recipient and her or his profession. And so I am honoured to accept this recognition both in my personal capacity, and as an elected representative of the Indian people. I see that this Doctorate is in Political Science, for which I am particularly grateful, since it is rare that the public in general recognizes that the work of Parliamentarians is as much a science as it is public service. In that sense, there is a strong commonality between the work that is done at a University, and at the legislature of any democracy, in that we are all at the service of our people. Your honorary doctorate is a symbol of the commonalities that bind our professions, and our objectives, both as academics and as legislators. I accept this Honorary Doctorate in that spirit, and in the recognition of your Universities support for our shared objectives of improving mutual understanding.

Thank you very much indeed.

* Acceptance Speech on receipt of Honorary Doctorate from Hankuk University of Foreign Affairs, Republic of Korea (30 September, 2016).

BRICS PARLIAMENTARY FORUM*

We have now reached at the closing phase of this meeting of the BRICS Parliamentary Forum. I take pleasure in heartily thanking all the Speakers and Presiding Officers of BRICS Parliaments for having graced this event and for sharing your insightful experiences and opinions towards fortifying parliamentary cooperation in achieving the Sustainable Development Goals.

Hon'ble Delegates, it is noteworthy that the seventeen goals of development impact every aspect of human life. They form a holistic mapping of social, economic and environmental parameters that are of crucial concern to the humankind. Building resilient sustainable economies is indeed a novel concept. These goals are the vital chord of global networking for a sustainable Earth. Among others, food security, sustainable industrialization, gender equality and combating climate change are emergent issues that warrant meticulous planning and strategic partnership among us. We have 15 long years to achieve these goals and targets. Proper understanding of the issues and collective cooperation will strengthen our commitment and help us gain momentum towards achieving the goals.

We are aware that as BRICS, we are a group which share many commonalities. As an association, we are committed to socially, economically and environmentally inclusive sustainable growth. We have both the aspiration and the potential to address the issues we face and work towards collective well being. We have always worked together amicably for the socio-economic uplift of our people and for peaceful and progressive coexistence.

Ladies and Gentlemen, with the onset of the Sustainable Development Goals, our Parliaments now shoulder a new and enlarged

* Closing remarks at the meeting of BRICS Parliamentary Forum held on the sidelines of the 135 IPU Assembly, Geneva (October, 2016).

responsibility. During this Meeting, we have stressed the pivotal position that our Parliaments have in law making, policy formulation and programme implementation. This platform has given us the opportunity to take a holistic view of the challenges and capacities and the possibilities in the path to development. We have discussed at length about the necessity and the ways in which Parliaments can contribute in making the vision of Sustainable Development Goals, a reality. The unanimous view is that Parliaments can significantly influence the pace of achieving these goals through meaningful partnerships. As we conclude today, I say this with utmost satisfaction that this Meeting has been a very pleasant experience and we have learnt a lot from one another.

I am very delighted that we have constituted a Working Group within the BRICS Parliamentary Forum to specifically look into, and liaise on matters relating to SDG. This will certainly go a long way in constant and continuous monitoring of how each of our countries is faring in our path towards achieving the SDGs and identifying and learning from the best practices in the BRICS countries. It is also a testimony to our conviction that, together, we can make the SDGs achievable. Let us resolve to keep our spirits high, strengthen our cooperation and work collectively towards the attainment of Sustainable Development Goals. Towards that end, as I said in my opening remarks, we must put in place mechanisms for collecting reliable data at all levels, monitor progress in achieving the SDGs, and work out common strategies. I look forward to receiving your continued cooperation in this matter.

Thank you.

PEACE AND NON-VIOLENCE—CORE OF GANDHIAN PHILOSOPHY*

I am glad to be a part of this function organized by our Mission to Celebrate the Birthday of Mahatma Gandhi, the *'Father of Nation'*. Such celebrations give us an opportunity to pay our homage and remember the contributions and sacrifices made by great personalities like Bapuji. I compliment our Ambassador for all the efforts the Embassy has put in to make the celebrations memorable.

As we all know peace and non-violence are the hallmarks of Gandhian philosophy. These ideas were there even before Gandhiji came to the forefront. For centuries India has propagated these ideas. But it was Gandhiji who made them instruments of matchless potency to fight against injustice. By his own action and deeds he proved to the world that great obstacles could be surmounted through peaceful and non-violent means. Many after him have followed his footsteps and achieved what seemed to be beyond reach. Martin Luther King and Nelson Mandela were two such personalities who were not only deeply influenced by Gandhiji's ideas but also applied those ideas in their fight for justice. Not surprisingly, the United Nations celebrates this day as International Day of Non-violence.

Today, terrorism has emerged as a threat to human rights posing a huge challenge to world community. Many young men and women are getting pushed into the world of violence and terrorism. In such an environment, Gandhiji's ideas of peace and non-violence can show the path to the human kind to move way from violence and bloodshed. Here I would like to mention what Gandhiji once said and I quote: *"You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty"*.

* At the Gandhi Jayanti Celebrations organized by Indian Mission in Seoul, Republic of Korea (2 October, 2016).

I also strongly believe that most of our human race is peace loving, compassionate and kind hearted and it should be our endeavour to bring back the misguided youth to the mainstream. Friends, no doubt Gandhiji had deep insight on different aspects of life and issues but at then same time, *he welcomed ideas and perspectives of others. He said and I quote:"I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any".*

I am sure our Mission is spreading the profound thoughts of Gandhiji and the universal values and principles which India has stood steadfastly since time immemorial. As we all know, today, our mother earth is under severe stress and is struggling to cope with pollution, mostly man made. Climate change is adversely affecting our planet. The world community is making all efforts to make the planet sustainable. Mahatma Gandhi was aware of the problem and advised people to maintain a simple life style and not get sucked in to the whirlwind of consumerism. For him *"the world has enough for everyone's needs, but not everyone's greed."* His thought is as much relevant today as it was in his days. Gandhiji always emphasized on the cleanliness of mind, body and soul to live a life of dignity. He always believed that one's welfare lies in the welfare of all. Mahatma Gandhi said; *"Man should earnestly desire the well-being of all God's creation and pray that we may have the strength to do so. In desiring the well-being of all lies his own welfare, he who desires only his own or his community's welfare is selfish and it can never be well with him".*

India and Republic of Korea together can play an important role in promoting peace and prosperity not only in Asia but also in the entire world. The increasing people-to-people contact between our two countries is a testimony to our deep economic and cultural relations. The bust of Mahatma Gandhi installed in the Korean city of Busan is also a symbol of our commitment to peace and non-violence. On this

day, let us resolve to follow the principles of peace and brotherhood so that all of us can live and work in an atmosphere free of fear, hatred and violence. That would be our true homage to the memory of Mahatma Gandhi.

Thank you.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan with Chairman of the State Duma of the Federal Assembly, H.E. Mr. Vyacheslav Volodin in Parliament House Annexe Extension Building on 10 December, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan with the delegation led by Dy. Prime Minister and Foreign and European Affairs Minister of Croatia, H.E. Ms. Marija Pejcinovic Buric in Parliament House, New Delhi on 22 October, 2018.

Speaker of the National Assembly of the Republic of Zambia, Rt. Hon'ble Justice, Dr. Patrick Matibini called on Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan in Parliament House on 17 December, 2018.

Senator, Mexican Chamber of Deputies and President of Inter-Parliamentary Union (IPU) Geneva, Her Excellency Ms. Gabriela Cuevas Barron called on Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan in Parliament House, 12 December, 2018.

H.E. Mr. Bulat Sarsenbayev, Ambassador of the Republic of Kazakhstan, called on Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan in Parliament House on 29 May, 2018.

H.E. Mr. Archil Dzuliashvili, Ambassador of Georgia, called on Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan in Parliament House on 29 May, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan exchanging the Agreement for cooperation between India and Belarus Parliaments with Chairman of House of Representatives of National Assembly of Belarus, Mr. Vladimir Andreichenko, at Minsk (Belarus) on 11 June, 2018.

ok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan with the President of Belarus, r. Alexander Lukashenko in Minsk (Belarus) on June 12,2018.

ok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan and members of Indian Parliamentary elegation with the Prime Minister of Latvia, Mr. Maris Kucinskis in Riga on 4 June, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan and members of Indian Parliamentary Delegation with Ms. Paula Risikko, Speaker of the Parliament of the Republic of Finland, in Helsinki on 18 June, 2018. Also seen in the photograph is Secretary-General, Lok Sabha Smt. Snehlata Shrivastava.

संघर्ष (युद्ध) के पूर्व लक्षणों के रूप में मानवाधिकार उल्लंघनः इसके शीघ्र प्रत्युत्तर देने में संसदों की भूमिका*

मानवाधिकार की धारणा मानव गरिमा (आत्मसम्मान) पर आधारित है और यह गरिमा (आत्मसम्मान) ही व्यक्ति की पहचान होती है। नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की स्थापना इस उद्देश्य से की जाती है ताकि मानव गरिमा के सभी पहलुओं और आयामों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। मानव अधिकार सार्वभौमिक, अनुल्लंघनीय, समान और अभेदात्मक होते हैं। भेदभाव और वंचना भी मानव अधिकारों का उल्लंघन ही है जो विश्व के अनेक भागों में मौजूद है। आतंकवाद की चुनौती और लोकतंत्र न होने के कारण करोड़ों लोग अपने मानवाधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सबके मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोकतंत्र, सुशासन, कानून का शासन और सर्वसुलभ न्याय और सिविल समाज की भागीदारी आवश्यक है।

संसद एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है, इसीलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में लोगों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी संसद पर ही आती है। लोगों का कल्याण करने वाले माध्यमों के रूप में सांसद मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ मानवाधिकार उल्लंघनों की रोकथाम करने और इनका जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के संविधान में हमारे सभी देशवासियों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और ये अधिकार वास्तव में अनुल्लंघनीय हैं। हमारी संसद ने मानवाधिकारों और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों और गरीबों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ कानून हैं: बालक श्रम (प्रतिशोध और विनियमन) अधिनियम, 1986; मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 आदि। हमारे देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार अदालतें हैं।

देवियो और सज्जनो! विधायिका द्वारा कार्यपालिका की विशिष्ट जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहां विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की व्यवस्था है। हमारे देश में संसदीय याचिका समिति है जिसमें लोग और संघ किसी भी मामले के

*135वीं अंतर संसदीय संघ सभा में भाषण जेनेवा (23 से 27 अक्तूबर, 2016)

बारे में याचिका भेज सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी एक अन्य समिति समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करती है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे वर्गों से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ-साथ अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग हैं।

विशिष्ट प्रतिनिधिगण द्वारा हमारे देश के लोगों को स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न मामले उठाने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ऐसे निकायों में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के विविध हितों पर उचित ध्यान दिया जाता है जिससे टकराव की संभावना कम होती है। मेरे अनेक सम्माननीय साथी जानते होंगे कि हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बल्कि अनेक राज्यों में तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा चुके हैं। हमारी संसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है।

माननीय प्रतिनिधि, इस बात से सहमत होंगे कि सुशासन से ही मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए खुला माहौल, पारदर्शिता, उत्तरदेयता, जवाबदेही, भागीदारी और लोगों की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। आज ई-शासन पारदर्शी, जवाबदेह और तात्कालिक शासन को बढ़ावा देने का साधन बन गया है।

जैसाकि सब जानते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन हिंसात्मक टकराव का कारण भी है और परिणाम भी। सभी देशों को मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के प्रयास करने चाहिएं और ऐसे उल्लंघनों को टकराव में बदलने से रोकने के लिए इस स्थिति का समाधान करना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्रों के साथ-साथ न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तव में प्रातिनिधिक बनाने से मानवाधिकारों की रक्षा में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही हमें सभी स्तरों पर मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति विकसित करनी होगी ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न ही न हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और सजग सिविल समाज मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा में अग्रगामी भूमिका निभा सकते हैं।

सर्वोच्च प्रातिनिधिक निकाय के रूप में संसद भी बुनियादी ढांचे और व्यवस्था संबंधी ऐसी परिस्थितियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जिनसे हिंसा उत्पन्न हो रही हो। संसद सामाजिक और आर्थिक असमानता, विषमता और भेदभाव को दूर करने के लिए उचित उपाय कर सकती है। इसके साथ ही जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों

के माध्यम से एक ऐसे सुविज्ञ समाज की स्थापना की जा सकती है जिसमें मानवाधिकारों को उचित महत्व दिया जाए। हमें कार्यपालिका पर संसद की निगरानी को बढ़ाना होगा और मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले में इसे जवाबदेह ठहराना होगा ताकि व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़े।

वैश्वीकरण के युग में किसी देश की सफलता अथवा विफलता का प्रभाव दूसरे देशों में पड़ता है। इस परिदृश्य में यूएन 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों के रूप में तैयार किये गए दस्तावेज के पैरा 138 और 139 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई "रक्षा करने की जिम्मेदारी" से आशा बंधती है। सभी लोगों की जाति संहार, युद्ध-अपराधों, नस्ली आक्रमणों और मानवता के विरुद्ध अपराधों से रक्षा में एक दूसरे की सहायता करने के संयुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार करना बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। हम मिलकर इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से सफल बना सकते हैं।

देवियो और सज्जनो! मानवता के विरुद्ध अपराध और मानवाधिकारों के अन्य प्रकार के उल्लंघनों से हमारे समाज का ताना-बाना प्रभावित होता है। इससे देश और सम्पूर्ण क्षेत्र में अस्थिरता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी खतरा पहुंचता है। विशिष्ट प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि आज आतंकवाद मानवाधिकारों के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े उल्लंघन के रूप में उभरा है; यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करती हूं कि वे मिलकर एक सुस्पष्ट नीति बनाएं और आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रभावी रणनीति तैयार करें। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की स्थिति के निदान के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए इन्हें लेखनीबद्ध किया जाना बहुत जरूरी होता जा रहा है। महिलाएं और बच्चे युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर हैं। हमें मानवाधिकारों की जी-जान से रक्षा करनी होगी क्योंकि हमारे बच्चों और हमारे समाज का भविष्य इस बात पर ही निर्भर करता है।

मानवाधिकारों और मानववादी कानूनों के उल्लंघनों का व्यापक ब्यौरा तैयार किये जाने की जरूरत है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस स्थिति के समाधान के लिए किस प्रकार के कानून, नियम और नीतियां उपयुक्त होंगी। अंतर संसदीय संघ के सदस्य देश ऐसी घटनाओं से सीखे गए सबकों और तुलनात्मक अनुभवों के बारे में उपलब्ध जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे अंतर संसदीय संघ को प्रभावित देशों को तकनीकी सलाह देने और उन्हें शक्ति-सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी ताकि वे इस बारे में सुविचारित निर्णय ले सकें। अंतर संसदीय संघ प्रभावित देशों में ऐसी संस्थाओं की स्थापना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद कर सकता है जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के शिकार लोगों को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिल सके।

मानवाधिकार उल्लंघन निश्चित रूप से टकराव (युद्ध) और हिंसा के पूर्व लक्षण हैं जिससे देश की शांति, खुशहाली और प्रगति को खतरा पहुंच सकता है। संसद के समय से दिए गए उपयुक्त प्रत्युत्तर से मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है जिससे शांति स्थापित करने में मदद मिल सकती है जो विकास के लिए अत्यावश्यक है।

भारत में हम मानवाधिकारों के संवर्धन को इस पृथ्वी पर रह रहे सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

धन्यवाद।

INDIA AND MAURITIUS: STRONG CULTURAL TIES*

It is always a pleasure to meet the Indian diaspora as it gives an opportunity to understand the people who made a home away from home. Mauritius has an amalgamation of cultures to its credit. Although we have Indian diaspora spread all over the world, the diaspora in Mauritius is unique and distinct as almost 70 per cent of its population is of Indian descent.

The first group of Indians who arrived on this island way back in the 18th Century, were artisans. From then till this day, a strong feeling of nostalgia for India exists among the diaspora here. Life is such that man moves in search of greener pastures. Such is the attachment to your native roots that the blossoming of Indian culture here is fascinating. It also offers an insight into people's capacity to adjust in their new environments and surroundings when they migrate to foreign shores in search of better opportunities.

Friends, you are aware that India is a huge country with diversified ethnic groups, cultures and geography. The early settlers in Mauritius came from different parts of India. A large section of our diaspora came as indentured labour from the Hindi belt, particularly Bhojpuri speakers, apart from Tamil, Telugu, Marathi, Urdu and other tongues. No wonder, Bhojpuri culture is still distinctively visible in the life of the island. Commonly used Bhojpuri words, with local flavour, have become a part of the vocabulary among sections of society here. The screening of films in Hindi and Bhojpuri, and strong presence of Hindi and Bhojpuri theatre and music are evidence to their popularity in the cultural scene. It was at Mauritius initiative, supported by India,

* At the Indian Community Reception hosted by the High Commissioner of India during the visit of Indian Parliamentary Delegation to Mauritius (9 June, 2017).

that Bhojpuri ‘GeetGowai’ was recognized as an intangible heritage of humanity by UNESCO in December 2016.

Many of our brethren from other communities, who came to Mauritius as free passengers even before the arrival of indentured labour, have preserved their culture to this day. The Jhakri dance form of Maharashtra or the Ramabhajanam of the Telugu people or the vibrant Tamil temples or the legacy of Sir Syed Ahmad Khan are all thriving in Mauritius today. At the same time, notwithstanding the large number of Indian origin people, Mauritius is equally a multi-cultural society with a strong influence of the French/Creole culture, which the modern day citizenry of this country is deeply attached to. I applaud successive generations of the wise leadership of Mauritius, who have successfully promoted diversity in this beautiful rainbow nation, and yet maintained a unique Mauritian identity and special connect with India. It is interesting to note that the World Hindi Sammelan was held twice in Mauritius and it will be held again in Mauritius, for a third time, in 2018. The World Hindi Secretariat has been functioning in Mauritius since 2008. An Urdu Conference was held here last year and Sir Syed's bicentenary will be celebrated next month. The Indira Gandhi Centre for Indian Culture is a hub of Indian culture in Mauritius, holding classes in various disciplines like Yoga, Hindustani music, Kathak and Tabla for the youth here. A cultural exchange programme signed in 2015 and hosting a Festival of India since 2015 in collaboration with the Ministry of Arts and Culture of Mauritius have strengthened the cultural connect with India. The Mahatma Gandhi Institute, established in 1970, hosts the Indian Council of Cultural Relations sponsored Chairs in Indian Philosophy and in Hindi. The Rabindranath Tagore Institute established in 2000 as a Centre of Studies for Indian Culture and Tradition also helps in maintaining an active socio-cultural atmosphere, thereby adding vitality to the people-to-people contacts. I am happy that Yoga and traditional Indian systems of health (AYUSH) have become popular here. Government of Mauritius has recently approved a Chair of AYUSH

studies. Education is another key sector in which we are working together.

India currently provides nearly 100 scholarships to Mauritian students every year for degree courses in its universities through the Indian Council for Cultural Relations, and another 200 ITEC slots for training and capacity building through short-term professional courses. Building upon the solid foundations of our historical, cultural and civilizational connect, we are working together in many areas to elevate our bilateral ties to a higher level of cooperation and understanding. Under the dynamic leadership of Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth and Prime Minister Narendra Modi, we have entered into a new era of bilateral cooperation with a whole new range of projects. GoI is currently providing assistance to Mauritius for ten projects of national importance, namely the Metro Express, a new ENT Hospital, a new Supreme Court building, supply of E-tablets to primary school children, Social Housing, Project Trident for new headquarters of the National Coast Guard, infrastructure development of the Outer Island of Agalega, a Petroleum bunkering hub at Albion, a new building of the World Hindi Secretariat and a Civil Services College. A new Line of Credit of USD 500 million was announced during Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth's recent visit to India, which will be used for financing the next lot of national priority projects. In facilitating all these activities, the High Commission of India here plays a vital role. I commend the High Commissioner and his staff for their laudable efforts in making all these projects and programmes possible. The role of the High Commission here is even more significant as Mauritius has a large chunk of people of Indian origin. A special dispensation for Mauritius in our OCI card scheme was announced by the Government of India in January 2017. We have today seen for ourselves the very positive response to it among the Mauritian people. The good work by the Indian Mission in Mauritius is visible and commendable.

Friends, it is through the sheer dint of hard work that the Indian diaspora has built this beautiful nation of Mauritius, a heaven on earth. The mainly agrarian economy has transformed into a strong diversified economy today. It has one of the highest per capita incomes in Africa with a growing presence in financial, industrial and tourism sectors. Your success is a matter of deep pride for India. Your success is also a testament to the courage and perseverance of your ancestors. And with your continued support, I have no doubt that our ties will continue to grow from strength to strength in the years ahead. Both our countries share similar values of democracy, human rights, rule of law and fundamental freedoms. Our economic and cultural rights have grown stronger over the years. Prime Minister Shri Narendra Modi, while addressing the Mauritian Parliament in 2015, had remarked that he sees Mauritius as a leader of the Indian Ocean Community and as a bridge to Africa.

I am happy to notice that Mauritius is marching in that direction with lot of hard work and sincerity. With these words, on my behalf and on behalf of my delegation, I thank Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth, all our distinguished guests and esteemed members of the Indian diaspora, who have graced today's event with their presence. I also thank High Commissioner Abhay Thakur and Smt. Surabhi Thakur for hosting this reception today. I thank you all for the warmth shown to us. And, in conclusion, I would like to quote the inscription at the Apravasi Ghat named 'The Unknown Immigrant', which sums up everything that you all strived for. It touched me deeply and I cannot resist the temptation to quote it here! History turning a blind eye bore him not witness History standing mute told not his full story. He who had first watered this land with his sweat and turned stone into green fields of gold The first immigrant, He son of this land He was mine, he was yours, he was our very own.

Thank you.

REDRESSING INEQUALITIES: DELIVERING ON DIGNITY AND WELL-BEING FOR ALL*

Liberty and equality are considered to be the two most valuable rights of the people and are also regarded as the two basic pillars of democracy. Equality is a prerequisite of democracy as it is believed the more inclusive and equal a society is, the more likely it is to be politically stable and sustainable. Persistent inequalities in a society can jeopardize the well-being of large segments of the population. For example, low earnings, inequality in income and unequal access to resources and denial of political and social rights could undermine socio-economic and political stability.

Distinguished delegates, we have been an active partner in the drafting of the Universal Declaration on Human Rights. The Founding Fathers of our Constitution incorporated most of the rights enumerated in the Universal Declaration of Human Rights in two distinct Parts in our Constitution: they are the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy. The chief architect of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, had firmly believed that political freedom without socio-economic equality could destabilize the nation and create fissures within the society. The Constitution of India seeks to secure for all its citizens, among other things, social and economic justice, equality of status and opportunity and assures the dignity of the individual. The Preamble to our Constitution defines equality as one of the four basic objectives of the Indian polity, the other three being Justice, Liberty and Fraternity. I appreciate that IPU, since its inception, has been a premier organization that supports the efforts and works in close co-operation with the United Nations to achieve its objectives and has been a focal point for world-wide parliamentary

*At the 136th Assembly of Inter-Parliamentary Union, Dhaka, Bangladesh (1-5 April, 2017).

dialogue to secure peace and co-operation among peoples and for the firm establishment of representative democracy.

Hon'ble Chairperson, the socio-political ethos in India flows from our Constitution. The Fundamental Rights act as a guarantee that all Indian citizens can and will enjoy civil liberties and basic rights. These civil liberties take precedence over any other law of the land. Our Constitution also provides for adult franchise irrespective of class, caste, sex and religion to all its citizens. Further, we have adopted the concept of a welfare State in which the State plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth and it is incumbent upon the State to ensure that necessary measures be taken to bring the underprivileged to the mainstream.

There has been no dearth of social, economic, political and legal efforts to achieve an equitable society in India. A number of legislative enactments have been made towards providing protection and empowerment to women and girls. To ensure gender equality at the grassroot level and to politically empower both the rural and urban women, the 73rd and 74th Constitutional Amendments provided for reservation of 33 per cent of seats for women in the local bodies of governance that is in the Panchayats and Municipal Bodies, to facilitate their full involvement in the local decision making processes. It also provides for at least one-third reservation for women to the office of Chairperson in these bodies. Some of the Indian States have already raised the reservation level up to 50 per cent to provide for still wider participation. A Bill proposing to reserve one third seats for women in the national and State legislatures is under consideration in our Parliament. I can say with conviction that it may not be long before this legislation enters the statute list of our country.

Besides, a number of legislations have been enacted from time to time to end discrimination against vulnerable groups of people especially of the backward classes and to promote their full and

effective participation in the system and to facilitate growth in their economic, social, and cultural fields. In pursuance of the provisions of the Constitution, several initiatives and legislations have been taken by the Government for the welfare and empowerment of persons with disabilities, older persons, transgender etc.

Distinguished delegates, India has well placed institutional mechanism, dedicated Ministries and National Commissions to cater to the welfare of the people of the disadvantaged groups. The National Human Rights Commission is an embodiment of India's commitment towards the promotion and protection of human rights. We have National Commission for Women to safeguard and promote the rights and interests of women. It has a wide mandate covering almost all aspects of women's development. We also have Commissions for the minorities and for the backward classes of people to look after their welfare and protect their rights.

Over the years, since our independence, many schemes have been introduced and implemented by different Ministries and Departments both at the State and Union level for bringing a just and equitable society in our country. The success of these schemes and programmes has considerably contributed towards achieving the targets of the MDGs particularly by addressing inequalities and ensuring inclusive development. The recent endorsement by India, of the ambitious 2030 Sustainable Development Goals will further help in bridging the gaps and support our endeavours for achieving equitable development by addressing the key challenges such as poverty, inequality, and violence against women, which is critical for the global success of the goals as well. India has already started working towards mapping of the SDGs against national achievements.

Hon'ble Chairperson, I may also draw the attention of this Assembly to the fact that India has ratified various international conventions and human rights instruments created for promoting equality and well-being for all. The commitments made in the international conventions are, as far as possible, reflected in our development Plan documents and the national policies for girls and women, youth,

minorities, etc.

Distinguished delegates, a major challenge of human development for the next two decades will be to work cohesively for poverty reduction and social progress in ways that narrow the gaps, address their causes and link greater governmental accountability for all inhabitants with social and individual responsibility, capacities and participation. Democracy is expected to sustain and promote equality as it provides the space for discussion on laws and human rights and for the articulation of opinions encompassing the interests of all. Our Parliament has been making its contributions in the spheres of gender justice, empowerment of backward classes and their overall development, covering health, education, nutrition, sanitation etc. through a number of enabling legislations. It reflects the sincere efforts made towards achieving an equitable society free of all forms of discrimination and inequality.

Let us all be acutely aware that many aspects of existing inequalities have global linkages and ramifications and as such solutions to many of them can be achieved only through sustained global efforts. As we all recognize, serious environmental concerns, which impinge upon today's debate on development, needs to be addressed collectively by us all. All solutions to such concerns need to factor in the imperative of the less developed part of the world also to reach at least the minimum standards of living for all their people. Let us all commit together to work towards achieving equitable development protecting the dignity and well being of all.

Before I conclude, let me share with you all that recently in India, we had organized a South Asian Speakers Conference recently. The Presiding Officers of the South Asian Countries have unequivocally agreed to work in tandem to address the issues of inequality among the citizens in different spheres. There is no doubt that together we can address the issue effectively and efficiently. I hope, the IPU will act as a catalyst in achieving these larger objectives.

Thank you.

VIII.

MISCELLANY

जन जन की भाषा—हिंदी*

मुझे हिन्दी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच आकर प्रसन्नता हो रही है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी भारत की राजभाषा होगी। इस संदर्भ में सर्वाधिक रुचिकर तथ्य यह है कि संविधान सभा में बहुमत अहिन्दी भाषियों का था, लेकिन फिर भी हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा घोषित किया गया। किसी प्रकार के मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने हिन्दी की क्षमता को पहचान लिया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी पखवाड़ा मनाने की परम्परा 1954 ई. से शुरू हुई जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

इतने वर्षों में हिन्दी ने एक भाषा के रूप में काफी लम्बी यात्रा तय की है। आज भारत के प्राय: सभी और विश्व के लगभग 110 विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की एक अरब बीस करोड़ की आबादी में से लगभग 41 प्रतिशत की मातृभाषा हिंदी है लेकिन इन आधिकारिक आंकड़ों से अलग, आज की स्थिति में हिन्दी बोलने-समझने वालों की संख्या कुल आबादी के 75 प्रतिशत से भी अधिक है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरे क्रम पर है।

हिन्दी भारत के स्वाभिमान की भाषा है। इसमें स्वदेशीपन का गौरव है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिन्दी का प्रचार-प्रसार जन भाषा के रूप में व आम जनता की बोल-चाल की भाषा के रूप में तेजी से हुआ है और इसमें आधुनिक संचार माध्यमों यथा हिन्दी साहित्य, संगीत एवं सिनेमा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दी अपने अंतर बल से बढ़ती जा रही है लेकिन राजभाषा के रूप में देखा जाए तो हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग मुख्यत: तीन क्षेत्रों में अभिप्रेत है— शासन, विधान और न्यायपालिका। राजभाषा के रूप में हिन्दी की पूर्ण

*लोक सभा सचिवालय में हिंदी पखवाड़ा के शुभारम्भ के अवसर पर भाषण, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (1 सितंबर, 2014)

स्थापना में कठिनाई का कारण सरकारी कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा का क्लिष्ट होना भी है। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी शब्दावली सरल, सुगम व सहज हो और उसमें आम जनता के बोल-चाल एवं गैर-हिन्दी भाषाओं के स्वीकृत एवं प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हो ताकि राजभाषा के रूप में यह आम नागरिक के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने तथा उनकी भावनाओं एवं आकांक्षाओं को परिलक्षित करे। राजभाषा को सफल बनाने के लिए सोच, लगन और कुशलता की आवश्यकता है।

किसी भी राष्ट्र के लिए राजभाषा का वही महत्व है जो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का है। राष्ट्रीय झण्डा केवल एक वस्त्र खंड नहीं है, वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इसी प्रकार राष्ट्रगान केवल संगीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की गूंज है जिसे सुनते ही कोटि-कोटि हृदय एक ताल पर थिरकने लगते हैं। राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से राजभाषा का भी वही महत्व है। ऐतिहासिक रूप में हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता की सूत्रधार रही है।

भाषा के महत्व के संदर्भ में चाणक्य का कहना था कि "भाषा किसी भी देश और समाज के चरित्र को समझने की कसौटी है"। हिन्दी की भूमिका को पहचान कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों — सुभाषचन्द्र बोस, सुब्रह्मण्यम भारती, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द आदि ने बल दिया, जबकि ये सभी अहिन्दीभाषी क्षेत्र से थे।

संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्देश है कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार और विकास किया जाए ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। जिस समय हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया था, उस समय सरकारी प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व था। संसद में भी यही स्थिति थी। समग्र संसदीय कार्य अंग्रेजी में किए जाते थे। धीरे-धीरे महसूस किया गया कि संसदीय कार्य का निपटान सरल भाषा में किया जाए। इसी उद्देश्य से लोक सभा में संपादन और अनुवाद सेवा का गठन किया गया। मुझे बताया गया है कि इस समय लोक सभा सचिवालय की हिन्दी सेवा में 200 से अधिक हिन्दीकर्मी कार्यरत हैं। भारत में एक ही दफ्तर में हिन्दीकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या शायद कहीं नहीं है। इस सेवा द्वारा संचालित हिन्दी-वेबसाइट की सामग्री तथा वाद-विवाद सारांश काफी लोकप्रिय हैं और इनके कार्य की सराहना होती है।

वैज्ञानिक-तकनीकी कर्मियों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। ये तकनीकी कर्मी दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं और हिन्दी के प्रसार की भूमिका निभाते हैं। हमारे देश के कलाकारों, हिन्दी सिनेमा और संगीत ने भी हिन्दी

के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिन्दी का प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ हिन्दी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का बाजार भी फैल रहा है, इस तरह से हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है।

इंटरनेट पर भी हिन्दी का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। इंटरनेट पर हिन्दी की कई वेबसाइटें हैं। हिन्दी में कई अखबार और पत्रिकाएं नेट पर उपलब्ध हैं। हिन्दी में ब्लॉग लेखक आज अच्छी रचनाएं दे रहे हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार और सामाजिक संवाद माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग दिनोंदिन बढ़ रहा है। अब तक इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलने के लिए उसका पता अंग्रेजी में टाइप करना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार ने अगस्त 2014 से "डॉट भारत (भारत)" एक्सटेंशन लांच करके उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय भाषाओं में भी वेबसाइट्स के पंजीकरण तथा इस्तेमाल की सुविधा प्रदान कर दी है। यह सुविधा हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

निस्संदेह, संसद की कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है, लेकिन सचिवालय के प्रशासनिक कार्य — नोटिंग-ड्राफ्टिंग का काम अंग्रेजी में जारी है। विषय हिन्दी की सबलता अथवा दुर्बलता का नहीं है। हिन्दी का शब्दकोश शब्दों और अभिव्यक्तियों से भरा पड़ा है। नित नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। भारत के अधिकतर लोग और कम से कम वे लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, हिन्दी समझते जरूर हैं। इसलिए रोजमर्रा के कार्यों एवं सरकारी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

भाषा में शक्ति व्यवहार से आती है। यदि सरकारी दफ्तरों में मूल काम अधिक से अधिक हिन्दी में होने लगे तो सभी के मुख से स्वतः हिन्दी निकलेगी और कलम भी हिन्दी में चलेगी। संकोच की समस्या भी जाती रहेगी। संसार में कोई ऐसा देश नहीं, जहां के निवासी अपनी भाषा बोलने में संकोच का अनुभव करते हों। हिन्दी का किसी भाषा से विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा से भी नहीं। विदेशी भाषा सीखना अच्छा है, लेकिन इतनी सतर्कता जरूर होनी चाहिए कि कहीं वह भाषा हमें अपनी संस्कृति से विमुख ना कर दे। भाषा और संस्कृति में गहरा मेल होता है एवं भाषा के प्रति उदासीनता से देश की प्राण-शक्ति क्षीण होने लगती है।

आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हिन्दी के प्रयोग की दिशा में लोक सभा सचिवालय एक उदाहरण प्रस्तुत करे। हिन्दुस्तान की सभी संस्थाएं संसद की ओर देखती हैं। यदि यहां के काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग होगा तो यह सभी के लिए अनुकरणीय हो जाएगा।

आप सभी ने मुझे इस अवसर का भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। हिन्दी पखवाड़े के इस आयोजन के लिए मैं लोक सभा सचिवालय विशेष रूप से संपादन और अनुवाद सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद देती हूं और इसके सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद।

ब्रेल लिपि में जीवन का सन्देश*

साध्वी युगल निधि और कृपा श्रीजी के स्वर्ण जयन्ती समारोह एवं उनके द्वारा ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधितों के लिए भगवान महावीर के संदेश के प्रचार के उद्देश्य से प्रथम बार लिखित पुस्तकों, **''जीना आए तो जिंदगी''** और **''कर्म जिज्ञासा''** के लोकार्पण के अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस समारोह के लिए श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ को बधाई देती हूं।

मैं साध्वी युगल निधि और कृपा श्रीजी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं तथा उनके द्वारा रचित पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर उनका अभिनंदन करती हूं। वे दीर्घायु हों तथा आने वाले समय में अपनी लेखनी से समाजोपयोगी एवं कालजयी रचनाएं करते रहें, यही मेरी कामना है। इन प्रबुद्ध विद्वानों और सुविख्यात संतों ने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा, जैन दर्शन को समझने और इसके बारे में लिखने में अर्पण किया है। लेखन की सीमा से आगे बढ़कर ब्रेल लिपि में पुस्तक छपवाने की यह पहल अनुकरणीय है। **"जीना आए तो जिन्दगी"** नामक पुस्तक में लेखिकाद्वय ने जीवन में अनुभव किए जाने वाले अवसाद, असंतोष, कड़वाहट, निराशा और शिकायतों इत्यादि विषयों पर गंभीर चिंतन-मनन के पश्चात् अपना मंतव्य सुगम भाषा में पाठकों के समक्ष रखा है। उन्होंने जीवन-व्यवहार में आने वाली कठिनाइयों का हल बड़ी सरलता से लिख दिया है। इन समाधानों को आत्मसात किए जाने की आवश्यकता है। **"कर्म जिज्ञासा"** में उन्होंने कर्म के विषय में अत्यंत रोचक तथ्य प्रकट किये हैं तथा कर्म की गति की व्याख्या की है। ये दोनों ही पुस्तकें शिक्षाप्रद एवं प्रेरक हैं। आशा है कि इन पुस्तकों में प्रस्तुत संदेश के प्रचार-प्रसार से हमारे समाज के उस संवेदनशील वर्ग के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा जिसकी कई बार उपेक्षा कर दी जाती है। चूंकि यह पुस्तक देशभर के अंध विद्यालयों में तथा विभिन्न ब्रेल लाइब्रेरी में मुफ्त बांटी जायेगी, इसलिए यह सन्देश दूर-दूर तक पहुंचेगा और कई लोगों को उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने में मदद मिलेगी।

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं,
एसो पंच णमोकारो, सव्व पावप्पणासणी
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढममं हवई मंगलं।

---

*जैन समाज द्वारा ब्रेल पुस्तकों **"जीना आए तो जिंदगी"** तथा **"कर्म जिज्ञासा"** के लोकार्पण समारोह में भाषण, बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली (9 नवंबर, 2014)

पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा दिया गया यह नवकार मंत्र जनहितकारी एवं सर्वोच्च मंत्र है जिसका अर्थ है कि हमें उत्तम व्यक्ति, सिद्ध पुरुष, आचार्य, उपाध्याय और साधु एवं साध्वीजनों को निरंतर नमन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी का मंगल एवं शुभ होता है।

मित्रो, मैं एक बार फिर साध्वी युगल निधि की सराहना करना चाहूंगी कि उन्होंने पुस्तकें ब्रेल में छपवाने की पहल की। हमें समाज में सबके लिए सोचने की जरूरत है। हमें समाज के ऐसे वर्गों तक पहुंचना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की मानसिक, शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए सबके सामने एक मिसाल रखी। इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई अपने मन को जीत ले और इसके लिए सभी संभव प्रयास करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्वयं को दया का पात्र बनाने की बजाय ये भरपूर जीवन जीते हैं। पिछले महीने ही मैंने एक दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी के बारे में एक खबर पढ़ी। यह अधिकारी दृष्टिहीन लोगों को उनके करियर में मदद देने के लिए भी कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से उन असंख्य लोगों के जीवन को बदलने और इन्हें आशावान बनाने में मदद मिलेगी जो अपने जीवन में चुनौतियों का संघर्ष के साथ सामना कर रहे हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ को इस समारोह के आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं कामना करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने भावी महान प्रयासों में सफलता मिलेगी।

धन्यवाद।

साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार*

हिन्दी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट लेखन के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अखिल भारतीय शताब्दी साहित्य पुरस्कार और शताब्दी प्रादेशिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी और श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के सभी सहयोगियों की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इन दो पुरस्कारों को प्रदान करने का सुअवसर दिया है।

मैं, समिति को हिन्दी साहित्य को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार आरंभ करने के लिए तथा डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य और डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी को इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर निर्णायक समिति के विशिष्ट सदस्यों को अच्छा चयन करने के लिए बधाई देती हूं। श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति अपने स्थापना काल से ही हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास और इसे प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती आ रही है।

डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य का व्यक्तित्व बहुआयामी है। एक शिक्षाविद् और समाज विज्ञानी होने के अलावा, वह एक कवि, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं। सन् 1966 में प्रकाशित उनकी कृति 'गांधी दर्शन' के बारे में बहुत चर्चा होती है। उन्होंने हमारी संस्कृति, विरासत, परम्पराओं और दर्शन से संबंधित विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। वह बहुभाषाविद् हैं। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाओं का विकास किया है। उन्हें अखिल भारतीय शताब्दी साहित्य पुरस्कार प्रदान करके समिति ने इस पुरस्कार की गरिमा को और बढ़ाया है।

डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी, जिन्हें शताब्दी प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, एक ऐसे सुविख्यात हिन्दी विद्वान हैं जिन्होंने अपने योगदान और प्रतिबद्धता से भाषा और साहित्य को समृद्ध किया है। वह इसलिए भी सुयोग्य पात्र हैं क्योंकि वह एक हृदय रोग चिकित्सक हैं। जिन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। किन्तु डॉक्टर होने के साथ-साथ, वह एक लोकप्रिय व्यंग्यकार, नाटककार, उपन्यासकार भी हैं। वह कॉलम लिखते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। देश-विदेश में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। विख्यात हिन्दी विद्वानों के लिए यह उचित सम्मान है और निस्संदेह,

*श्री मध्यभारत साहित्य समिति, इंदौर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शताब्दी साहित्य पुरस्कार तथा शताब्दी प्रादेशिक पुरस्कार समारोह में भाषण, इंदौर (6 दिसंबर, 2014)

डॉ. भट्टाचार्य जी और डॉ. चतुर्वेदी जी को सम्मानित करके हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी दार्शनिक, वैज्ञानिक और कलात्मक परम्पराओं का मान बढ़ा रहे हैं।

इंदौर कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने में सदैव अग्रणी रहा है। होलकर राज्य के समय में इंदौर साहित्यिक केन्द्र के रूप में फला-फूला। इंदौर का साहित्यिक इतिहास श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के योगदान के उल्लेख के बिना अधूरा रहेगा। इस समिति की स्थापना सौ साल पहले हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही हुई। सरदार माधव राव किबे, सेठ हुकम चंद, सर सिरेमेल बापुआ, गिरिधर शर्मा, डॉ. सरजू प्रसाद तिवारी, शिव सेवक तिवारी, डॉ. पंडित और अन्य अनेक विद्वानों द्वारा समिति के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए की गई निःस्वार्थ सेवा उल्लेखनीय है। यह समिति हिन्दी साहित्यिक गतिविधियों के विकास का प्रमुख केन्द्र है। अपने स्थापना काल से ही समिति, भारतीय साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

इंदौर में पहले हिन्दी संपादक सम्मेलन का आयोजन 1932-33 में हुआ। वर्ष 1941 में महू में मध्यभारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह इंदौर में हिन्दी पत्रकारिता को बढ़ावा देने का एवं शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। समिति ने चेन्नई में हिन्दी प्रचार सभा तथा वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिन्दी और संस्कृत में उच्चस्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए समिति शोध केन्द्रों का संचालन भी करती है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। समिति द्वारा स्थापित समसामयिक अध्ययन केन्द्र विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागृति विकसित करने में सराहनीय सेवा प्रदान कर रहा है।

मुझे विश्वास है कि डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य, डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी और श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति अपने अथक प्रयासों से हमारी गौरवशाली विरासत का परिरक्षण और संरक्षण करते रहेंगे।

इस अवसर पर मैं हिन्दी को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति को भी शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद।

राष्ट्रीय युवा उत्सव*

पांच दिवसीय अंतर-विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन दिवस के अवसर पर यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। इंदौर आकर मुझे हमेशा खुशी होती है क्योंकि मेरे लिए यह घर वापस आने के समान है। परंतु इस बार यहां आना मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे इस ऐतिहासिक शहर में अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों के सैंकड़ों युवा छात्रों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

मैं इस पांच दिवसीय उत्सव में दूर-दूर से भाग लेने आए आप सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना करती हूं। आपकी लगन, प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्द्धा की भावना आपको यहां लाई है।

प्रिय मित्रो, मुझे विश्वास है कि यहां रहकर आपका एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान हुआ होगा और आपने एक-दूसरे के राज्य और क्षेत्र के अनुभव बाँटे होंगे। मालवा क्षेत्र यहां के लोगों की गर्मजोशी और परम्परागत आदर-सत्कार के लिए जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि यहां आपका प्रवास सुखद रहा होगा। इन उत्सवों के माध्यम से न केवल देशभर से युवा और प्रतिभाशाली छात्र एक जगह इकट्ठा होते हैं, बल्कि उल्लास और उमंग का माहौल भी बनता है। ऐसे आयोजनों से न केवल आपका नज़रिया बल्कि आपकी सोच भी व्यापक होती है जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यहां के लोगों को पिछले पांच दिनों के दौरान आपके द्वारा पेश की गई समृद्ध और जीवंत कलात्मक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने का मौका मिला है।

मैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के तत्वावधान में इस उत्सव के आयोजन के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सराहना करती हूं। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस उत्सव के आयोजन के लिए की गई पहल की सराहना करती हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, रानी अहिल्या देवी इस क्षेत्र की परोपकारी शासक के रूप में पूजी जाती

* 30वें अंतर-विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर भाषण, इंदौर (16 फरवरी, 2015)

हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखने पर पता चलता है कि प्रख्यात और अमर कवि और नाटककार कालिदास भी इसी क्षेत्र के निवासी थे। तानसेन जैसे दिग्गज गायक और उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, उस्ताद अमजद अली खान, माखन लाल चतुर्वेदी, हरि शंकर परसाई और शरद जोशी जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार और कवि भी इसी राज्य से सम्बद्ध हैं।

मित्रो, किसी भी देश की जनसंख्या का सबसे सक्रिय भाग वहां के युवा होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में 27 प्रतिशत से भी अधिक लोग 15-29 वर्ष के युवा हैं। आने वाले वर्षों में जहां विकसित देशों को कार्यबल में बड़ी उम्र वाले लोगों की संख्या अधिक होने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वहीं भारत में जनसांख्यिकीय स्थिति बहुत अनुकूल होगी। अनुमान है कि वर्ष 2020 तक, भारत की जनसंख्या में मध्यम आयु 28 वर्ष होगी जबकि अमरीका में मध्यम आयु 38 वर्ष, चीन में 42 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होगी। हमारे जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए यह शुभ संकेत है और जैसा कि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगले 10 वर्ष में अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। निस्संदेह यह जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे लिए एक बड़ा मौका है जिसका इस्तेमाल हम अपने देश के सर्वांगीण और सम्पूर्ण विकास के लिए कर सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत की है। इस नीति में युवाओं के समग्र और सर्वांगीण विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई गई है ताकि वे तन और मन से सबल बनें। सौ से भी अधिक साल पहले, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि **हमारे देशवासियों में दृढ़निश्चय, फौलादी शरीर और कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए।** मैं भी यही मानती हूं कि तभी हमारा देश राष्ट्रीय पुनः संरचना और सामाजिक परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा कर पायेगा।

मित्रो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना निस्संदेह आवश्यक है किन्तु खेलों, कला, शिल्प, वाक् कला आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने से व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। ऐसे उत्सव मनोरंजन करने के साथ-साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और संबंध स्थापित करने, सामाजिक समावेश, महिला-पुरुष समानता और युवा विकास की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खेलों के क्षेत्र में हमारे युवा पहले ही अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे देश की महिलाएं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस पांच दिवसीय उत्सव में संगीत, नृत्य, साहित्यिक समारोह, थिएटर और ललित कलाओं की पांच विधाओं

के अंतर्गत 24 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं जिनमें 69 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि आधे से भी अधिक प्रतिभागी महिलाएं हैं। मुझे पता चला है कि इन प्रतिस्पर्धाओं में शास्त्रीय और लोक नृत्य और क्ले मॉडलिंग जैसे कुछ परम्परागत कला और शिल्प प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल थीं। जैसा कि आप सब जानते हैं। हम सब एक जीवंत कलात्मक और सांस्कृतिक परम्परा के उत्तराधिकारी हैं। अनादि काल से ही भारतीय कला और शिल्प विश्व भर में लोगों को प्रभावित करते आये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य में कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और संस्कृति का अद्वितीय और विशेष रूप देखने को मिलता है। यही विविधता हमारी शक्ति है और इस महान विरासत का भागीदार होने के नाते आपको इसे बढ़ावा देने के साथ-साथ इसे भावी पीढ़ियों के लिए संजोना भी है।

संस्कृति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति मंत्रालय हमारी समृद्ध और विविधतापूर्ण कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और इसे संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो विश्व की एक प्रमुख थिएटर संस्था है, थिएटर के सभी पहलुओं में छात्रों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हमारे देश में शास्त्रीय और लोक नृत्य की समृद्ध परंपरा है। भारत में नृत्य की परंपरा 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और यह पौराणिक कथाओं और क्लासिक साहित्य पर आधारित है। हमारे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र भी स्थानीय संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी अन्य कई संस्थाएं और संगठन हैं जो देश में परंपरागत कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। युवाओं को इस परंपरा के संवर्द्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकारें भी युवाओं के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपको केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिए जा रहे प्रोत्साहनों के साथ-साथ फैलोशिप के रूप में उपलब्ध विभिन्न अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।

आप सब ने इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज, जिले और राज्य में आयोजित प्रतिस्पर्द्धाओं में कई सफलताएं अर्जित की होंगी।

ऐसे राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेना भी गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आप इस शहर और यहां के लोगों की मधुर स्मृतियां अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य और आपके सभी कार्यों में सफलता की कामना करती हूं। मैं पुन: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डी.पी. सिंह तथा इस उत्सव के आयोजन से संबद्ध सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करती हूं।

धन्यवाद।

काया और कायातीत के लिए योग*

काया और कायातीत के लिए योग (Yoga for body and beyond) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित विचारगोष्ठी के समापन सत्र में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आशा है, आपने योग विद्वानों के सान्निध्य में योग के विविध पहलुओं पर चर्चा का आनंद उठाया होगा। योग हमारा सदियों पुराना ज्ञान है जिस पर आज सम्पूर्ण विश्व में चर्चा हो रही है। यह हमारी अद्‌भुत धरोहर है जो सदियों से हमारी जीवन शैली एवं परम्परा रही है और आज सम्पूर्ण विश्व में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है।

यह 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' का दूसरा आयोजन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रस्ताव पर केवल 90 दिनों के भीतर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून की तिथि सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तय की थी और इसके साथ-ही-साथ उल्लेखनीय बात यह थी कि सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। इससे यह पता लगता है कि योग के दृश्य और अदृश्य लाभ विश्व के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं एवं योग के प्रति उनमें असीम उत्साह एवं स्वीकृति है। वास्तव में, मुझे इस दौरान कई विदेश यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी जगह पर विदेशी लोगों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के बारे में चर्चा की। इस वर्ष के आयोजन में, विशेषकर युवा वर्ग में योग के प्रति जो उत्साह दिखा, वह योग के प्रति बढ़ती हुई रुचि एवं आकर्षण को दिखाता है।

योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। जिस अर्थ में आज हम 'योग' शब्द को समझते हैं, उस अर्थ में इसका पहली बार प्रयोग ईसा पूर्व तीसरी-चौथी शताब्दी में कठोपनिषद में हुआ था। इसके पश्चात्

---

* 'काया और कायातीत' (Yoga for body and beyond) के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित विचारगोष्ठी के समापन समारोह में भाषण, नई दिल्ली (23 जून, 2016)

महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया और 200 ई.पू. में "योगसूत्र" नामक प्रामाणिक ग्रंथ की रचना की।

पतंजलि योग दर्शन के अनुसार–"योगश्चित्तवृत्ति निरोध:" अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। (Yoga is restraint of the fluctuations of the mind) योग चेतना के उच्च स्तर को जागृत करने का माध्यम है। Healthy body and disciplined mind are pre-requisite for higher consciousness. श्री बी.के.एस. आयंगर ने योग की सुन्दर व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है – **Yoga is like music: the rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul create the symphony of life.**

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है — **"सिद्धसिद्धयो समोभूत्वा समत्वं योग उच्चते"** अर्थात् दुख–सुख, लाभ–अलाभ, शत्रु–मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वन्द्वों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। (Evenness of mind is Yoga).

योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ाव। तन का मन से जुड़ाव, मन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। मन का विचार से एवं विचार का कर्म से जुड़ाव। मानव का प्रकृति से, संयम का उपलब्धि से जुड़ाव। स्वास्थ्य का जीवन शैली से, मानव का मानवता से, ज्ञान का विज्ञान से, विज्ञान का अध्यात्म से एवं अध्यात्म का दर्शन से जुड़ाव योग संयम, सामंजस्य और समन्वय की एक अनूठी त्रिवेणी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखने वाले लोग इसे विज्ञान कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने वाले इसे चिकित्सा पद्धति कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे मानसिक स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ता के लिए आवश्यक बताते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से योग एक साधना है और योग करने वाला एक साधक। योग की साधना करने वाले इसे जीवन आनन्द का प्रमुख स्रोत मानते हैं। इस तरह से योग सस्ता, सहज एवं सर्वसुलभ है। गीता में लिखा है, **"योग स्वयं की स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है।"** योग हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करता है।

अक्सर, लोग योग को मात्र एक शारीरिक कार्य अथवा आसन समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु योग मात्र आसन नहीं है। योग के तहत कुल आठ चरण आते हैं। इनमें से प्रारंभिक दो चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, यम (moral restraints) और नियम (spiritual practices) । यम के तहत सत्य (truthfulness), अहिंसा (non-violence), अस्तेय (non-stealing), अपरिग्रह (Abstention from greed), ब्रह्मचर्य (celebacy) पांच भाव आते हैं तो नियम के तहत शौच (cleanliness), संतोष (contentment), तप (Austerity), स्वाध्याय (self study),

समर्पण (surrender of the self to god) आते हैं। योग के लिए ये प्रारंभिक नियम हैं। इनको जीवनचर्या में शामिल करने के पश्चात् ही आसन (seat posture with spine erect), प्राणायाम (breath control), प्रत्याहार (withdrawal from the organs of sense and the organs of action), धारणा (deep state of concentration), ध्यान (directing attention to the subject of meditation) एवं समाधि (complete absorption in super consciousness or divine mind) की बारी आती है। योग के सम्यक् एवं नियमित अभ्यास से हम जड़ से चेतन की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अत:, इसकी विशेष प्रतिष्ठा है। योग का शास्त्रानुरूप नियमित अभ्यास करने से बहुत-सी व्याधियां स्वतः दूर हो जाती हैं। The whole theory of Yoga is to go beyond the mind. Several scholars have noted that yoga had been packaged so well as a defence against illness and aging that it is easy to lose sight of its real purpose – **"spiritual liberation".**

श्रीमद्भागवत गीता में लिखा है **"योगस्य तथा करू कर्माणी"** अर्थात् act with the discernment of a yogi. Yoga is, therefore, a vision for a harmonious future for humanity. It is an **"अवस्था"** that is a state of mind and is distinct from a **"व्यवस्था"।** योग आस्था है और जब तक हम उसे टुकड़ों में देखते हैं, उसकी पूर्णता को पहचान नहीं पाते।

हम योग की शक्ति को पहचानने में वैसी ही गलती कर देते हैं, जैसे हम अपने आप को पहचानने में करते हैं। बीज से वृक्ष बनता है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। यदि हम नहीं जानेंगे तो इसे सत्य नहीं मानेंगे, किन्तु यह सत्य है। छोटे-से बीज के सही पोषण से उसे बड़ा वृक्ष बनते देर नहीं लगती। परमात्मा ने मानव के अंदर यह सामर्थ्य दिया है, लेकिन हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। जो यह कला जानता है, वह अपने-आपको अत्यन्त समर्थ बना सकता है।

योग हजारों साल से भारतीयों की जीवन-शैली का हिस्सा रहा है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। दुनिया भर के अनगिनत लोगों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब इसका फैलाव और तेजी से होगा।

मानव हमेशा से शांति, सौहार्द एवं प्रेम की खोज में रहा है। योग किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के अन्दर झांकने का अवसर प्रदान करता है। यह ध्यान के माध्यम से ही संभव है। Yoga teaches us to cure what need not be endured and endure what cannot be cured.

आज सम्पूर्ण मानवता अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रही है जिनमें आतंकवाद (terrorism), अतिवाद (extremism), उपभोक्तावाद (consumerism) एवं जलवायु परिवर्तन (climate change) कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि विश्व के अनेक हिस्सों में मौसम चक्र में परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि या अनावृष्टि की गंभीर समस्या हमारे सामने है। सम्पूर्ण विश्व में बढ़ती हिंसा और आतंक सारी मानवता के लिए चुनौती बना हुआ है। यदि हम प्रकृति एवं जीवन के आधारभूत मूल्यों की ओर न लौटे, तो आने वाले समय में स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। विश्व के सामने उपस्थित अनेक समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में विश्व के सभी देशों ने सतत विकास लक्ष्य अर्थात् sustainable development goals पर आधारित विकास की अवधारणा को स्वीकार किया। आज समस्त विश्व में sustainable development goals आधारित नीतियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुल 17 SDGs एवं 169 targets में से गोल नं. 3 good health and well being से संबंधित है, गोल नं. 12 उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन (responsible consumption and production) से संबंधित है एवं गोल नं. 13 (Climate Change) से संबंधित है। अतः, इन तीनों goals एवं इनसे संबंधित targets की प्राप्ति में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि योग के मूलभूत सिद्धांतों में हमें समाज एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संतुलित उपभोग की प्रवृत्ति विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही, सब जानते हैं कि योग हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायी है।

भारत एक अत्यन्त प्राचीन संस्कृति एवं परम्पराओं वाला देश है। हमारी संस्कृति के मूलभूत जीवन मूल्य सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और भाईचारा हैं। हमारे संविधान में भी इन जीवन-मूल्यों को प्रमुखता दी गई है। हमारी संस्कृति में **'वसुधैव कुटुम्बकम'** की अवधारणा समाहित है। हमारे सभी धर्मगुरुओं, जिन्होंने प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश विश्व को दिया, के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि वे सभी योगी थे। हमारे यहां प्रकृति पूजा, वृक्ष पूजा एवं नदी पूजा इसलिए की जाती है कि हम उन चीजों के महत्व को समझें और उन्हें संजोकर रखें। इन मानवीय मूल्यों के संवर्धन से ही सम्पूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित होगा। योग इन मानवीय मूल्यों को विस्तारित करने का सहज माध्यम है। आज फिर दुनिया हमें उस विश्व गुरु के रूप में देखना चाहती है जिसने सदियों पूर्व संपूर्ण विश्व में प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था।

एक और बात हमें सदा ध्यान रखनी चाहिए कि जितना हम प्रकृति से लें, उससे ज्यादा देने का संकल्प लें। हम प्रकृति के अन्य संसाधनों का भी संतुलित उपयोग करें।

"योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड" विषय के अंतर्गत आपने योग और शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में योग को शामिल किए जाने, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग आदि विषयों पर विचार किया है। मुझे विश्वास है कि इन चर्चाओं से देश-विदेश में योग को लोकप्रिय बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने की आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती हूं।

मैं पुनः एक बार आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इतने बड़े पैमाने पर इस सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए बधाई देती हूं। मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देती हूं कि आप सब इस सम्मेलन में आए और योग से जुड़े अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान किया। विदेश से आए हुए सभी महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करती हूं एवं उनसे यह आशा करती हूं कि वे पुनः इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। साथ ही, वे योग को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करें। मैं यहां उपस्थित सभी गणमान्य एवं जनसाधारण को अपनी ओर से साधुवाद देती हूं कि वे यहां आए एवं उन्होंने इस अद्भुत एवं लोकोपकारी ज्ञान के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया।

धन्यवाद।

सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (संदीक्षा) की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी*

मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी में सम्मिलित हो रही हूं। इस प्रदर्शनी में आयोजित कार्यक्रम में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए मैं श्रीमती अर्चना रामसुंदरमजी, महानिदेशक और अध्यक्ष, संदीक्षा को धन्यवाद देती हूं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि **"संदीक्षा"** लगातार विविध लोकोपकारी कार्यकलापों का संचालन कर रही है, उसी कड़ी में यह प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है जिससे महिला शक्ति एवं उनके कौशल को बढ़ावा मिले। इस संस्था ने स्वच्छता, पौधारोपण, सड़क-सुरक्षा इत्यादि कार्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक जागररूकता अभियानों का भी आयोजन किया है। मुझे यह भी बताया गया है कि संदीक्षा परिवार जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ समसामयिक व आवश्यक सूचनाओं के लिए जन चेतना शिविर का भी आयोजन करता है। आपके द्वारा किए गए जनहितकारी कार्य प्रेरणा देने वाले हैं।

संस्था का उद्देश्य सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक हर प्रकार का सहयोग प्रदान करना है, उन्हें हर प्रकार से सहायता, सुरक्षा, संरक्षा एवं मनोबल प्रदान करना है ताकि इस बल के वीर जवान निश्चिन्त होकर देश की सीमाओं की रक्षा करें।

जितनी बहादुरी से सशस्त्र सीमा बल के जवान सीमा की रक्षा करते हैं, उतनी ही बहादुरी, आत्मसजगता, धैर्य और कर्त्तव्यनिष्ठा से वीर जवानों की जीवनसंगिनी घर के मोर्चे की कमान भली-भांति संभालती है। आप सभी को मेरा अभिनंदन है।

अब तो महिलाएं भी सुरक्षा हेतु सेना में शामिल होकर अपनी वीरता के जौहर दिखा रही हैं। इसी वर्ष मार्च महीने से आईटीबीपी अर्द्ध सैनिक बल की 500 महिला सैनिकों को चीनी बॉर्डर पर नियुक्त किया गया है। साढ़े 10 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात इन महिला सैनिकों की बहादुरी, देशप्रेम एवं जीवटता इस बात का जीवन्त उदाहरण है।

*सशस्त्र सीमा बल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (संदीक्षा) की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी के अवसर पर उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली (11 नवम्बर, 2016)

अब तो बीएसएफ ने भी भारत-पाकिस्तान की सीमा की रखवाली के लिए महिला सैनिकों की तैनाती की है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे खुशी है कि सशस्त्र सीमा बल की वर्तमान महानिदेशक श्रीमती रामसुन्दरम ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें किसी भी अर्द्ध सैनिक बल का महानिदेशक बनाया गया है। उनके नेतृत्व का लाभ आपको मिलेगा, ऐसी आशा करती हूं।

हाल के वर्षों में एसएसबी का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। वर्तमान समय में यह बल न केवल नेपाल और भूटान के साथ लगी भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के अपने प्रमुख कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा है अपितु इसकी तैनाती वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुछ क्षेत्रों और उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए भी की गई है।

2450 किलोमीटर के भारत-नेपाल और भारत भूटान-सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की भूमिका सर्वविदित है। इस बल की उपस्थिति ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के मनोबल को बढ़ाया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। जबकि मादक द्रव्यों को बेचने वाले, तस्करों और दुर्व्यापारियों, मानव तस्करों के लिए इसने प्रभावी रोधी बल के रूप में कार्य किया है। अभी कुछ समय पहले, एसएसबी जवान की सतर्कता के कारण फलकनुमा एक्सप्रेस से 39 बच्चों को मानव तस्करी से बचाया जा सका। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सबसे पहले लोगों की मदद करने में आगे आने वालों में एसएसबी का भी नाम है चाहे नेपाल त्रासदी हो या उत्तराखंड त्रासदी या फिर बिहार और असम की भयानक बाढ़, इस बल ने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा, साहस और जीवटता से लोगों की जानें बचाई हैं और उनका सहयोग और स्नेह पाया है।

ऐसे आयोजनों से सैनिक बलों और उनके परिवारजनों में आत्मीयता बढ़ती है तथा वे उनमें प्रदर्शित सामानों को खरीदते हैं जिससे उन परिवारजनों को प्रोत्साहन मिलता है कि अगली बार वे और अच्छे प्रोडक्ट बनाएं।

मैं एक बार फिर प्रत्येक वर्ष ऐसे सामाजिक रूप से उत्साहवर्धक और लोगों को आपस में जोड़ने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए किए गए अथक प्रयासों के लिए इस प्रदर्शनी के आयोजकों को बधाई देती हूं। मुझे भरोसा है कि अपनी प्रतिभा और उद्यमिता का प्रदर्शन करने के लिए अधिकाधिक संख्या में महिलाएं इसमें भाग लेंगी और दूसरी ओर उनके बहादुर पति सीमाओं की रक्षा करते हुए देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।

मैं संदीक्षा के सभी प्रयासों की सफलता की कामना करती हूं।

धन्यवाद।

अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर*

'स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है।' इस मूल मन्त्र की स्वीकारोक्ति हमारे सनातन समाज में सदा से रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य में समर्पित राष्ट्र सेविका समिति, भारत की स्त्रियों की एक अग्रणी संस्था है। हम सभी यह जानते हैं कि इसकी स्थापना 1936 में विजयदशमी के दिन वर्धा में हुई थी। श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर (मौसीजी) के निष्काम समर्पण से उपजा वैचारिक सांगठनिक बीज आज एक विशाल वट-वृक्ष बन चुका है। संघ से वैचारिक रूप से अनुप्राणित होने पर भी यह एक स्वतन्त्र संगठन है। यह सभी को स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर (मौसीजी) इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थीं। उनके सुयोग्य मार्गदर्शन में इस संकल्प यात्रा ने जो ऐतिहासिक स्थान बनाया है, वह अपने आप में अतुल्य है। **'स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है।'** सेविका समिति ने इसके लिए जो सकारात्मक कार्य किए हैं उसकी सर्वत्र स्वीकारोक्ति भी है और प्रशंसा भी। मैं भी आज इस मंच से इस पुनीत संकल्प के विराट स्वरूप का अभिनन्दन करती हूं।

यह हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है कि किस प्रकार आदरणीया मौसीजी के संकल्प को हमारी बहनों ने अपने जीवन के मन्त्र के रूप में लिया। आज यह हर्ष का दिन हमारे जीवन में आया है। मैं वर्तमान प्रमुख संचालिका वंदनीय शांतक्का जी का भी अभिनन्दन करती हूं कि वह इतनी कुशलता और सेवा भाव से इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं।

भारतीय समाज रचना को यदि हम धैर्य से समझें तो पायेंगे कि ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति के अंशरूप नारी की उपस्थिति के चहुं ओर हमारा अस्तित्व बना हुआ दिखाई देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समाज धारणा के लिए नारी की सुप्त शक्तियों को आधार रूप माना है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य में शक्ति अंतर्निहित होती है। उस शक्ति का जागरण करते हुए, शक्ति को संघटित करते हुए, उसे राष्ट्र निर्माण कार्य में लगाने का विलक्षण ध्येय आधुनिक ऋषिका

---

*राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली (11 से 13 नवंबर, 2016)

वं. मौसीजी ने अपने सामने रखा और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की।

समिति ने अपने विविध आयामों और प्रकल्पों के माध्यम से जो विशिष्टता अर्जित की है, वह सराहनीय है। आज दैनंदिन, साप्ताहिक तथा नियमित रूप से लगने वाली शाखायें परिवर्तन की वाहक बन चुकी हैं। इन शाखाओं में सेविकाओं को शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, मनोबल बढ़ाने के लिये विविध क्रियाकलाप और अभ्यास होते हैं, स्वावलम्बन से युक्त विकास सेविका की पहचान है। अपनत्व की भावना से आरोग्य शिविर, छात्रावास, उद्योग मंदिर, बाल मंदिर संस्कार वर्ग सहित विभिन्न सेवा कार्य समिति के माध्यम से भारत ही नहीं विश्व के ऐसे स्थानों पर, जहां हिन्दू बहनें रहती हैं, वहां हिंदुत्व का प्रसार तथा हिंदू भगिनियों के संगठन, जो उदाहरण समिति ने दिया है, वह हमारी बहनों को प्रणाम का अधिकारी बनाती है।

भारत भूमि मातृभूमि है, पुण्य भूमि है, संस्कार भूमि है। इस भाव से, स्वाभिमान से, जीवन चले, यह कर्तव्य भाव होना चाहिए कि मानवीय मूल्यों का रक्षण हो एवं उस हेतु अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करने की भावना सेविका समिति में अनायास ही, सहज रूप से निर्माण होती है। सेविका समिति के कार्यों और कार्यक्रमों में सहभाग ऐसी ही उदात्त भावना को विकसित करता है।

संजीवनी अर्थात् क्षीण प्राणशक्ति का पुनरुज्जीवन/प्राणशक्ति के कारण ही शरीर के सभी अंगोपांग संपूर्ण सामंजस्य से काम करते हैं। यह ऊर्जा हृदय से निकलने वाली रक्तवाहिनियां शरीर के आखिरी छोर तक पहुंचाती हैं — चैतन्यता प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत जीवन में शरीर में प्राणशक्ति का संचार रुकने का अर्थ मृत्यु होता है, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन में प्राणशक्ति का अर्थ हमारी संस्कृति, जीवनदृष्टि एवं जीवनमूल्य हैं। इन वृक्षों को हरे-भरे रखने की जिम्मेदारी हमारी है। उसकी अनुभूति-विचार-व्यवहार के प्रवाह का खण्डित होना, राष्ट्र की चेतना के लुप्त होने जैसा ही है। भारत की परम्परा में मानव ही नहीं, अपितु चराचर सम्पूर्ण सृष्टि के कल्याण का विचार एवं संस्कार समाहित है। अतः, इसे जीवित एवं प्रबल रखना अनिवार्य है। प्रबल राष्ट्र की पहचान विश्व मंच पर होती है और वह विश्व गुरु कहलाता है।

समिति की सेविका का जीवन ऐसा है जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समन्वित विकास राष्ट्र सेवा के लिए होता है एवं ऐसा सहज संकल्प करके वे जीवन के व्यवहार में सद्गुणों को उतारने का प्रयास करती हैं। हमने यह अनुभव किया है कि समिति की उन सखियों/बहनों से मिलकर किसी सेवा कार्य को

करते हुए मन की नाराजगी, उद्विग्नता, निराशा सहज ही भाग जाती है। खेल, व्यायाम, योगासन, गणसमता के साथ-साथ जीवन में अनुशासन, समयपालन, आज्ञापालन, नेतृत्व गुणों का विकास, जीवन का अंग स्वभाव बन जाता है।

समिति में व्यक्तित्व का भी विकास होता है, क्षमताओं का भी विकास होता है किन्तु हम कोई व्यक्तित्व विकास की संस्था नहीं हैं, हम स्त्री को समाज की उस मूल आश्रयी जीवन्त इकाई के रूप में स्वीकार करके चलते हैं जिससे हमारे परिवार और समाज की श्रेष्ठता का, उसके सद्गुणों का, व्यवहार के परिष्कार का यज्ञ आरम्भ होता है। वह इस यज्ञ की पुरोहित स्त्री है, कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में तो कभी पत्नी के रूप में।

समिति के कार्यों में 'मैं नहीं, तू नहीं' का अनोखा संस्कार 'आत्मनो मोक्षार्थ जगद् हिताय च' श्रद्धा का संस्कार विकसित होकर जीवन में उतरता चला जाता है। यह संस्कारित निष्ठा राष्ट्र संस्कृति धर्म की संजीवनी है। यह संजीवनी बड़े भाग्य से, तपस्या से मिलती है। 'प्रसादात तव एवं अत्र' पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण मिलती है।

नारी ही स्वयं प्रकृति है, सृष्टि की आद्या शक्ति है, इस संकल्पना से प्रेरणा लेकर भारतीय संस्कृति प्रवाहित हुई। इस संपूर्ण चराचर जगत में जहां भी जो कुछ दिखाई देता है, वह उसी आद्याशक्ति की प्रभा से आलोकित है, अतः चैतन्यमय है। इस आद्याशक्ति को हम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और उस परब्रह्म की शक्ति के रूप में मानते हैं। प्रत्येक स्त्री उस शक्तित्व का अंश है। समिति इस गौरवपूर्ण प्रेरणादायी भाव को जागृत करने का महती एवं पुनीत कार्य कर रही है।

अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति श्रद्धाभाव से व्यवहार करना हम सभी का कर्तव्य है। वं. मौसीजी, वं. ताईजी से लेकर आज की छोटी सेविका तक अपने अपने स्तर पर, अपनी-अपनी पद्धति से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में योगदान कर रही है। यही भाव निरंतर बना रहे, इसी में हमारे पुरुषार्थ की सफलता और सार्थकता है।

"शिवभावेन जीवसेवा" भारतीय जीवन पद्धति में सेवा निर्लिप्तता के भाव से होनी चाहिए। इस मानवीय गुण का बहुत महत्व है। सेवा से विश्व पर भी विजय प्राप्त करने की उम्मीद जगाई जा सकती है। सेवा अर्थात् अन्य जीवों की आवश्यकता पड़ने पर यथासंभव श्रद्धा भाव से सहयोग करना है। हमारे ऋषि-मुनियों ने 'सेवा धर्मो परम् गहन', ऐसा कहकर उसकी महत्ता को बताया है।

समाधि सुख का आनंद लेने में लीन स्वामी विवेकानंद को भगवान रामकृष्ण ने कहा, **'अरे तुम्हारे अगणित बांधव अज्ञानांधकार में डूबे हैं, दु:ख वेदना से कराह रहे हैं, तो स्वार्थवश तुम अकेले इस आनंद का उपभोग कैसे ले सकते हो।'** अपने गुरुजी के शब्दों का मर्म समझकर स्वामीजी जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा कार्य में रत रहे। उनके शिष्यों का भी समाज की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया। विश्व जीव-सेवा से व्याप्त है, अत: उसकी सेवा ही उनका जीवनोद्देश्य बना।

राष्ट्र सेविका समिति के नाम में ही सेवा निहित है। सेवा करने वाली वह सेविका। श्वास-प्रश्वास जैसा ही सेवा यह विशेष गुण है। सेवा स्त्री का स्थायी भाव है। समिति कार्य योजना में भी सेवा का विशेष महत्व है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की देह रूप भूमि और वहां रहने वाले लोगों की सेवा। सृष्टि के प्रत्येक घटक की सेवा अर्थात् उनका दोहन, पोषण, मर्यादित उपभोग, उनका संरक्षण करना। राष्ट्र की आत्मा-उसकी जीवनपद्धति, संस्कृति, इतिहास का रक्षण और गौरव बढ़ाना। यही उसकी वास्तविक सेवा है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना, नैसर्गिक साधनों का ही उपयोग करना, समाज में पारस्परिकता का भाव बढ़ाना, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना एवं विकसित करना सेवा के कुछ आयाम हैं।

राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को धारण करना-करवाना, राष्ट्रभक्ति को एवं समर्पण की भावना को मजबूत करना ही राष्ट्र की सेवा है। सेवा के अनेक आयाम जैसे आरोग्य शिविर, छात्रावास, गृह उद्योग केन्द्र, संस्कार केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, भजन, कीर्तन शिविर इत्यादि हो सकते हैं।

वं. मौसीजी एवं ताईजी उत्तम परिचारिका थी। सेवा एवं अपनत्वयुक्त करुणाभाव उनके मन में था। वे हमेशा दूसरों की, विपत्ति एवं दु:ख तकलीफ से ग्रस्त लोगों की सहायता करती थीं। वे कहती थीं कि अविकसित बस्ती में बिना ताम-झाम के जाओ, वहां के लोगों के साथ उठो, बैठो, उनकी आवश्यकताएं समझ लो, उनके आतिथ्य को प्रेम से स्वीकार करो, और उनमें से एक बनकर व्यवहार करो। एकात्मता, समरसता को उन्होंने आत्मसात कर लिया था।

वनवासी क्षेत्रों और पूर्वांचल के लिए समिति का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। असम में गासाई गांव, गुवाहाटी, एनसी हिल्स जिले में हॅपलांग में छात्रावास है। वहां की अपनी बहनों के लिए **'भारत मेरा परिवार है',** इसकी अनुभूति देने का संकल्प लेकर समिति द्वारा छात्रावास चलाए जाते हैं। समिति के छात्रावासों में रसोई से लेकर कम्प्यूटर तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।

आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी संकल्पित हों अपने कर्म क्षेत्र में हम परिवर्तन को और अधिक शक्ति सामर्थ्य से लेकर आएंगी, संगठन और विचार का प्रसार करेंगी। यही हमारी भारत माता के प्रति सच्ची पूजा अर्चना होगी।

"जय मातृ शक्ति
जय मातृभूमि।"

इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल पुरस्कार*

आज इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन (इस्पोरा) के पुरस्कार समारोह में आप खेल पत्रकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। चूंकि किसी भी समाज में खेलकूद का एक अलग महत्व होता है, वे लोग जो खेल प्रतिभाओं एवं खेल के प्रचार-प्रसार हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा लोगों को उससे जोड़ते हैं, वे सर्वथा सम्मान के योग्य हैं। जी हां, मैं खेल पत्रकारों के बारे में ही बात कर रही हूं।

खेल पत्रकार कुछ अलग होते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की खूबी होती है। ऐसे पत्रकारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राजनीति में होने के कारण, मैं उन पत्रकारों से ज्यादातर मुखातिब होती हूं जो कि राजनीति एवं संसद की गतिविधियों को कवर करते हैं। परंतु जैसे कि इन्दौर के लोग जानते हैं कि मैं भारतीय खेल खो-खो से दशकों से जुड़ी हुई हूं। पिछले साल अप्रैल में इन्दौर में तीसरी एशियाई खो-खो चैम्पियनशिप शुरू होने से पहले मैंने खेल पत्रकारों की एक छोटी-सी बैठक दिल्ली में आयोजित की थी। यह मेरे लिए एक अलग अनुभव था।

यह देखकर प्रसन्नता होती है कि धीरे-धीरे लोग खेलों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की मानसिकता में ऐसा बदलाव लाने का श्रेय आप जैसे स्पोर्ट्स राइटर्स को जाता है, जो न केवल खेलों के बारे में लिखते हैं अपितु अपनी लेखनी के माध्यम से खेलों और इसकी उपलब्धियों के बारे में रुचि जगाकर और जागरूकता बढ़ाकर उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। स्पोर्ट्स राइटर्स के बारे में मैं कह सकती हूं कि आप सब प्रतिभा के धनी हैं। कुछ दशकों पहले तक खेलों का बहुत ही कम सीधा प्रसारण होता था। खेल पत्रकारों द्वारा लिखे गए सृजनात्मक लेखन के द्वारा ही लोगों के मन में खेल दृश्यों का चित्र पुनः उभरता था।

*इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में भाषण, इंदौर (24 जनवरी, 2017)

मैं अपने युवा काल के उस समय को याद करती हूं जब हम उत्सुकतापूर्वक सुबह अखबार का इंतजार किया करते थे और पिछले दिन की खेल गतिविधियों के बारे में जानने के लिए खेल कॉलम को पढ़ने के लिए होड़ मच जाती थी। हम आकाशवाणी पर कॉमेंट्री सुनने के अलावा खेल घटनाओं की जानकारी आप जैसे स्पोर्ट्स राइटर्स द्वारा लिखे गए लेखों के माध्यम से प्राप्त करते थे। खेल के मैदान के घटनाक्रम और उत्साह को दर्शाने वाला सजीव चित्रण आप के द्वारा हम सब तक पहुंचता था। पाठकों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक स्पोर्ट्स राइटर को खेल की बारीकियों की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। इससे आप एक खेल विद्या के बारे में जानने के लिये और उस खेल को खेलने के लिये प्रेरित करते हैं। आज यहां पर जो आयोजन हो रहा है वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आपके कार्य की सराहना करती हूं और 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों में से पुरस्कार विजेताओं का चयन करने और सही समय पर प्रमाणपत्रों, किट और नकद राशि प्रदान कर आवश्यक मार्गनिर्देशन दिए जाने के प्रशंसनीय कार्य के लिये आपको बधाई देती हूं।

इन्दौर में खेल पत्रकारिता की एक परम्परा-सी रही है। 70 के दशक के खेल पत्रकारिता के प्रख्यात पत्रकार जैसे स्व. बाला साहेब जगदाले, स्व. जे.डी. मेहता, स्व. सुरेश गवाड़े और हमारे एस.पी. चतुर्वेदी, पद्मश्री सुशील दोषी आप लोगों के बीच मुझे स्मरण आते हैं। ये सब इसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उन दिनों खेलकूद को इतने पेशेवर तरीके से कवर नहीं किया जाता था जैसा कि आज के समय में है। यद्यपि इन्दौर देश में क्रिकेट का एक बड़ा केन्द्र माना जाता है, बहुत कम ऐसे पत्रकार थे जो खेल को full time coverage देते थे। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज हम खेलों से जुड़ी खबरों को बहुत तवज्जो देते हैं और वे बड़ी चाव से देखी-सुनी जाती हैं।

बॉबी तलयार खान, के.एन. प्रभु, शरद कोटनीस, वी.वी. करमाकर, बाल पंडित, के.आर. वाधवानी, प्रभाष जोशी और सुन्दर राजन जैसे कुछ प्रख्यात खेल पत्रकारिता से जुड़े नाम हैं जो देश के अन्य हिस्सों से आते हैं पहले बहुत कम समाचारपत्र ऐसे थे जो खेल समाचारों को एक से ज्यादा पेज पर स्थान देते थे। परंतु, आज के समय में ज्यादातर अखबार विभिन्न खेलों की खबरों को महत्व देते हुए उन्हें पर्याप्त कवरेज देते हैं।

जहां तक मुझे याद आती है कि सत्तर और अस्सी के दशक में और उससे भी पहले कुछ विशेषज्ञ लेखक हुआ करते थे जो कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग एवं एथलेटिक्स इत्यादि के बारे में लिखा करते थे। आज के युग में विशेषज्ञता का विशेष महत्व है।

मुझे अनायास ही सन् 1992 में इस्पोरा और वनवासी कल्याण परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित **"खेल पत्रकारिता पर प्रथम दो-दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार"** की याद आती है जो कि खेल पत्रकारिता में आ रही कलात्मक और वैज्ञानिक तकनीकों पर केन्द्रित था। यदि हम इन बीती घटनाओं पर नजर डालें, तो यह आज से 25 साल पहले की बात है। तात्पर्य यह है कि उस वक्त भी इन्दौर इन चीजों में अग्रणी रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए ताकि खेल पत्रकारों को समर्थन एवं प्रोत्साहन मिले।

आपको जानकर हर्ष होगा कि मैंने नेहरू स्टेडियम की प्रेस गैलरी में बैठकर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने का आनन्द लिया था। आज नेहरू स्टेडियम की जो स्थिति है उस पर हम सबको चिन्तन करना चाहिए।

आज चौबीस घंटे-सातों दिन एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले टेलीविजन न्यूज चैनल और खेलकूद चैनल के युग में खेल-पत्रकारों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार वे स्वस्थ एवं उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता कर सकें। यदि खेल को खेलने वाले और उसे जानने-समझने वाले यदि खेल पत्रकारिता करें तो वे इसकी उत्कृष्टता में और वृद्धि कर सकेंगे। खेल पत्रकारिता करने वालों को खेल के quality coverage के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए।

इस मंच का सही उपयोग करते हुए मैं सारे खेल पत्रकारों से आग्रह करती हूं कि वे सारे खेलों का balance coverage करें। चूंकि मैं भारतीय खेलों से जुड़ी हुई हूं। मेरा मानना है कि भारतीय खेल जैसे कबड्डी, अट्या-पट्या, खो-खो, मलखम्भ, तीरंदाजी और अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी को ज्यादा-से-ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महिलाओं से जुड़े हुए खेलों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। रियो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखें तो पता चलता है कि सभी तीनों विजेताएं महिलाएं थीं। अतः, खेल पत्रकारों को महिला खिलाड़ियों एवं उनके प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें कवरेज देनी चाहिए ताकि और प्रतिभाएं निखरकर सामने आएं।

एक जागरूक खेल पत्रकार के रूप में खेल के मैदान, इसके रख-रखाव, खेल संबंधी उपकरणों, sports stadium maintenance के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में उभरती नई खेल प्रतिभाओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेल में हो रही गड़बड़ियों पर भी पैनी नजर रखी जाए।

मैं आशा करती हूं कि हमारा कार्पोरेट सेक्टर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में और अधिक सक्रियता से पहल करेगा। कार्पोरेट सेक्टर और खेल से जुड़ी हस्तियों के साथ मिलकर हम वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि जैसे विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और अधिक कोचिंग सुविधाओं को स्थापित कर पाएंगे।

मैं युवा और उभरती हुई प्रतिभाओं का पता लगाने और ऐसे व्यक्तियों, जिनमें भारत के राष्ट्र ध्वज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गौरवान्वित करने की क्षमता हो, को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने के सराहनीय कार्य के लिए इंदौर स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन को बधाई देती हूं। मैं इस्पोरा पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूं। आप सभी अपने-अपने खेल क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और हमारे देश का नाम रौशन करें।

धन्यवाद।

पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों का सम्मान*

I am very happy to be present here in the felicitation ceremony of the three masters of their respective fields पद्म विभूषण Dr. K.J. Yesudas, Padamshri Parassala B. Ponnammal (पद्मश्री परसल्ला बी. पोनामल) and Pravasi Samman, 2017 honoured Shri V.K. Rajasekharan Pillai (वी.के. राजशेखरन पिल्लई) in the presence of an august gathering under the auspices of Sree Narayan Global Mission. I feel privileged to share the space with all of you.

श्री नारायण ग्लोबल मिशन के प्रेरणास्रोत श्री नारायण गुरू केरल के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में केरल में अपने सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान से एक आंदोलन को सिंचित किया जिसने समाज की दिशा और दशा में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। एक सफल, संतुलित, समर्पित जीवन जीने की कला गुरू जी ने समाज को दी। उस समय केरल में फैली सामाजिक कुरीतियों को समूल नष्ट करने की दिशा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। He was a yogi, a poet and a mystic. The hallmark of his philosophy was *'Advait'*.

मुझे खुशी है कि श्री नारायण ग्लोबल मिशन, श्री गुरू के जीवन मूल्यों पर चलते हुए लोक कल्याण के विभिन्न काम कर रहा है और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्मुख है। गुरूजी ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। He rightly believed that education has the all important role in the progress of the society itself. According to the Guru the ultimate aim of education should be the spiritual self-realization.

आज जिन तीन विभूतियों को यहां श्री नारायण ग्लोबल मिशन सम्मानित कर रहा है, तीनों मूलतः केरल प्रांत से हैं। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, सभ्यता और संस्कृति सभी अद्भुत है। केरल को *"ईश्वर का अपना घर God's Own Country"*

*पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों के सम्मान के अवसर पर भाषण, केरल (13 अप्रैल, 2017)

कहना सर्वथा उपयुक्त है। मानव संसाधन विकास की आधारभूत संरचना के अनुसार भी केरल की उपलब्धियां सराहनीय हैं।

अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे कर इन तीनों ने समाज को अपनी कला व योगदान से सिंचित किया है। आप तीनों का साधुवाद। यहां मैं कहना चाहूंगी कि एक व्यक्ति का अथक परिश्रम, उसकी दृष्टि, उसका प्रयास, जब किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो उसके परिवार, समाज और देश सबका कल्याण होता है।

The passion of music has no barrier of languages; it is the universal language of our soul. संगीत साधना भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। धर्म से ऊपर उठ कर उस महाशक्ति को समर्पित साधना ही संगीत है। पद्म विभूषण श्री के.जे. येसुदास जी के विषय में मैं यही कहूंगी कि यहां वैसे हम सबने उनके गाने बहुत बार गुनगुनाये हैं और अभी भी गुनगुनाते हैं। चाहे वह यमन राग पर आधारित **"जब दीप जले आना"** गीत हो या राग मालकोस पर आधारित गीत **"गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा''** हो अथवा सिंध भैरवी राग में संगीतबद्ध प्रसिद्ध ठुमरी **"का करूं सजनी आए न बालम"** हो, ये सब मन को अलंकृत और झंकृत कर देते हैं। संगीत प्रेमी और समीक्षक यह मानते हैं कि उनकी आवाज मंदिर में जलते दीये की तरह पावन, प्रेरक एवं अलौकिक है। इसके पीछे उनके जीवन की अर्द्धशताब्दी से अधिक वर्षों की संगीत साधना है। वास्तव में, संगीत और कला का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध है। संगीत देव वाणी है, उसकी कोई भाषा नहीं होती।

Sree Narayana Guru's great message, **"One religion and One God for all humanity",** influenced young Yesudas in his dealings with his fellow men. Yesudas is fondly called Gana Gandharvan (The Celestial Singer). He is also known as a Cultural Icon of Malayalam language—as well as of its ethic group spread across the world—due largely to the fact that his songs have been profoundly ingrained into the minds of Malayalam speaking people for five decades. Yesudas's voice is touched by God. He is a yogi, a mystic who lives for music.

येसुदास की आवाज़ में एक सम्मोहन है, वाणी और उच्चारण में ऐसा आकर्षण है जो भाषा, धर्म, देश, परदेश की सीमाओं से परे जाकर सभी के मन को मोह लेता है और यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उन्हें 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायक

का राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 43 बार केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार ने उन्हें सन् 1975 में पद्मश्री, सन् 2002 में पद्म भूषण और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैसे काशी–विश्वनाथ मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह खान का शहनाई–वादन धर्म और मजहब से परे संगीत के माध्यम से एक आध्यात्मिक आराधना थी, उसी प्रकार, से ही येसुदास जी की वाणी में गाये गए भजन और संस्कृत के श्लोक उसी आध्यात्मिक आराधना की अनुभूति कराते हैं। अपनी मधुर वाणी से वे संगीतप्रेमियों के हृदय को परमेश्वर से जोड़ने का काम करते हैं।

महान संगीतकार रवीन्द्र जैन को येसुदास जी की वाणी और गायकी में ऐसा दैवीय और चमत्कारिक आकर्षण नज़र आता था कि उन्होंने येसुदास जी के लिए कहा था कि **"If ever he (Ravindra Jain) happened to regain vision, the first person he would like to see, would be Dr. K.J. Yesudas".**

एक महान गायक होने के साथ–साथ येसुदास जी एक विनम्र और सादगी पसन्द इंसान हैं। अपनी वर्षों की तप, साधना और अर्जित ज्ञान को वे तिरूवनंतपुरम के अपने स्कूल के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ साझा करने का काम कर रहे हैं। यह उनकी सामाजिक सोद्देश्यता और जिम्मेदारी का परिचायक है। Boys and Girls from all walks of life converge on this centre for music and learn vocal and instrumental music in Hindustani Carnatic, and Western styles.

आदरणीया Padamshri Parassala B. Ponnammal ने पारम्परिक कर्नाटक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 92 वर्ष की उम्र में भी, आज जो शक्ति व शांति उनके व्यक्तित्व में है, वास्तव में वह उनकी साधना की शक्ति है। उनकी संगीत साधना में ईश्वरीय भक्ति का अद्‌भुत संगम है। भारत में संगीत को हमेशा अध्यात्म से जोड़ा जाता है, उससे ईश्वर तक को जानने, उसकी उपासना का संगीत एक सशक्त माध्यम है। उनका **"गुरुवयूर पुरेसा सुप्रभातम"** सुनना मुझे भी प्रिय है।

Her life is a list of 'firsts'. She was the first female student to enroll in the newly started Swathi Thirunal College of Music in Thiruananthpuram during early 1940s. Later she became the first female member of the teaching faculty there. Despite having taught music to thousands of students and disciples, having so many awards

and accolades she essentially the same sweet, grounded, utterly unpretentious and always lived a quiet life.

प्रवासी सम्मान 2017 से सम्मानित, श्री वी.के. राजशेखरन पिल्लई का मैं अभिनंदन करती हूं। सन् 1979 में मीडिया Executive के नाते मुम्बई में अपने कैरियर की शुरुआत कर उन्होंने सऊदी अरब में व्यापार शुरू किया। आज उनकी 12 (National Fire Fighting Company) कम्पनियां भारत, यू.के., बहरीन, सऊदी अरब व सिंगापुर में काम कर रही हैं। व्यवसायी के तौर पर तो उन्होंने शिखर को छुआ है, परंतु फिर भी वे निरंतर लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं और यू.ए.ई. में अपने चैरिटेबल कार्यक्रमों के माध्यम से दु:खी एवं जरूरतमंद लोगों के हितों के लिए लगातार काम करते हैं। यह धर्ममय अर्थशास्त्रयुक्त भारतीय संस्कृति का परिचायक है। श्री वी.के. राजशेखरन जी ने अपने अन्दर परोपकार की इस ज्योति को जलाए रखा है, इसलिए मैं उनका हृदय से साधुवाद करती हूं।

मैं **"श्री नारायण ग्लोबल मिशन"** के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की परिकल्पना कर उसे सुंदर रूप दिया। केरल के समाज की जो कल्पना श्री नारायण गुरु ने की थी, उसमें प्रगतिशील और आधुनिक केरल की तस्वीर आती है। मुझे खुशी है कि आज केरल देश में एक विशेष स्थान रखता है।

हालांकि इन महानुभावों की कलात्मकता एवं खूबी ईश्वरीय देन के साथ-साथ उनकी कड़ी तपस्या और साधना का फल है, लेकिन आज इस अवसर पर यही निवेदन है कि वे अपनी काबिलियत और हुनर की इस पवित्र कड़ी को ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करें।

धन्यवाद।

जन से मन की बात*

माननीय प्रधानमंत्री जी के अति लोकप्रिय रेडियो संबोधन **"मन की बात"** के संकलन के रूप में प्रकाशित पुस्तक **"Mann ki Baat : A Social Revolution on Radio"** और इंडिया टुडे के उप सम्पादक श्री उदय माहुरकर द्वारा लिखित पुस्तक **"Marching with a Billion: Analysing Narendra Modi's Government at Mid Term"** के विमोचन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है।

दोनों किताब अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। There is a common link between two we have Democracy—Republic प्रजातंत्र–हमारे Constitution की शुरुआत ही 'We, the people of India' **'हम भारत के लोग'** से होती है। जब बात सरकार की होती है-पॉलिसी की होती है-योजना की होती है तो कहने के लिए तो वह देश के लिए जनता के लिए, मगर जनता का involvement नहीं – We, the people – हम गायब–मुझे लगता है कि इस देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने इस 'हम' को अपनी बातों में, विकास की नीति, नियम, कार्य सब में शामिल किया। **"सबका साथ सबका विकास"** और अब आई **"मन की बात, मेरी तुम्हारी नहीं, हम सबकी"।** कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात उसी से करता है, जो उसके निकट होता है, उसका प्रिय होता है, जिस पर उसे विश्वास होता है और जिससे संवाद स्थापित करने में उसे समान अनुभूति होती है, अपनत्व का भाव होता है। अतः, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जनता से संवाद स्थापित करने के लिए **'मन की बात'** को माध्यम चुना।

सफल जननायक एवं मार्गदर्शक अच्छे communicator भी होते हैं। वे न केवल आम जनता की भावना, अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को समझते हैं बल्कि अपनी भावना, अपने, विचार व योजनाओं को जनता तक पहुंचाने एवं समझाने में भी सफल होते हैं। यानि Two way Dialogue — परिसंवाद—बातचीत।

---

*'Mann ki Baat: A Social Revolution on Radio' और "Marching with a Billion: Analysing Narendra Modi's Government at Mid-Term" शीर्षक दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर भाषण, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, (26 मई, 2017)

आज के सोशल मीडिया की सक्रियता वाले युग में प्रधानमंत्री जी ने रेडियो जैसे परम्परागत माध्यम को संवाद के लिए चुना। इस अवसर पर मुझे याद आई नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की। वे कहते थे — **"मैं सुभाष बोल रहा हूं....."**। लोग उन्हें कानों में प्राण लाकर सुनते थे। **"मन की बात"** में विषय भी समयोचित होते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, Selfie with daughters, दिव्यांगों के हित, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, जल संरक्षण एवं संवर्धन, नशे की लत से बचाव, अन्न को व्यर्थ न जाने देना, गैस सब्सिडी छोड़ना जैसे आम आदमी के मुद्दे। **"मन की बात"** के उस एपिसोड को सुनकर अनेक लोग भावविभोर हो गए, जब मोदी जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'प्रतिस्पर्द्धा नहीं अनुस्पर्द्धा करो'। यह वास्तव में मनन-चिंतन करने योग्य हैं। मुझे कई लोगों ने पिछले महीनों में बताया है कि रेडियो पर जब मन की बात प्रसारित होती है तो वे अपने बच्चों को जरूर सुनवाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कभी-कभी बच्चे अपने माता-पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु जब देश के प्रधानमंत्री उनसे सीधे संवाद करते हैं तो वे उनकी बातों के अनुपालन को गंभीरता से लेते हैं और युवा वर्ग पर उनकी कही बातों का सशक्त प्रभाव होता है।

"मन की बात" सच में जन-जन की बात है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारे जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करती है। इसकी सुन्दरता यह है कि इसमें राजनीति की कोई झलक नहीं है, विशुद्ध रूप से एक विचार एवं संवाद मंच है। परीक्षा के पहले विद्यार्थियों से चर्चा, ऐसे मुद्दे वास्तव में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। **"मन की बात" के मूल में जनजागृति, जनभागीदारी एवं जनकल्याण की भावना निहित है। प्रधानमंत्री जी जनभागीदारी से विकास को जन-आंदोलन का रूप दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 125 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों की सामूहिक चेतना को जागृत कर उनके अंदर की असीमित ऊर्जा को सुप्रवाहित कर उन्हें राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरित करना है।**

जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो अबे ने कहा - I found P.M. Modi comes next to nobody in caring for the development of his own country from a strategic of long term perspective.

इंडिया टुडे के उपसम्पादक उदय माहुरकर जी को सामयिक एवं प्रासंगिक पुस्तक लिखने के लिए बहुत-बहुत बधाई। यह पुस्तक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह हमारे अत्यन्त लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कार्यशैली से परिचय कराती है कि किस तरह एक ईमानदार, मेहनती, साहसी एवं निर्णायक कार्यकारी प्रमुख

एवं जन नायक ने प्रशासन तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी रूपान्तरण लाकर देश के विकास को नई दिशा एवं आयाम देने का प्रयास किया है। यह पुस्तक अत्यन्त रोचक तरीके से लिखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी कैसे योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करते हैं और उसके बाद उतनी ही सजगता और तल्लीनता से उसका Implementation और monitoring करते हैं ताकि वांछित परिणाम हासिल हो सकें।

इस किताब में अध्याय आठ में सरकार के इन तीन वर्षों को समेटने की कोशिश की गई है। **"सबका साथ सबका विकास"** के मंत्र पर कैसे यह सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है, सभी के लिए योजनाएं बना रही है और उनसे कैसे सभी को लाभ हो रहा है, यह इस किताब में विस्तार से समझाया गया है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनशक्ति का एकजुट होना, जनशक्ति पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है। ये तीन वर्ष जनशक्ति के संगठित होने के प्रतीक हैं। ये तीन वर्ष इस बात के भी प्रतीक हैं कि कैसे जनशक्ति को जोड़कर ही देश का विकास किया जा सकता है। Good Governance और सफल प्रजातंत्र के लिए कहा गया है कि It is necessary that level of national consciousness of common citizen must be raised.

किस तरह आर्थिक लालच देकर नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति में उसके सामर्थ्य को जगाकर, उसे आगे बढ़ने का अवसर देकर उसे सशक्त किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात की गई है। आर्थिक नीतियों का यह एक ऐसा मॉडल है, जिस पर चलने से पहले की सरकारें कतराती रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस सरकार ने कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गरीबों को फायदा पहुंचाया है, भ्रष्टाचार को कम किया है, इस बारे में भी बहुत ही सटीक जानकारियां इस किताब में हैं। एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में Digital-Techno-Revolution हुआ है। सरकार देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान चला रही है।

प्रधानमंत्री जी बिना राजनीतिक लाभ-हानि की चिन्ता किए देश हित में कड़ा-से-कड़ा कदम उठाने का साहस रखते हैं। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली के लुटियन जोन्स के लुभावने सपनों में खो नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री ने सुव्यवस्थित तरीके से देश की जनता में राष्ट्रीय गौरव जागृत करने की आंतरिक

ललक पैदा की है ताकि सबको साथ लेकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तुलसी दास जी ने कहा है और मैं उसे उद्धृत करती हूं-

"मुखिया मुखु सो चाहिये खान पान कहुं एक।
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक॥"

(अर्थ मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने-पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन-पोषण करता है।)

इस किताब में सरकार की योजनाओं एवं उसकी नीतियों की बहुत ही संतुलित समीक्षा की गई है। लेखक को जहां कुछ गलत होते दिखा, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। ये किताब जनता और सरकार के बीच संवाद की एक कड़ी की तरह है। सरकार की नीतियां, उसके काम जनता तक पहुंचे और जनता की राय और उसकी भावना सरकार तक पहुंचे, दोनों का संवाद लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

In my conservations with business leaders, politicians, academics and young people from around the world, Indians everywhere feel deeply engaged, energized and empowered to participate in Prime Minister Modi's new vision for India. With such a decisive and strong leader, there is a great opportunity for Indians to participate in not only reforming, but also transforming India-responsively and responsibly.

भारत छोड़ो आन्दोलन के 75 वर्ष पूर्ण*

भारत की आजादी के 70 वर्ष पूर्ण होने एवं स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव "भारत छोड़ो आन्दोलन" के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उन क्षणों को सभा के सभी सदस्यों एवं समस्त देशवासियों के साथ पुनः स्मरण करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है।

हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में सन् 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक **"भारत छोड़ो आन्दोलन"** शुरू करने का आह्वान करते हुए भारत से अंग्रेजों की सुव्यवस्थित वापसी की मांग की, जिसने विदेशी हुकूमत की नींव हिला दी जिसके कारण हम विदेशी शासन से अपनी मातृभूमि को आजाद करा सकें। यद्यपि, भारत छोड़ो आन्दोलन स्वतंत्रता से पूर्व अन्तिम आन्दोलन था, पर भारत में स्वतंत्रता के लिए किए गए आन्दोलनों का इतिहास बहुत लम्बा है।

यह सच है कि एक समय भारत में ब्रिटिश की हुकूमत हो गई थी, पर इससे बड़ा सच यह है कि पहले दिन से ही भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास आरंभ हो गए थे। जहां ब्रिटिश अपनी औपनिवेशिक (colonial) सत्ता का आनंद ले रहे थे, वहीं स्थानीय शासक, किसान, बुद्धिजीवी, आम जनता एवं विभिन्न राज्यों के सैनिकों के मन में स्वराज्य की भावना उमड़ रही थी। जगह-जगह विदेशी शासन के खिलाफ विभिन्न रूपों में जनाक्रोश झलकता था। इस परचक्र के खिलाफ सतत् आक्रोश फूट रहा था। इनमें ओडिशा का पाइक विद्रोह, स्वाधीनता की मशाल बनने को आतुर था। दक्षिण भारत में धीरान चिन्नमलई, कट्टोबोममान, झारखंड के संथाल विद्रोह के बारे में सबने सुना है। राम सिंह कुका भी इनमें से एक थे।

महान स्वतंत्रता सेनानियों को तो सब लोग जानते हैं, परंतु ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बाबू गेनू, उनके पहले वासुदेव बलवन्त फड़के, कर्नाटक की कित्तूर रानी चेन्नम्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पूर्ववर्ती बंगाल की मतंगिनी हाजरा और नागालैंड की रानी गाईदिन्ल्यु।

*भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाषण, लोक सभा, नई दिल्ली (9 अगस्त, 2017)

ये तो कुछ ही नाम हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए लेकिन गुमनाम रहे।

महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का घोष वाक्य **"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा,"** तथा गांधी जी का कथन **"Let every Indian consider himself to be a free man,"** जो उन्होंने अगस्त क्रांति के समय दिया; से समझ आता है कि कैसे जगह-जगह हो रहे छोटे-छोटे आन्दोलन को समेटकर एक राष्ट्रव्यापी आह्वान 1942 में हुआ। **"भारत छोड़ो आन्दोलन"** ने **'करेंगे या मरेंगे'** का नारा देकर स्वतंत्रता की इस लड़ाई को गति भी दी। यह एक ऐसा आन्दोलन था जब अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत में राज करना सम्भव नहीं है।

मैं पटना के सचिवालय में तिरंगा फहराने वाले उन वीर शहीदों के साहस, आत्मत्याग और बलिदान का स्मरण करते हुए अत्यन्त द्रवीभूत हूं जिन्होंने ब्रिटिश पुलिस की गोलियों की परवाह न करते हुए सचिवालय पर तिरंगा फहराकर भारत की स्वतंत्रता की पूर्व उद्घोषणा कर दी थी। ऐसी ही साहसिक घटनाएं देश के अन्य शहरों जैसे मुंगेर, मुर्शिदाबाद, सतारा, बलिया एवं अन्य छोटे शहरों में हुई एवं कई इलाकों ने अपने आपको ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया।

8 अगस्त 1942 की देर शाम मुम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान की बैठक में **"भारत छोड़ो आन्दोलन"** प्रस्ताव पेश हुआ। उसी रात्रि को **"अंग्रेजों भारत छोड़ो"** के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। 90 मिनट के अपने भाषण में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि **"करेंगे या मरेंगे"**। ब्रिटिश सरकार ने आधी रात में एक के बाद एक धड़-पकड़ शुरू की। व्यापक गिरफ्तारियों से राष्ट्र हतप्रभ रह गया किन्तु मृत नहीं हुआ।

भारत छोड़ो आन्दोलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इस आन्दोलन ने देश के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ, गांव-देहात के करोड़ों किसानों, मजदूरों और नौजवानों की चेतना को झकझोरा एवं उनको प्रत्यक्ष रूप से इस स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा।

आज हम सब **"भारत छोड़ो आन्दोलन"** में शहीद हुए उन बेनाम वीरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिनके हृदय में देशभक्ति की सदा-सर्वदा प्रज्जवलित होने वाली मशाल जलती थी, जिनकी आंखों में स्वतंत्र नव भारत के सपने थे।

उन वीरों, महापुरुषों एवं संतात्माओं के दृष्टिकोण को समझने, अपनाने एवं उनका प्रचार-प्रसार करने का पुनीत कर्तव्य भी हम सभी का है।

जिस जोश, साहस, संकल्प, आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ हमने आजादी पाई थी, उन्हीं गुणों को पुनः आत्मसात करके हम हमारे सपनों का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, सशक्त, समृद्ध एवं विश्वस्तरीय भारत बना सकते हैं।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तब कहा था **"भारत छोड़ो"**। अब हमें भारत जोड़ो आन्दोलन की जरूरत है। एक ऐसा आन्दोलन जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए ताकि हम एक सबल और संगठित भारत का निर्माण कर सकें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें समावेशी विकास हो। हमें विकास के लाभों को देश के सभी भागों तक पहुंचाना है और अभाव को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था — निर्धनतम वर्ग की ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसे एक प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोहराया था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और विकास पहुंचाना है। यह अन्त्योदय की कल्पना है।

लोकमान्य तिलक ने कहा था कि **"स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे तो मी मिलवीनच"**। अब यह भी कहना आवश्यक है कि **"सुराज मेरा परम कर्त्तव्य है और मैं उसे पूरा करूंगा ही।"**

जय हिन्द।

उप-राष्ट्रपति
श्री हामिद अंसारी का विदाई समारोह*

आज, हम यहां श्री हामिद अंसारी जी को स्नेहपूर्ण विदाई दे रहे हैं, जिन्होंने पिछले दस साल से उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के उच्च पद पर सेवाएं दीं। उन्होंने अपनी विद्वता तथा विशेषज्ञता से इस उच्च संवैधानिक पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन किया।

वर्ष 2007 में पद ग्रहण करने पर राज्य सभा में श्री अंसारी जी ने कहा था: "मैं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करने और इस परिषद् के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा और संरक्षा करने के सभी संभव प्रयास करने की शपथ लेता हूं।" निस्संदेह, पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने अच्छा कार्य किया है।

राजनीति के प्रतिस्पर्धात्मक बनने के साथ ही पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी काफी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। परन्तु श्री अंसारी ने अपने राजनयिक कौशल का पूरा उपयोग करते हुए यह प्रयास किया कि सभा की कार्यवाही स्थापित संवैधानिक नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार चले। उन्होंने सदैव सदस्यों को स्वेच्छा से अपने आप पर नियंत्रण रखने एवं सभा की मर्यादा, गरिमा एवं शालीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रेरित किया। आपने हमेशा representation & participating governance के महत्व को समझा। आपका विश्वास राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कथन- 'Parliament is not only a legislative body but also a deliberative body.' पर हमेशा बना रहा और संसद में बेहतरीन तरीके से deliberations हो, ऐसा प्रयास आपका रहा है।

भारतीय विदेश सेवा के अपने दीर्घ कार्यकाल में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान जैसे पश्चिमी एशियाई देशों में भारत के राजदूत के रूप में अपने कर्त्तव्यों के साथ पश्चिम एशिया के बारे में गहन जानकारी और अपने लेखन से भी जाने जाते हैं।

आपने राजनीति के केन्द्र में रहकर कार्य करने वाले उच्च पद के, जिसे अपने कार्य की प्रकृति के अनुसार राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर कार्य करना

* जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली (10 अगस्त, 2017)

होता है, कर्त्तव्यों और अपेक्षाओं के साथ स्वयं को संयम के साथ समायोजित किया यह बात हमारी संवैधानिक प्रणाली की परिपक्वता की महत्ता को दर्शाती है कि यह प्रणाली अपने साथ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को साथ लेकर चलती है और अपनी गरिमा भी बढ़ाती है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे प्रिय अंसारी जी असाधारण उत्कृष्टता के साथ संवैधानिक पदों पर कार्य करने वाले ऐसे गैर-राजनीतिक व्यक्तियों के ज्वलंत उदाहरण हैं।

वास्तव में श्री अंसारी जी के लिए आराम और व्यस्तता रहित जीवन एक नई बात होगी, जिसका अवसर उन्हें अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ। आप काम के बोझ से कभी थके नहीं। आठ दशकों से अधिक की आयु में भी आप अत्यंत ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं। अपनी प्रखर उर्वरता एवं बुद्धिमत्ता से आपने सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं बौद्धिक परिवेश पर अपनी एक विशिष्ट एवं अमिट छाप छोड़ी है।

मेरी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, बौद्धिक रूप से सक्रिय रहें तथा अपने पोतों-पोतियों की मुस्कराहटों के बीच जीवन व्यतीत करें। यह ऐसा सुख है जिससे आप कार्य की व्यस्तता के कारण अब तक वंचित रह गए होंगे।

धन्यवाद।

डॉ. एम.सी. नाहटा राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा पुरस्कार*

राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्था इन्दौर के तत्वावधान में दिए जाने वाले तेरहवें डॉ. एम.सी. नाहटा राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जाने के अवसर पर आयोजित इस समारोह में यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अवसर पर सबसे पहले उन सभी नेत्र रोग विशेषज्ञों का अभिनंदन करती हूं जिन्होंने लोगों की जिन्दगी में रोशनी को बनाए रखने एवं उच्च स्तर की नेत्र रक्षण विशिष्टता का उपयोग करते हुए बहुतों के जीवन में प्रत्याशित परिवर्तन लाया है, नेत्र रक्षा की अलख जगाई है और हजारों ऐसे नेत्र रोगियों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद बन गए हैं।

ऐसे ही एक नेत्र विशेषज्ञ हुए हैं जिन्हें हम डॉ. एम.सी. नाहटा के नाम से जानते हैं। उन्होंने नेत्र से संबंधित रोगों के विषय में इतनी विशेषज्ञता हासिल की है, जिस मनोयोग से उन्होंने अपने पेशे को धर्म के रूप में अपनाया और लाखों नेत्र रोगियों की सेवा की है, उनकी सर्जरी की है, वह अतुलनीय है। तभी तो पिछले बारह वर्षों से उनके नाम पर नेत्र विशेषज्ञों एवं उनसे जुड़ी संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष नेत्र विशेषज्ञ डॉ. ए. साईबाबा गौड़ को उनकी कर्मनिष्ठ एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉ. एम.सी. नाहटा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उनको बहुत-बहुत बधाई। आशा करती हूं कि वे इसी प्रकार अपने कर्त्तव्यपथ पर निरंतर चलते रहेंगे और समाज के उन व्यक्तियों के नेत्रों में रोशनी की अलख जगाते रहेंगे।

डॉ. माणकचंद नाहटा एक ऐसे कर्मनिष्ठ डॉक्टर हैं जिन्होंने निरंतर नेत्र रोग के इलाज की दिशा में कई innovations पर बल दिया। कम सुविधा से अत्याधुनिक सुविधा में बदलने की इस अवधि में उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को नेत्र रोगों के प्रति जागरूक करें एवं समाज में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाएं। उन्होंने भोपाल

*राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्था, इंदौर के तत्वावधान में दिए जाने वाले 13वें डॉ. एम.सी. नाहटा राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किये जाने के अवसर पर भाषण, इंदौर (24 सितंबर, 2017)

मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक रहते हुए कई बार नेत्र शिविर आयोजित किए। Retinal Surgery में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से वे अध्ययन हेतु इंग्लैंड भी गए। उन्होंने इन्दौर में मोतियाबिन्द के उपचार हेतु आंखों के अन्दर लेन्स के प्रत्यारोपण का कार्य प्रारंभ किया। इसी से जुड़ी प्रथम लेजर फोटो कोआगुलेटर मशीन की स्थापना उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है। Retinal Surgery में दक्षता इनके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है।

इससे भी आगे बढ़कर, डॉ. नाहटा ने एम.वाई. अस्पताल में पहला लो–विज़न केन्द्र स्थापित किया, जो आज भी नेत्र रोगियों के सेवार्थ उपयोग में लाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पुणे में आयोजित अखिल भारतीय नेत्र चिकित्सक संघ के तत्वावधान में आयोजित की गई थी जिस पर मायोपिया की गंभीर समस्या पर चर्चा की गई थी। डॉ. नाहटा ने इसके लिए अलग विचार रखा था जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एजेंडा बनकर उभरा। भोपाल की गैस त्रासदी के दौरान नेत्र रक्षा में उनका योगदान उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने रेटिना के डिटैचमेंट पर श्रेष्ठतम क्लिनिकल कार्य किया है। साथ ही विशेष उपकरण **“फोकोमीटर”** द्वारा चश्मे का नम्बर निकालने का कार्य प्रारंभ किया जिससे गंजबसौदा ब्लॉक की लाखों आबादी को फायदा मिला है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से ही इस पुरस्कार की स्थापना हुई है।

राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा केन्द्र, इन्दौर द्वारा उनके नाम पर स्थापित इस पुरस्कार के पीछे का उद्देश्य उनके जैसे कर्त्तव्यपरायण एवं कर्मठ नेत्र चिकित्सक का सम्मान करना एवं इससे बढ़कर उन्हें समाज में प्रतिष्ठित करना है जो ऐसे पुनीत कार्यों में लगे हैं।

मित्रो! इस नेत्र सुरक्षा केन्द्र का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा यह प्रबंध भी करना है कि अधिक से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी को जहां तक संभव हो, रक्षा की जाए। इसके लिए समस्त नेत्र चिकित्सकों का सहयोग, दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत और वचनबद्धता आवश्यक है।

हम सब अवगत हैं कि गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के लोगों को कम लागत पर या जरूरत पड़ने पर निःशुल्क और बहुत अच्छी नेत्र देखभाल सेवा नहीं मिल पाती है। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए नेत्र से संबंधित इलाज की उत्तम व्यवस्था करना सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों का कर्त्तव्य है। हम सब जानते

हैं कि आंखें हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं और सक्रिय जीवन जीने के लिए आंखों का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए कुदरत की अनुपम नेमत हैं जो हमें ईश्वरीय रचना को, इस अद्भुत संसार को देखने में मदद करता है। हम दुनिया के रंग एवं उनके विभिन्न भाव को देखकर समझ जाते हैं। जो एक झलक में दिखता है उसका वर्णन सौ वाक्यों में भी नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, The eyes are the window of the soul.

एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में दृष्टि बाधित या नेत्र रोग से बहुत से लोग पीड़ित हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व के 37 मिलियन लोग दृष्टिबाधित (visually impaired) हैं जिनमें से 15 मिलियन केवल भारत में हैं। इनमें से 75 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जो सही समय पर इलाज न मिलने के कारण आज दृष्टिहीनता के शिकार हो गए हैं। शायद यही कसक डॉ. एम.सी. नाहटा की प्रेरणा बनी हो। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगभग 40,000 नेत्रदृष्टि जांचने वाले (Optometrists) की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में नेत्रदृष्टि जांचने वाले प्रशिक्षित लोगों की संख्या सिर्फ 8000 है। नेत्र विशेषज्ञ कम होने से उन पर कार्यभार ज्यादा है और समय पर नेत्र रोगियों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है। National Programme for Control of Blindness के अनुसार अभी तक भारत में 1.5 प्रतिशत लोग दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं, इसको सन् 2020 तक 0.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

ऋग्वेद (10-158) में नेत्र के विषय में यह कहा गया है:-

"चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः।
चक्षुर्धाता दधातु नः। चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे
चक्षुर्विख्ये तनूच्यः। संचेदं विच पश्येम।"

(Sun is supposed to give energy and life to the entire planet and strength to eyes. This prayer is for relief from eye diseases and for attaining brilliant vision. It's reading/chanting alone is sufficient. The vision is enhanced and eyes become brilliant. The prayer is addressed to Lord Surya and it is prayed that by relieving me from my own bad karma from the past life, instill light in my eyes and cure all my eye diseases.)

हमारे भारतीय वांग्मय में भी दृष्टि (नेत्रों) और उनकी महत्ता पर विचार हुआ

है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद् चाक्षुषोपनिषद् में ऋषि अहिर्बुध्य ने इसका वर्णन किया है और इसके गायत्री छन्द में नेत्रों की बीमारियों के निदान के उपाय भी बताएं हैं। इसकी प्राथमिकता के आधार पर देखभाल की जानी चाहिए।

इस बात से हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे शहर इन्दौर में ऐसी संस्थाएं हैं और बन रहीं हैं जो यहां के लोगों के परोपकारी स्वभाव को दर्शाती हैं। मानव जीवन बड़े पुण्यों से मिलता है और परोपकार हमें सच्ची शांति देता है। यह बहुत सच्चा सुख और आनन्द है। परोपकारी व्यक्ति के लिए संसार कुटुम्ब बन जाता है और **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की हमारी भावना को प्रगाढ़ता मिलती है।

"आत्मार्थ जीवन लोके अस्मिन् को न जीवति मानवः
परं परोपकार्थ यो जीवति, सः जीवति॥"

(इस जीवलोक में अपने लिए कौन नहीं जीता? परंतु जो परोपकार के लिए जीता है, वही सच्चा जीवन है)

मित्रो, डॉ. ए. साईबाबा गौड़ ने नेत्र की रोशनी की रक्षा एवं कैसे दृष्टिहीनता से निपटा जाए, इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है और समाज में लोगों को नेत्र की देखभाल के प्रति संवेदनशील बनाया है। मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी निरंतर नेत्र रक्षा के पावन कार्य में लगे रहेंगे और अधिकाधिक लोगों को नेत्र से संबंधित बीमारियों से मुक्त रहने के उपायों को बताते रहेंगे एवं नवीन एवं innovative modern technology का उपयोग करते हुए अधिकाधिक लोगों को नेत्र चिकित्सा प्रदान कर उन्हें प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने में सहयोगी बनते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः डॉ. ए. साईबाबा गौड़ को **"डॉ. एम.सी. नाहटा पुरस्कार"** प्राप्त करने पर बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

धन्यवाद।

Officers of Kendriya Sainik Board pinning flag on Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan on the occasion of the Armed Forces Flag Day on 7 December, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan met Bharat Ratna Ms. Lata Mangeshkar at her residence in Mumbai on 28 September, 2018.

Prime Minister, Shri Narendra Modi; Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan; Deputy Speaker, Lok Sabha, Dr. M. Thambi Durai; Union Minister of Parliamentary Affairs and Chemicals and Fertilizers, Shri Ananth Kumar; Minister of State (Independent Charge) for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri; Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Arjun Ram Meghwal; Members of Parliament and other dignitaries after the inauguration of the Western Court Annexe at Janpath, New Delhi on 4 April, 2018.

Lok Sabha Speaker, Smt. Sumitra Mahajan handing over 5 croreth connection to the beneficiary of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in the presence of Union Minister of Petroleum & Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan in the Parliament House on 3 August, 2018.

GIVING VOICE TO THE YOUTH : MECHANISMS FOR ENSURING EFFECTIVE PARTICIPATION OF YOUTH IN THE GOVERNANCE PROCESS*

It is indeed a privilege and an important opportunity to be a 'Discussion Leader' at the Workshop on 'Giving Voice to the Youth: Mechanisms for Ensuring Effective Participation of Youth in the Governance Process'. Our ancient Indian texts are a rich source of wisdom and inspiration. I would like to quote a Shloka from Bhartrihari's Neetishatak (भर्तृहरि नीतिशतक) "उत्साह सम्पन्नं अदीर्घ सूं क्रियाविधिज्ञं। शूं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवासहेतो।" (The Goddess of wealth comes all herself to stay with a person who is enthusiastic, not lazy; knows how to work; one who is not interested in bad habits; brave, grateful & consistent gratitude).

Friends, When we talk of making efforts for effective participation of youth, I strongly believe that, it should happen in an organic manner. We need to enrich their process of growing up and facilitate connect with societal ethos and practices and that connect, as one may find, would be have a natural outcome. There is little doubt that youth hold a great promise to each nation but we need to work with them for enabling their effective delivery. In this context, first and foremost, I feel we should make additional efforts to expose our youth to their immediate surroundings and reality-reality around them, reality within the country and, of course, beyond borders, around our immediate neighbourhood. All great leaders, and I feel all citizens, should try to explore their own connect with culture, economy and people-centric processes. This would strengthen the process of naturalization.

* At the workshop during the 63rd Commonwealth Parliamentary Conference, Dhaka, Bangladesh (1-8 November, 2017).

When Mahatma Gandhi came back to India from South Africa, our great leader and mentor of Mahatma Gandhi, Shri Gopal Krishna Gokhale advised him to tour across India and enrich his understanding of our people. This opened Gandhi ji to a world, he had limited knowledge of. This, in fact, was continuation of an old practice in India when students had to be sent with their Gurus for education. Even Buddha had to be out in open for deeper connect. It was with this idea that Rabindranath Tagore thought of Santiniketan, for young minds to be in touch with environment with the core concept that learning be a part of natural growth. Surroundings and realities bring in greater appreciation for different cultures, different ways of life, exposes to the idea of pluralities and beauty of different colours. This exposure while would bring in the value of 'One World' in their minds and thoughts, it would eventually make them great citizens of their own countries. This context setting would be essential, as today's youth have greater exposure and access to information than in earlier times, due to information revolution across the world. Idea of 'One World', would help us channelize their exposure but with information experience is very necessary.

Friends we all are aware that the Commonwealth perceives young people aged 15-29 as assets to a country's development, who should be empowered to realize their potential. We, in India, share the Commonwealth vision and stand committed to comprehensive and constructive engagement of youth in all realms of activity. 'लालयेत् पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्। प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्। (This means the child should be pampered until the age of five and may be disciplined until the age of ten. Once he reaches the age of sixteen, however, he should be treated like a friend).

According to Indian Philosophy, human life is believed to comprise of four stages. These are called the 'ashramas' and every person should ideally go through each of these. Up to 25 years of age, the first Ashrama is 'Brahmacharya' or the Student Stage, where you learn knowledge, know things and get skilled. From 25 to 50 years, the

second Ashrama is 'Grihastha' or the Householder Stage, where you work, earn and take care of your family. The third Ashrama, 50 to 75 years of age is 'Vanaprastha' Stage, where we dedicate ourselves for serving the society and to do worship. The Fourth Ashrama, age 75 and above is 'Sannyasa' Stage, where you worship, and advise for the betterment of the society. Friends India is one of the youngest nations in the world, with about 65 per cent of the population under 35 years of age. The youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5 per cent of our population. In our country, we have the National Youth Policy, which was re-launched in 2014.

I would take this opportunity to highlight that Participation of Youth in Politics and Governance is one of the key priority areas of this Policy. Emphasis is being laid on the need to ensure that the youth participate in politics at all levels, from the grassroots to the national stage. Youth participation is envisaged by contesting elections and by holding political positions as well as by casting their votes in elections. Since 1985, we in India, celebrating 12th January, the birth anniversary of our legendary scholar and freedom fighter, Swami Vivekanand as the National Youth Day. The policy for youth to enter politics should be such that the youth can participate in an easy manner. The Policy recommends that the Government Departments should have vibrant 'youth connect' programmes. Our Government, through the Policy has in fact, laid a lot of emphasis on actively associating the youth in the governance and development process, *i.e.*, in the policy formation as well as implementation. We have the Department of Youth Affairs, which specifically formulates policies for the youth, gives them support and channelizes their energies into creative endeavours.

The philosophy stems from our firm belief that through young people's motivation and engagement alone, citizens can become a more energetic and organised voice. Youth are the engine to take the vehicle of family, society or nation forward. Friends, to initiate our youngsters into our democratic traditions from an early age, our

Department of Youth Affairs has been organising youth Parliament Programmes at Block and Village levels across the country, with active involvement of prevailing recognized youth clubs. It has so far organized 25,624 Block-level and 51,861 village-level Youth Parliament Programmes. Our Government has launched the National Young Leaders Programme with the objective of developing leadership qualities and service motive among the youth. For us, economic empowerment of youth is a prerequisite for any policy, framework envisaged to ensure their effective participation in the governance process. Under the guidance of our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Government has launched path-breaking initiatives *i.e.* Skill India to train people in different skills and Start-up India to boost youth entrepreneurship and encourage job creation. Till July 2017, our Government through its flagship scheme has trained more than 3 million candidates across the country in the past two years.

We envision that our leaders of tomorrow would emerge higher from the skilled workforce of our villages where India lives and flourishes. Ladies and Gentlemen, Besides having enacted legislations that have touched and transformed the lives of our youth, our Parliament itself has evolved to attract youth to our democratic traditions and practices. Study Visits for young students, scholars, academics and others in order to provide them requisite orientation on the role and functions of Parliament have become a regular feature. Since I launched Speaker's Research Initiative (SRI) and Speaker's Fellowship programme, we also revitalized Speaker's Internship Programme. The response from youth is quite impressive. More than 100 interns have undertaken training in our Parliament. Our Parliament has also provided training and guidance to Parliamentarians and the Officials, from across the world through Bureau of Parliament Studies and Training (BPST). Our present House of People, Lok Sabha has largest ever young Parliamentarians. I would like to suggest that to encourage more participation of youth in Politics; Training & Discussion in Youth Parliament is very useful.

Towards making policy for more participation of youth, we must also think about how to reduce the cost of election process. Smooth, Smart and Low cost elections are necessary. Taking all these things in to considerations, we must give way to Youth to express, to develop skills, to build competency, and to acquire confidence, because investment in youth is insurance for future. So we must share our views, experience and best practices to give them voice and make them part of good governance. One thing is sure, we have to give this message of Swami Vivekananda to our youth, "Arise! Awake! and stop not until the goal is reached". With these words, I once again thank you for giving me this opportunity to share my views as the Discussion Leader.

Thank you.

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का स्मृति व्याख्यान माला*

श्री दत्तोपंत जी का जीवन प्रेरणादायक, उनकी राष्ट्रीय समझ व समर्पण, उनका सादगीपूर्ण जीवन, उनकी दूरदृष्टि, राष्ट्र-निर्माण की शक्ति, कृषक समुदाय एवं श्रमिक वर्ग के लिए किए गए उनके सभी प्रयास एवं अनगिनत ऐसे तथ्य हैं जो ठेंगड़ी जी को पूज्य लोगों की श्रेणी में ला देते हैं। तभी तो उन्हें राष्ट्र ऋषि के रूप में संबोधित किया गया है।

श्री दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक योग्य सांसद, मजदूर नेता, कुशल संगठक और एक महान देशभक्त थे जो स्वदेशी विचारधारा से जुड़े रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने श्रमिक वर्ग के हितों का समर्थन किया तथा अन्य संस्थाओं के साथ-साथ 1955 में भारतीय मजदूर संघ, 1979 में भारतीय किसान संघ तथा 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की।

सांसद के रूप में वह लगातार दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे। वह जमीन से जुड़े व्यक्ति थे जिन्होंने श्रमिकों के हितों और उनके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक सामाजिक व राष्ट्रीय उत्थान का काम किया। उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक हैं।

उनके जीवन दर्शन व क्रियाकलापों में कालिदास जी के इस श्लोक की झलक मिलती है-

"पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः? (कालिदास)

(अर्थात् पुरानी होने से ही न तो सभी वस्तुएं अच्छी होती हैं और न नयी होने से बुरी तथा हेय। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि से परीक्षा करके श्रेष्ठकर वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं और मूर्ख लोग दूसरों द्वारा बताने पर ग्राह्य अथवा अग्राह्य का निर्णय करते है।)

आज जब विश्व ग्लोबलाइजेशन की ओर अग्रसर है। मुझे उनके ये विचार कि भारत स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीयवादी है, का स्मरण होता है।

दत्तोपंत जी का यह विश्वास/कथन कि समूचा ज्ञान सार्वभौम है, यह न पाश्चात्य है न पौर्वात्य। उनके व्यापक दृष्टिकोण पर चिन्तन करें, तो इसकी गहराई समझ आती है। दत्तोपंत

*दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की स्मृति व्याख्यान माला में भाषण, नई दिल्ली (21 नवंबर, 2017)

जी हमेशा सार्वभौम नियमों की बात करते थे। इसके तहत समय-समय पर समाज के ऊपरी ढांचे के पुनर्निर्माण की बात करते थे।

हमारा राष्ट्र एक अद्‌भुत, प्राचीन एवं विशिष्ट राष्ट्र है और वह न केवल राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए उपयोगी है। उनका मानना था कि हम अपने अतीत की अवहेलना नहीं कर सके हैं पर सदियों के गतिरोधकाल में जो भूल-चूक हुई है, उसे सुधारें, उसे आगे ढोते ना रहें। ऐसा विवेक राष्ट्रीय चिन्तन के लिए आवश्यक है।

उनके विचार में मानव चेतना की प्रगति के मार्ग में राष्ट्रवाद, आदिम जातिवाद और मानववाद के बीच का सेतु है और स्वयं मानववाद ही Universalisation की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दत्तोपंत जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। उनका मानना था कि कोई भी विचार अगर वास्तव में स्थापित करना है तो उसका व्यावहारिक आचरण करके दिखाना चाहिए। महात्मा गांधी जी की भी अंतरदृष्टि कुछ ऐसी ही थी। हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार सम्पूर्ण अस्तित्व ही परमात्म चैतन्य का आविष्कार है:- **"सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईशवास्यमिदं सर्वम्" "वासुदेवः सर्वम!"** इन वेद एवं गीता वाक्यों का यही भाव है।

दत्तोपंत जी का अर्थ विचार बहुत गहरा एवं सर्वग्राही था। वे ऐसा चाहते थे कि भारतीय चिन्तन के अनुरूप ही अर्थव्यवस्था का निर्धारण हो। वह यह अच्छी तरह जानते थे कि पश्चिमी जगत असीम उपभोगवाद पर चलता है और भारत संयमित उपभोग पर। प्रत्येक भारतीय मन में अन्त्योदय का विचार आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, परम्परा एवं आचरण सभी उसी रंग में रंगे हैं — "Unto the Last". यहां प्राणी तथा वनस्पति तक का भी ख्याल आत्मीयता के साथ रखा जाता है।

मजदूरों और किसानों का कल्याण उनकी प्राथमिकता की सूची में था। वे देश के बहुत बड़े, शोषित-पीड़ित एवं असंगठित जन समुदाय में हमेशा आत्मविश्वास जागृत करने का कार्य करते थे। उन्होंने यह आह्वान किया था कि **"हर किसान हमारा नेता है।"** उन्होंने यह नारा दिया था कि **"देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे।"**

किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय किसान संघ की नींव भी रखी जिनमें किसानों के हितों पर सामूहिक चर्चा करते हुए समुचित निर्णय लेकर उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जा सके। वास्तव में मजदूर और किसान ही तो हमारे समाज की रीढ़ हैं।

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना करके उन्होंने देशवासियों को अपने मूलभूत हितों की रक्षा के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र में नागरिकों को प्रदत्त विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। स्वदेशी को मजबूत कर भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने, यहां की कला-संस्कृति को संजोकर रखने के लिए

उनका आह्वान किया कि स्वदेशी जागरण के अभियान में सहभागी होना, सभी देशभक्तों का अधिकार एवं कर्त्तव्य है। कोई भी आन्दोलन यदि यशस्वी होता है तो विचारों के आधार पर होता है। स्वदेशी वैचारिक आन्दोलन है और इसकी व्यापकता देश को मजबूत करती है।

आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने मुखर रूप से संघर्ष किया एवं सरकार को अपनी जनता के हित सुरक्षित करने की दिशा में काम करने की पैरवी की। स्वेदशी जागरण मंच एवं अन्य कई देशभक्तिपूर्ण संगठनों द्वारा देश भर में किए गए सभा, संगोष्ठी एवं प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने आम जनमानस में उन विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया एवं विश्व व्यापार संगठन को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो हमारी जनता के हित में थे। विदेशों में सिद्धान्त है अधिकतम उत्पादन-अधिकतम उपयोग, जबकि प्राचीन काल से ही हमारा सिद्धान्त रहा है अधिकतम उत्पादन-न्यूनतम उपयोग-नियंत्रित उपभोग-संयमित उपभोग। जब संयमित उपभोग होता है तो बचत बढ़ती है। बचत बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था विकसित होती है। ठेंगड़ी जी का यह पूर्ण विश्वास था और वे समय-समय पर यह बात कहते थे कि अगर न्यूनतम उपभोग को स्वीकार करेंगे तो हमारा समाज ज्यादा समतामूलक बनेगा। गांधी जी के बहुचर्चित वाक्य — **There is enough on earth for everybody's need, but not enough for everybody's greed.**" में भी यही भावना छिपी है।

ठेंगड़ी जी का दृढ़ विश्वास था कि बिना सोचे-विचारे पश्चिमी देशों की नकल करने की बजाए भारत की अपनी मूल्य प्रणाली और सांस्कृतिक लोकाचार का अनुसरण करने से ही राष्ट्रीय पुनर्जागरण और विकास हो सकता है। स्वदेशी के अनेक प्रकरण आज भी हमें सोचने को प्रेरित करते हैं। वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह भारत आए थे। जैसे ही वे यहां पहुंचे, कुछ पत्रकार हवाई जहाज तक गए थे। उन्होंने देखा कि उनकी पैन्ट की सिलाई कहीं-कहीं दुबारा सिली हुई है। लोगों ने पूछा, आप तो राष्ट्रपति हैं फिर आपकी पैन्ट ऐसी क्यों — उन्होंने जवाब दिया **"My country can only afford this."** यह स्वदेशी है। ऐसा ही एक प्रकरण गांधी जी से संबंधित है। गांधी-इर्विन पैक्ट पर चर्चा चल रही थी। दोपहर के बाद चाय का समय आया। लार्ड इर्विन के लिए चाय आई गांधी जी के लिए निम्बू-पानी। गांधी जी ने जेब से पुड़िया निकाली और पानी डाला। वायसराय ने पूछा कि क्या है यह। गांधी जी ने कहा—आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया है, यह नमक की पुड़िया से नमक डाल रहा हूं, यह स्वदेशी है।

हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में माहिर लेखक दत्तोपंत जी ने अनेक पुस्तक और पुस्तिकाएं लिखीं जिनमें से अधिकांश कामगारों और दलितों के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में थीं। **"तीसरा विकल्प"** उनकी अंतिम पुस्तक थी जिसका हिन्दी अनुवाद नागपुर की डॉ. लीना रस्तोगी ने किया है। Globalisation के इस दौर में यह पुस्तक बहुत सामयिक एवं प्रासंगिक है।

श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने यह स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था कि **"World Trade Organisation is a misnomer, it is a Western World Trade Organisation".** यह उनके नेतृत्व का ही परिणाम था कि विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील देशों के मुताबिक अपने नियमों को कुछ modify किया है।

वे मानते थे कि भारतीय जीवन एवं दर्शन पद्धति वास्तव में बहुत unique है एवं जब देशभक्ति से प्रेरित, स्वायत्त और स्वयंशासी जन संगठन राज सत्ता पर, धर्मदंड की भूमिका सफलतापूर्वक निभाएंगे, तभी राजसत्ता राजधर्म का पालन करेगी।

समाज के विषय में, अर्थ के विषय में उनकी परिकल्पना इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है—

"अभावो वा प्रभावो वा यत्र नास्त्यर्थकामयोः
समाजेष्वात्मरूपत्वं धर्मचक्र प्रवर्त्तनम्॥"

(इसका अभिप्राय यह है कि जहां समाज में अर्थ का और कर्म का अभाव भी नहीं रहता और प्रभाव भी नहीं रहता तथा समाज में ही व्यक्ति का आत्मभाव रहता है, वहीं धर्मचक्र का प्रवर्तन होता है।)

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी सदैव यह कहते थे कि **"सामाजिक समरसता के बिना सामाजिक समता असम्भव है।"** वे मानते थे कि सर्वसमावेशी सनातन हिन्दू धर्म के अधिष्ठान पर, हिन्दू समाज की एकात्मता के महान कार्य को सम्पादित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने वर्ष 1991 में सर्वपंथ समादर मंच की स्थापना की थी। उनका मानना था कि बढ़ोत्तरी पेड़ के समान हो, पेड़ पनपता है, बढ़ता है, समय आने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं या हम काट देते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि जीवन धारा बनी रहे, उसका क्रम न टूटे।

श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ तथा स्वदेशी जागरण मंच जैसे राष्ट्रवादी संगठनों का निर्माण केवल परिवर्तन के वाहक के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के समक्ष और समर्थ प्रहरी संगठनों के रूप में किया।

वह भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसी दिशा देने के लिए प्रयत्नशील रहे जहां **"शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त संकिर (सौ हाथों से संग्रह करके हजार हाथ में बांट दो)"** की परिकल्पना साकार होती है। अधिकतम उत्पादन व समतायुक्त वितरण हो, ऐसा प्रयास उन्होंने किया।

श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी हिन्दू विचार दर्शन से बहुत प्रभावित थे एवं उन्होंने साम्यवाद और पूंजीवाद की दोनों विचारधाराओं को भौतिकवादी विचार दर्शन कह कर अस्वीकार कर दिया था। उनका **"थर्ड वे ऑफ थिंकिंग"** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सामयिक एवं प्रासंगिक

सिद्ध हो रहा है। यह भारतीय सोच ही है जिसने आज मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एवं ऐसे ही अन्य रचनात्मक कार्यों को एक गति दी है एवं जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ला रहे हैं।

शास्त्रों में गुरू की महत्ता बताते हुए लिखा गया है कि:-

"दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि।"

(अर्थात् तेजोनिधि सूरज तो अत्यधिक दूरी पर है फिर भी उसकी प्रभा (किरणें) पाकर कमल खिल उठते हैं। उसी प्रकार सुदूर स्थित गुरू के कृपाकटाक्ष से ही सारे काम बन जाते हैं।)

ऐसे ही गुरू थे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जिन्होंने हमें भारतीय प्रतिष्ठा की पताका को हमेशा उंचा रखने की राह दिखायी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में गौतम बुद्ध की दार्शनिकता, महात्मा गांधी की प्रायोगिकता और स्वामी विवेकानन्द के प्रखर राष्ट्रवाद का अद्भुत संयोग था। उनके द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग पर यदि राष्ट्र चले तो वह दिन दूर नहीं, जब भारत विश्व गुरू होगा।

धन्यवाद।